लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]





[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—17, शुक्रवार, 13 मार्च, 1970/22 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—17, Friday March 13, 1970/Phalguna 22, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
421. बम्बई गोदी पर एक डच जलयान में आग लगने की घटना की जांच	Enquiry into Fire Accident in the Dutch Ship at Bombay Dock	—2
422. राज्यों की लाटरियों का औचित्य	Propriety of State Lotteries	2—7
423. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल का राज्यों में तैनात किया जाना	Deployment of C. R. P. and B. S. F. in States	7—15
424. पर्यटक यातायात	Tourist Traffic	15—17
6. भारत में वन्य पशुओं संबंधी पर्यटन	Wild Life Tourism in India	17—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
425. राज्यपालों द्वारा केन्द्रीय सरकार की आलोचना	Centre's Criticism by Governors	25—26

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी-हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी-अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of Speeches etc. In English/Hindi]

तारांकित प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
426.	विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा का माध्यम बनाना / Hindi as Medium of Instruction in Universities	26—27
427.	गुजरात में ट्रांसमिटर का पकड़ा जाना / Recovery of Transmitter in Gujarat	27
428.	नाविकों के कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिये मानदण्ड / Criteria for Recognition of Trade Unions of Seamen	27—28
429.	राष्ट्रीय एकता परिषद् के शिक्षाविदों तथा छात्र नेताओं के बीच बैठक / Meeting of Educationists and Student Leaders of National Integration Council	28—29
430.	पंजाब तथा राजस्थान में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी / Arrest of Pakistani Spies in Punjab and Rajasthan	29
431.	बेरुत के रास्ते जम्बो जैट विमानों को चलाने के लिये बेरुत और भारत के बीच करार / Agreement between Beirut and India for Operating Jumbo Jets through Beirut	29—30
432.	राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत / Discussion with Representatives of National Fitness Corps Organisations	30
433.	भारत में भारतीय तथा विदेशी नियन्त्रणाधीन यात्रा अभिकरण / Travel Agencies under Indian and Foreign Control in India	30—31
434.	केबल तथा तार बनाने वाली कम्पनियों के प्रबन्धन निदेशकों तथा निदेशकों के कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा छापा / C. B. I. Raid on Offices of Managing Directors of Cable and Wire Manufacturing Companies	31—32
435.	नये डिजायनों तथा आविष्कारों के लिये सी० एस० आई० ओ० और वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में वैज्ञानिकों को स्वामिस्व का भुगतान / Payment of Royalties to Scientists in C. S. I. O. and C. S. I. R. for New Designs and Inventions	32

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
436.	राज्यपालों का सम्मेलन	Confetence of Governors	33
437.	मोटर गाड़ी कर	Motor Vehicles Tax	33—34
438.	पश्चिम से बम्बई को जाने वाले जहाज यात्रियों के लिये व्यवस्था	Arrangement for Passengers Sailing for Bombay from West	34
439.	वाणिज्यिक प्रकार के विश्वविद्यालय	Commercial Type Universities	34 36
440.	बम्बई नगर के कुछ भागों में मिला 'कोक'	Coke Found in Parts of Bombay City	36
441.	राष्ट्रमंडलीय अन्तविश्व-विद्यालय सम्मेलन	Commonwealth Inter-University Conference	36
442.	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त हिन्दी सहायक	Hindi Assistants Appointed through U. P, S. C.	37
443.	दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता	Indiscipline in Delhi University	37—38
444.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का विभाजन	Bifurcation of Punjab and Haryana High Court	38
445.	विभिन्न राज्यों में भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised Occupation of Land in various States	38—39
446.	शैक्षिक मूल्यांकन पद्धति में सुधार	Reforms in the System of Educational Evaluation	39—40
447.	उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभान गुप्त के मंत्रिमंडल को बचाने के लिये अमरीका के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के धन के प्रयोग के बारे में आरोप	Allegation re. American C. I. A. Funds used to Save Shri C. B. Gupta's Ministry in U. P.	40—41
448.	दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता दे	Recognition of Shiksha Shastri Degree by Delhi Administration	41
449.	पर्यटक के लिये होटल सुविधाएं	Hotel Facilities for Tourists	41

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
*50. चौथी पंचवर्षीय योजना में संस्कृत प्रसार तथा प्रचार	Promotion and Propagation of Sanskrit in Fourth Five Year Plan	41—42
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2795. कलाकृतियां क्रय समिति कलाकृतियों की खरीद	Art Objects Purchased by Art Purchase Committee	42—43
2796. इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में घटी घटनाओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट	C. B. I. Report on Incidents in Indraprastha Bhavan, New Delhi	43—44
2797. कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय में दुर्लभ तथा मूल्यवान पुस्तकों की सुरक्षा तथा फोटो चित्रण द्वारा पुर्नप्रकाशन	Preservation and Photographic Reproduction of Rare and Valuable books in National Library, Calcutta	44
2798. दिल्ली में घातक दुर्घटनाऐं	Fatal Accidents in Delhi	44 45
2799. पत्तनों के लिये ड्रेजरों की कमी	Dearth of Dredgers for Ports	45
2800. विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामर्स पाठ्यक्रमों में परिवर्तन	Change in Commerce Course of various Universities	45
2801. बाढ़ों, विद्यार्थियों के आन्दोलनों तथा साम्प्रदायिक दंगों के कारण क्षति	Loss due to Floods, Students' Agitations and Communal Riots during 1969	46
2802. सरकारी कर्मचारियों को अनापत्ति पत्र का दिया जाना	Issue of 'No Objection Certificates' to Government Employees	46- 47
2803. शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Reorientation of Education System	47
2804. सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन छुट्टी	Study Leave to Government Servants	47 48

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2805. वायस आफ अमरीका के लिये अनुवाद कार्य करने के लिये सरकारी कर्मचारियों को अनुमति	Permission to Government Servants to Undertake Translation for Voice of America	48—49
2806. संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers through U. P. S. C.	49
2807. सेवाओं में नवयुवकों का भर्ती किया जाना	Infusion of Young Blood in Services	50
2808. कार्यवाहक सेक्शन अफसरों के रूप में कार्य करने वाले असिस्टेंट	Assistants Officiating as Section Officers	50—51
2809. बिहार में ईसाई मिशन के कालेजों और स्कूलों के अध्यपाकों को भुगतान	Payment to Teachers of Christian Mission Colleges and School in Bihar	51
2810. पूर्वी पाकिस्तान की ओर से सशस्त्र मिजो लोगों का भारत आगमन	Armed Mizos Entering India from East Pakistan Side	52
2811. इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा डा० सी० वी० रामन को स्थान देने से इन्कार	Refusal of a Seat to Dr. C. V. Raman by Indian Airlines	52—53
2813. अशोक नगर, पश्चिम दिल्ली में बाजार का निर्माण	Construction of Market in Ashoka Nagar, West Delhi	53—54
2814. राजनीतिक पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध	Ban on Appointment of Judges to Political Offices	54—55
2815. आसाम में रेलवे के जहाज की मरम्मत के कार्य के लिये केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा टेंडरों का दिया जाना	Tenders Submitted by C. I. W. T. for Railway Ship Repair Job in Assam	55—56
2816. राष्ट्रीय महिला कल्याण परिषद् की सिफारिशें	Recommendations of National Council for Women's Welfare	56—58

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ
2817. पीपल्स कोर्ट द्वारा पश्चिमी बंगाल के मंत्री की दोषसिद्धि	Conviction of West Bengal Ministers by People's Court	58
2818. आसाम में गोलपारा जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा अतिक्रमण	Intrusion by Pakistani Nationals in Goalpara District in Assam	58—59
2819. पुर्तगाल में भारतीय कैदी	Indian Prisoners in Portugal	59
2820. बम्बई में अमरीकी छात्रों के नेता का पीछा करना	Shadowing of US Student's Leader in Bombay	60
2821. श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में रहस्य	Mystry about the death of Shri Lal Bahadur Shastri	60
2822. सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले अधिकारियों का सरकारी सेवा में सेवा काल बढ़ाना	Superannuated Officers in Government Service on Extension	61
2823. एक पृथक खगोल चन्द्रमा का अस्तित्व	Existence of a Separate Astrological Moon	61
2824. साप्ताहिक हिन्दुस्तान में एक लेख के लेखक के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Writer of an Artical in Saptahik Hindustan	61—62
2825. उग्र-वामपन्थियों की छापामार गतिविधियों तथा साम्प्रदायिक गतिविधियों में वृद्धि	Increase in Guerrila Activities of Extreme Leftist and Communal Activities	62
2826. दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों तथा जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रवेश	Admission to Colleges of Delhi University and Jamia Millia Islamia	62—63
2828. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किराये में वृद्धि	Fare Raise by IAC	63
2829. महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल ग्वालियर के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जीते गये पुरस्कार	Awards Won by Trainees of Maharani Laxmibai Physical Training School Gwalior	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
2830. विदेश जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद् सदस्यों का नामनिर्देशन	Nomination of M. Ps. to Delegations Sent Abroad	64—65
2831. राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार के विरुद्ध पर्चे	Leaflet against Presidential Candidate	65
2832. काश्मीर में गांधी स्मारक	Gandhi Memorial in Kashmir	65
2833. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में लगभग 200 कमरों वाली इमारत	200 Odd Room Building in Chankyapuri, New Delhi	66
2834. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक	Meeting of Southern Zonal Council	66
2835. श्री मोदी को पद्म विभूषण प्रदान करना	Padma Vibhushan to Shri Modi	66—67
2836. विशाखापत्तनम में चक्रात (साईक्लोन) की चेतावनी देने वाला राडार चालू करना	Commissioning of Cyclone Warning Radar at Visakhapatnam	67
2837. बम्बई अधिवेशन में भाग लेने वाले केन्द्रीय मंत्री	Union Ministers Attending Bombay Session	67—68
2838. तस्कर व्यापारियों द्वारा बम्बई के निकट इस्तेमाल में लाई जाने वाली हवाई पट्टी	Air Strip used by Smugglers near Bombay	68
2839. काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों तथा तोड़फोड करने वालों की कार्यवाहियां	Activities of Pakistani Agents and Saboteurs in Kashmir	68—69
2840. गंगानगर राजस्थान में कर न देने के सम्बन्ध में अभियान	No Tax Campaign in Ganga Nagar, Rajasthan	69
2841. श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एकता परिषद् के सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations of National Integration Council Conference Held in Srinagar	69
2842. विदेशों में कार्य कर रहे इन्जीनियर	Engineers Working in Foreign Countries	70—72

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2843. पंजाब में पुनर्गठन के समय चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र में बनाने के बारे में अदालती मामला	Dispute in Court about Formation of Chandigarh as Union Territory at the Time of Reorganisation of Punjab	72
2844. क्षति के बारे में श्री मधु लिमये द्वारा मुकदमा	Suit by Shri Madhu Limaye for Damages	72—73
2845. राजोरी गार्डन नई दिल्ली, में संगत सिंह द्वारा आत्मदाह	Immolation by Sangat Singh at Rajouri Garden, New Delhi	73
2846. मद्रास में जाली डालर बनाने का मामला	Dollar Counterfelt Case in Madras	73—74
2847. प्राथमिक इंजीनियर डिग्री कोर्स की अवधि	Duration of Preliminary Engineering Degree Course	74
2848. सूती हथकरघा कपडों के विमान भाड़े में रियायत	Air Freight Concession to Cotton Handloom Textiles	75
2849. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कुछ हवाई अड्डों पर गाड़ी खड़ी करने की (पार्किंग) फीस का एकत्र किया जाना	Collection of Parking Fee at some Airports by India Tourism Development Corporation	75
2850. दिल्ली प्रशासन के अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in Delhi Administration	75—76
2851. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में प्रतिनियुक्ति पर नये राजपत्रित अधिकारी	Gazetted Officers on Deputation in Andaman and Nicobar Islands	76—77
2852. पोर्ट ब्लेअर के डिग्री कालेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति	Appointment of Lectures in Degree College of Port Blair	77
2853. इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में प्रेस संवाददाताओं तथा फोटोग्राफरों के साथ दुर्व्यवहार	Manhandling of Press Correspondents and Photographers at Indraprashtha Bhawan, New Delhi	77—78

अत ा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2854. पटना विश्वविद्यालय का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना	Taking Over of Patna University	78—79
2855. प्राथमिक शिक्षा पद्धिति में सुधार करना	Overhauling of Primary Education System	79
2856. मद्रास में सवेतकों का सातवां सम्मेलन	Seventh Whip's Conference Held in Madras	79—80
2857. पश्चिम बंगाल गुजारा भत्ता विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to West Bengal Subsistence Allowance Bill	80—81
2858. इंजीनियरी डिजाइन प्रतिभा का उपयोग न किया जाना	Wastage in Engineering Design Talent	81
2859. पुराने वैज्ञानिकों के विरुद्ध युवा वैज्ञानिकों का असन्तोष	Resentment of Young Scientists against Old Scientists	82
2860. जिला धनवाद में पाया गया मालो विरोधी साहित्य	Anti Mao Literature Discovered in Dhanbad District	82—83
2861. मोटर गाड़ियों के लिये आर्दश नियम	Model Rules for Motor Vehicles	83
2862. तूतीकरोरिन पत्तन पर माल यातायात में वृद्धि	Increase in Trade Handled by Tuticoria Port	83—84
2863. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा दिया गया अनुदान	Grants given by Indian Council of Social Science Research	84
2864. केयर के मध्यम से अमरीका द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएं	Goods Supplied by US Government through CARE	84—85
2865. हैदराबाद में तेलंगाना प्रजा समिति का सम्मेलन	Conference of Telengana Praja Samiti held in Hyderabad	85
2866. भारत में सी०आई०ए० की गतिविधियां	CIA Activities in India	85—86
2867. अत्यावश्यक सेवायें संधारण अधिनियम को रद्द करने की मांग	Demand for Repeal of Essential Services Maintenance Act	86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2868. पर्थ से सिंगापुर जाने वाले बोइगं 707 विमान का मजबूरी में वापस आना	Boeing 707 Flight's Forced return from Perth to Singapore	84
2869. कलकत्ता में नाविकों के राष्ट्रीय संघ को मान्यता देने सम्बन्धी विवाद	Dispute over Recognition of National Union of Seamen in Calcutta	87
2870. अन्तराष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में भारतीय टीमों का खेल	Performance of Indian Teams in International Hockey Tournament	87—88
2871. सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में होटल	Hotels in Public and Private Sectors	88
2872. जोगी गोपा (आसाम) में एक अन्तर्देशीय जल परिवहन पत्तन का निर्माण	Building of an Inland Water Transport port at Jogigopa Assam	88—89
2873. इंजीनियरी स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या की जिम्मेदारी	Responsibility for Problem of Unemployment of Engineering Graduates	89—90
2874. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिये प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Regional Laboratory for Bihar, U. P. and M. P. and Rajasthan	90
2875. पाकिस्तानियों का गैर कानूनी रूप से भारत में ठहरना	Illegal Stay of Pakistanis in India	90—92
2876. 15 नवम्बर, से 25 दिसम्बर, 1969 तक देश में बुक किये गये किराये पर चलने वाले विमान	Chartered Planes Booked in the Country from 15th November to 25th November, 1969	92—94
2877. पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा अपने उप-मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये अरोप	Charges made by West Bengal Chief Minister against his Deputy Chief Minister	94
2878. शान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के भवन का गिर जाना	Collapse of Air India Building at Santa Cruz Airport	95

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2879. पटना हवाई अड्डे पर इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident to IAC Plane at Patna Airport	95—96
2880 शिक्षित बेरोजगारों के लिये जांच आयोग की स्थापना	Setting up of Enquiry Commission for Educated Unemployed	96
2881. संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना	Codification of Privileges of M. Ps.	97
2882. जहाज ठहराने तथा माल लादने और उतारने के बारे में प्रत्येक पत्तन की क्षमता का उपयोग	Utilisation of Ship and Cargo Handling Capacity of Ports	97—98
2883. अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा गैरकानूनी कार्यवाहियां	Illegal Practices Indulged in by International Airlines	98—99
2884. देश में बसों तथा ट्रकों की कमी	Dearth of Buses and Trucks in the Country	99
2885. संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को लाभ	Benefits to Employees of Government of Union Territory	99
2886. दिल्ली से आसाम तक जाने वाली पार्श्व (लेटरल) सड़क परियोजना में निर्माण कार्य	Construction Work on Delhi Assam Lateral Road Project	99—100
2887. जासूसी के आरोप में दण्डित विदेशी जासूस	Foreign Spies Convicted on Espionage Charges	100
2888. महाराष्ट्र में न्हावा शेवा में बन्दरगाह	Port at Nhava Sheva in Maharashtra	100—101
2889. भारत की यात्रा करने वाले विदेशी हिप्पी पर्यटक	Foreign Hippie Tourists Visiting India	101
2890. दिल्ली में सेशन न्यायालयों को भेजे गये मामले	Cases Committed to Sessions in Delhi	101—102
2891. भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज का मन्दिर	Temple of Lord Lingaraj in Bhuvaneshwar	102
2892. अरबी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन	Publications of Books in Arabic	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2893. शिवसेना के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Shiva Sena	103
2894. पुराना किला, दिल्ली को सुन्दर बनाना	Beautification of the Old Fort (Purana Qilla) Delhi	104
2895. हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित अधिकारियों तथा अध्यापकों की ओर से अभ्यावेदन	Representations from Non-Gazetted Officers and Teachers of Himachal Pradesh	104
2896. व्यवहारिक विज्ञान का अध्यापन तथा अनुसन्धान	Teaching and Research in Applied Science	105
2898. पारादीप पत्तन पर माल घाट	Cargo Berth at Paradeep Port	105
2899. हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई विभागीय परीक्षा	Departmental Examination for Hindi Officer and Hindi Supervisors held by UPSC	105—107
2900. केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी सहायक	Hindi Assistants in Central Secretariat	107
2901. किसी सेवा अथवा पदावलि से असम्बद्ध सरकारी कर्मचारी	Government Employees not belonging to any Service or Cadre	107—108
2902. हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी पर्यवेक्षक ग्रेडों पर नियुक्तियों के लिये साक्षात्कार	Holding of Interviews for Appointments to Hindi Officer and Hindi Supervisor Grades	108—109
2903. नदी तथा नहर द्वारा नोवहन मार्ग को बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to Augment River and Canal Navigation Route	109
2904. भारतीय जहाजों द्वारा आयात तथा निर्यात व्यापार किया जाना	Handling of Import and Export Trade through Indian Ships	109
2905. आस्ट्रेलिया विज्ञान अकादमी द्वारा सेलबी फेलाशिप	Selby Fellowship by Australian Academy of Science	110
2906. जम्मू के राजौरी अंचल में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी	Firing by Pakistani Militarymen in Rajauri Sector of Jammu	110

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2907. राज्यों के स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम	Uniform Syallbus for Schools in States	110
2908. चार्टर्ड नगर के रूप में चंडीगढ़	Chandigarh as Chartered City	110—111
2910. तमिलनाडु में थन्जवुर जिले में माओ के नारों वाले इश्तिहार	Posters Carrying Mao Slogans in Thanjawur District of Tamil Nadu	111
2911. इंजन की खराबी के कारण कैरेवेल विमान सेवाओं का देरी से चलना	Delays in Caravelle Flights due to Engine Trouble	111
2912. पोरबन्दर में खड़वा जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी	Police Firing on Member of Kharwa Community in Probunder	112
2913. भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों का अर्जन तथा भाड़े से आमदनी	Acquisition of Vessels and Freight Earnings by Shipping Corporation of India	112—113
2914. नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites	113
2915. बीकानेर डिवीजन (राजस्थान) में माओ के इश्तियार	Mao s Posters in Bikaner Division (Rajasthan)	113
2916. पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Intruders	113—114
2917. पूना के निकट भीम शंकर में मूर्ति को विकृत करना	Disfiguring of Idol at Bhima Shanker Near Poona	114—115
2918. मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani Nationals in Madhya Pradesh	115
2919. मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थानों का सर्वेक्षण	Survey of Historical Places in Madhya Pradesh	115
2920. मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ जिलों में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का अवैध ठहरना	Pakistani Nationals Staying Illegally in Hoshangabad and East Nimad District of Madhya Pradesh	115

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2921. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान बेड़े में स्वदेशी तथा विदेशी विमानों का अनुपात	Proportion of Indigenous and Foreign made Aeroplanes Owned by Indian Airlines Corporation	116
2922. संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये प्रादेशिक भाषाएं	Regional Languages for UPSC Examinations	116—117
2923. दिल्ली से अन्य महत्वपूर्ण नगरों के लिये डीलक्स बसें चलाना	Plying of Deluxe Buses from Delhi to other Important Cities	117
2924. विदेशी पर्यटकों पर लागू होने वाले नियम तथा विनियम	Rules and Regulations Applicable to Foreign Tourists	117
2925. पुराने तथा भूमि पर खड़े विमानों के स्थान पर दूसरे विमान खरीदना	Replacement of Grounded and Obsolete Aircrafts	117—118
2926. मनीपुर के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसीपल तथा वाइस प्रिंसीपलों के पद	Posts of Principal and Vice Principal in Higher Secondary Schools in Manipur	118
2927. मनीपुर प्राथमिक स्कूलों के गैर मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक	Untrained Non Matriculate Teachers in Manipur Elementary Schools	118—119
2930. सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मनीपुर के अध्यापकों को प्रवर वेतनमान	Selection Grade Scale for Teachers of Government Aided Schools, Manipur	119
2931. उड़ीसा में छोटे पत्तन	Minor Ports in Orissa	119 - 120
2932. जम्मू के स्कूलों में निर्धारित भूगोल की एक पाठ्य पुस्तक में भारत के साथ तिब्बत के व्यापार के बारे में टिप्पणी	Remarks about Tibet's Trade with India in a Text Books on Geography prescribed for Schools in Jammu	120
2933. भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा परीक्षाओं के परिणाम	IAS and IFS Results	120

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2934. कोयला गैसीकरण, कारखाना, हैदराबाद का भविष्य	Future of Coal Gasification Plant, Hyderabad	120—121
2935. हरियाणा के लोगों को पद्मश्री की उपाधि	Padma Shri Award to Persons from Haryana	121—122
2936. चंडीगढ़ में हड़प्पा संस्कृति से संबन्धित कंकालों का पाया जाना	Discovery of Skeletons Associated with Harappan Culture in Chandigarh	122
2937. पब्लिक स्कूलों में सुधार	Reforms in Public Schools	122—123
2938. मद्रास से बाह्य बन्दरगाह	Outer Harbour at Madras	123
2939. भारत द्वारा जहाजों का अर्जन	Acquiring of Ships by India	123—124
2940. विदेशी जहाजों को दिये गये भाड़े के कारण खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchang Spent by Way of Freight on Cargo Carried by Foreign Ships	124—125
2941. दिल्ली में द्विविवाह के विरुद्ध विधान	Legislation against Bigamy in Delhi	125
2942. 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा	Compulsory Education for Children upto 14 years of Age	125—126
2943. विश्व विक्रम जहाज का जलावतरण	Launching of 'Vishva Vikram' Ship	126
2944. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों आदि का पुनरीक्षण	Revision of Emoluments of UPSC Members	126
2945. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कार्य	Hindi Work in Government Offices	126—127
2946. अशोक होटल्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के लाभ में कमी	Decrease in Profit of Ashoka Hotels Ltd. New Delhi	127
2947. सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Departments and Public Undertakings	127—128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2948. नौवहन निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Class III and Class IV Employees in Shipping Corporation	128
2949. जलेश्वर उड़ीसा में सुवर्ण-रेखा पुल का निर्माण	Construction of Subernarekha Bridge at Jaleswar, Orissa	128—129
2950. राज्यों के परिवहन मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Transport Ministers of States	129—130
2951. भारतीयों भाषाओं में ऊंचे स्तर की पुस्तकों की छपाई के लिये राजसहायता देने की योजना	Scheme to Subsidize Printing of Standard Books in Indian Languages	130 131
2952. स्थावर सम्पत्ति में अर्जन पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Acquisition of Immovable Property	131
2953. विभिन्न राज्यों के तकनीकी कालेज	Technical Colleges in varions States	131
2954. दिल्ली परिवहन उपक्रम में चालक, संवाहक तथा लिपिक	Drivers, Conductors and Clerks in Delhi Transport Undertakings	131—132
2955. केन्द्रीय रिर्जव पुलिस को तोड़ना	Disbandment of Central Reserve Police	132
2956. नागपुर में एक पर्यटक होटल का खोला जाना	Setting up of a Tourist Hotel at Nagpur	132
2957. मंत्रालय में अधिकारी प्रधान योजना	Officer Oriented Scheme in Ministries	133
2958. केन्द्रीय सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिकों की उच्च श्रेणी लिपिकों के पद पर पदोन्नती	Promotion of LDC's as UDCs. in Central Secretariat	133—134
2959. हरियाणा में अन्दोलन के समय सीमा-सुरक्षा दल का प्रयोग	Use of Border Security Force during Agitation in Haryana	134
2960. कलकत्ता तथा सिलचर और सिलचर तथा गोहाटी के बीच सेवा बढ़ाने की मांग	Demand for Increasing Flight Services between Calcutta and Slichar and Slichar and Gauhati	134—135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2961. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर निर्माण कार्य	Construction of Work on National Highway No. 34	135
2962. अराजकता फैलाने हेतु लोगों को भड़काने के लिये वीर अर्जुन और प्रताप के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाना	Registration of Case against Vir Arjun and Pratap for Instigation to Indulge in Lawlessness	
2963. नेशनल लबोरेटरीज मानूमेंटस् टू अनयूस्ड इन्स्ट्रूमेंटस	National Labs. Monument to Unused Instruments	136
2964. आय व्ययक तथा अतिरिक्त वित्तीय मामलों के बारे में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री द्वारा मांगी गई शक्तियां	Powers Sought by Chief Minister of Tripura regarding Budget and Additional Financial Matters	136
2965. राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में समान शुल्क	Uniform Fee Level in Primary and Secondary Schools in States	136—137
2966. शेख अब्दुल्ला द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन में पाक अधिकृत काश्मीर से प्रतिनिधियों को बुलाने की अनुमति मांगी जाना	Permission Sought of Sheikh Abdullah for Inviting Representatives of Pak Occupied Kashmir to all Party Convention	137
2967. दिल्ली यमुना नदी पर एक स्थायी खुले पुल का निर्माण	Construction of a Permanent Open Bridge over River Jamuna at Delhi	137—138
2968. बादशाह खान के भारत भ्रमण के दौरान भाषण	Speeches of Badshah Khan during his Visit to India	138
2969. भूतपूर्व पेप्सू राज्य के संवर्गों के कर्मचारियों की वरिष्टता सूची को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Seniority List of Cadres of Erstwile Pepsu State	138—139
2970. केन्द्रीय जांच ब्यूरो में काम कर रहे अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारियों के दूसरे विभागों को ऊंचे पदों के लिये भेजे गये आवेदन पत्रों का रोका जाना	Withholding of Applications of Scheduled Caste/Scheduled Tribes Employees in CBI for Higher Jobs in other Departments	139

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2971.	त्रिपुरा में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Tripura	140
2972.	शिलांग के निकट बड़ा पानी हवाई अड्डे का विकास	Development of Barapani Airport near Shillong	140
2973.	त्रिपुरा में राजनैतिक पीड़ितों को सहायता	Assistance to Political Sufferers in Tripura	140—141
2974.	दादरा और नागर हवेली का महाराष्ट्र राज्य में विलय	Marger of Dadra and Nagar Haveli with Maharashtra State	141
2975.	गोआ में चपोरा किले में नाचघर चलाने का प्रस्ताव	Proposal to Start a Casino at Chappora Fort in Goa	141—142
2976.	खेलकूद बोर्ड तथा संघ	Athleetic and Sports Boards Associations	142
2977.	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Regional Engineering College Rourkela	142—143
2978.	रेलवे सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय का स्थान परिवर्तन	Shifting of Railway Safety Commissioner's Office	143—144
2979.	विदर्भ राज्य तथा अन्य नये राज्य बनाना	Creation of Vidarbha State and other New States	144
2980.	गत दो वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त विमान	Aircrafts Crashed during Last 2 Years	144—145
2982.	दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए पदोन्नति	Promotion of Officers of Delhi Police while on Deputation	145
2983.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दियां	Uniforms for Class IV Employees	145—146
2984.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में प्रशिक्षा पायलट के रूप में प्रशिक्षण के लिये चुने गये उम्मीदवार	Candidates Selected for Training in IAC as Apprentic Pilots	146
2985.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असुरक्षा	Insecurity Among Central Government Employees in West Bengal	147

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2986. गांधी जी द्वारा तथा उनके बारे में लिखित ग्रन्थों की सूची	Bibliography of Writings by and on Gandhiji	147
2987. राजनैतिक आन्दोलनों में स्त्रियों तथा लड़कियों को गिरफ्तार करना	Arrest of Women and Girls during Political Agitation	147—148
2988. राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा और दोहरा करने पर व्यय	Expenditure Incurred on Widening and Doubling of National Highways	148
2989. खान अब्दुल गफ्फार खान का कोयम्बटूर में भाषण	Speech by Khan Abdul Ghaffar Khan at Coimbatore	148
2990. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिये सांविधिक निगम	Statutory Corporation for Managing International Airport in India	149
2991. हिमाचल प्रदेश को दिये गये क्लर्कों की एकीकृत पदाली	Unified Cadre of Allocated Clerks to Himachal Pradesh	149
2992. हिमाचल सचिवालय के लिये आवंटित क्लर्कों के वेतन मान	Pay Scales of Allocated Clerks in Himachal Seeretariat	150
2994. कलकत्ता बन्दरगाह में यातायात में कमी	Fall in Traffic at Calcutta Port	150—152
सभा में अनुशासन बनाये रखने के बारे में	Re. Maintenance of Decorum in the House	152—156
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	156
भारत में सैनिक शासन लागू करने के बारे में भूतपूर्व चल सेनाध्यक्ष जरनल करिअप्पा का कथित वक्तव्य	Reported Statement by General Carippa Advocating Imposition of Military Rule in India	156—160
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	160—162
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	162
चौरासिवां और छियानवेवाँ प्रतिवेदन	Eighty-Fourth and Ninety-Sixth Reports	162—163
सभा का कार्य	Business of the House	163—165

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	165
छयालीसवां प्रतिवेदन	Forty-Sixth Report	165—166
जम्मू तथा काश्मीर विधान मंडल के सत्रावासान के बारे में	Re. Prorogration of Jammu and Kashmir Assembly	166—168
सामान्य बजट का समय से पूर्व पता लग जाने के बारे में	Re. Reported Leakage of General Budget	170
बजट, (सामान्य) 1970-71 सामान्य चर्चा	General Budget, 1970-71 General Discussion	168
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	168—171
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	171—177
श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Sheopujan Shastri	177
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	177
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन	Fifty-eight Report	177
पुरःस्थापित किये गए विधेयक	Bills Introduced	177
(1) बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969, श्री भगवान दास का	Banking Laws (Amendment) Bill, 1969, by Shri Bhagban Das	177
(2) सविधान (संशोधन) विधेयक 1970 (नये अनुच्छेद 165-क का रखा जाना) श्री शिवचन्द्र झा का	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Insertion of New Article 165A) by Shri Shiva Chandra Jha	178
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 233 का संशोधन) श्री शिवचन्द्र झा का	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Article 233) by Shri Shiva Chandra Jha	178
(4) निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक 1970) श्री मधु लिमये का	Free Legal Aid Bill, 1970 by Shri Madhu Limaye	192
(5) दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1970 (धारा 3, 22 आदि का संशोधन) श्री श्रीचन्द गोयल का	Delhi Administration (Amendment) Bill, 1970 (Amendment) of Sections 3, 22, etc.) by Shri Shri Chand Goyal	192

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(6) संविधान (संशोधन) बिधेयक (अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन) श्री श्रीचन्द गोयल का	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 85 and 174) by Shri Shri Chand Goyal	193
(7) बम्बई आणविक प्राधिकरण विधेयक, 1970 श्री जार्ज फरनेन्डीज का	Bombay Atomic Authority Bill, 1970 by Shri George Fernandes	196
विदेशी सहायता (लेखा रखना), विधेयक, 1970 श्री कंवरलाल गुप्ता का—वापस लिया गया	Foreign Aid (Maintenance of Account) Bill-Withdrawn by Shri Kanwar Lal Gupta	178
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	178
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	178—179
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krisnna Kumar Chatterji	179
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	179—180
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	180—181
श्री चौधरी रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	181—182
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	182
श्री नाथू राम आहिरवार	Shri Nath Ram Ahirwar	182
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	182—183
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	183
श्री ओंकारलाल बौहरा	Shri Onkar Lal Bohra	183—184
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	184
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	184—185
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	185—186
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	186
श्री राजशेखरन	Shri Rajshekharan	186
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	186—187
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	187
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	188—189
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	189—190
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	190

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	190—191
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	191
संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना) श्री मधु लिमये का	Constitution (Amendment) Bill (Ommission) of Article 314) by Shri Madhu Limaye	193
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	193
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	193
जम्मू तथा कश्मीर विधान मण्डल के सत्रावसान के बारे में वक्तव्य	Statement re. Progation of Jammu and Kashmir Legislature	193
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	196
आधे घंटे की चर्चा	Half an hour Discussion	176
चुनाव व्यय पर विचार हेतु संसदीय आयोग की नियुक्ति	Appointment of Parliamentary Commission to Examine Election Expenses	196
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	196 199
श्री मुहम्मद यूनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	199

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 13 मार्च, 1970/22 फाल्गुन, 1891 (शक)
Friday, March 13, 1970/Phalguna 22, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

श्री ए० श्रीधरन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है । कि आप त्याग पत्र दे रहे हैं । अतः हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा निर्णय किया है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा परम्परा यह है कि प्रश्न अथवा प्रश्नों से सम्बन्धित बातों के अतिरिक्त प्रश्न काल में अथवा प्रश्नकाल से पहले अन्य कोई विषय नहीं लिया जाता है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई गोदी पर एक डच जलयान में आग लगने की घटना की जांच

421. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई गोदी में दिनांक 31 दिसम्बर, 1969 को एक डच जलयान में आग लगने की घटना के मामले में कोई जांच की गई थी ; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख). बम्बई गोदी में दिनाक 31 दिसम्बर, 1969 को एक डच जलयान एम० वी० 'अरेन्डस्केरक' के फलका संख्या 3 में आग लगने की घटना के मामले में जांच की गई । रिपोर्ट पोतपरिवहन महानिदेशालय, बम्बई के विचाराधीन है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या यह सच है कि इस जहाज का बम्बई गोदी में जाने का कोई मतलब नहीं था और यदि हां, तो क्या अनिच्छित जहाजों को अपने देश के जलप्रागण में आने से रोकने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था है ? इस जांच के पूरा होने में कितना समय लगेगा और क्या इसे उचित समय में पूरा कर लिया जायेगा अथवा नहीं और क्या यह केवल एक औपचारिक जांच ही है ?

श्री इकबाल सिंह : इस जहाज को अपना माल जो लगभग 50 टन था बम्बई में उतारना था और इसलिए इसे बम्बई जाना पड़ा ।

जहां तक जांच का सम्बन्ध है व्यापार-पोत अधिनियम के अन्तर्गत यह एक कानूनी जांच है, इसके दो भाग हैं । कोई जन हानि नहीं हुई है और इस दुर्घटना की जांच हो रही है, दूसरा भाग वाणिज्यिक है ; बीमा कम्पनियों, निर्धारकों और मूल्यांकन करने वालों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है और केवल तब ही जांच पूरी हो सकती है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : इस मामले से कितने टन माल को क्षति पहुंची और आयातित माल, जिसमें आग लग गई थी, हमारे देश के लिए था अथवा अन्य देशों के लिए था और क्या क्षतिग्रस्त माल के बदले में नया माल देने की सरकार की कोई जिम्मेदारी है ?

श्री इकबाल सिंह : उस फलका में 250 टन माल था जिनमें से 100 टन भारत के लिए था तथा शेष लंका और अन्य देशों के लिए था । अन्य फलकाओं के बारे में हम नहीं जानते । हम केवल उसी फलका के बारे में जान सकते हैं जिससे जहाज को हमारे देश के लिये माल उतरना था । जहां तक जांच का सम्बन्ध है यह एक वाणिज्यिक जांच है और यह चलती रहेगी, और यह एक अर्ध-न्यायिक प्राक्रिया है और इस लिए इसमें समय लगता है ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : माल क्या था ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक हम जानते हैं, उस फलका में रूई की गांठें, रद्दी रूई, रबड़ का समान, इम, डाक के थैले, औषधियां, स्पिरिट की बोतलें और कागज की गांठें थीं ।

Propriety of State Lotteries

*422. **Shri Narayan Swaroop Sharma :**
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ministries of Home Affairs, Finance and Law hold different views in regard to the propriety of State Gove nment Lotteries ;

(b) if so, the details of the views of these Ministries ;

(c) the object of starting these lotteries and whether the object of socialism would not suffer on account of such lotteries which help in creating new capitalists ; and

(d) whether Government propose to limit the maximum amount of the first prize of the lotteries ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

After taking into consideration all aspects of the matter the Central Government informed the State Governments that may conduct State lotteries if they so desire, subject to the condition that tickets of such a lottery will not be sold in another State without the express consent of the Government of that State.

(b) Does not arise.

(c) The lotteries are run by the States generally to mobilize savings and to find funds for financing their Development Plans etc.

(d) The matters concerns State Governments as the amount of the prizes is fixed by them.

Shri Narayan Swaroop Sharma : These lotteries have created a new problem for the poor people. The income of a poor man is just a pittance and he has to buy 15 tickets costing Rs. 15. Numerous families have sold their household articles for buying the lottery tickets. State Governments are going to make one *lakhpati* every month and this has increased the tendency for gambling. If you cannot check it what type of socialism is this ? Are you going to bring a measure to ban this ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I stated just now Central Government is not concerned with the floating of lotteries, it is entirely within the jurisdiction of State Governments whether or not to float the lotteries. As regards the question of inducing tendency for gambling, it is a matter of difference of opinion. It is a question of one volition whether one buys the lottery tickets or does not buy them. The proceeds of the lotteries are utilised in the execution of development projects and other public utility works and therefore we do not want to come in this way.

Shri Narayan Swaroop Sharma : But these lotteries are not confined to any one state. Lotteries of one State can be sold in the other States. Hence the Centre can be interfere in this matter.

Shri Vidya Charan Shukla : When we allow any State Government to float its lottery, we specificially ask them not to sell their tickets in other States without their permission.

Inspite of not getting this kind of permission, it is quite possible that people may start clandestine sale of tickets of some States. But we are thinking that a law should be made against sale of tickets in those states where the States Governments are not willing for it and if tickets are sold there, it should be considered as legal offence.

Shri Narayan Swaroop Sharma : The hon. Minister has put forth its economic aspect, but I take its moral aspect. There are two types of tickets—forged and genuine and it is not possible to find out whether a particular ticket is genuine or not. Therefore may now whether it is not possible that all tickets should be sold through Post-offices.

श्री श्रद्धाकर सूपकर : लगभग 120 वर्ष पूर्व महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को देखते हुए कहा था कि एक दिन सब लाल हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री ने कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में सभी राज्यों में कराधान के उपायों का स्थान यह लॉटरी ले लेगी। इस कथन से सरकार कहां तक सहमत है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री ए० श्रीधरन : जुआ तो जीवन के साथ अनिवार्यतः सम्बद्ध है प्रत्येप कार्य व्यापार में जुए का कुछ न कुछ अंश अवश्य ही रहता है । यहां के बच्चे के जन्म में भी.....

श्री पीलू मोदी : यहां तक के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ।

श्री ए० श्रीधरन : राज्य सरकारें लाटरी चला कर अतिरिक्त कर लगाये बिना संशोधन जुटा सकती हैं । मुझे इस बात का गर्व है कि केरल ने इस क्षेत्र में पहल की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बिना अतिरिक्त कर लगाये लाखों या करोड़ों रुपये की राशि राज्यों के राजकोष में इन्हीं लॉटरियों से आई है क्या केन्द्रीय सरकार भी लॉटरी चलायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, नहीं ।

Shrimati Lakshmikanthmna : Mr. Speaker, Black-marketers are taking advantage by purchasing winning tickets at a higher rate. What measures are being taken by Government to stop it ?

Shri Vidya Charan Shukla : There is black-market in several things and generally measures are taken to stop it. So far black-marketing in lottery ticket is concerned, we have not received any complaints so far. The hon. Member has mentioned it for the first time. Besides this, whatever action is required to be taken if the responsibility of the State Governments concerned. If the hon. Lady Member has any particular incident in view, she may bring it to our notice and we will apprise the State Government's concerned accordingly.

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, our people believe in fate and the hon. Minister must be knowing that even human beings are sacrificed for propitiating the deity of fortune. Keeping it in view may I know whether the lottery system run by the Government would not encourage fatalism ?

How far it is in the interest of the country as well as in the interest of the development of the country to encourage fatalism in this era of science ?

Shri Vidya Charan Shukla : I do not agree that our country believes in fatalism. I also do not agree that Lottery System encourages fatalistic tendencies. As I have already stated that the Central Government are not responsible for it. If State Governments want to run lotteries we would not come in their way.

Shri O. P. Tyagi : May I know whether Government are aware that mostly the poor are tempted by the lottery. The millionaires would like to become millionaire. Major portion of the money comes from the poor. The people who are already poor spend enough money on purchasing the tickets every month. Is it not against socialistic policies of the Government Keeping in view the injustice done to the poor will not the Government consider the question of abolishing the lottery system.

Shri Vidya Charan Shukla : It is very difficult to say that only the poor have craze for money. But mostly people say that the rich want to become richer.

Secondly it does not go against socialism. No doubt that the poor are affected by it but it will be wrong to say that only the poor are the affected people on this account. It can be both benificial and harmful for them. Besides this, it is not that one will suffer a loss by purchasing a lottery ticket for one rupee once in a month.

Shri Sheo Narain : I would like to bring to the notice of the hon. Home Minister

that the moral of those minor childern is also being spoiled who sell lottery tickets. Moreover forged tickets are also being sold. Lottery system may continue, I do not oppose it but there must be some guarantee from the Government that forged and bogus tickets will not be sold in the market. What steps are being tsken by the Government for preventing minor children from selling lottery tickets ?

Shri Vidya Charan Shukla : We do not run any Lottery, State Governments are running them. If there is some particular difficulty that may be brought to our notice, we will apprise the State Governments concerned accordingly.

Shri Arjan Singh Bhadoria : Forged tickets are being sold in many states. Keeping in view the fact whether the Government consider a scheme under which Central Government will stop state lotteries and start their own lottery and the money earned will be distributed equally among all the State ?

Shri Vidya Charan Shukla : I do not think that the suggestion given by hon. Member can be considered because it is not the policy of the Central Government to run a lottery.

श्री रा० बरुआ : बुद्ध और गांधी की इस भूमि पर मन्यताएं बहुत तेजी से बदली हैं और राज्यों का लॉटरी चलाना इन में से एक है। क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि और कौन सी सभ्य सरकारों में यह राज्य लॉटरी का व्यापार चल रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वस्तु स्थिति और भी बुरी है। राज्य अथवा संघीय सरकारों द्वारा जुआ घर चलाये जाते हैं हम ऐसा कुछ नहीं करते।

Shri Gunanand Thakur : May I know from Home Minister the amount Government so far earned from these lotteries ? May I also know whether Government impose income tax on the amount which a person gets on account of winning prizes of a lottery run by State Government. If so, how much revenue Government have received on this account ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Speaker this has already been answed on the floor of the House. If you kindly permit me I may read it again. A statement showing the revenue derived by different states has already been placed on the table of the house. If you permit me I will read it again.

Mr. Speaker : Place it on the Table of the House.

Shri Shiv Kumar Shastri : While answering the question of Shri Ram Sewak Yadav, the hon. Minister just said that he was of the opinion that the lottery had no relationship with fortune. According to the definitions of fortune as given in Shastras, if some one gets something without putting any efforts it is considered to be the result of one's fortune keeping in view the above fact under which category this lottery system comes in, if it does not come in the category of fortune ?

Shri Vidya Charan Shukla : I said that our country was not fatalist. I never said that lottery had nothing to do with fate.

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि किस राज्य को लॉटरी से सर्वाधिक आय हो रही है और वह राशि कितनी है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि आप की आज्ञा हो तो मैं विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने

वाली आय का ब्यौरा पढ़ कर सुना दूं। राज्य लॉटरियों से आय में हुई वृद्धि इस प्रकार हैं :—

आसाम	5,55,436 रुपये	हरियाणा	2,04,74,197 रुपये
केरल	365.72 रुपये	जम्मू और काश्मीर	9.72 लाख रुपये
महाराष्ट्र	613.03 लाख रुपये	पंजाब	185 लाख रुपये
राजस्थान	91,90,978 रुपये	तमिलनाडु	10,80,10,323 रुपये
उत्तर प्रदेश लगभग	1,52,83,000 रुपये और	पश्चिम बंगाल	38,20,585 रुपये

श्री फ० गो० सेन : क्या मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि यह छिपाए हुए धन को बाहर निकालने का साधन है और टिकट खरीदने वाले की मास प्रति मास इनाम प्राप्त करने की इच्छाएं बढ़ती जाती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरे विचार में इसका छिपाए धन से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इसमें धन एक-एक या दो-दो रुपये के रूप आता है।

श्री तेन्नटी विश्वनाथम : क्या मैं जान सकता हूं कि मन्त्री महोदय आन्ध्र प्रदेश का नाम क्यों नहीं लेते ? मैंने एक टिकट खरीदा था जो बाद में वह खो गया।

श्री एन० शिवप्पा : कुछ धनी लोगों के लिए ये लॉटरियां अच्छा व्यवसाय बन गई हैं। वे हजारों रुपये लगा कर हजारों टिकट खरीद लेते हैं और परिणामतः लॉटरी का इनाम उन्हीं के नाम निकलता है। इन लॉटरियों के कारण बहुत अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है और विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरियों के कारण हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कोई नीति बना रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें योजनाओं पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये योजनाएं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं। हमारा सबन्ध लॉटरी चलाने देना अथवा न चलाने की आज्ञा देने तक सीमित है। हम अपनी नीति के अनुसार किसी भी राज्य को, जिसने लॉटरी चलानी चाही है इसकी आज्ञा देते रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकारें लॉटरी इसलिये चला रही हैं क्योंकि सरकार दिवालिया हो गई है और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के संदेह का निराकरण के लिये सरकार ने प्रयत्न किया है या नहीं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे नहीं लगता कि लॉटरी द्वारा ऐसे विचार भी उत्पन्न हुए हैं।

Shri Shinkre : There was Lottery System in Goa not only after independence but before independence also. The income derived from these lotteries was spent by three institutions for running three hospitals. May I know whether Central Government would

direct the State Governments. That income derived from these lotteries should only be given to those institutions which are running hospitals, mental hospitals, senitoriums and orphnages ?

Shri Vidya Charan Shukla : I fully agree with the hon. Member in this regard. I want that the State Government should pay attention to this suggestion.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल का राज्यों में तैनात किया जाना

*423. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दीय सरकार को किसी भी राज्य में दंगों आदि की आशंका होने पर उस राज्य को सूचित किये बिना अथवा उसकी सहमति के बिना वहां पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल को तैनात करने का संवैधानिक अधिकार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार तैनात किये दल से यह आशा की जाती है कि वह स्थानीय शासन व्यवस्था की सहायता करेगी अथवा वह स्थिति पर नियंत्रण का पूरा भार संभालेगी ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रक्षित पुलिस दोनों केन्द्रीय सरकार द्वारा ही देश के सुविधाजनक केन्द्रों में स्थापित किये जाते है किन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के सहयोग की अपेक्षा की जाती हैं । तथापि संवैधानिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार अपनी सशस्त्र सेनाओं को, जिनमें केन्द्रीय रक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल शामिल हैं, जहां पर भी उचित समझें, रखने तथा उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए स्वतन्त्र हैं ।

नो सेना स्थल सेना तथा वायु सेना अथवा सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रक्षित पुलिस जैसे संघ के अन्य सशस्त्र दलों का असैनिक शक्ति की सहायता के रूप में प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार सक्षम है । जैसी की संविधान के अनुच्छेद 355 में व्यवस्था है, प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ी से रक्षा करना भी केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है ।

किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रक्षित पुलिस की टुकड़ियां राज्यों को, उनके अनुरोध पर, उपलब्ध कराई जाती है और वे असैनिक प्राधिकारियों की सहायता या कार्य करती हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया : प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि विवरण में मुख्य प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है यदि मन्त्री महोदय उससे भी स्पष्ट कर दें तो मैं प्रश्न पूछूंगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि प्रश्न के भाग (ख) का भी उत्तर दे दिया गया हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गृह-कार्य मन्त्री इस बात से सहमत हैं कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सीमा सूरक्षा दल को जहां वह समझते हैं कि विशेष आवश्यकता है तैनात करने के लिए स्वतन्त्र हैं तथा इस सत्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा बार-बार यह कहा है कि राज्य में पूर्णतया कानून तथा व्यवस्था भंग हो गई है तथा हमारे गृह-कार्य मन्त्री ने अत्यन्त ही सावधानी पूर्वक इसे दबाते हुए स्वीकार किया हैं कि कानून तथा व्यवस्था खराब हो गयी है—मैं इसके कारणों को समझता हूँ कि उन्होंने समाप्त खबर का प्रयोग क्यों नहीं किया तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़े प्रैमाने पर पश्चिम बंगाल में दिन-दहाड़े हत्यायें, लूट-खसोट डकैती बलात्कार और आग-जनी की घटनाएं हो रही हैं क्या सरकार यह बतायेगी कि जब किसी स्थान पर कानून और न्यवस्था भंग हो जाती है तो सरकार स्थिति सम्भालने के लिए वहां पर पुलिस भेजना किस आधार पर आवश्यक समझती है।

दूसरी बात यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा को कानून और व्यवस्था के भंग होने के बारे में विविध दलों द्वारा दिये गये वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को सम्भालने के लिए पश्चिम बंगाल में स्वेच्छा से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजेगी?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : विवरण में संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट की गई है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि देश के किसी भी भाग में, जहां हम अपनी पुलिस भेजना आवश्यक एवं उचित समझते हैं वहां उसे भेजने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। सिविल अधिकारियों के सहायतार्थ ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजी जाती है।

श्री सु० कु० तापड़िया : पश्चिमी बंगाल में कोई सभ्य सरकार नहीं है। मुख्य मन्त्री जी स्वयं यह कहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के साथ आप इस बारे में तर्क कर सकते हैं ; आप मुझसे तर्क क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि वे केवल सिविल अधिकारियों के सहायतार्थ ही भेजी जाती हैं। जब सिविल अधिकारों इसकी मांग करें तो हम उन्हें निश्चित रूप से यह सहायता देंगे।

श्री सु० के० तापड़िया : चूंकि गृह-कार्य मन्त्री यह कहते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा मांग की जाने पर ही सहायता दी जाती है साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पश्चिमी बंगाल सीमा प्रदेश हैं और भारत के बाहर से भी वहां पर हथियारों की सहायता मिल रही है और जैसा कि गृह-कार्य मन्त्री इस बात से भी सहमत है कि वहां पर कानून और व्यवस्था का खराब हो चुकी है, क्या मन्त्री महोदय ने मुख्य मन्त्री से किसी प्रकार की बातचीत की है कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या सीमा सुरक्षा दल की पश्चिम बंगाल में.

विशेषतया दुर्गापुर और फरक्का जैसे सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में, जहां पर तोड़-फोड़ के मामलों का पता चला है, सहायता चाहती हैं ? क्या उन्होने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री की किसी प्रकार की सहायता देने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या आपने कोई सहायता देने को कहा ?

श्री पीलु मोदी : मैंने समझा कि यह आपका काम हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं जानता हूं मेरा काम क्या है।

श्री प० गोपालन : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि राज्य-सरकार अथवा राज्य सरकार के महा-पुलिस-निरीक्षक को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा अनुशासन भंग करने के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है ? दूसरी बात यह है कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को जिस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति की, चाहे नियुक्ति किसी भी कार्य के लिए क्यों न हो राज्य सरकार के हाथों में केन्द्रीय रक्षित पुलिस को किसी भी काम पर लगाने का अधिकार दे दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोराला में राज्य सरकार कानून सम्मत मजदूर संघ की गतिविधियों को दबाने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग कर रही हैं ?...

श्री ए० श्रीधरन : यह सच नहीं है। माननीय सदस्य इस सभा का उपयोग राज्य सरकार पर दोषारोपण करने के लिए कर रहे हैं। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व विधि-व्यवस्था को बनाये रखने का है और किसी भी मूल्य पर यह बनाये रखा जायेगा। बसों को जलाने की, लोगों पर आक्रमण करने आदि की कार्यवाहियों को राज्य सरकार अपनी पूरी शक्ति से रोकेगी। राज्य सरकार ऐसे आरोपों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं।

श्री प० गोपालन : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता से संघ के मजदूरों के विधि सम्मत संघर्षों को निर्दयता पूर्वक दबाया जा रहा है।

श्री ए० श्रीधरन : बसों को जलाने की कार्यवाही मजदूर संघ की नहीं है। मजदूर संघर्षों और मजदूरों को इससे कुछ वास्ता नहीं है। यह तो मार्क्सवादियों द्वारा किराये के गुंडों द्वारा किया जाता हैं।

श्री प० गोपालन : यदि मार्क्सवादी गुंडे हैं तो वह भी पक्के गुंडे हैं।

श्री हेम बरुआ : महोदय, क्या एक सदस्य अन्य सदस्यों को गुंडा कह सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक असंसदीय शब्द है। मुझे खेद हैं कि इसका प्रयोग किया गया है। मैं उन दोनों से उस शब्द को वापिस लेने का निवेदन करूंगा।

श्री प० गोपालन : महोदय, उन्होंने पहले "गुंडा" शब्द का प्रयोग किया, उन्हें यह शब्द वापिस लेना चाहिए ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया । यह उनकी संस्कृति है, गन्दे नाले की संस्कृति ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन दोनों से उस शब्द को वापिस लेने का अनुरोध करूंगा । श्री श्रीधरन उसे वापिस लें ।

श्री प० गोपालन : पहले वह वापिस लें । जब तक वह वापिस नहीं लेते है मैं वापिस नहीं ले सकता ।

श्री ए० श्रीधरन : जैसा कि मैंने कहा मैंने किसी को गुंडा नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री श्रीधरन से वह शब्द वापिस लेने का अनुरोध करूंगा । यह असंसदीय है और मैं इसके प्रयोग की आज्ञा नहीं दे सकता ।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब कोई राज्य सरकार, चाहे यह केरल की राज्य सरकार हो अथवा बंगाल की राज्य सरकार के गृह-मन्त्री श्री ज्योति बसु हो, यदि वे यह चाहे कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा स्थल सेना को वहां पर विधि-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए भेजे तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा स्थल सेना की टुकड़ियां राज्य सरकार के अधीन रहती हैं । जब राज्य सरकारों के आदेशों के अधीन कार्य कर रही पुलिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप जो घटनायें घटित होती हैं उन पर क्या इस सभा को सदस्यों को बहस करने की अनुभूति है ? अब माननीय सदस्यगण ऐसी घटनाओं को इस सभा में घसीट लाने का प्रयत्न कर रहे हैं । ऐसे मामलों पर बहस करने की यदि आप अनुमति देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है हम तो वे जैसा कहेंगे वैसे ही जवाब दे देंगे । परन्तु यह मामला विवादास्पद नहीं है । क्या ऐसे मामलों पर यहां चर्चा की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों माननीय सदस्यों से, उनके द्वारा प्रयुक्त इस शब्द को जो असंसदीय है, वापिस लेने का अनुरोध कर दिया है । दोनों ही समझदार सदस्य हैं । मुझे आशा है कि वे इसे वापिस ले लेंगे ।

श्री प० गोपालन : पहले वह इसे वापिस लें क्योंकि पहले प्रयोग उन्होंने ही किया है । फिर मैं इसे वापिस लूंगा ।

श्री हेम बरुआ : श्री श्रीधरन ने किसी को गुंडा नहीं कहा ।

श्री प० गोपालन : वह यह कहते हैं कि मार्क्सवादी गुंडा है तो मैं भी वैसे ही कह सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री श्रीधरन से वह शब्द वापिस लेने का अनुरोध करता हूं ?

श्री पीलु मोदी : महोदय, उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया । अपना निर्णय देने से

पहले मैं समझता हूं कि आप को यह जान लेना चाहिए कि क्या हुआ है। श्री श्रीधरन ने "गुंडा" शब्द का प्रयोग अनजाने में किया था। मैं इसे असंसदीय शब्द नहीं समझता हूं। मैंने स्वयं इसका कई बार प्रयोग किया है। मेरे कई मित्रों ने भी सभा में इसका प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें हस्तक्षेप न करें।

श्री पी० गोपालन : मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जब राज्य सरकार यह समझती है। कि कहीं दंगा हो रहा है तब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करती हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में दक्षिण भारतीयों की जान व माल असुरक्षित हैं और यदि हां तो उस राज्य में विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग किया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं कि सभा पटल पर मैंने जो वक्तव्य रखे है उसे माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं। मैंने भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बल के प्रयोग की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार को, किन्हीं भी स्थानों में जहां वह उचित समझती है सेना भेजने का अधिकार है परन्तु उनका प्रयोग असैनिक अधिकारियों को सहायता के लिए ही किया जा सकता है। इन दलों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार को सम्पत्ति, परियोजनाएं आदि की सुरक्षा करने के लिए भी किया जा सकता है। मेंने केवल सामान्य स्थिति बता दी है। मैंने किसी विशेष राज्य के प्रसंग में कोई वक्तव्य नहीं दिया क्योकि वह तो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

श्री प० गोपालन : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैंने विशेष तौर पर यही पूछा था कि क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही करने का अधिकार है ? चाहे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को किसी भी कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है वह मेरा प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह तो प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

श्री प० गोपालन : मेरे प्रश्न के पहले भाग के बारे में क्या उत्तर है। क्या राज्य सरकार को अनुशासनहीनता की कार्यवाही करने का अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री ई० के० नायनार : महोदय, मंत्री महोदय उत्तर देने से बच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं कि यह प्रत्येक मामले पर निर्भर करता है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वह मेरी कानूनी राय लेना चाह रहे हैं। मैं ऐसी कोई वैधिक राय नहीं दे सकता।

Shri D. N. Tiwary : Now-a-days such a conditions are prevailing in some states that due to the present position of various parties, a State Government cannot be formed

and if at all it is formed it cannot pull on for a long time. May I know whether the Central Government by amending the law or by some other means, will dipute the C.R P. in large number so that they can be helpful at the time of instability of Government ?

In the absence stability Chief Minister of various State may complain that law and order situation is has break down there and plea for President's Rule. Therefore it is very essential that the force should be sent to tackle the situation.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं केवल सामान्य कानूनी स्थिति के बारे में बता सकता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि उन के मन में क्या विचार है। राज्य सरकारों के बिना मांगे केवल दो परिस्थितियों में सस्त्रास्त्र सेना का उपयोग किया जा सकता है बाहरी आक्रमण के समय और संकटकालीन परिस्थिति में जब कि आन्तरिक दंगों से राज्य सरकार की रक्षा करनी पड़ती है। किन्तु सामान्य परिस्थितियों में सेना का उपयोग केवल राज्य सरकारों द्वारा माँगे जाने पर ही किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated that after consulting the State Governments the use of Border Security force or Central Reserve Police was allowed. Shri Vasudevan Nair has just stated that since those forces were used in such a manner, the responsibility. of their activities was on the State Government, Keeping it in view may I know whether it releaves the Central Government from their responsibility ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूँ कि यह स्थिति ठीक है।

Shri Madhu Limaye : Who is responsible for their activities Central Government or State Governments ? I want the clear reply.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने उत्तर में टाल मटोल नहीं की। मैंने कहा कि श्री वासुदेवन नायर ने जो कहा था। वह प्रायः ठीक है। अर्थात् उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। परन्तु, कुछ विशेष परिस्थितियों में तथ्यों पर निर्भर होता है।

Shri Madhu Limaye : There is no question of try and large. My question is clear and straight.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह स्वाभाविक है कि जब कभी वे राज्य सरकारों के आदेशाधीन काम करेंगे, पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

Shri Sarjoo Pandey : Many State Governments have protested against the sending of Security Forces by the Central Government. The Government of Tamil Nadu and many other State Governments have protested against it. Do you send the forces without the consent of the State Governments and if so, why you do ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने बार-बार यह कहा है और मैं फिर कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह जहां चाहे इन कर्मचारियों को भेज सकती हैं। परन्तु कुछ परिस्थितियों में उनका उपयोग केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही किया जा सकता है।

श्री चिन्तामणि पणिग्रही : मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि गत एक वर्ष में किन किन राज्य सरकारों ने विधि और व्यवस्था के बनाये रखने के लिए केन्द्रीय रिर्जव पुलिस की सहायता मांगी और कितनी बार मांगी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास तत्सम्बन्धी सूचि नहीं है। लेकिन कई राज्यों ने सहायता मांगी है और हमने उनकी सहायता की है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और कई अन्य राज्यों ने सहायता मांगी है।

श्री जि० मो० बिश्वास : मैं समझता हूं कि केन्द्रीय रिर्जव पुलिस कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल के फराक्का, दुर्गापुर, मिदनापुर आदि स्थानों में तैनात किया गया है। मिदनापुर में नक्सलवादियों के दमन के लिए उन्हें भेजा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बंगाल में उन्हें वहां के गृह मन्त्री की सम्मति से भेजा गया है या नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि वे इन कर्मचारियों को रखा जाना और तैनात किया जाना, में अन्तर समझें।

श्री जि० मो० बिश्वास : क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां के गृह-मंत्री की सम्पत्ति से तैनात किया गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : बंगाल में जहां जहां रिजर्व पुलिस रखी गई है, हमारे अपने अधिकार से ही रखी गई है। उदाहरण के लिए, हमने उन्हें बारकपुर और मिदनापुर में रखा है। यह सरकार के अपने निर्णय से ही किया गया है।

श्री जि० मो० बिश्वास : दुर्गापुर और फरक्का के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने दुर्गापुर के बारे में कह दिया है। हमने उन्हें वहां रखा है।

Shri Hardayal Devgun : The Home Minister has said in his statement that according to Article 355 of the Constitution the Central Reserve Police could be used. In this it is said that when there is an external aggression or internal disturbances, in both circumstances, the Central Government can use the C.R.P.

In his reply he has also said that this force sent for the help of Civil Administration. When an internal disturbances take place, is it not the responsibility of Central Government to control the situation or will the State Government decide who will decide whether it is an internal disturbance or not—Central Government or a State Government ?

Has any assessment been done as to how many murders were committed, how many bombs were exploded, how many trains were detained ? In a State like Bengal internal troubles are going on. Don't you think that it is your responsibility to act under the Article 355 or do you think that the time has come to take necessary steps ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने इसका निश्चय करने के लिए कि आंतरिक अशांति है या नहीं, एक तरह के गणित-सूत्र निकालने की कोशिश की है इस सम्बन्ध में कोई गणित के हिसाब से कार्य नहीं किया जा सकता है यह स्थिति के खासकर राजनैतिक निर्णय का सवाल है !

Shri George Fernandes : Ten days ago I went to Kerala. There I was told that atrocities committeed by the Central Reserve Police were much more than the excess done by the police during the last 22 years.

Shri Madhu Limaye : They are on the mercy of the Central Government.

श्री जि० मो० बिश्वास : यह झूठ है ।

श्री वासुदेवन नायर : वह झूठे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : फरनान्डीस महोदय, भूमिका बांधे बिना ही आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? अध्यक्ष को संबोधन करके आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं ? आप यह पूछ सकते हैं कि क्या आपको कोई शिकायत मिली है कि नहीं । आप इस में भूमिका क्यों बांध रहे हैं ?

Shri George Fernandes : Recently I went to Kerala. There the Press Correspondents told me that during last 22 years police never committed such atrocities.

Shri Shiv Chandra Jha : I rise on a point of order. The hon. Member Shri Vasudevan Nair has called another hon. Member a "liar" a liar of the 'first water'. You have already declared their expressions as unparliamentary and these were expunged from the records. So you want these expressions to remain on the records and may be used in future. I wish the Chair may give his ruling in these respect.

अध्यक्ष महोदय : 'लायर' कहने से उनका तात्पर्य यदि उस व्यक्ति से है जो झूठ बोलता है, तो वह असंसदीय भाषा है । अगर उनका तात्पर्य 'विधिज्ञ' से है...(**अन्तर्बाधा**)

Shri Shiv Chandra Jha : The hon. Member who used the expression 'liar' is present in the House. You may seek clarification from the member whether he has said 'liar' or lawyer. If he has said 'liar', you may ask him to withdraw that expression.

अध्यक्ष महोदय । मुझे खेद है, अगर उन्होंने 'लाइअर' (मिथ्याभाषी) कहा है, तो वह संसदीय भाषा नहीं है ।

श्री वासुदेवन नायर : महोदय, यह अपने अपने मत का प्रश्न है । अगर 'लाइअर' शब्द असंसदीय है तो मैं उसे वापिस लेता हूं । परन्तु, श्री फरनान्डीज ने शुद्ध अवास्तविक बात कही है ।

Shri George Fernandes : If Mr. Vasudevan Nair has called me a liar, I am not bothered of it. After all what else can be expected from these people ?

Shri Madhu Limaye : What else can be expected from the side of these people ?

श्री एस० आर० दामानी : महोदय, इस एक ही प्रश्न में आधा घंटा व्यतीत हो गया है । कल माननीय सदस्य इस बात से सहमत हुये थे कि किसी भी प्रश्न के लिये 10 मिनट से अधिक नहीं लगायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस विवाद से मैं कैसे निकलूँ ?

श्री एस० आर० दामानी : अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । अगर हम इस प्रकार गति से जायेंगे अगले प्रश्नों को नहीं ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप का यह विचार है कि जब वे लोग विवाद करते रहते हैं तो मैं अन्य प्रश्नों की ओर बढ़ूं ।

Shri George Fernandes : The Central Reserve Police in Kerala are involved in violent activities. Has there any complaint been received by the President and the Home Minister that with the help of the C.R.P. murders are being committed, the people are being beaten up, their attempts to strikes are being spoiled and even their lawful activities are being hindered. Considering these facts, has there reached any demand upto the President that the C.R.P. should be withdrawn from Kerala ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत सरकार को कुछ शिकायतें तथा अरोप प्राप्त हुये हैं जिन में श्री ए० के० गोपालन द्वारा की गई शिकायत भी शामिल है । स्वाभाविक रूप से हम इन शिकायतों को केरल सरकार को भेज देते हैं । मैं व्यक्तिगत रूप से इन शिकायतों में अधिक सार नहीं देखता ।

Tourist Traffic

*424. **Shri S. R. Damani :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of foreign tourists who visited India during 1967, 1968 and 1969 ; and

(b) the number of foreign tourist expected to visit India during 1970 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shrimati Sarojni Mahishi) : (a) The total number of foreign tourists (excluding nationals of Pakistan) who visited India during 1967, 1968 and 1969 are :

Year	No. of foreign tourists	Percentage increase
1967	1,79,565	—
1968	1,88,820	+ 5.2%
1969	2,44,724	+29.6%

(b) The expected number of tourists arrivals in India during 1970 is about 2,75,000.

श्री एस० आर० दामानी : महोदय, विवरण के अनुसार पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है । लेकिन, यदि आप इसकी तुलना विश्व पर्यटक यातायात से तुलना करें, तो हमारा प्रतिशत का अनुपात बहुत कम है, अर्थात् 0.1 प्रतिशत । क्या मैं जान सकता हूँ कि देश में पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : देश में बड़ी संख्या में पर्यटक आयेंगे और इस बारे में उपाय किये जा रहे हैं । मोटे तौर पर ये दो प्रकार के हैं—विदेशों में प्रचार करने के लिये किये गये उपाय तथा देश में पर्यटकों सम्बन्धी आन्तरिक व्यवस्था, आवास, हवाई अड्डे और यातायात सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिये किये गये उपाय । मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी ।

श्री एस० आर० दामानी : एक अन्य प्रश्न यह है । गत दो तीन वर्षों से हम यह देख रहे हैं कि काफी संख्या में हिप्पी लोग इस देश में आ रहे हैं और वे अनेक असामाजिक गतिविधियों में लग जाते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे पर्यटकों को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हिप्पी भी वास्तविक यात्री हैं और हम इस देश में आने वाले किसी भी व्यक्ति को—चाहे वह हिप्पी हो या न हो—रोकने के लिये किन्हीं विशेष उपायों से बारे में विचार नहीं कर रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति इस देश का कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी और उसे दण्ड दिया जायगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : In some of the countries, tourism has been developed as an industry and in certain countries tourism industry in the main source of revenue. In India there may be a number of such tourist centres, from of which we can derive full benefit by increasing the number of tourists. The figures furnished by hon. Deputy-Minister, even if they are increased by twenty times, are meagre for a country like India. I want to know the reasons why foreign tourists are not attracted to come to India, inspite of the fact that India has many good tourist-centres and what are main obstacles in this regard ? On account of its being a birth-place of Lord Buddha, a large number tourists from Buddhist countries want to come to India. Have the Government provided proper facilities for them so that maximum number of them could come to India and our tourism industry could be developed ?

Dr. Karan Singh : Foreign tourists have started to come in large number to our country. It is our endeavour to provide all those facilities for them that they should have here. We have a scheme especially in relation to Buddhist Tourism that there should be an arrangement to bring tourists to places of importance of Buddhist religion in our country and provision of accommodation for them. It is our sincere desire that tourists in large numbers should come from Buddhist countries and we have made a special provision for that purpose in Fourth Five Year Plan.

Shri Prakash Vir Shastri : This was not my question. My question is that what are the reasons for foreign tourists not being attracted inspite of the fact that India has so many tourist-centres and what are main obstacles in this regard.

Dr. Karan Singh : They are very much attracted, but main obstacle in this regard is this that the countries from which they come are far away from our country and they have to spend a large amount of money for coming over here But it is not correct to say that they are not being attracted My submission is that they are being attracted gradually and slowly and in the years to come they would be more attracted. We are trying to remove the obstacles.

Shri Prakash Vir Shastri : What are those obstacles.

Dr. Karan Singh : As I have already stated just now, that greatest obstacle in this regard is this that our country is at a great distance from those countries from which tourists come, *e g.*, they come from America which is at a distance of ten thousand miles. A large amount of money has to be spent for reaching this country. Apart from this we have increased the accommodation and may other facilities, so that people in large numbers may come here.

श्री रा० की० अमीन : माननीय मंत्री महोदय को यह भली भांति पता है कि तेल अवीव और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा की व्यवस्था करने के लिए उनके समक्ष पहले

से ही एक प्रस्ताव है। उन्हें पता है कि बड़ी संख्या में पर्यटक विश्व भर के देशों से इजराइल में आते हैं और यदि तेल अवीव और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा हो, तो और अधिक पर्यटक दिल्ली की ओर आकर्षित होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और 1970 में संभावित यातायात की गणना करने में क्या उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा गया है ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मुझे पता है, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बेदब्रत बरुआ : क्या माननीय मन्त्री से मैं यह जान सकता हूं कि भारत में पर्यटक उद्योग को एक बाधा यह है कि समस्त पूर्वी भारत में दार्जिलिंग से आसाम तक और नेफा, मणिपुर तथा अन्य क्षेत्रों में पर्यटन यातायात पर प्रतिबन्ध है ? काजीरंगा और मनाह जैसे दो जंगलों को छोड़कर समस्त ब्रह्मपुत्र घाटी भी पर्यटन यातायात के लिए बन्द है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय ने इस मामले पर गृह-मन्त्री के साथ बात चीत की है जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ इस क्षेत्र के विकास के हित में ही है, बल्कि देश के विकास के हित में भी है ?

डा० कर्ण सिंह : यह कहना सही नहीं है कि अन्य पर्यटन केन्द्रों की यात्रा करने की अनुमति न देने से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है। यात्रा करने के लिए भारत में पहले से ही काफी कुछ है। यह सच है कि पूर्वी भारत में पर्यटन की काफी सामग्री है, लेकिन विभिन्न कारणों से, जिनमें सुरक्षा का प्रश्न भी सम्मिलित है, हमारे लिए यह सम्भव नहीं हो सका है कि उस क्षेत्र में अधिक बड़े पैमाने पर पर्यटन को प्रोत्साहन दें। मगर, मैं आसाम और उस क्षेत्र में अन्य राज्यों की सरकारों तथा गृह मन्त्रालय के साथ भी निकट सम्पर्क में हूं और सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उस क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं, वह अवश्य करेंगे।

भारत में वन्य पशुओं सम्बन्धी पर्यटन

6. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : **श्री गाडिलिंगन गौड़** :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वन्य पशुओं सम्बन्धी पर्यटन से बड़े महत्व से परिचित है ;

(ख) क्या यह सच है कि वन्य पशुओं सम्बन्धी पर्यटन को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, और भारतीय वनों को धीरे-धीरे काटा जा रहा है और वन्य पशुओं को समाप्त किया जा रहा है ;

(ग) वन्य पशुओं सम्बन्धी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि नियत करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में वन्य जीव पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

विवरण

वनों के काटे जाने और अन्य कारणों से वन्य जीवों के लिए उपस्थित खतरे के प्रति भारत सरकार पूर्ण रूप से सजग है। इसे दृष्टि में रखते हुए, इस प्रयोजन के वन्य जीव पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं। चुने हुए राष्ट्रीय उद्यानों (नेशनल पार्कों) और शरणस्थानों में आवास और यातायात सहित विभिन्न सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है। वन्य जीवों की सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिये भी इस प्रकार के अनेक कदम उठाये जा रहे हैं, जैसे—

(i) राष्ट्रीय उद्यानों (नेशनल पार्कों) तथा वन्य पशु शरण स्थानों का विकास।

(ii) वन्य पशुओं तथा पक्षियों, चाहे वे मृत हों अथवा जीवित और उनसे उत्पन्न उपज के निर्यात पर प्रतिबन्ध।

(iii) वन्य जीवों के दुर्लभ एवं विनाशोन्मुख जातियों की रक्षा।

(iv) उचित वन्य जीव विषयक कानूनों के विधान के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन।

(v) प्रकृति प्रेम तथा अपने देश की समृद्ध वन्य जीव परम्परा के प्रति गौरव भावना का संचार करने के लिए जनसाधारण का शिक्षण।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय को ज्ञात होगा कि अनेक देशों में उनकी अर्थ-व्यवस्था वन्य जन्तुओं को देखने के लिए किये जाने वाले पर्यटन के प्रोत्साहन पर निर्भर करती हैं। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूँ कि अनेक विचार से भारत में इस उद्योग के विकास की क्या संभावनायें हैं और कीनिया के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, क्या भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसी संस्थाओं से विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कोई संभावना खोज रही है।

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि अनेक देशों, विशेषत: कीनिया और तंजानिया जैसे पूर्व अफ्रीका के देशों में वन्य जन्तुओं को देखने के लिए किया जाने वाला पर्यटन उन देशों की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम भी अब यह महसूस करने लगे हैं कि वन्य जन्तु पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण हो सकते हैं। इस बारे में, हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वन राज्य विषय है, इसलिए विकास कार्यों को मूलत: राज्य सरकारों को ही करना है। हमने सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

जहां तक धन का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि हम अपने स्वयं के संसाधनों से उसे जुटा सकेंगे। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से वित्त प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु

में यह महसूस करता हूं कि यदि हम अपने स्वयं अपने संसाधनों से भी खर्च करते हैं, तो भी हम वन्य जन्तुओं को देखने के लिए किये जाने वाले पर्यटन के हेतु सुविधाओं में काफी सुधार कर सकेंगे ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही मन्त्री महादय द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के अनुरूप नहीं है । क्या यह सच है कि वन्य जन्तुओं की कुछ दुर्लभ जातियां धीरे-धीरे देश से समाप्त हो रहीं है और यदि हां, तो उन जातियों के क्या नाम हैं जो समाप्त हो रही हैं और जो जातियां समाप्त होने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

डा० कर्ण सिंह : ऐसा है कि व्यक्तिगत रूप में, मैं भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड का भी अध्यक्ष हूं, और, इस लिए भारत में वन्य जन्तुओं की अनेक जातियों के समक्ष जो गम्भीर खतरा है, मैं उससे पूर्णतया अवगत हूं । उनके लुप्त होने का खतरा है । कुछ जातियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि उनका आस्तित्व रहना ही असंभव हो गया है । भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड ने राज्य सरकारों से सूची में अंकित 30 जातियों की सुरक्षा के लिए सिफारिश की है, उस सूची की एक प्रतिलिपि इस समय मेरे पास है । यह एक ऐसा मामला है, जिसके लिये कानूनी और संवैधानिक रूप से राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं । हम जो कुछ कर सकते हैं, वह यह है कि पूरा-पूरा जोर देकर उनसे अनुरोध करें । मैंने केवल पर्यटन मन्त्री के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी राज्य सरकारों से इस बात का अनुरोध और प्रार्थना करते हुए लिखा है कि बहुत अधिक देरी होने से पहले ही इन सुन्दर और दुर्लभ जातियों को बचाया जाये ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वह सूची को सभा पटल पर रहेंगे ?

डा० कर्ण सिंह : जी, हां । मैं सूची को सभा पटल पर रखूंगा ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : भारत में और अन्य उष्ण कटिबन्धीय देशों में, विशेषकर उन देशों में जहां ऐसे वन्य जन्तु रहते हैं, वे विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण है । मैं मैसूर राज्य का रहने वाला हूँ और मैसूर राज्य वन्य जन्तुओं से भरा पड़ा है, जिनमें चीते, अरना-भैंसे और हाथी भी शामिल हैं । चीतों के वहां समाप्त होने का खतरा है, क्यों कि वहां वनों को नष्ट कर दिया गया है । दूसरी बात यह है कि वहां इन जन्तुओं का बन्दूक से शिकार करने पर कोई नियन्त्रण नहीं है । आगे मैं यह भी बताना चाहता हूं कि काकनकोट के आस पास अरना-भैंसे और हाथी पाये जाते हैं । अभी हाल में, मैसूर में खेड्डा अभियान में लगभग 50 हाथी पकड़े गये थे, यह एक ऐसा अद्भुत मौका था जिसने विदेशों से अनेक पर्यटकों को आकर्षित किया । फिर भी, राज्य सरकारों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । कुछ आखेट निषिद्ध क्षेत्रों को वहां, विशेषत: बाँदीपुर के निकट प्रारम्भ किया गया और उसका पूर्ण रूपेण विकास किया गया है । कुछ वर्ष पहले, वन्य जन्तुओं की सुरक्षा के मामले पर विचार करने के लिए एक समिति मैसूर के महाराजा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी और उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में सरकार से अनेक सिफारिशें की थीं । मैं जानना चाहता हूँ कि समिति की सिफारिशों को

कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वन्य जन्तुओं का जीवन बनाये रखने के लिये, जो कि प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं , वन्य जन्तु सम्पदा में सम्पन्न मैसूर राज्य के हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि मैसूर राज्य वन्य पशुओं की दृष्टि से सर्वाधिक सम्पन्न राज्य है । मगर दुर्भाग्यवश यह भी सच है कि उस राज्य में काफी विनाश हो चुका है । जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है मेरा विचार है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को इसे अपनी योजनाओं में उच्च प्राथमिक देनी चाहिए । सारे देश भर में वन्य जन्तुओं की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना भारत सरकार के लिए संभव नहीं होगा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तक मुझे पहली बार योजना आयोग से 50 लाख रुपये वन्य-जन्तु पर्यटन के लिये मिले हैं । इभ धन-राशि को कुछ चुने गये क्षेत्रों पर ही व्यय करने का मेरा विचार है । मैं पूरे देश में इस धनराशि को व्यय करना विवेक पूर्ण नहीं समझता हूँ क्योंकि ऐसा करने से धन-राशि बहुत ही कम हो जायेगी । हम देश के भिन्न-भिन्न भागों के कुछ क्षेत्रों को ही चुनने की योजना बना रहे हैं ।

जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है, मैं यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि उसे कोई सीधी सहायता दी जानी संभव होगी । भारतीय वन्य-जन्तु बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है जो संपूर्ण भारत का दौरा करेगी और वन्य-जन्तु आखेट निषिद्ध क्षेत्रों तथा वन्य-जन्तुओं के मुक्त विचरण करने वाले राष्ट्रीय पार्कों को देखने के बाद ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध करने के लिये समुचित माप-दण्ड निर्धारित करेगी । समिति के विशेषज्ञों ने मैसूर का दौरा कर लिया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जब यह नयी समिति सिफारिशें करेगी तो राज्य सरकार उन पर पूरी तरह विचार करेगी ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : पुरानी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का क्या हुआ ?

श्री क० नारायण राव : यद्यपि वन राज्य का मामला है, मैं नहीं समझता कि वन्य जन्तु राज्य-सूची में आते हैं । यह मामला वन्य-जन्तु पर्यटन से सम्बन्धित हैं और इस प्रकार यह पर्यटन से सम्बन्ध रखता है । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं यह जान सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पूछे बिना ही सम्पूर्ण प्रारम्भ कार्य अपने हाथ में ले लेगी ?

डा० कर्ण सिंह : यदि विस्तृत सैद्धान्तिक रूप से देखें तो वन्य-जन्तु राष्ट्र से सम्बद्ध है क्यों कि यह हमारे घने प्राकृतिक उत्तराधिकार संपत्ति का भाग है । परन्तु तकनीकी तौर पर वन राज्यों के अन्तर्गत आते हैं और चूँकि वन्य-जन्तु वन से सम्बद्ध है तथा वन राज्य के होते हैं । देश के वन्य-जन्तुओं के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है और मुझे राज्यों की राय को आधार मान कर ही कार्य करता है । मैं वैसा कर भी रहा हूं क्यों कि राज्य-सरकारों के पूर्ण सहयोग, वहां के वन-विभागों, राजस्व विभागों आदि के सहयोग के बिना कोई सुधार करना हमारे लिये संभव नहीं है ।

मैं उनके साथ निकट सम्पर्क में हूं और न निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे नैतिक प्रभाव के कारण ही कुछ न कुछ किया जायेगा ।

डा० कर्णी सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि चीतों और तेन्दुओं की खाल का निर्यात करने के लिये उन्हें बिष देकर मारा जाता है ? यह तो सर्व विदित सत्य है कि यदि चीते की खाल किसी विदेशी व्यक्ति को बेची जाये तो उससे 5,000 रुपये प्राप्त हो सकते हैं । चीतों और तेन्दुओं की खाल के निर्यात पर क्या सरकार का कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ? दूसरी बात यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पशुओं के जीवन को नष्ट करने वालों में से सरकारी अधिकारी स्थल सेना, वायु सेना तथा पुलिस कर्मचारी भी हैं ? मैं इसे इसलिये जानता हूं कि ऐसा मेरे स्वयं के क्षेत्र में ऐसा होता है । हिरनों को बहुत बड़ी संख्या में मार डाला गया है ।

सरकारी कर्मचारियों को चोरी से शिकार करने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करती है तथा इस गलत कार्य को बंद करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहें हैं ?

डा० कर्णसिंह : सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चीतों और तेन्दुओं की खाल के निर्यात तथा कम पाई जाने वाले जन्तुओं और पक्षियों के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । यह एक नया कदम उठाया गया है क्योंकि विदेशों में रहने वाली कुछ महिलाओं के मिथ्या गर्व की संतुष्टि करने मात्र के लिए सुन्दर पक्षियों और पशुओं का निर्दयतापूर्वक वध किया जाता है । मैं समझता हूँ कि महिलाओं को सुन्दर पशु उनके सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए नहीं चाहिये । मेरा विचार है कि इस मिथ्या भावना को सख्ती से निरुत्साहित किया जाना चाहिये ।

डा० सुशीला नयर : वे महिलाओं को इसमें क्यों घसीटते हैं ? केवल पुरुष ही इसके लिए उत्तरदायी हैं । जो जानवरों को पीट-पीट कर अलग की गई चमड़ी से पैसा कमाना चाहते हैं ।

डा० कर्णसिंह : जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है हाल ही में मुझे माननीय सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र बीकानेर को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ । वहां पर मुझे लोगों से ज्ञात हुआ कि ऐसे अत्यंत ही दुर्भाग्य पूर्ण कार्य किये जा रहे है । मैंने उनसे कहा कि यदि वे मुझे लिखित रूप में दें कि कुछ क्षेत्रों में कुछ अधिकारी इस प्रकार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे । मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे वरिष्ठ साथी गृह-मन्त्री जी, भारत सरकार के ऐसे अपराधी अधिकारियों को कठोर दंड देंगे ।

श्री रणजीत सिंह : यह सच है कि वन्य-जन्तु कम हो रहे हैं और कुछ जातियां तो पूर्णतया समाप्त हो गई है । क्या मन्त्री जी के पास कम संख्या वाली चीतों और तेन्दुओं की जातियां जो विभिन्न शिकारियों एवं चोर-शिकारियों द्वारा मारी जाती है, के बारे में कोई आंकड़े हैं ?

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़े पैमाने पर जानवरों को विष दिया जाता है, क्या यह सम्भव हैं कि कोई ऐसा नियम बनाया जाय जिसके अनुसार कृषि कीट-नाशक पदार्थों के विष की मात्रा को एक ऐसी सीमा तक कम कर दिया जाये जिससे कि विषैले कीट-नाशक पदार्थों से वे जानवर न मरे या उन्हें कोई हानि न हो ।

तीसरी बात यह है कि भारत में वन्य-जन्तुओं के विविध प्रकार जो अभी लुप्त प्राय: हैं, अफ्रीका जैसे देशों से जहां पर अब भी चीते और तेन्दुए प्रर्याप्त मात्रा में हैं, लाकर भारत में पुन:समाविष्ट करने की क्या कोई योजना मन्त्री महोदय के पास है। मन्त्री-महोदय ने कहा है कि ऐसी विशिष्ट घटनाएं उनके सामने लायी जायें, जब सीमा-सुरक्षा-वल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सम्पूर्ण टुकड़ी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर वन्य-जन्तुओं को जलपाई गुड़ी सिलीगुड़ी तथा आसाम के क्षेत्रों में मारा जाता है, जो सैनिकों द्वारा किया जाता है, तब उसे किस प्रकार मन्त्री महोदय के ध्यान में लाया जा सकता है। क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि सैनिक टुकड़ियों में वन्य-जन्तुओं को मारने की अपेक्षा और आखेट देखने तथा उनका चित्र लेने में अभिरुचि पैदा करने के लिए एक प्रकार का शैक्षिक मंडल हो ? यह कुछ ऐसी बात है जिसे केन्द्रीय सरकार कर सकती थी।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास विविध व्यक्तियों द्वारा मारे गये जन्तुओं के सही आंकड़े नहीं हैं परन्तु यह मुझे स्पष्ट है कि विनाश बहुत बड़ी संख्या में हुआ है और इसी कारण भारतीय वन्य-जन्तु बोर्ड ने सभी राज्यों को चीते के शिकार पर पांच वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है, क्योंकि चीता जो एक सुन्दर जानवर है, उसकी संख्या परिस्थिति विज्ञान की न्यूनतम आवश्यकता से भी कम होने जा रही है।

जहां तक सेना का सम्बन्ध है मैंने वन्य-जन्तुओं की नई बोर्ड में सेना अध्यक्ष से इसका सदस्य बनने के लिए विशेष रूप से निवेदन किया और वह सदस्य हैं। मैंने उन्हें लिखा है और उन्होंने कहा है कि वन्य जन्तुओं के बनाये रखने के महत्व पर बल देते हुये सभी वरिष्ट अधिकारियों को लिख दिया है।

मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह शैक्षिक-समस्या है। हम कीट-नाशक औषधियों में विष की मात्रा को कम करें वास्तव में इससे अधिक सहायता नहीं मिलेगी। सहायता इस बात से मिल सकती है कि जन साधारण में एक जागरूकता बढ़े कि ये सुन्दर जानवर केवल शोषण या आखेट-वासना की तुष्टि के लिए ही नहीं हैं वरन् हमारी उत्तराधिकार सम्पत्ति का एक भाग हैं। यह एक बड़ी समस्या है जिसको हल करना तथा शैक्षिक विषय बनाया जाना आवश्यक है जैसाकि अन्य अनेक देशों में हुआ है।

श्री रा० बरुआ : वन्य जन्तुओं में मन्त्री महोदय की अभिरुचि की मैं प्रशंसा करता हूं। उन्हें गृह-विभाग की कुछ सीमाओं के विषय में कहा है, इन सीमाओं के अन्तर्गत भी मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि जहाँ तक मेरे राज्य के वन्य-जन्तुओं का सम्बन्ध है उन्हें निरन्तर भयभीत किया जा रहा है, विशेषतया शिकार-चोरों द्वारा और ऐसा भी विशेषकर एक सींग वाले गैन्डों के सम्वन्ध में है। क्या सरकार ऐसे कदम उठायेगी जिससे वन्य-जन्तु बने रहे और निकट भविष्य में इनका विकास हो सके ?

जहां तक मुझे ज्ञात है कि आसाम में वन्य-अन्तुओं के परिरक्षण के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है और उसमें भी कमी-वृद्धि की जा सकती है। क्या मैं मन्त्री महोदय से आसाम में वन्य-जन्तुओं के विकास के लिए अधिक धनराशि तथा अधिक प्रयास तथा स्थिति परीक्षण के लिए निवेदन कर सकता हूं ?

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि आसाम में एक सींग वाले गैन्डे पाये जाते हैं। बहुत कम पाये जाते है। वास्तव में काजीरंग आखेट-निषिद्ध क्षेत्र पांच में से एक है। जिसे हमने उस धनराशि से जो हमें आवंटित है विशेष विकास के लिये चुना है, परन्तु आसाम सरकार को भी इस सम्बन्ध में बड़ा प्रयास करना है। मैं आसाम सरकार के निकट सम्पर्क में हूं और इस को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं काजीरंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : वन्य जन्तुओं की सर्वोत्तम जाति गिरि वन में पाये जाने वाले सिंह हैं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं और ये भी बहुत कम होते जा रहे हैं, शेरों की संख्या न बढ़ने का एक कारण यह है कि गडेरिये और पशु पालक उन्हें विष दे रहे हैं। कारण यह है कि मुआवजा देने की प्रक्रिया और नियम कुछ ऐसे हैं कि शेर द्वारा उनके पशुओं के मारे जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। क्या माननीय मंत्री इन कारणों को दूर करने के लिए कोई कदम उठायेंगे जिससे कि वे शेरों को जहर देकर मारने को बाध्य न हों ?

डा० कर्ण सिंह : गिरि वन के शेर हमारी बहुमूल्य सम्पत्ति है और शेर हमारा राष्ट्रीय पशु है जहां कहीं भी भारतीय जाते हैं, भारतीय शेर वहां पहले पहुंचा मिलेगा। इसीलिए लोगों का उसे जहर देकर मारना बड़ी ही दुःखद बात है।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है मैं इसके बारे में गुजरात सरकार से बात करूंगा क्योंकि यह मामला वास्तव में राज्य सरकार को ही निपटाना है। मैंने वन्य जन्तुओं के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को पहले ही दो-तीन पत्र लिखे हैं। इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी मैं उन्हें लिखूंगा।

श्री नाथ पाई : माननीय मन्त्री कहते हैं कि विदेशी महिलाओं के झूठी शान की तुष्टि के लिए शेर जैसे सुन्दर जन्तुओं को नहीं मारना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री, जहां तक भारतीय महिलाओं की झूठी शान का सम्बन्ध है उसे विदेशी महिलाओं की झूठी शान से भिन्न नहीं समझेंगे।

डा० सुशीला नैयर : आप लोग यह भी नहीं जानते कि महिलायें मिंक कोट पहनती हैं न कि शेर की खालें।

श्री नाथ पाई : जहां तक झूठी शान का सम्बन्ध है उन्हें विदेशी और भारतीय महिलाओं की झूठी शान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी भी महिला की झूठी शान के सम्बन्ध में नहीं सोचना चाहिए। बड़ी खूबी से, जिसकी बराबरी केवल गृह मंत्री ही कर सकते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी को टाल दिया कि वे बड़े ही सख्त कानून बनाएंगे। डा० कर्णी सिंह जी का सवाल दूसरा ही था। सवाल यह था कि सेना के अधिकारी जिन्हें अपना युद्ध कौशल सीमा पर प्रयोग में लाना चाहिए ऐसा न करके वे जीप, पैट्रोल और शस्त्र लेकर जंगल में घूमते हैं और बड़े पैमाने पर जन्तुओं की हत्या करते हैं। सेना को अनुशासन के नियम, विशेष कर अधिकारियों के सम्बन्ध में, बदलने चाहियें। जवान जीप, पैट्रोल और गोली बारूद का खर्च नहीं उठा सकते। परन्तु अधिकारी टोली में जाते हैं और वन अधिकारी उन्हें देखकर घबरा जाते हैं ; वे अधिकारियों को

बिल्ले देख कर, क्योंकि वे अक्सर वर्दी में जाते हैं, डर जाते हैं तथा उन्हें शिकार करने से रोकने की हिम्मत नहीं करते। ये अधिकारी लोग हैं जो यह हत्या करते हैं। गृह मन्त्री के बजाय दूसरे बड़े मंत्रियों पर जिम्मेदारी डालने के अतिरिक्त उस छोटे मंत्री के सम्बन्ध में आपका क्या कहना है जो एक शिकारी सस्था के प्रधान हैं ? मैं यह नहीं कहता कि वे शेर मारने जाते हैं पर यह सही है कि वे एक संस्था के प्रधान हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उनके इस विस्तृत अनुभव का लाभ पर्यटन मंत्री को उठाना चाहिए। पर यहां प्रतिरक्षा मंत्री को सही रुख अपनाना चाहिए, जिससे कि अधिकारियों को दिया गया गोला-बारूद इन दुर्लभ जन्तुओं के नाश में इस्तेमाल न किया जाये। यदि अभी तक कोई एक रूप नीति नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि वन्य जन्तुओं की सुरक्षा के लिए ऐसी नीति अपनाई जायेगी ?

डा० कर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि यह कहना सही नहीं होगा कि सेना अधिकारी ऐसा योजनाबद्ध रूप में करते हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं। मैं यह बता दूं कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सेना के अधिकारियों का जिक्र नहीं किया था बल्कि उन्होंने भारत सरकार के असैनिक अधिकारियों का जिक्र किया था।

डा० कर्णी सिंह : मैंने वायु सेना लोग स्थल सेना दोनों का जिक्र किया था।

डा० कर्ण सिंह : यह हमारा दुर्भाग्य है कि ये लोग ऐसे समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी काम में लगे हैं। तथापि मैं सेनाध्यक्ष से, जो स्वयं भी भारतीय वन्य जन्तु बोर्ड के सदस्य हैं, से सम्पर्क बनाए हुए हूं तथा मैंने उन्हें तथा वायु सेनाध्यक्ष को लिखा है और उन्होंने उत्तर में आश्वासन दिया है कि वे आवश्यक हिदायतें जारी करेंगे तथा अपराधी के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाई करेंगे। यहां आज सभा में प्रकट किए गये भावों को भी मैं उन तक पहुँचाने के इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाऊंगा पर उन सभी लोगों को जो देश की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बदनाम करना उचित और सही नहीं होगा।

श्री नाथ पाई : मैं भाषण के बीच में व्यवधान डालना नहीं चाहता। परन्तु रिकार्ड को सही किया जाना चाहिए। मेरा या मेजर रणजीत सिंह अथवा महाराजा कर्णी सिंह का इरादा भारतीय सेना को बदनाम करने का कतई नहीं था। हमने कहा था कि कुछ अधिकारी इसके आदि हो गये हैं। यदि महाराजा हमें बदनाम करके सेना का सद्भाव प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बड़ी बहादुरी की बात नहीं है।

Shri Sayyad Ali : Mr. Spearker, Sir, Shri M. A. Badshah of Madras is an expert of wild life. He is invited in America, Europe and Middle East etc. to deliver lectures. He wants to give his honourary services to Government of India and therefore, may I know whether hon. Minister will utilize his services ?

Dr. Karan Singh : It is a matter of happiness. if any body wants to offer his honourary services. He may write to us. But I think, first he may offer his services in his own state. If he has got some special experience we will surely try to have a good use of it.

Shri Sayyad Ali : He was appointed as honourary expert and a Member of the Board in Madras but he wants to offer his services to whole of India.

Dr. Karan Singh : Does he only want to give or he want to take something from us also ? If he simply wants to give their we will consider it.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ चालाक और प्रभावशाली शिकारी रेंजर अथवा कन्जरवेटर से मिलकर शिकार करने के लिए बहुत से शेरों को नरभक्षी, तथा हाथियों को पागल घोषित कर देते हैं। जब एक हाथी वास्तव में इधर-उधर घूमते हैं तो उन्हें पागल हाथी करार दे दिया जाता है और प्रभावशाली शिकारी अधिकारियों की मदद से हाथियों को और शेरों को भी मार डालते हैं।

अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की सख्त हिदायतें दे दी जायेंगी कि जब कोई हाथी वास्तव में पागल अथवा शेर नरभक्षी हो जाये तो इस बात की समुचित जांच की जाये।

डा० कर्ण सिंह : निस्संदेह समय-समय पर कुछ कदाचार हुआ करता है।

श्री क० लकप्पा : मैसूर के हाथी पागल नहीं होते।

डा० कर्ण सिंह : जब कोई शेर नरभक्षी हो जाता है तो जाँच करके यह पता करना बड़ा कठिन हो जाता है कि वह वास्तव में नरभक्षी हो गया है या नहीं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम राष्ट्रीय राइफल संघ को बड़ी संख्या में कारतूस देता है जिनका उपयोग निशानेबाजी के लिए किया जाना चाहिए किन्तु यह शिकारियों द्वारा निषिद्ध जंगलों में शेरों और अन्य वन्य जन्तुओं को मारने के काम में लाई जाती हैं। यदि हां, तो क्या सरकार कारतूसों के इस दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है?

दूसरे आसाम में काजीरंगा आखेट निषिद्ध क्षेत्र में गेंडे का बाकायदा तस्कर व्यापार चलता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार महत्वाकांक्षी व्यापारियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य में गेंड़ों को पकड़ने के इस अपराध को रोकने के लिये कोई कदम उठाने वाली है।

डा० कर्ण सिंह : कारतूसों का आयात स्कीट निशानेबाजी और अन्य प्रकार की निशानेबाजी के लिए किया जाता है। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हम अपने लोगों को बन्दूक आदि का इस्तेमाल करना और निशाना लगाना भी सिखाना चाहते हैं। पर जैसा कि आप कहते है, कारतूसों का दुरुपयोग किया जाता है तो, निश्चित रूप से यह देखना कि कारतूसों का दुरुपयोग न किया जाये हमारी जिम्मेदारी है और यह भी हमारा काम हैं कि जब भी कोई ऐसा दुरुपयोग हो तो सम्बन्धित प्राधिकार को चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार, इस पर ध्यान देना चाहिए तथा इस कदाचार को रोकना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Centre's Criticism by Governors

*425. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri R. K. Birla :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governors of some of the States have levelled certain

charges against the Central Government or have expressed certain grievances against the Central while inaugurating the Budget Sessions of the Legislative Assemblies ;

(b) if so, the names of those States and the details of the grievances expressed by the Governors ;

(c) the reaction of the Central Government in regard thereto ; and

(d) whether Government propose to frame any such rules under which no Governor would criticise the Central Government ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). First session of the year 1970 is yet to begin in Bihar. The text of the Governors' addresses to the Legislatures of Madhya Pradesh, Assam and Nagaland are awaited. The addresses of the Governors of Andhra Pradesh, Gujarat, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Maharashtra and Uttar Pradesh do not contain any expressions of grievances against the Central Government. The addresses of Governors of remaining States contain views of the concerned State Governments in regard to the inter-State boundary disputes and the quantum of Central financial assistance.

(c) The Central Government do not subscribe to such views expressed by the Governors.

(d) No, Sir.

Hindi as Medium of Instruction in Universities

*426. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the third meeting of the Co-ordination Committee of the Hindi-speaking States Representatives' Conference, a decision has been taken that Hindi would be the medium of instruction in all the Universities at all levels from July, 1973 ;

(b) whether it is also a fact that the scholars have also been invited for the preparation of text books ;

(c) whether it is further a fact that some important books would also be translated in Hindi ; and

(d) if so, the details of the works already taken in hand in this regard and the names of the scholars whose services have been procured for writing and translating the books ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Co-ordinatian Committee of the Conference of the representatives of the Hindi-speaking States for the production of university-level books in Hindi, at its third meeting held at Chandigarh on the 7th November, 1969, reiterated the earlier recommendation of the Vice-Chancellors' Conference held at Varanasi on the Ist and the 2nd February, 1968, that Hindi should be introduced as medium of instruction in all faculties by July, 1973 in all the universities of the Hindi-speaking States and Union Territories.

(b) to (d). The Co-ordination Committee of the Conference has set up a Core Committee, which selects and allocates books to the five Hindi-speaking States and two special units set up in the Central universities at Delhi and Banaras for translation/original writing. Except in the case of books at first degree level in Engineering, Medicine and Agriculture, the actual assignment of such selected titles to individual scholars for original writing or translation is done by the State Akademies or the University concerned. The Central Government does not interfere in the matter and, therefore, maintains no list of such scholars.

Two lists of books-one list indicating the number of titles subject-wise for translation (total number being 107) and the other for original writing (total being 448) allocated to various States so far are placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—2841/70].

As regards university level books in Engineering, Medicine and Agriculture, it has been decided with the unanimous consent of all the Hindi-speaking States that the Commission for Scientific and Technical Terminology will produce the books on their behalf. Some progress has been made in this direction, but the work has not yet been actually assigned to any scholar.

गुजरात में ट्राँसमिटर का पकड़ा जाना

*427. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत जिले के तटीय क्षेत्र में कुछ महीने पहले हाई फ्रीक्वेंसी उच्चावृत्ति का एक ट्रांसमिटर पकड़ा गया था ;

(ख) क्या इस बात की जाच की गई है कि यह ट्रांसमिटर वहां कैसे लाया गया था और इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा था ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस ने कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गुजरात सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 25-10-1969 को एक लाइफ बोट वायरलैस ट्राँसमिटर गांव बरबोधन के श्री पटेल जगजीवन मौजी से बरामद किया गया था जिसने, बताया जाता है, इसे नागर मंचा नामक व्यक्ति से उसे काफी अधिक मूल्य पर बेचने की दृष्टि से खरीदा था । नागर मंचा ने, बताया जाता है, इसे अपने भाई खुसाल मंचा से प्राप्त किया था जब कि खुसाल मंचा ने इसे मछुवा ठाकुर दुर्लभ से 300 रुपये देकर खरीदा था । जब ट्राँसमिटर पकड़ा गया था तो वह चालू स्थिति में नहीं था । भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 की धारा 6(क) के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है तथा चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

नाविकों के कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदण्ड

428. **श्री भगवान दास** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री उमानाथ :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नाविकों के कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने के लिये कोई मानदन्ड निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बहुमत के समर्थन के बिना कार्मिक संघ को मान्यता दिये जाने के कारण औद्योगिक शान्ति भंग हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए नाविकों के वास्तविक कार्मिक संघों को ही मान्यता दी जाए, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार ने भारतीय नाविकों के व्यवसाय संघों को मान्यता देने के लिए कोई कसौटी निर्धारित नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को उन प्रतिद्वन्दी दावों के बारे में मालूम है जो हाल में भारतीय नाविकों के व्यवसाय संघों को मान्यता के लिए गये हैं ;

(घ) संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से मामला विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् के शिक्षाविदों तथा छात्र नेताओं के बीच बैठक

*429. **श्री सामिनाथन :** **श्री नि० र० लास्कर :**
श्री मयावन : **श्री दंडपाणि :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् के शिक्षाविदों तथा छात्र नेताओं की एक बैठक जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय द्वारा एकता सम्बन्धी तीन योजनाएं प्रस्तुत की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य बातें क्या थीं ; और

(घ) उक्त बैठक में उनको कहां तक स्वीकृत तथा अनुमोदित किया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिक्षाविदों और विद्यार्थी नेताओं की बैठक में चर्चा प्रारम्भ करते हुए शिक्षा मन्त्री ने राष्ट्रीय एकता विकास के लिए कुछ ऐसे कार्य क्रमों की चर्चा की जिन पर शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय विचार कर रहा है । समिति की जानकारी के लिए इन कार्यक्रमों के बारे में बताया गया :

(क) एक राज्य में स्थित कुछ स्कूलों का अन्य राज्य द्वारा अपनाया जाना ।

वे स्कूल जो कि अन्य राज्य को अपनाते हैं उन्हें विद्यार्थियों के लिए अपनाये गए राज्य

के भूगोल, इतिहास, संस्कृति तथा रीतिरिवाजों के अध्ययन की सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिये दोनों विभिन्न राज्यों के स्कूल के विद्यार्थियों के परस्पर विनिमय को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। इस योजना के ब्यौरे अभी तैयार करने हैं।

(ख) अन्तर्राज्यीय खेल-कूदों का आयोजन जिसमें विद्यार्थी तथा गैर विद्यार्थी युवक, विशेषकर ग्रामीण युवक हों :

इसके बारे में एक योजना बना ली गई है तथा अब उस पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा है। इस योजना में मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा कुछ चुने हुए खेलों पर जिला वार चैम्पियनशिप आयोजित की जाय और उसके बाद अन्तर्राज्यीय खेलों का आयोजन भारत सरकार करेंगी।

(ग) गैर विद्यार्थी युवकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण को प्रोत्साहन देना : इस योजना का सामान्य ढांचा अभी बनाना है और उसके बाद ब्यौरे तैयार करने पड़ेंगे।

2. उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों पर समिति में और आगे विचार नहीं हो सका क्योंकि समिति का मुख्य ध्यान विश्वविद्यालय/कालेज कैम्पसों में से सामप्रदायिकता और जातिवाद दूर करने पर लगा हुआ था।

Arrest of Pakistani Spies in Punjab and Rajasthan

*430. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the gangs of Pakistani spies have been held in Rajasthan and Punjab last month ;

(b) if so, the number of the said spies ;

(c) whether it is also a fact that some Indian nationals were also in collusion with them ;

(d) if so, whether Government have arrested the ;

(e) whether Government have recovered some important documents and material from the said spies ; and

(f) if so, their particulars in brief ?

The Minister of Home Affair (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (f). Three persons were arrested in February, 1970 in Rajasthan for suspected espionage activities. As the case is under investigation, it will not be desirable to give further details at this stage. No such arrest was made in Punjab in February.

बेरुत के रास्ते जम्बो जैट विमानों को चलाने के लिये बेरुत और भारत के बीच करार

*431. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुत तथा भारत के बीच किसी नये करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अन्तर्गत एयर इण्डिया को बेरुत के रास्ते जम्बो जैट विमान चलाने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 23 दिसम्बर, 1969 को बेरुत में भारत और लेबनान के प्रतिनिधि मंडलों के प्रधानों के बीच इस आशय के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए जिससे एयर इण्डिया के लिए बेरुत से होकर जम्बो जेटों (बोइंग 747) का परिचालन संभव हो सकेगा।

इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत, भारत तथा लेबनान की नामित हवाई कम्पनियों द्वारा सेवाओं की सम्मत संख्या का परिचालन किसी भी विमान से, उसके आकार-परिमाण (साइज) का विचार किये बिना, किया जा सकेगा, बशर्ते कि क्रमशः भारत व लेबनान के प्रदेशों से अथवा उनके लिए यातायात के वहन के लिए प्रस्तावित कुल धारिता उस धारिता से अधिक न हो जो कि यात्रियों और माल दोनों के वहन के लिए बोइंग 707 प्रकार के विमान से परिचालित सेवाओं की अवस्था में उपलब्ध की जा सकती थी।

राष्ट्रीय स्वस्थता दल संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

*432. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने फरवरी, 1970 में राष्ट्रीय स्वास्थता दल संगठन के भविष्य के बारे में राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया था ;

(ख) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने क्या मांगें पेश की थी ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए एक ज्ञापन में वेतनों के संरक्षण, पेंशन के लाभ, बरीयता, सेवा निवृत्ति की आयु, आदि से सम्बन्धित विषय उठाये गए थे।

(ग) सरकार पहले से ही इस मामले से अवगत है तथा राष्ट्रीय स्वस्थता दल के प्रशिक्षकों को खपाने और उनके विद्यमान वेतनों के संरक्षण तथा अन्य सेवा शर्तों आदि के बारे में राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

भारत में भारतीय तथा विदेशी नियन्त्रण यात्रा अभिकरण

*433. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय (एक) भारतीय नियंत्रण (दो) विदेशी नियन्त्रण, और (तीन) संयुक्त नियन्त्रण के अधीन कौन-कौनसी यात्रा अभिकरण कार्य कर रहे हैं :

(ख) उनके मंत्रालय ने (एक) भारतीय नियंत्रण (दो) विदेशी नियंत्रण, और (तीन)

संयुक्त नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे किन-किन यात्रा अभिकरणों को मान्यता प्रदान की है ;

(ग) भारत में विदेशी नियंत्रणधीन कार्य कर रहे अभिकरणों के कार्य संचालन के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(घ) क्या हाल ही में पूर्णतः विदेशी नियंत्रणाधीन यात्रा अभिकरणों को भारत के विभिन्न भागों में अपने कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अनुमोदित अभिकरणों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2842/70]

(ग) विदेशी अथवा नियन्त्रण वाले अभिकरण पर विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं जिसके अन्तर्गत किसी भी एयरलाइन अथवा शिपिंग कम्पनी के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व ऐसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है । अब तक सरकार की नीति विदेशी अथवा विदेशी नियन्त्रण वाले अभिकरणों को बिना किसी प्रतिबन्ध के अनुज्ञा प्रधान करने की रही है । इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

(घ) 1969 के दौरान 3 यात्रा अभिकरणों और पहले से ही मान्यता प्राप्त अभिकरणों के पांच शाखा कार्यालयों को मान्यता प्रधान की गई थी । इनमें से केवल दो पूर्ण रूप से विदेशी नियंत्रण वाले अभिकरण हैं । मान्यता प्रधान करने का मुख्य कारण यह धारणा है कि ये अभिकरण भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होंगे ।

केबल तथा तार बनाने वाली कम्पनियों के प्रबन्धक निदेशकों तथा निदेशकों के कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा छापा

*434. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केबल तथा तार बनाने वाली कम्पनियों के उन प्रबन्धक निदेशकों तथा निदेशकों के नाम तथा पते क्या हैं जिनके कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच विभाग ने गत छः महीनों में छापा मारा था ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं, जिनके मामले में जांच पूरी हो गई है ;

(ग) प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या विशिष्ट शिकायतें थीं, तथा प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितना आयातित कच्चा माल अवैध रूप से बेचा गया बताया जाता है ;

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर मुकदमा चलाया गया है अथवा जिनके मामले में केन्द्रीय जांच विभाग ने मुकदमा चलाने की सिफारिश की है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने इन कम्पनियों के परमिटों तथा कोटे रद्द करने की सिफारिश की है ; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख). कम्पनियों के नाम व पतों का विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2843/70]** चूंकि जांच-पड़ताल अभी चल रही है अतः इस स्थिति में अधिक ब्यौरे देना वांछनीय नहीं है।

(ग) विवरण में क्रम संख्या 1 से 9 तक में निर्दिष्ट फर्मों के विरुद्ध आरोपों का सम्बन्ध वास्तविक आवश्यकताओं से काफी अधिक मात्रा में तांबा, पोलिथेलीन, पी०वी०सी० कम्पाउन्ड तथा टिटानियम डाइआक्साइड, इत्यादि जैसे कच्चे माल के आयात और वास्तविक उपभोक्ता के लाइसेंस का उल्लंघन करके बाजार में उस माल की कुछ मात्रा को अवैध रूप से बेचने से है। आयातित कच्चे माल की मात्रा के विविध तरीकों से अनधिकृत प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है।

विवरण में क्रम संख्या 10 से 14 तक निर्दिष्ट फर्मों की ओर से लाइसेंसों के दुरुपयोग का भी संदेह है।

प्रत्येक मामले में अवैध रूप से बेचे गये कच्चे माल की सही मात्रा का अभी पता नहीं लगा है।

(घ) से (च). इन कम्पनियों में से किसी के विरुद्ध अभियोजन अथवा परमिटों को रद्द करना, इत्यादि जैसी दण्डनीय कार्यवाही करने का प्रश्न केवल तब ही उठ सकता है यदि जांच पड़तालों से प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

नये डिजाइनों तथा आविष्कारों के लिये सी० एस० आई० ओ० और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों को स्वामित्व का भुगतान

*435. **श्री पी० गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में काम कर रहे वैज्ञानिकों को नये डिजायनों तथा आविष्कारों के लिए स्वामित्व नहीं दिये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : जी नहीं। स्वामित्व (रायल्टी) के फलस्वरूप आमदनी को, एक सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं में बांट दिया जाता है और प्रत्येक कार्यकर्त्ता का भाग, उसके विकास में योगदान के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह भाग आमतौर पर प्रयोगशाला/संस्थान की कार्यकारी परिषद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जिन मामलों में वितरण देय है, उनके सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन की कार्यकारी परिषद् को अगली बैठक में पेश किये जा रहे हैं।

राज्यपालों का सम्मेलन

*436. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में हुए राज्यपालों के सम्मेलन में हुई चर्चा तथा उसमें किये गये निर्णयों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ;

(ख) क्या राज्यपालों द्वारा विधान सभाओं का सत्रावसान करने, उनको बुलाने तथा भंग करने के सम्बन्ध में अपने तथाकथित स्वविवेक अधिकारों का प्रयोग करने तथा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने में उनका मार्ग दर्शन करने वाले सिद्धांतों के बारे में कोई अनुदेश जारी करने के सम्बन्ध में सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार को दिसम्बर, 1969 में हुए राज्यपालों के सम्मेलन की कार्यवाही की जानकारी है ।

(ख) और (ग). जब किसी आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो मुख्य मन्त्री की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को जिन मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए उन्हें तैयार करने के प्रश्न की जांच 1967 में की गई थी और देश के कुछ प्रमुख विधिवेताओं के विचार मालूम किये गये थे । इस मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ फरवरी-मार्च, 1968 में हुई दो बैठकों में और आगे विचार विमर्श किया गया था । यह देखा गया कि कुछ मुद्दों पर सामान्य सहमति थी और भाग लेने वालों से इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया कि क्या राज्यपालों को तदनुसार सूचित कर दिया जाय । स्मरणपत्रों के दिये जाने पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए और इसलिए मामले को आगे नहीं चलाया गया ।

तत्पश्चात् प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में अपने प्रतिवेदन में राज्यपालों के लिए अपने स्वविवेक कृत्यों का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की सिफारिश की थी । आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

मोटर गाड़ी कर

437. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 फरवरी, 1970 को नई दिल्ली में हुई परिवहन विकास परिषद् की आठवीं बैठक में मोटर गाड़ी कर से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श किया गया था ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में मोटर गाड़ी करों के सम्बन्ध में योजना आयोग के विचार उनके विचारों से भिन्न है ; और

(ग) यदि हां, तो किन किन बातों पर मतभेद है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सदस्य, योजना आयोग ने विचार व्यक्त किया कि मोटर गाड़ियों के कराधान संबंधी मामला राज्य सरकारों के फैसले पर छोड़ दिया जाय क्योंकि वे सड़क परिवहन विकास पर के करों का ठीक-ठीक मूल्यांकन कर सकते हैं और योजना के लिये साधन-वृद्धि की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। परिषद् का विचार था कि सरकार को परिवहन विकास परिषद् की पिछली बैठक की यह सिफारिश कि मोटर गाड़ियों पर के कराधान को मौजूदा स्तर पर स्थिर रखा जाना चाहिए, को यथासंभव कार्यान्वित करना चाहिए।

पश्चिम से बम्बई को जाने वाला जहाज यात्रियों के लिए व्यवस्था

438. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मंगलाथुमाडम :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर के बन्द होने के कारण बहुत से जहाज आस्ट्रेलिया जाते समय बम्बई होकर नहीं जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पश्चिम से बम्बई की ओर आने वाले यात्रियों के लिए नौवहन समवायों के साथ कोई अन्य व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रामैया) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दो विदेशी शिपिंग कम्पनियां जिनके यात्री पोत यू० के/महाद्वीप से आस्ट्रेलिया/सुदूर पूर्व-जापान जाते थे रास्ते में बम्बई होकर जाते थे परन्तु हाल ही में बम्बई आना बन्द कर दिया है क्योंकि कुछ अंश तक स्वेज नहर बन्द होने से परन्तु मुख्यतः एयर लाइन से प्रतियोगिता के कारण यात्री यातायात में गिरावट के कारण है। इस समय लायड ट्रीस्टीन ही एक यात्री पोत है जो बम्बई और ट्रीस्ट (इटली) के बीच मासिक सेवाएं बनाये हुए हैं। चूंकि इन यात्री सेवाओं का बन्द होना मुख्यतः यात्री यातायात में गिरावट के कारण है अतः सरकार का दूसरे शिपिंग कम्पनियों के साथ इन्तजाम करने का प्रश्न नहीं उठता हैं।

वाणिज्यिक प्रकार के विश्वविद्यालय

*439. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाणिज्यिक प्रकार के उन अनेक विश्वविद्यालयों की ओर

दिलाया गया है जो देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गये हैं और जो केवल दिखावे के तौर पर परीक्षा लेकर साहित्य रत्न, विशारद आदि जैसी उपाधियां प्रदान करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अवैध पारितोषिक प्राप्त करने के बाद ऐसी परीक्षाओं के लिये केन्द्र नियत किये जाते हैं और केन्द्रों के इंचार्ज उम्मीदवारों से धन प्राप्त करते हैं और कुछ मामलों में इसके बदले में उम्मीदवार परीक्षा कक्षों में अपने प्रश्न पत्र तथा जवाबी पर्चे केन्द्र के इंचार्ज के पास जमा करा देते हैं और कुछ स्थानों पर उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर परीक्षा केन्द्रों में उत्तरों की नकल करने की अनुमति दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो महाविद्यालयों अथवा शैक्षिक परिषदों के भेष में चल रहे इन वाणिज्यिक प्रकार के विश्वविद्यालयों के इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों से ऐसे कितने विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और परिषदों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनके द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को अवैध घोषित किया गया है ; और

(ङ) ऐसी संस्थाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को देश में किसी वाणिज्यिक प्रकार के विश्वविद्यालय की जानकारी नहीं है जो केवल दिखावे के तौर पर परीक्षा लेने के बाद साहित्यरत्न, विशारद आदि जैसी डिग्रियाँ प्रदान करते हैं । किन्तु, सरकार को, ऋषिकुल विद्यापीठ, हरिद्वार में 26 से 31 दिसम्बर, 1969 के दौरान हुई हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की तीन परीक्षाओं, अर्थात्, प्रथमा, मध्यमा (विशारद), और उत्तमा (हिन्दी साहित्य) के सम्बन्ध में कुछ कुरीतियों के बारे में पिछली जनवरी में शिकायत प्राप्त हुई थी । शिकायत में अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप थे कि बैठने के स्थान की कमी के कारण, परीक्षार्थियों को बिना किसी निर्धारित स्थान के मैदान में बिठाया गया था, और निरीक्षकों की योग्यता और कार्यक्षमता का ध्यान रखे बैगर उन्हें परीक्षाओं के पर्यवेक्षण की अनुमति दी गई, विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा स्थल पर लाये गये नोटों और पुस्तकें में से उत्तरों की नकल करने के लिए केन्द्र इंचार्ज तथा निरीक्षकों द्वारा रिश्वत ली गई ।

इस मामले की जांच कराई गई है और उल्लिखित केन्द्र में परीक्षा पद्धति में पाई गई कमियों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नोटिस में लाया जा रहा है ताकि तत्काल सुधारक कार्रवाई की जा सके ।

ऐसे अन्य संगठनों के विरुद्ध, जिनकी हिन्दी परीक्षाओं को स्थायी मान्यता प्रदान की गई है, पिछले तीन वर्षों में ऐसी ही अनियमितताओं की शिकायत नहीं मिली है ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इन हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता इस शर्त पर प्रदान की गई है कि केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा इन संस्थाओं

का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किया जाता रहेगा और निरीक्षण के दौरान पाई गई किसी गम्भीर अनियमितता की दशा में मान्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जायेगी ।

बम्बई नगर के कुछ भागों में मिला "कोक"

*440. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के पुरातत्वीय विभाग ने सरकार को बम्बई नगर के कुछ भागों में कोक मिलने के बारे में सूचना दी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की अग्रेतर खोज का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय को इस विषय में कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(ख) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा कोई खोज कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Commonwealth Inter-University Conference

*441. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Commonwealth Inter-University Conference was held on the 13th and 14th January in New Delhi, as reported in the daily Hindustan dated the 1st January, 1970 ;

(b) if so, the names, designations and addresses of the persons who participated in the said Conference ; and

(c) the complete details of the subjects discussed and the decision taken in the said Conference ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—2844/70].

(c) The following topics were discussed in the Conference :

(i) Role of Universities in a Developing Society ;

(ii) Student Participation in University Affairs.

The Conference did not pass any resolutions. It was primarily intended to bring about exchange of views and experience among the participants from different Universities.

Hindi Assistants Appointed through U.P.S C.

*442. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are no departmental avenues of promotion for the Hindi Assistants appointed through the Union Public Service Commission while such avenues of promotion are available for the persons engaged in translation work in the Central Hindi Directorate and in the Commission for Scientific and Technical Terminology where many of them have been given promotions ;

(b) whether it is a fact that the Hindi Assistants have been working as such for more than ten years but have not been given any promotion, whereas persons engaged on translation work who were appointed on *ad hoc* basis and have put in only three to four years' service have been given promotions in various Ministries ;

(c) whether there are any other such employees in the Government of India engaged on English side as have been appointed through the U.P.S.C. and have no avenues of departmental promotions ; and

(d) if not, the reasons for this discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Posts of Hindi Assistants, as well as those of Hindi Translators in the Ministries/Departments are isolated posts created by the Ministries themselves according to their requirements. These posts do not form part of any organised service and therefore, there is no question of promotion of the incumbents of these posts to any higher grade in the Ministry/Deptt. concerned. Higher posts for Hindi work, which again are isolated posts, are filled by the Ministries/Departments in accordance with the recruitment rules framed by them for the purpose. Hindi Assistants and Hindi Translators working therein can also be considered for such appointments if they fulfil the requirements under those rules.

(c) Apart from the isolated posts created for Hindi Work, there are other isolated posts in various Ministries/Departments which are created according to their requirements and filled through the U.P.S.C. or otherwise in accordance with the Recruitment Rules for such posts. There are no higher posts to which the holders of such isolated posts could be promoted directly.

(d) Does not arise.

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता

*443. **श्री बलराज मधोक :**

श्री राम किशन गुप्त :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में उपकुलपति का घेराव किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का विभाजन

*444. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय तब तक कायम रहेगा जब तक चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र बना रहेगा ; और

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा राज्यों ने इसका शीघ्र विभाजन कराने की मांग की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के लिए पृथक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर अतीत में विचार किया गया था। किन्तु बाद में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री फिलहाल मामले को छोड़ देने के लिए सहमत हुए । सरकार ने उसके बाद मामले पर विचार नहीं किया है और न ही इनमें से किसी राज्य से प्रस्ताव को दौहराते हुए कोई पत्र प्राप्त हुआ है ।

Unauthorised Occupation of Land in various States

*445. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States in which agitations have been launched to occupy the land in an unauthorised manner and the total acreage of land thus occupied so far in each State ; and

(b) the action taken by the Central Government or the nature of directives given to the State Governments keeping in view the law and order situation arising out of the said movement.

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). A statement is attached.

STATEMENT

1. According to information received from the State Governments/Union Territory Administrations of Assam, NEFA, Chandigarh, Andaman & Nicobar Islands, Nagaland, Pondicherry, Punjab, Goa Daman and Diu, Delhi, Laccadive Minicoy and Amindivi Islands, Gujarat, Himachal Pradesh, Harayana, Rajasthan, Manipur and Tamil Nadu no agitations have been launched for unauthorised occupation of land. In Andhra Pradesh an agitation for the occupation banjar lands etc. was launched by CPI in September-October, 1969 and about 6600 acres were occupied. The agitation was called off after the announcement of a crash programme by the State Government for the distribution of banjar lands.

2. The Government of West Bengal have received reports that poor peasants and agricultural labourers, on their own initiative and by their organised efforts have recovered more than three lakh acres of land from the big land owners, who hold these lands clandestinely in violation of the ceiling prescribed by law. The State Government believe that land reform measures cannot be properly implemented without the active cooperation of responsible peasant organisations and have, therefore, welcomed the participation of peasant organisations in the

task of recovery of lands, held unauthorisedly by unscrupulous landowners. The State Government have, however, issued instructions to the district officers to see that law and order is not disturbed in the course of recovery of such land.

3. In Tripura the CPM have been instigating the party members to grab khas lands for distribution to the landless. On November 28, 1969 some CPM workers occupied a portion of khas land. A case in respect of the incidents has been registered and the police have been altered to keep a watch so that such incidents do not recur.

4. Information from the remaining States is awaited.

शैक्षिक मूल्यांकन पद्धति में सुधार

*446. **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने देश में शैक्षिक मूल्यांकन पद्धति में सुधार करने के कुछ प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय की परामर्श समिति ने 16-2-70 को अपनी एक विशिष्ट बैठक में परीक्षा पद्धति में सुधार करने की समस्या पर विचार विमर्श किया। सदस्यों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं :

(1) परीक्षा-सुधार पर पृथक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम-सुधार तथा शिक्षकों की योग्यता से इसका गहन सम्बन्ध है।

(2) बाह्य परीक्षायें, अनेक कारणों से, अपरिहार्य हैं। उनकी ज्ञात दुर्बलताओं जैसे रटने को प्रोत्साहन देने वाली प्रवृत्ति, संभावित प्रश्नों की तृष्णा, परीक्षा के ऐन समय पर अध्ययन, अनुचित उपाय आदि को कम करने के लिये निरन्तर प्रयत्न की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को निरन्तर अध्ययन का प्रोत्साहन देने के लिए आंतरिक मूल्यांकन की आवश्यकता है, जो निदान कार्यवाही का आधार हो सकता है, और इसके द्वारा व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं की परख हो सकती है जो बाह्य परीक्षाओं द्वारा नहीं हो सकती। परन्तु इनके दूसरे पहलू भी हैं। शिक्षकों पर दबाव, पक्षपात, राजनैतिक और साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रतिपादन आदि। इनसे मुक्ति पाने के लिए कदम उठाए जाने हैं। मूल्यांकन की दोनों प्रथाओं—आंतरिक तथा बाह्य—का

सुचारू रूप से निरन्तर संचालन सम्भवतया आदर्श प्रणाली होगी। इस क्षेत्र में अन्य प्रयोग भी करने होंगे।

(3) नीची कक्षाओं में बाह्य परीक्षाओं को आवश्यकता नहीं है। सभी विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होना चाहिए। उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण के स्थान पर परीक्षा प्रमाण पत्रों में छात्र के वास्तविक कार्यनिष्पादन का उल्लेख होना चाहिए।

(4) वस्तुनिष्ठ परीक्षण को अपनाना चाहिए जिससे प्रश्नपत्रों में सुधार हो सके और सम्भावित प्रश्नों के जानने की लिप्सा से मुक्ति मिल सके।

(5) कुछ प्रश्नों पर मतैक्य नहीं था उदाहरणार्थ कुछ लोगों ने 'श्रेणीकरण' प्रणाली अभिरूचि व्यक्त की जब कि अन्य लोगों ने 'प्राप्त अंकों' की ओर निर्देश किया। कुछ व्यक्ति परीक्षा बाहुल्य जैसे मासिक परीक्षा के पक्ष में थे और कुछ की अभिरूचि परीक्षाओं की संख्या कम होने में थी।

(6) सभी क्षेत्रों में एक सा पाठ्यक्रम वांछनीय होगा।

(7) विद्यालय शिक्षा तक परीक्षा सुधार की समस्या राज्य सरकारों का विषय है और उच्च शिक्षा में दूसरा सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से है। यह निर्णय किया गया है कि इस बैठक में दिये गये मुख्य सुझावों पर एक विवरण तैयार किया जायगा जो परीक्षा सुधार को प्रोत्साहित करने वाले राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आगामी कार्यक्रम की आधारशिला होगी।

उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रिमंडल को बचाने के लिए अमरीका के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के धन के प्रयोग के बारे में आरोप

*447. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के चार संसद सदस्यों द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर दिलाया गया है, जो 4 फरवरी, 1970 को 'नेशनल हेराल्ड' में छपा है कि उत्तर प्रदेश में चन्द्रभानु गुप्त का मंत्रिमंडल बचाने के लिए अमरीका के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के धन का प्रयोग किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन संसद सदस्यों द्वारा लगाए गए उक्त आरोप की जांच करवाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) से (घ). किन्हीं विशिष्ठ आरोपों के न होने से किसी जांच के कराने का विचार नहीं है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता

*448. **श्री राम चरण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय) को कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा (बिहार) द्वारा पदत्त शिक्षा शास्त्री की डिग्री को सामान्य व्यवस्था में बी० एड० के समान मान्यता प्रदान करने की सलाह दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय) केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन से अपने प्रस्ताव मनवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). इन मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा शास्त्री डिग्री को संस्कृत अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, न कि सामान्य अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए, बी० एड० डिग्री के समकक्ष मान्यता प्रदान करने की सलाह दी थी, और उन्होंने इस मंत्रालय की सलाह मान ली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Hotel Facilities for Tourists

*449. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have tried to find out from the foreign tourists as to which types of facilities they need to be provided in the hotels of India ; and

(b) if so, the outlines of the scheme proposed to be implemented on the basis of the information obtained from them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). A sample survey to ascertain the reaction of foreign tourists to hotel facilities in India is being conducted at present, and the report is expected to be received shortly.

Promotion and Propagation of Sanskrit in Fourth Five Year Plan

*450. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a comprehensive scheme for the promotion and propagation of Sanskrit has been formulated in the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether some additional fund has also been allocated therefor ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A statement is laid of the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2845/70].

कलाकृतियां क्रम समिति द्वारा कलाकृतियों की खरीद

2795. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जनवरी, 1970 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में कलाकृतिक्रय समिति द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला चित्र वीथी (नेशनल गैलरी आफ मार्डन आर्ट) के लिए कितनी कलाकृतियां क्रय की गई तथा उनका कृय मूल्य कितना है ;

(ख) कलाकृति क्रय समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष इसके सदस्यों में परिवर्तन किया जाता है ; और

(घ) कलाकृतियों के चयन में क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी की कला क्रय समिति ने कुल 55,018 रुपये में 43 कला वस्तुएं खरीदी थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी के निदेशक ने अपने अधिकारों के अधीन, और कला क्रय समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने की शर्त के साथ, कुल 14,950 रुपये में 26 कला वस्तुएं खरीदी ।

(ख) और (ग). एक कला क्रय समिति 19-7-1965 को 4 वर्ष के लिए स्थापित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

1. श्री राम कृष्णदास
2. श्री चिन्तामणिकार
3. प्रोफेसर विष्णु डे
4. डा० एम० एस० रणधावा
5. डा० आर० वी० लेडन,
6. श्री सतीश गुजरात
7. ललित कला अकादमी के सचिव (पदेन सदस्य)
8. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी (पदेन सदस्य-सचिव)

किन्तु, पैसे की कमी के कारण, इस समिति की बैठक न हो सकी और तदनुसार, इसे 18-5-68 को समाप्त कर दिया गया । किन्तु, विभिन्न अवसरों पर कला वस्तुएं खरीदने के लिए निम्नलिखित दो तदर्थ समितियां स्थापित की गई :—

(क) 1. डा० मुल्क राज आनन्द, अध्यक्ष, ललित कला अकादमी

2. श्री बी० सी० सान्याल, सचिव, ललित कला अकादमी

3. श्री अजीत मुखर्जी निदेशक, शिल्पकला संग्रहालय

4. श्री एम० एल० दत्त गुप्त, प्रिंसिपल, कला कालेज, नई दिल्ली

5. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी (सदस्य-सचिव) ।

(ख) 1. डा० एम० एस० रणधावा, चण्डीगढ़ के संघीय क्षेत्र के तात्कालीन प्रशासक

2. डा० मुल्क राज आनन्द, अध्यक्ष, ललित कला अकादमी

3. श्री सतीश गुजरात

4. श्री वी० सी० सान्याल, सचिव, ललित कला अकादमी

5. निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, नई दिल्ली (सदस्य-सचिव)

एक नियमित समिति का दो वर्ष के लिए 9-12-1968 को गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

1.	डा० एम० एस० रणधावा	अध्यक्ष
2.	डा० मुल्क राज आनन्द	सदस्य
3.	श्री सतीश गुजरात	
4.	सचिव, ललित कला अकादमी	सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथी	

(घ) यद्यपि ऐसा पता चला है कि इस संबंध में, समिति द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, किन्तु समिति द्वारा कला वस्तुओं का चुनाव, स्वभावतः कला वस्तुओं के कलात्मक महत्व और राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी में प्रदर्शित किए जाने की उनकी उपयोगिता पर निर्भर करता है ।

इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में घटी घटनाओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

2796. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में घटी घटनाओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा निकाले गये निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उसके निष्कर्षों पर कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). जैसा कि 22 अगस्त, 1969 को तारांकित प्रश्न सख्या 697 के उत्तर में बताया गया था, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने की अर्जुन सिंह की मृत्यु की परिस्थितियों की अपनी जांच पूरी कर ली है । ब्यूरो द्वारा

एकत्रित किये गये साक्ष्य से प्रकट होता है कि इस बात की पूरी सम्भावना है कि श्री अर्जुन सिंह जब एक कार को पार कर दूसरे कार की ओर जा रहा था, तो संयोगवश नीचे गिर पड़ा ।

कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय में दुर्लभ तथा मूल्यवान पुस्तकों की सुरक्षा तथा फोटो चित्रण द्वारा पुनर्प्रकाशन

2797. **श्री देवेन सेन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुस्तकों की सुरक्षा के मामले में भारत अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता राष्टीय पुस्तकालय की तुलना में ताशकन्द पुस्तकालय में अधिक पुस्तकें हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय में दुर्लभ तथा मूल्यवान प्रकाशनों तथा पाण्डुलिपियों को फोटो-चित्रण द्वारा पुनः प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में ऐसी कितनी मूल्यवान पुस्तकें तथा पाण्डुलिपियां पुनः प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) पुस्तकों के संरक्षण के मामले में भारत विकसित देशों से पिछड़ा हुआ हैं, किन्तु विकासोन्मुख देशों की तुलना में भारत के बहुत अच्छी प्रगति की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) 192 पुस्तकों तथा समाचार पत्रों की, जिनकी पृष्ठ संख्या लगभग 1,45,000 है, माइक्रोफिल्म बन चुकी हैं।

दिल्ली में घातक दुर्घटनायें

2798 **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष में जिन सड़कों तथा चौराहों पर घातक दुर्घटनाएं घटीं उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच हैं कि दिल्ली में यातायात निनियमों पर पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में यातायात सुरक्षा हेतु कोई विशेष कार्यवाही करने का है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली में सड़क और चौराहों पर 1-3-1969 से 28-2-1970 तक की अवधि में

घातक दुर्घटनाओं को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—2847/70]

(ख) दिल्ली में यातायात विनियमों का सामान्य रूप से पालन होता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Dearth of Dredgers for Ports

2799. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a great shortage of dredgers required for the ports in India ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove their shortage ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). All the Major Port Trusts have got their own dredgers for maintaining necessary drafts at the ports. To enable capital dredging at our new ports and for clearing the back-log of maintenance dredging, it is proposed to set up an Organisation. Orders for two dredgers and other ancillary equipment have been placed.

Regarding dredging at Minor Ports, in order to assist the Maritime States in the dredging of the ports under their jurisdiction, a Minor Ports Dredger Pool has been set up. Two sea-going self-propelled cutter suction dredgers with ancillary equipment have been acquired.

विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामर्स पाठ्यक्रमों में परिवर्तन

2800. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक भारतीय विश्वविद्यालय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कामर्स के पुराने पाठ्यक्रम को रखा जाये अथवा उसको पूरी तरह व्यापार प्रबंध पाठ्यक्रम (बिजनेस मैनेजमैंट कोर्स) में परिवर्तित कर दिया जाये अथवा प्रबन्ध प्रधान कामर्स पाठ्यक्रम को रखकर मध्य मार्ग अपनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सभी विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बी० काम० डिग्री पाठ्यक्रम को पूर्ण रूपेण व्यापार प्रबन्ध पाठ्यक्रम अथवा प्रबन्ध उन्मुख पाठ्यक्रम में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु, व्यापार प्रबन्ध में उत्तर स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, 11 विश्वविद्यालय केन्द्रों में शुरू किया गया हैं । दो और विश्वविद्यालय भी व्यापार प्रबन्ध में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम अलग से चला रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ों, विद्यार्थियों के आन्दोलनों तथा साम्प्रदायिक दंगों के कारण क्षति

2801. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बाढ़ों तथा विद्यार्थियों के आन्दोलनों और (3) साम्प्रदायिक दंगों के कारण केन्द्रीय सरकार को कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सरकारी कर्मचारियों को 'अनापत्ति पत्र' का दिया जाना

2802. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 वर्ष से कम आयु के स्थायी सरकारी कर्मचारियों को भी ऊंचे पदों के लिए, जहां पदोन्नति के अच्छे अवसर हो सकते हैं, रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने के लिए 'अनापत्ति पत्र' जारी नहीं किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसे विभिन्न विभागों में योग्य कर्मचारियों को ऊंचे पदों पर पदोन्नत करने हेतु दस वर्षीय पुराने भर्ती नियमों के नाम पर कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई ; और

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों को 'अनापत्ति पत्र' जारी करने के बारे में क्या नियम हैं जो रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ग). अस्थाई कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं :

(i) रोजगार कार्यालय और कर्मचारी को साथ-साथ उस कार्यालय के प्रधान को, जिसमें वह कर्मचारी कार्य कर रहा है, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के बारे में जब पंजीकरण कराया जाता है, सूचित करना चाहिए ; और

(i) यदि कार्यालय के प्रधान को कोई आपत्ति हो तो उसे सम्बन्धित कर्मचारी तथा रोजगार कार्यालय को इसकी सूचना तुरन्त देनी चाहिए ।

स्थायी तथा अर्धस्थायी कर्मचारियों को, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो, तब तक रोजगार कार्यालय में अपने नाम पंजीकृत कराने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि वे अपने नियोजकों से 'अनापत्ति पत्र' प्रस्तुत नहीं करते और जब तक वे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी से सम्बन्धित न हों :

(1) स्थापना में कमी के कारण सेवामुक्त किये जाने के बदले निचले पदों में प्रत्यावर्तित अथवा स्थानांतरित व्यक्ति, बशर्ते कि ऐसे प्रत्यावर्तन अथवा स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति के वेतन में 30 प्रतिशत से अधिक कमी हो जाय,

(2) अनुसूचित जाति/आदिम जाति के व्यक्ति जिनके पास किन्ही पदों में नियुक्त होने पर ऊंचे पदों के लिए शैक्षिक अथवा तकनीकी अर्हताएं हो,

(3) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो तृतीय श्रेणी पदों के लिए शिक्षा की दृष्टि से अर्ह हो और ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनके पास तृतीय श्रेणी पद के लिए निर्धारित तकनीकी/वैज्ञानिक अर्हता हो ।

(ख) ऊंचे पदों पर, जो सामान्यता 'प्रवरण' पद होते हैं, पदोन्नतियां वरिष्ठता पर यथोचित ध्यान देते हुए गुणावगुण के आधार पर की जाती है । जहां तक सम्भव हो, चयन के क्षेत्र का विस्तार एक वर्ष में भरी जाने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या का पांच या छः गुने तक होना चाहिए । विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अयोग्य समझे गये अधिकारियों को छोड़कर, चयन क्षेत्र के भीतर के अधिकारियों का समिति द्वारा उनके अपने-अपने सेवा रिकार्डों द्वारा निर्धारित उनके गुणावगुण के आधार पर 'विशिष्ट' 'बहुत अच्छा' अथवा 'अच्छा' के रूप में वर्गीकरण करना होता है । तद्पश्चात उनकी वरिष्ठता के क्रम में 'विशिष्ट' अधिकारियों के नामों के बाद उसी तरह अन्य दो श्रेणियों के अधिकारियों के नामों को रखकर यथावश्यक नामों की तालिका तैयार की जलाती है ।

इस प्रकार प्रवरण पदों में पदोन्नति के लिए गुणावगुण पर मूल्य रूप से विचार किया जाता है, वरिष्ठता पर केवल विचार क्षेत्र के निर्धारण के लिए तथा चयन किये गये समान योग्यता प्राप्त अधिकारियों के बीच वरिष्ठता निर्धारण के लिए ही विचार किया जाता है ।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन

2803. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की कोई विशिष्ट योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि इससे लोगों को शिक्षा समाप्ति के पश्चात् रोजगार अधिक अवसर प्राप्त हो सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना को किस प्रकार क्रियान्विति करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क), (ख) और (ग). शिक्षा का व्यावसायिकरण करने के लिए चुने क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजनाएं चालू करने का प्रस्ताव है । योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन-छुट्टी

2804. **श्री अदिचन :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपना अध्ययन कार्य पूरा करने से पूर्व परिस्थितियों से बाध्य होकर सरकारी नौकरी में आने वाले व्यक्तियों को अध्ययन पूरा करने हेतु कोई विशेष-छुट्टी दी जाती है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी विनियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारियों को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए कोई विशेष अवकाश या अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए वर्तमान नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है किसी सरकारी कर्मचारी को लोक सेवा की तुरन्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने अथवा किसी व्यावसायिक अथवा तकनीकी विषय में, जिसका उसके कार्य क्षेत्र से सीधा और निकट सम्बन्ध हो, विशेषज्ञ प्रशिक्षण पूरा करने के लिए अयध्यन अवकाश नियम, 1962 के नियम 3 के अधीन अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है। फिर भी, जब तक अवकाश मंजूर करने के लिए सूक्ष्म प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित न किया जाय कि प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण-लोक हित की दृष्टि से निश्चित रूप से लाभदायक होगा और यह कि यह अवकाश शैक्षिक अथवा साहित्यिक विषयों के अलावा अन्य विषयों में अध्ययन करने के लिए है तब तक कोई अध्ययन अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है।

तथापि, नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन एक सरकारी कर्मचारी उसके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अर्जित छुट्टियां और आधे वेतन पर छुट्टियां अर्जित करता है। इससे अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 90 दिन तक की और स्थायी कर्मचारियों को पांच वर्ष तक की बिना वेतन तथा भर्ती की असाधारण छुट्टी भी प्रदान की जा सकती है। तथापि, इस प्रकार का कोई भी छुट्टी केवल वास्तविक कारणों के लिए तथा लोक सेवा की तुरन्त आवश्यकताओं के अधीन ही प्रदान की जा सकती है।

किसी सरकारी कर्मचारी को अपना अध्ययन पूरा करने के लिए अध्ययन अवकाश के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वायस आफ़ अमरीका के लिए अनुवाद कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुमति

2805. **श्री दीवीकन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी वायस आफ अमरीका के लिए साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद कार्य करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके लिए अनुमति दी गई थी ; और

(ग) क्या आचरण संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को यदा-कदा साहित्यिक स्वरूप का कार्य करने के लिए स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। किन्तु, कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति के किसी सार्वजनिक निकाय अथवा किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के

लिए उसके द्वारा किये गये किसी ऐसे कार्य के लिए कोई फीस स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रयोजन के लिए वह विभागाध्यक्ष निर्धारित प्राधिकारी हैं जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में संबंधित सरकारी कर्मचारी नौकरी करता हो। उन मामलों के बारे में जिनमें वायस आफ अमरीका के लिए साहित्यिक लेखों का अनुवाद कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा कोई फीस स्वीकार करने के लिए उनके द्वारा अनुमति मांगी गई, सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इंजीनियरों की भर्ती

2806. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की श्रेणी एक और दो के पदों में इंजीनियरों के रूप में भर्ती होन के लिये उम्मीदवारों को कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं ;

(ख) भारतीय प्रशानिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं ; और

(ग) यदि कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है तो इस प्रकार भर्ती के लिए समान नियम न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय सेवाओं/पदो में इंजीनियरों की सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई दो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर की जाती है अर्थात संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा तथा इंजीनियरी सेवा (इलेक्ट्रानिक्स) परीक्षा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा इत्यादि की भर्ती आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि के लिए ली गई संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है। उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए नियमों के अनुसार सम्बन्धित परीक्षाओं में बैठने वाले वे उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाये जाते हैं जो आयोग द्वारा लिखित परीक्षाओं में अपने विवेक से नियत किये गये न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं। इन्टरव्यू के लिए कोई न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित नहीं हैं। व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त किये गये अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों में जोड़ दिये जाते हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में रखा जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने के लिए पात्रता हेतु उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले न्यूनतम अंक अवश्य ही प्रत्येक परीक्षा में भिन्न-भिन्न होंगे क्योंकि अर्हक अंक रिक्तियों की संख्या, इंटरव्यू के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा किसी परीक्षा विशेष में उम्मीदवारों के सर्वोपरिनिष्पादन पर निर्भर करेंगे। तदनुसार इन्टरव्यू के लिए अर्हक होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं के लिए कोई एक समान अंक निर्धारित नहीं किये जा सकते।

सेनाओं में नवयुवकों का भर्ती किया जाना

2807. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन को बनाये रखने हेतु निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नती के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के साथ-साथ, सेवाओं में नव-युवकों को लाने के लिए, गृह-कार्य मंत्रालय के 8 दिसम्बर, 1955 के पत्र के अनुसार, सीधी भर्ती भी करनी होगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, रेलवे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, आकाशवाणी, डाक व तार विभाग संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 66 प्रतिशत, 75 प्रतिशत आदि तक इंजीनियरों की सीधी भर्ती करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गुणों को ध्यान में रखे बिना इतने बड़े पैमाने पर सीधी भर्ती किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/45/55 आर० पी० एस० दिनांक 8 दिसम्बर, 1955 में यह व्यवस्था है कि किसी श्रेणी अथवा पदों के समूह में भर्ती के तरीके का निर्धारण आवश्यक रूप से उस पद को कुशलतापूर्वक भरने के लिए आवश्यक अर्हताओं, अनुभव तथा पिछले प्रशिक्षण के संदर्भ में करना होगा। कार्यालय ज्ञापन में यह भी आदेश है कि जबकि उपर्युक्त मापदंड के आधार पर किसी श्रेणी में भर्ती की पद्धति का निर्धारण करते समय निम्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन बना रहे तथापि कुछ मात्रा में सीधी भर्ती की व्यवस्था करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है क्योंकि इससे उस श्रेणी में नवयुवकों को लाने में सहायता मिलेगी। इस मापदण्ड पर निर्भर रहते हुए वह अनुपात, जिसमें सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की जानी है, सम्बन्धित भर्ती नियमों में निर्धारित है।

(ख) तथा (ग). इन सेवाओं की प्रथम श्रेणी में, जिनमें ऊंचे दर्जे का तकनीकी ज्ञान हो आवश्यक है, सीधी भर्ती अधिकतर उस श्रेणी के सबसे निचले प्रवर्ग को भरने तक ही सीमित होती है। इन मामलों में, सीधी भर्ती की मात्रा काफी अधिक (जो अलग-अलग सेवा में अलग-अलग है) रखी गई ताकि इन सेवाओं में गुणी तथा अर्हतावान उम्मीदवार लाये जा सकें।

कार्यवाहक सेक्शन अफसरों के रूप में कार्य करने वाले असिस्टेंट

2808. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे असिस्टेंटों की, संवर्ग वार, संख्या कितनी है जिन्हें सेक्शन अफसरों की चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु उन्होंने वर्ष 1969 (एक) 200 दिन, (2) 300 दिन और (तीन) 330 दिन कार्यवाहक सेक्शन अफसर के रूप में कार्य किया था ;

(ख) उनमें से संवर्ग वार ऐसे असिस्टेंटों की संख्या कितनी है जिनका स्थान 1 दिसम्बर,

1962 की सिविल सूची में (एक) 1500 के बाद, (दो) 1401 और 1500 के बीच तथा (तीन) 1201 और 1400 के बीच में है ;

(ग) इस सिविल सूची के अनुसार इस संदर्भ में प्रत्येक संवर्ग में उनमें से वरिष्ठतम और कनिष्ठतम असिस्टेंट की परस्पर क्या स्थिति है ; और

(घ) इन तिथियों से किन असंगतियों का पता लगा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में ईसाई मिशन के कालेजों और स्कूलों के अध्यापकों को भुगतान

2809. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बिहार में मिशन के कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्फत भुगतान करती है और मिशन के स्कूलों के अध्यापकों को जिला कल्याण अधिकारियों की मार्फत भुगतान करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार में इन स्कूलों और कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो बिहार में ईसाई मिशनों द्वारा चलाये जा रहे उन स्कूलों और कालेजों के नाम क्या हैं जिनको अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त होता है और जिनके आध्यपकों को जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भुगतान किया जाता है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, ईसाई मिशन के स्कूलों और कालेजों को उक्त साधनों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० बी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्यों में स्थित कालेजों और स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति से, भारत सरकार का संबंध नहीं है ।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) अधीन मान्यता प्राप्त कालेजों को विकासीय अनुदान देता है । किन्तु आयोग, इसकी सूची कालेजों के नामानुसार नहीं रखता है । इसलिए, पिछले तीन वर्षों में मिशन कालेजों को स्वीकृत अनुदानों को बताना सम्भव नहीं है । शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की स्कूलों को वेतन-अनुदान देने की कोई योजना नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान की ओर से सशस्त्र मिजो लोगों का भारत आगमन

2810. **श्री एन शिवप्पा :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री दण्डपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि विद्रोही मिजो लोगों के अनेक टूटे दुए दल जो हाल में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में घुसे हैं, मिजो जिले में और उसके आसपास स्टेनगनों समेत प्रचार एवं धन संग्रह का अभियान चला रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से बहुत से विद्रोही लोग सामान के साथ थैलों और बड़ी मात्रा में "स्वतन्त्र" मिजो राज सरकार के इश्तहारों सहित सुरक्षा सेनाओं द्वारा पकड़े गये थे ;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ; और

(घ) इन विद्रोही मिजो लोगों से निपटने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से छोटे-छोटे दलों में मिजों विद्रोहियों से चोरी-छिपे प्रवेश की यदा-कदा खबरें मिली हैं। नागरिकों से स्वेच्छा पूर्वक अथवा जबरदस्ती धन संग्रह अथवा ऐसे प्रचार अभियान के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सीमा के आरपार अवैध गतिविधियों का सामना करने तथा अवैध आवागमन को रोकने के लिए सुरक्षा दल सावधानी तथा सतर्कता बरत रहे हैं ।

इंडियन एयर लाइन्स द्वारा डा० सी० वी० रामन को स्थान देने से इन्कार

2811. **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री ज० अहमद :
श्री स० कुन्दू :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा बम्बई-औरंगाबाद सैक्टर पर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० सी० वी० रामन को 19 दिसम्बर, 1969 को स्थान देने से इन्कार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). डा० सी० वी०

रमण ने निम्न सैक्टरों पर यात्रा करने के लिये 20-11-1969 को टिकट खरीदे :—

(i) बंगलौर-बम्बई	19-12-1969
(ii) बम्बई-औरंगाबाद	19-12-1969
(iii) औरंगाबाद-बम्बई	23-12-1969
(iv) बम्बई-बंगलौर	23-12-1969

यद्यपि बंगलौर-बम्बई सैक्टर के लिये पुष्टि स्थल पर ही की जा सकी, भारी पर्यटन समूहों (ग्रप) बुकिंग के कारण कारपोरेशन को उन्हें अन्य सैक्टरों पर प्रतीक्षा-सूची में रखना पड़ा।

बाद में डा० रमण ने 2-12-1969 को अपनी भ्रमण-सूची में परिवर्तन कर लिया और निम्न बुकिंग के लिये अनुरोध किया :—

(i) बंगलौर-बम्बई	18-12-1969
(ii) बम्बई-औरंगाबाद	18-12-1969
(iii) औरंगाबाद-बम्बई	24-12-1969
(iv) बम्बई-बंगलौर	24-12-1969

इस मामले में भी यद्यपि केवल प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ सैक्टर के लिये पुष्टि दी जा सकी, उन्हें तृतिय सैक्टर के लिये प्रतीक्षा सूची में रखना पड़ा। जब यह स्थिति डा० रमण को सूचित की गई ता उन्होंने 3-12-1969 को सारी बुकिंग रद्द कर दीं और पूरा रिफंड ले लिया।

8-12-1969 को औरंगाबाद-बम्बई सैक्टर पर 24-12-1969 के लिये भी पुष्टि प्राप्त की जा सकती थी। इस समय स्टेशन मैनेजर, बंगलौर ने डा० रमण से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया तथा उनके मूल आवेदन के अनुसार उनकी बुकिंगों की पुष्टि की। परन्तु डा० रमण ने बुकिंगों का लाभ नहीं उठाया।

अशोक नगर, पश्चिमी दिल्ली में बाजार का निर्माण

2813. **श्री वि० नरसिम्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी दिल्ली में अशोक नगर में एक बाजार का निर्माण करने के लिये उस ठेकेदार को ठेका दिया है, जिसका नाम केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कई वर्ष पूर्व काली सूचि में रखा था ;

(ख) यदि हां, तो उस ठेकेदार का नाम क्या है और उसको ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वह ठेकेदार, जिसे नगर निगम ने 64,000 रुपये और कार्य को पूरा न करने के कारण 37,000 रुपये का जुर्माना वसूल करना है, गायब है ; और

(घ) यदि हां, तो उस ठेकेदार का पता लगाने और उससे धन वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 1967 के आरम्भ में अशोक नगर में एक बाजार का निर्माण करने का कार्य जिस ठेकेदार को पहले दिया गया था उसे केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग में काली सूची में रखा गया था ।

(ख) दिल्ली नगर निगम से यह मालूम हुआ है कि इस बाजार के भवन भाग का निर्माण कार्य 66,12,229, नाईवाला, करौलबाग, नई दिल्ली के निवासी श्री श्याम के० पण्डित, सुपुत्र श्री बिहार किशोर को इस आधार पर कि उसके पास पहले ही निगम के सामान्य पक्ष के डिवीजन नं० 5 के कुछ ठेके अर्थात् एस०जे०टी०बी० अस्पताल में थूक विन्यास, धोबी घाट, कैन्टीन और कर्मचारी कल्याण केन्द्र के निर्माण के लिए ठेके थे। एस०जे०टी०बी० अस्पताल में ये कार्य इस ठेकेदार को अशोक नगर में म्यूनिसिपल बाजार के निर्माण के लिए उसका कार्य आदेश दिये जाने से पहले सन् 1966 में दिये गये थे। श्री श्याम के० पण्डित को दिल्ली विश्वविद्यालय का पंजीकृत ठेकेदार समझा गया था ।

(ग) निगम से यह भी मालूम हुआ है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि श्री श्याम के० पण्डित लापता है यद्यपि इस ठेकेदार के विरुद्ध एकमात्र विवाचक के समक्ष उपर्युक्त कार्य के विवादों के मामले में कार्यकारी इंजीनियर द्वारा चलाये गये विवाचन मुकदमें में एक पक्षीय फैसले दिये गये हैं। न तो स्वयं ठेकेदार और न उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति ही विवाचक के सामने उपस्थित हुआ। तथापि, वह रूप नगर में फायर स्टेशन के मुख्य भवन के निर्माण के बारे में विवादों के मामले में दूसरे विवाचक के सामने उपस्थित हो रहा है। उसका प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा भी किया जा रहा है ।

(घ) निगम ने बताया है कि अशोक नगर के म्यूनिसिपल बाजार के निर्माण के विवादों के मामले में एकमात्र विवाचक द्वारा दिये गये पंच फैसले का न्यायालय का आदेश बनाये जाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया जा रहा है। ठेकेदार से इन दिनों की वसूली के लिए कानून के अधिन अग्रेतर कार्यवाही दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाएगी ।

राजनीतिक पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

2814. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद के उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें सुझाव दिया गया था कि न्यायाधीशों के न्यायपीठ से निवृत होने अथवा वहां से हटने के पश्चात् उन्हें कोई राजनीतिक पद दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ;

(ख) क्या सरकार का उस सूझाव को कार्यान्वित करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को इस बारे में

कोई जानकारी नहीं है कि भूतपूर्व महान्यायवादी (श्री एस० सी० सीतलवाड) ने सेवा निवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के लिए राजनैतिक पदों में नियुक्तियों पर रोक लगाने का सुझाव देने वाला कोई भाषण दिया था। तथापि, उन्होंने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री एच० एम० सीरवाई द्वारा 24-1-1970 को दिये गए एक भाषण की प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें ऐसा विचार व्यक्त किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) न्यायपालिका की निष्ठा तथा स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

आसाम में रेलवे के जहाज की मरम्मत के कार्य के केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा टेंडरों का दिया जाना

2815. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को प्रतिमास लगभग चार लाख रुपये का घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या आसाम में रेलवे के जहाज की मरम्मत के लिये केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था ने टेंडर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्य इसको सौंपा गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या रेलवे आसास में सरकारी क्षेत्र की इस केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को प्रतिदिन एक हजार भरे माल डिब्बे देने का वचन दिया था ;

(च) यदि हां, तो क्या वचन को पूरा किया गया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को 1967-68 में 42.32 लाख रुपये, 1968-69 में 45.81 लाख रुपये (अस्थायी) और 1969-70 (1-4-1969 से 31-3-1970 तक) 40.86 लाख रुपये की हानि हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). मामला अभी भी नार्थ फ्रन्टियर रेलवे के विचाराधीत है।

(ङ) से (छ). 1000 टन माल प्रतिदिन नदी मार्ग द्वारा ले जाने के लिए रेलवे ने कोई वायदा नहीं किया है। यह अनुमान है कि 1000 टन प्रतिदिन रेल एवं नदी मार्ग से ले जाने के लिए उपलब्ध हो सकता है। परन्तु रेल एवं नदी मार्ग से सरकारी खाते में माल के आवागमन के लिए असम सरकार द्वारा जारी किये निर्देश के बावजूद इस संबंध में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल

परिवहन निगम प्रयास कर रहा है और प्रेषक की इच्छा पर इस मार्ग पर कुछ स्टेशनों पर माल बुक करने के लिए रेलवे द्वारा जारी किये गये अनुदेश के बावजूद इस क्षेत्र में यातायात नहीं बढ़ा है ।

राष्ट्रीय महिला कल्याण परिषद् की सिफारिशें

2816. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला कल्याण परिषद् ने महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी मामलों के बारे में सरकार से कितनी तथा क्या-क्या सिफारिशें की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार को राष्ट्रीय महिला कल्याण परिषद् नामक किसी भी संगठन की जानकारी नहीं है । संभवत: इसका संकेत राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की ओर है, जो कि इस मन्त्रालय द्वारा एक सलाहकार निकाय है । अप्रैल 1969 में हुई ग्यारहवीं बैठक में परिषद् ने 12 सिफारिशें की थी । उन सिफारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है ।

(ख) राज्य सरकारों, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा कुछ केन्द्रीय प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिये इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई की गई है ।

विवरण

1. (क) अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों से यह अनुमान लगाया गया है कि, लड़कियों के मामले में, निम्न प्राथमिक शिक्षा में 70 प्रतिशत अपव्यय होता है । इसका कारण यह है कि लड़कियों को प्राय: परिवार के छोटे बच्चों की देख-रेख के लिए लगा दिया जाता है । राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की है कि अग्र योजनायें प्रारम्भ की जांय । जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में बाल-वड़ियों एवं शिशुपालनशालाओं का निर्माण किया जाए ताकि बच्चों की देखभाल भलीभांति हो सके और बड़ी लड़कियों का विद्यालय जाने का प्रबन्ध हो । यह वांछनीय होगा कि बालावड़ियों एवं शिशुपालनशालाओं की देख-रेख के कार्य, अध्यापकों, के स्थानीय महिला मंडल अथवा समाज-सेवक के निरीक्षण के अन्तर्गत, स्थानीय औरतों को सौंपा जाए जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा भत्ता दिया जाए । अग्र परियोजनाओं के लिए पर्याप्त अनुदान दिया जाना चाहिये और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि उक्त व्यवस्था के फलस्वरूप लड़-कियों के नाम दर्ज होने की संख्या में उनकी उपस्थिति पर एवं उनकी उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ा ।

(ख) परिषद् सिफारिश करती है कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति की लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस

वर्ग की लड़कियों की शिक्षा के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई जाँय और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाये ।

2. लड़कियों की उन्नति के बारे में माता-पिता एवं संरक्षकों की उदासीनता को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मार्ग-दर्शन दिया जाये कि वे शैक्षिक कार्यों की प्रभावशाली योजना बनायें और स्पष्ट उद्देश्य लेकर कार्य करें तथा प्रत्येक छात्रा की उन्नति का वैयक्तिक रिकार्ड रखें । इस रिकार्ड की चर्चा उनके माता-पिता से होनी चाहिए ।

3. राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् सिफारिश करती है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लिए जाने वाले कार्यक्रमों में जिलों को इकाई माना जाना चाहिए और लड़कों एवं लड़कियों के लिए प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य बना लेना चाहिए । प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उनकी पूर्ति के लिये प्रभावी कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिये ।

4. राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् सिफारिश करती है कि महिला-स्वैच्छिक संगठन न्यायपालिका तथा अन्य ऐसी संस्थाएं विज्ञापन या अन्य पुरुष से सम्पर्क स्थापित करके शिक्षित महिलाओं को (जिनकी योग्यता कम से कम हाई स्कूल हो) शैक्षणिक एवं समाज-कार्य करने के लिए आमंत्रित करें । यह कार्य उन्हें निःशुल्क अथवा अल्प भत्ते के आधार पर दिया जाये । कार्य पहले से ही नियोजित होना चाहिए एवं, यदि आवश्यकता पड़े तो, उन्हें अनुस्थापन प्रशिक्षण दिया जाये ।

5. राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् सिफारिश करती है कि महिलाओं को शैक्षणिक समस्याओं एवं नीतियों पर विचारार्थ नियुक्त की गई सलाहकार परिषदों, समितियों एवं आयोगों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

6. राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद् सिफारिश करती है कि सुझावों को क्रियान्वित करने तथा पाठ्यक्रम उपसमिति द्वारा निर्धारित एवं ग्यारहवें सत्र में अपनाये गये पाठ्य विषयों के लिय कार्रवाई की जानी चाहिए ।

7. उत्तरी एवं दक्षिणी प्रदेश में नारी पॉलिटेक्नीक की पुनर्विलोकन समिति ने कार्य-संचालन के पुनर्विलोकन के आधार पर महिलाओं को दी जाने वाली तृतीय स्तर की शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् सिफारिश करती है कि शिक्षा-मन्त्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् उन सुझावों पर विचार करे ।

8. राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद् यह सिफारिश करती है कि एक सलाहकार समिति नियुक्त की जाये जिसमें उद्योगपतियों, कार्यक्षम कर्मचारियों एवं अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों को लिया जाए तथा जो महिला पॉलिटेक्नीक की छात्राओं को पाठ्यक्रम चुनाव, प्रशिक्षण-सुविधाओं नौकरी के साधनों, उत्पादन केन्द्रों के निर्माण के बारे में परामर्श दे सकें एवं मार्ग-दर्शन कर सकें ।

9. राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद् यह सिफारिश करती है कि लघु-उद्योग मन्त्रालय की सहायता से ऐसे उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के तरीके पता लगाये जांय, जो रोजगार एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण विशेषत: वस्त्र-डिजाइन, वेश-भूषा, खाद्य तकनीक तथा केटरिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण दे सकें। ये उत्पादन केन्द्र महिला-पॉलिटेक्नीक से सम्बद्ध होना चाहिए एवं पॉलिटेक्नीक के प्रधानाचार्य की सामान्य देख-रेख के अधीन होने चाहिए।

10. राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् यह सिफारिश करती है कि घरेलू सजावट अथवा वाणिज्यिक कला सम्बन्धी कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को सहकारी समितियां बनाने के लिए उपयुक्त सहायता दी जाये।

11. राष्ट्रीय महिला-शिक्षा परिषद् यह सिफारिश करती है कि प्रशिशुता योजना महिला-विद्यार्थियों के लिए भी होना चाहिए।

12. राष्टीय महिला शिक्षा परिषद् यह सिफारिश करती है कि प्रत्येक महिला-पॉलिटेक्नीक उसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी कोर्स समाप्त कर चुके हैं वे रोजगार में लगाये जायें। जो लोग इसकी देखरेख में हैं उन्हें उचित भत्ता दिया जाये एवं आवश्यक सुविधा प्रदान की जायें।

"पीपल्स कोर्ट" द्वारा पश्चिमी बंगाल के मंत्री की दोष सिद्धि

2817. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार के तीन मंत्रियों को (मार्क्स वादी की "पीपल्स कोर्ट") द्वारा दोषी पाया गया है ;

(ख) क्या यह कहा गया है कि इन मन्त्रियों को 'विदेशी' (एलियन्स) समझा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने कलकत्ते को छात्र परिषद् नामक एक छात्र संस्था द्वारा "दिखावटी मुकदमे" का समाचार देखा है और उस "दिखावटी मुकदमे" में पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्री अनेक अभियोगों के लिए दोषी पाये गये और उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित किये जाने की सजा दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की तीन मंत्री "पीपल्स कोर्ट" में दोषी पाये गये।

आसाम में गोलपारा जिले में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा अतिक्रमण

2818. **श्री सामिनाथन :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री मयावन : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री दण्डपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 दिसम्बर, 1969 को लगभग 25 सशस्त्र पाकिस्तानी

राष्ट्रिकों का एक गिरोह भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर एक मील अन्दर तक घुस आया था तथा शिलांग में गोलपारा जिले में एक सीमाबर्ती गांव तक पहुँच गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत कुछ समय से पाकिस्तानी आक्रमणों और अतिक्रमणों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1965 से पूर्व ऐसी घटनायें हुई और जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच घोर संघर्ष हुआ ; और

(ङ) यदि हां तो इन घोर सघर्षों को उत्पन्न करने वाली ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). 31 दिसम्बर, 1969 को, लगभग 14/15 पाकिस्तानी अपराधी, जो भयानक अस्त्रों से सुसज्जित थे, गोलापारा जिले के सीमावर्ती तोल्ली ग्राम (थाना गोलकगंज) से 1000 गज़ तक भारतीय क्षेत्र के भीतर घुस आये और उन्होंने एक भारतीय नागरिक के घर में डाका डाला। वे 1600 रुपये नकद, एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक तथा कुछ कारतूस लेकर पाकिस्तान भाग गये। उचित स्तर पर कड़े विरोध पत्र भेज दिये गये हैं तथा चुराई गई सम्पत्ति को बरामद करने के प्रयत्न जारी हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) इस प्रकार की घटनाएं कभी-कभी हो जाती हैं परन्तु ये छुट-फुट तथा स्थानीय स्वरूप की हैं।

(ङ) सीमा सुरक्षा दल सीमा पर निरन्तर निगरानी बनाये हुए है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित तथा कड़ी गश्त लगाई जा रही है। सीमा पर अपराधों को रोकने के लिए सैक्टर कमाण्डर तथा अन्य स्तरों पर सीमा-सभायें नियमित रूप से होती रहती हैं।

Indian Prisoners in Portugal

2819. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the present number of Indian prisoners in the Portuguese Jails and among them of those, who are freedom fighters of Goa ;

(b) whether there is any Portuguese prisoner in the jails of the Government of India and, if so, the details thereof ; and

(c) the number of those prisoners in the jails of the Government of India, who were in the employment of the former Goa Government and who were opposed to the Goan freedom struggle ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) One-One.

(b) One—Father Sebastian Monteiro—Though he is a Goan, he has retained his Portuguese nationality by making a declaration—He has been sentenced u/s 14 of Foreigners Act.

(c) Nil.

बम्बई में अमरीकी छात्रों के नेता का पीछा करना

2820. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यू० एस० स्टुडेंट्स मोबिलाइजेशन कमेटी' के नेता मि० एलन मेयर्स, वियतनाम में युद्ध समाप्त कराने के सम्बन्ध में जनवरी, 1970 के तीसरे सप्ताह में भारत आये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जैसा कि 21 जनवरी 1970 के 'पेट्रिअट' में समाचार प्रकाशित हुआ था—बम्बई नगर में मि० मेयर्स की गतिविधियों का एक निजी कार द्वारा, जिसमें चार व्यक्ति थे, उसी समय से पीछा किया जा रहा था जब से वह 17 जनवरी, 1970 को बम्बई पहुँचे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जैसा कि 'पेट्रियट' के उक्त अंक में प्रकाशित हुआ था—जब वियतनाम सोलिडेरिटी कमेटी जो मि० मेयर्स की मेजमान थी, ने कार में बैठे व्यक्तियों को चुनौती दी तो उन्होंने अपना परिचय देने से इन्कार कर दिया ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी तथा उस कार में बैठे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सरकार ने समाचार देखें हैं किन्तु उनके पास इस संबंध में कोई अन्य सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बारे में रहस्य

2821. **श्री मीठालाल मीना :** **श्री दे० अमात :**
श्री अ० दीपा : **श्री मुत्तुस्वामी :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1970 की साप्ताहिक पत्रिका 'आर्गनाइजर' के पृष्ठ 5 में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया है कि भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकन्द में रहस्यमय मृत्यु कुछ अज्ञात कारणों से हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 16 फरवरी, 1966 और 22 अप्रैल, 1966 को विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों और 24-8-1966 को उनके द्वारा दिये स्पष्टीकरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है । श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु से सम्बन्धित परिस्थितियों का पहले ही विस्तार से स्पष्टीकरण कर दिया गया है तथा किसी जांच के लिए कोई औचित्य नहीं है ।

सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले अधिकारियों का सरकारी सेवा में सेवा काल बढ़ाना

2822. **श्री अदिचन :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विशेषत: स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रत्येक निदेशालय तथा प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय, और प्रत्येक सम्बद्ध कार्यालय में प्रशासनिक कार्य करने वाले ऐसे कितने अधिकारी हैं जो सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पार कर चुके हैं और सेवाकाल बढ़ाये जाने के कारण अभी तक सेवा में हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में सेवा काल बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं जब कि वे पूर्णत: प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या बेरोजगारी तथा सरकारी कार्यालयों में नीचे के संवर्गों में गतिरोध के कारण युवकों में बढ़ते हुये असन्तोष को ध्यान में रखते हुए ऐसे सब अधिकारियों को तुरन्त सेवानिवृत्त करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप गृह मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) चूंकि सेवा-काल में वृद्धि निश्चित अवधि तक के लिए लोक हित में की जाती है अत: इन वृद्धियों को तुरन्त समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Existence of a Separate Astrological Moon

2823. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the steps taken by Government to give correct information to the public against the false propaganda of existence of a separate astrological moon and threats of the contrary effect of the stars by the astrologers due to fall in their earnings consequent on the landing of man on the moon ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : The Government are not aware of any false propaganda regarding the existence of a separate astrological moon. The question of taking any steps to give correct information in this regard to the public, therefore, does not arise.

Complaint Against Writer of an Article in Saptahik Hindustan

2824. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take action against the writer of the article under the caption 'Pahle ati thi hale dil pe sharam' which appeared in the Saptahik Hindustan dated the 5th November, 1967 for writing the article on behalf of his 'boss' for publication in magazines and against his 'boss' who got his personal work done by a Government employees ;

(b) whether it is a fact that the said writer got promotion for doing the personal work of his 'boss' as indicated by the writer in the said article ;

(c) whether it is also a fact that the said boss got his thesis for the Ph.D. written from one of his subordinates and secured the Ph.D. degree and also got promotion on the basis of the said degree ;

(d) whether it is further a fact that the said officer allots the translation jobs to his relatives and intimates ; and

(e) the post on which the said person was working and the pay scale thereof before his entering the Central Government Service ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir. The article was of a purely literary nature and the characters mentioned therein were imaginary.

(b) Promotion in the two organisations—Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology are made in accordance with the prescribed recruitment rules through the Departmental Promotion Committee. The question of anybody getting undue promotion does not arise.

(c) to (e). Since the characters are all imaginary, the questions do not arise.

उग्र वामन्थियों की छापामार गतिविधियों तथा साम्प्रदायिक गतिविधियों में वृद्धि

2825. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उग्रवामपन्थियों की छापामार गतिविधियों तथा साम्प्रदायिक गतिविधियां हाल में बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह कहना सही नहीं है कि हाल के महीने में उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साम्प्रदायिक घटनाओं का होना अभी जारी है।

(ख) और (ग). उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कुछ बड़े साम्प्रदायिक दंगों की जांच केन्द्रीय तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों द्वारा की जा रही है। रांची-हटिया तथा जैनपुर-सुचेतपुर दंगों के बारे में साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित जांच आयोग प्रतिवेदन सदन के पटल पर पहले ही रख दिये गये हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों तथा जामिया-मिलिया इस्लामिया में प्रवेश

2826. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** :
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली के कालेजों में प्रवेश पाने के लिए कितने छात्रों ने आवेदन-पत्र दिये तथा कितने छात्रों को प्रवेश मिला ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली के वर्तमान कालेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश नहीं मिल सकता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के असहयोगकारी रवैये से समस्या अधिक गंभीर हो गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जामामिलिया इस्लामिया के अधिकारियों की साम्प्रदायिक भावना तथा गैर-मुस्लिम छात्रों के प्रति उनके असहिष्ठ रवैये के कारण उस संस्था में बहुत ही कम छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कालेज शिक्षा के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु दिल्ली के वर्तमान कालेजों तथा संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) चूंकि विश्वविद्यालय ने प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों का एक ही स्थान पर पंजीकरण नहीं किया इसलिये इस संबंध में कोई कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र दिये थे। विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में 17581 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार, इस समय कालेजों में जितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की क्षमता है, अगले वर्ष प्रवेश की मांगें उससे बहुत आगे बढ़ने की संभावना है।

(ग) जी नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का रवैया असहयोग का नहीं है।

(घ) जी नहीं, जाति या धर्म का विचार किये बिना सभी जातियों के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(ङ) यह मामला दिल्ली विश्वविद्यालय एवं दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किराये में वृद्धि

2828. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन एयरलाइन्स किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितने प्रतिशत बढ़ाया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

Awards Won by Trainees of Maharani Laxmibai Physical Training School Gwalior

*2829. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state the details of the awards won by the trainees of the Maharani Laxmibai Physical Training Institute, Gwalior in the All India Sports Competitions held during last year and in the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : The details of the awards won by the students of the Lakshmibai College of Physical Education, Gwalior during 1968-69 and 1969-70 are as under :

1968-69

(i) The College athletes won Inter- University Championship.

(ii) Shri R. Rajagopalan set Inter-University Record in 400 Meters hurdles race.

(iii) Men's team equalled 4×400 Meters Relay Record.

(iv) Shri V.S. Chauhan and Shri R. Rajagopalan were declared National Decathlon Champion and top hurdler in the country respectively.

(v) Shri V. S. Chauhan was appointed Captain of the Combined Universities team for All India Open Athletic Meet at Bangalore.

(vi) Shri R. Jayaraman and Miss Ciciliamma Joseph won National Awards in Physical Efficiency.

1969-70

(i) The College team was runners up in West Zone Inter-University *Football* Tournament.

(ii) Shri Tejpal Singh and Miss P. Joseph won National Awards in Physical Efficiency.

विदेश जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद्-सदस्यों का नामनिर्देशन

2830. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजे जाने वाले विभिन्न शिष्टमंडलों/सद्भावना शिष्टमंडलों में सरकार द्वारा संसद् सदस्यों के नाम-निर्देशन के संबंध में किन सिद्धान्तों प्रक्रियाओं तथा कसौटियों का अनुसरण किया जाता है ;

(ख) इन शिष्टमंडलों, सद्भावना शिष्टमंडलों के लिए सदस्यों का चुनाव कौन करता है ; और

(ग) किसी विशिष्ट शिष्ट मंडल के सदस्यों को सरकार द्वारा किस हद तक हिदायतें दी जाती है तथा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत उनको (1) अपनी ओर से, (2) सरकार की ओर से तथा (3) भारत की जनता की ओर से बोलना पड़ता है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) विदेशों में भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों/सद्भावना शिष्टमंडलों और सम्मेलनों के लिये संसद्-सदस्यों के नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में सिद्धान्त, प्रक्रिया तथा कसौटियां उन शिष्टमंडलों/सद्भावना शिष्टमंडलों और सम्मेलनों के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं ;

(ख) संसद्-सदस्यों का चुनाव शिष्टमंडलों आदि को भेजने वाले मंत्री महोदय संसद्-कार्य मंत्री की सलाह से करते हैं ; और

(ग) शिष्टमंडलों/सद्भावना शिष्टमंडलों और सम्मेलनों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यदि अवश्यक है तो, हिदायतें देने की व्यवस्था सम्बन्धित मंत्री करते हैं ।

राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार के विरुद्ध पर्चे

2831. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री शशि भूषण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर राष्ट्रपति पद के लिये कांग्रेसी उम्मीदवार, श्री संजीव रेड्डी के विरुद्ध अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित अश्लील पर्चे के लेखकों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जांच का क्या परिणाम निकला तथा किस प्रकार की जांच की गई और क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). उक्त मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है ।

काश्मीर में गांधी स्मारक

2832. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1946 में श्रीनगर के गोल बाग मैदान में महात्मा गांधी की भस्मि को समाधिस्थ किया गया था ;

(ख) क्या काश्मीर सरकार ने भस्मि के ऊपर एक भव्य स्मारक बनाने का वचन दिया था ;

(ग) क्या श्रीनगर नगरपालिका उस स्थान पर राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की स्मृति में स्मारक बनाने की बजाये उस नगर का कूड़ा कचरा फेंकने के जिये इस्तेमाल कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप गृह-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जम्मू व काश्मीर सरकार ने जिनसे परामर्श किया गया था, सूचित किया है कि महात्मा गांधी की भस्मि गोल बाग, श्रीनगर में चिनार के छः पेड़ों से घिरे हुए एक उचित चबूतरे पर 1943 में समाधिस्थ की गई थी । ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिसमें यह प्रकट हो कि राज्य सरकार ने इस स्थल पर एक स्मारक बनाने का निश्चय किया था किन्तु, वर्तमान राज्य सरकार ने उस स्थान पर एक यथोचित स्मारक खड़ा करने का निश्चय किया है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में लगभग 200 कमरों वाली इमारत

2833. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री वि० नरसिम्हाराव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले अशोक होटल के हित की रक्षा करने के लिये चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में लगभग 200 कमरों वाली इमारत के बारे में नई दिल्ली नगर-पालिका तथा एक गैर सरकारी होटल मालिक के बीच वार्ता के समय हस्तक्षेप किया था ;

(ख) क्या इस इमारत को किराये पर देने का निर्णय अन्तिम रूप से कर लिया गया है और यदि हां, तो अशोक होटल के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी ; और

(ग) इस इमारत को किराये पर देने के बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ज्ञात हुआ है कि भवन को किराये पर लेने के लिये प्राप्त हुये प्रस्तावों पर अभी नई दिल्ली नगर-पालिका विचार कर रही है ।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

2834. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् ने, जिसकी बैठक गत जनवरी में हुई थी, दक्षिण के राज्यों में उच्चशिक्षा प्राप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधाओं के युक्तिकरण के लिये एक तथ्य अन्वेषी समिति की स्थापना करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसी समिति की स्थापना की है और यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । समिति औषध, इन्जीनियरी तथा प्रदेश के दूसरे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण के समन्वय के प्रश्न का निरीक्षण करेगी । समिति के कर्मचारियों के विषय में संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

श्री मोदी को पद्म विभूषण प्रदान करना

2835. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा श्री चरण सिंह ने मोदीनगर के श्री मोदी को पद्म विभूषण उपाधि देने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को केवल इस सिफारिश के आधार पर स्वीकार कर लिया था ;

(ग) क्या सरकार ऐसी सभी सिफारिशों को स्वीकार किया करती है ; और

(घ) क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने श्री मोदी को पद्म विभूषण इस लिये दिया क्योंकि वह शासक कांग्रेस के समर्थक हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पद्म पुरस्कार देने की विधि लोक सभा में 16 मई, 1969 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 1753 तथा 1 अगस्त, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1749 के उत्तर में बताई गई थी। जैसा कि उनमें बताया गया था विभिन्न समर्थक प्राधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है किन्तु, यह स्वाभाविक ही है कि इन सभी सिफारिशों को स्वीकार करना सम्भव नहीं। यह मुख्य-मन्त्रियों द्वारा की गई सिफारिशों पर भी लागू होता है। पद्म पुरस्कार को प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कार्य-विधि, चुनने का ढंग और उनके सिद्धांत गुप्त स्वरूप के हैं और उन व्यक्तियों के नाम प्रगट करना जिनकी पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई अथवा जिनपर विचार किया गया या उन व्यक्तियों के अथवा प्राधिकारियों के नाम प्रगट करना जिन्होंने व्यक्ति विशेष नामों का समर्थन किया, सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(घ) व्यक्तियों के राजनैतिक विचार तथा लगाव पद्म पुरस्कार प्रदान करने के आधार नहीं हैं। सम्बन्धित व्यक्ति के कार्य-क्षेत्र में उसकी विशिष्ट सेवा की मान्यता के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। श्री मोदी को सन् 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार उद्योग तथा लोकोपकारी क्रियाकलापों में उनके योगदान के लिए दिया गया।

विशाखापत्तनम में चक्रवात (साइक्लोन) की चेतावनी देने वाला राडार चालू करना

2836. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी, 1970 के महीने में विशाखापत्तनम में चक्रवात (साइक्लोन) की चेतावनी देने वाला कोई राडार चालू किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, हां। डालफिंस नोज, विशाखापत्तनम, में एक चक्रवात चेतावनी राडार के संस्थान का कार्य 14 जनवरी, 1970 को पूरा हो गया।

बम्बई अधिवेशन में भाग लेने वाले केन्द्रीय मंत्री

2837. **श्री पीलु मोदी** :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा वें० नायक :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले केन्द्रीय मन्त्रियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) मन्त्रियों के साथ गये निजी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे खर्च का ब्यौरा क्या है जो मन्त्रियों तथा उनके निजी कर्मचारियों पर यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता आदि के रूप में राजकोष से खर्च किया गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपगृह-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2647/70]

तस्कर व्यापारियों द्वारा बम्बई के निकट इस्तेमाल में लाई जाने वाली हवाई पट्टी

2838. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री अदिचन :
श्री कंवरलाल गुप्ता :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पनवेल (कोलावा जिला महाराष्ट्र) में खरपडा के निकट अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों द्वारा निर्मित एक अनधिकृत हवाई पट्टी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इसे तथा पास के दुर्गम-क्षेत्रों को दृष्टि में रखते हुए तस्करी-विरोधी कार्यों के लिए पुलिस को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इस अनधिकृत हवाई पट्टी के निर्माण के मामले में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जांच करने पर बम्बई में ऐसी किसी हवाई पट्टी का पता नहीं चला है ।

काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों तथा तोड़-फोड़ करने वालों की कार्यवाहियां

2839. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो पाकिस्तानी एजेंटों को काश्मीर घाटी के टिटवाल क्षेत्र में एक सैनिक महत्व के पुल को उड़ाने का प्रयास करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तानी तोड़-फोड़ कर्त्ताओं ने ऐसे कितने प्रयास किए और उनके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) पाकिस्तानी एजेंटों तथा तोड़-फोड़ कर्त्ताओं को भारत में प्रवेश न करने देने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तथा कर रही है तो क्या ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस संकेत की कोई सूचना नहीं है कि गत तीन वर्षों में कोई ऐसा प्रयत्न किया गया था ।

(ग) सरकार इस मामले में सजग है और जहां आवश्यक होता है कानून के अधीन कार्यवाही की जाती है।

गंगानगर, राजस्थान में कर न देने के सम्बन्ध में अभियान

2840. **श्री नंजा गौड :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री घो० ना० देव :
श्री रा० वें० नायक :
श्री समर गुह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिले के विभिन्न भागों में कर न देने के सम्बन्ध में अभियान चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्दोलन में कई व्यक्ति मारे गए थे तथा कई अन्य गम्भीर रूप से आहत हुए थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार किसान-संघर्ष समिति ने 3 नवम्बर, 1969 को गंगानगर जिले में आन्दोलन आरम्भ किया जिस में अन्य बातों के साथ यह भी मांग की गई कि नहर परियोजना क्षेत्र की भूमि को नीलाम नहीं किया जाना चाहिए। यह भूमि, भूमि-हीन व्यक्तियों को दी जाय और लगान में की गई वृद्धि तथा वाणिज्यिक फसलों पर लगाये गये सुधार शुल्क वापस लिए जाएं।

(ख) 7 जनवरी, 1970 को अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को गंगानगर जिले के संगारिया और भद्रा जैसे स्थलों पर गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप 6 व्यक्ति मारे गये और 31 घायल हुए।

(ग) राज्य सरकार ने इस घटना की जांच कराने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की है।

श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना

2841. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर में हुए राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन में जो सिफारिशें की गई थीं उनको क्रियान्वित करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के मामले में प्रगति बताने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—2848/70]**

विदेशों में कार्य कर रहे इंजीनियर

2842. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय इंजीनियर तथा वैज्ञानिक विभिन्न देशों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो देशवार उनकी संख्या कितनी है तथा उन इंजीनियरों और दूसरे वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने उन देशों की नागरिकता अपना ली है ; और

(ग) क्या भारत सरकार को उनकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर, 1968 में लगभग 10,000 से लेकर 12,500 तक इंजीनियर और 4000 से लेकर 5000 तक वैज्ञानिक विदेशों में थे । इस बात की जानकारी नहीं है कि उनमें से कितनों ने उन देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है, जहां वे रहते हैं ।

(ग) यह अनुमान ठीक नहीं है । सरकार ने, इंजीनियरों सहित, भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों के भारत लौटने को सुविधाजनक बनाने तथा उनकी सेवाओं का देश में उपयोग करने के लिए, कुछ कदम उठाए हैं, जो संलग्न विवरण में दिए हुए हैं ।

विवरण

(क) वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों का भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलिजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण ।

(ii) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्य पदों का निर्माण जिनके लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है ।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलिजिस्टों को जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'वैयक्तित्व सम्पर्क के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गये हैं । संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलिजिस्टों का विदेशों में इन्टरव्यू लेने की व्यवस्थाएं भी कर ली हैं ।

(iv) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलिजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिए

तथा उनके नामों की सभी मन्त्रालयों, भारत सरकार के विभागों राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा बृहत प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण। ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(v) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था जो कि भारत में अनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक का करने को तैयार होंगे।

(ख) वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नौकरी की सुविधा में सुधार लाने के लिए जो कुछ उपाय किये गये, वे नीचे दिये गये हैं :

(1) वैज्ञानिकों को योग्यता पर पदोन्नति तथा योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती है।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के ऊपर वैज्ञानिक 'सी' के स्तर तक (700 से 1250 रु०) अगले ऊंचे पद के लिए पांच वर्षों में एक बार वैज्ञानिकों की योग्यता आंकी जाती है।

(3) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के बाहर भी शिक्षा वृत्तियां दी जाती हैं।

(4) वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान देना।

(5) विश्वविद्यालयों की चौथी योजना की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विशिष्टाओं विश्वविद्यालय विभागों में वरिष्ठ कर्मचारियों के पद निर्मित करने के वास्ते सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। प्रयोगशाला के और विकास तथा विशिष्ट उपस्कर की खरीद समेत अन्य सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कार्य। अनुसंधान के लिए अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

(6) विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सावधानी से चुने गये विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विभागों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था करना और केन्द्रों में कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना है,

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी सुधार किया है जिनसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के आकर्षित होने तथा वहां बने रहने की सम्भावना है।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण व्यवसाय के प्रति उच्च बौद्धिक योग्यता वाले पुरुषों और स्त्रियों को काफी अनुपात में आकर्षित करने के महत्व पर निरन्तर बल देता रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के अलावा, शिक्षण व्यवसाय में अनिवार्य सुविधाओं तथा प्रेरणाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये गये हैं। अनुसंधान तथा विद्वतापूर्ण कार्य, अध्यापकों के विनिमय, देश में उच्च अध्ययन में अनुसंधान के केन्द्रों का दौरा करने के लिए यात्रा अनुदानों के लिए और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

पंजाब में पुनर्गठन के समय चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाने के बारे में अदालती मामला

2843. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य के पंजाब और हरियाणा दो भागों में बांटे जाने के बाद, चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाये जाने के बारे में न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). चण्डीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाने से सम्बन्धित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 4 और अधिनियम की कुछ अन्य धाराओं की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय में 1969 की रिट याचिका संख्या 1013 में चुनौती दी गई थी। प्रार्थी ने चण्डीगढ़ के बारे में "शाह आयोग" के प्रतिवेदन को पूर्णतः कार्यान्वित करने का भी निवेदन किया था। उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी, 1970 को याचिका खारिज कर दी।

क्षति के बारे में मधु लिमये द्वारा मुकदमा

2844. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मधु लिमये संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री तथा 10 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुक़दमा किया था जिसमें 6 नवम्बर, 1968 को लखीसराय में अपनी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये की क्षति का दावा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). ऐसा कोई समाचार नहीं है कि मधु लिमये ने प्रधान मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था जिसमें 6 नवम्बर, 1968 को लखीसराय में अपनी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये की क्षति का दावा किया था। किन्तु, प्रधान मंत्री और गृह मन्त्री को श्री मधु लिमये की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त हुए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि लखीसराय में 6 नवम्बर, 1968 को गलत और द्वेषपूर्ण गिरफ्तारी और 6 नवम्बर, 1968 से 25 नवम्बर, 1968 तक उसके अवैध तथा गलत बन्दी-करण के लिए क्षति के रूप में 20,000 रुपये की राशि के लिए सब-जज, फर्स्ट कोर्ट, मुंगेर के न्यायालय में एक मुकदमा दायर करने का उनका इरादा है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार न्यायालय में मुकद्दमा वास्तव में 5 नवम्बर, 1969 को दायर किया गया है और अभी लम्बित पड़ा है।

राजौरी गार्डन नई दिल्ली, में संगत सिंह द्वारा आत्मदाह

2845. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जनवरी, 1970 को राजौरी गार्डन नई दिल्ली में अपने गुरु सन्त सुजान सिंह की जलती चिता में कूद कर अधेड आयु के एक सिख संगत सिंह ने आत्मदाह कर लिया था ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां। हौज काजी, दिल्ली के सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जांच की गई थी। जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार मृतक अपने गुरु में अपार विश्वास के कारण भावनाओं के वशीभूत हो गया था और जलती चिता में कूद पड़ा और स्थिति ऐसी हो गयी थी कि उसे बचाया न जा सका।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में जाली डालर बनाने का मामला

2846. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री गाडिलिगन गौड़** :
श्री के० रामानी : **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी के महीने में मद्रास में कुछ व्यक्ति जाली डालर बनाने के मामले में गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना तामिल नाडु राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्राथमिक इंजीनियरी डिग्री कोर्स की अवधि

4847. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री ई० के० नायनार** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० पी० एस्थोस** :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अब यह निश्चय किया है कि कोर्स को पूरा करने के लिए सभी प्राथमिक इंजीनियरी डिग्री कोर्सों की समयावधि पांच वर्ष होनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान समूचे भारत में चार वर्षीय डिग्री कोर्स की मान्यता को समाप्त करने की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केरल विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय इंजीनियरी कोर्स 1966 में चालू किया था ;

(घ) यदि हां, तो वहां से कितने डिग्री धारी स्नातक उत्तीर्ण होने की संभावना है ; और

(ङ) क्या सरकार कोर्स पूरा करने के लिए अगले तीन वर्षों तक चार वर्ष की अवधि रखने के बारे में विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की है कि इंजीनियरी के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि पांच वर्ष की रहनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के विचारार्थ भेज दी है और आशा है कि हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की व्यापक रुचि के कारण, उन सभी के द्वारा इस सिफारिश को मान लिया जायेगा जो इससे सम्बन्धित हैं ।

(ख) चार वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की गई डिग्रियों को भी वरिष्ठ पदों तथा सेवाओं की भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) 1966 में किये गये दाखिलों के अनुसार, लगभग 770 छात्रों की इस वर्ष डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा की जाती है ।

(ङ) (क) और (ख) के अन्तर्गत स्पष्ट की गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

सूती हथकरघा कपड़ों के विमान भाड़े में रियायत

2848. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री प० गोपालन : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर मालाबार वाणिज्य मंडल, कन्नानूर (केरल) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सूती हथकरघा कपड़ों को विमान भाड़े में रियायत देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रियायत देने का है ;

(ग) यदि हां, तो इसे कब से लागू किये जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). देशीय माल वहन के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने पहले से ही विभिन्न सैक्टरों पर, जिनमें कोचीन और बंगलौर को और वहां से होने वाले परिचालन शामिल हैं, विशेष 'थोक' और "माल-विशेष' (बल्क एण्ड कामोडिटी) भाड़े लागू किये हैं। ये माल भाड़े की दरें सब वस्तुओं पर लागू हैं। कुछ मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स 'माल-विशेष' अथवा 'थोक माल' पर मूल माल भाड़े में 40-50% तक छूट भी देता है। रियायती 'थोक' भाड़ों और 'माल-विशेष' भाड़ो को एक दूसरे के साथ और मूल माल भाड़ों के साथ जोड़ा जा सकता है।

भारत पर्यटन निगम द्वारा कुछ हवाई अड्डों पर गाड़ी खड़ी करने की (पार्किंग) फीस का एकत्र किया जाना

2849. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम देश के कुछ हवाई अड्डों पर उन लोगों से गाड़ी खड़ा करने की फीस तक एकत्र करता है जो वहां आते हैं ; और

(ख) क्या गाड़ी खड़ी करने की जगहों को ठेके के आधार पर निगम को दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम दिल्ली विमान-क्षेत्र पर एक 'पार्किंग स्थल' का संचालन कर रहा है। 'पार्किंग' क्षेत्र में प्रदान की गई सुविधाओं का उपयोग करने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लिया जाता है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम को 'पार्किंग क्षेत्र' नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा पट्टे पर दिया गया है।

दिल्ली प्रशासन के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

2850. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन (1) कार्यकारी सेवाओं तथा (2) लिपिक वर्गीय

सेवाओं के पृथक-पृथक 1,2,3 तथा 4 सभी ग्रेडों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के समय दिल्ली प्रशासन द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय के 12 सितम्बर, 1968 के ज्ञापन पत्र संख्या 10-28-68-इस्टैब्लिशमेंट (एस० सी० टी०) में उल्लिखित आरक्षण सिद्धान्तों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थायी पदों की संख्या कितनी है जिनपर कर्मचारियों को 12 सितम्बर, 1968 से स्थायी किया गया है तथा दोनों सेवाओं के पृथक-पृथक विभिन्न ग्रेडों में स्थायी पदों पर स्थायी किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) अन्य जातियों के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता की तुलना में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के ऐसे स्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ग). अन्य बातों के साथ-साथ उक्त ज्ञापन में गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/11/55-आर० पी० एस० दिनांक 22 दिसम्बर, 1959, तथा सं० 9/45/60-इस्टैब्लिशमेंट (डी) दिनांक 20 अप्रैल, 1961 का उल्लेख है जिनमें ग्रेड के स्थायी अधिकारियों की तुलना में ग्रेड के अस्थायी/स्थानापन्न अधिकारियों की वरिष्ठता नियत किये जाने की रीति बताई गई है। दिल्ली प्रशासन को सलाह दी गई है कि इन अनुदेशों का, जिन्हें दिल्ली प्रशासन (वरिष्ठता) नियम, 1965 में अपना लिया गया है जोकि 31-7-1965 से लागू हुए हैं, अनुसरण किया जाना चाहिए।

(ख)	लिपिकवर्गीय	कार्यकारी
ग्रेड I	8 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का कोई नहीं)	22 (3 अनुसूचित जातियों के)
ग्रेड II	—	—
ग्रेड III	—	—
ग्रेड IV	2 (अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति का कोई नहीं)	—

Gazetted Officers on Deputation in Andaman and Nicobar Islands

2851. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Gazetted Officers from the mainland working at present on deputation in the Andaman and Nicobar Islands ;

(b) the minimum and maximum period of deputation in respect of these Officers ;

(c) the number of Gazetted Officers sent back to mainland after the expiry of the period of deputation ; and

(d) the number of Officers who are still working on deputation even after the expiry of the period of deputation and the action Government propose to take to send them back to the mainland ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Sixty-two, Sir.

(b) The normal tenure of deputation of officers to the Andaman and Nicobar Administration is three years. The tenure may, however, be extended in individual cases in the public interest. No minimum period of deputation is prescribed.

(c) During the period from the 1st January, 1967 to the 9th March, 1970, fiftyfive Gazetted Officers have been reverted to their parent States/Departments, on completion of their deputation with the Andaman and Nicobar Administration.

(d) Ten. Efforts are being made to find suitable substitutes to replace the officers who have completed their tenure of deputation. However, one officer whose period of deputation had expired in October 1967, has filed a writ petition in Calcutta High Court against the order reverting her to her parent State, and matter is *sub-judice*.

Appointment of Lecturers in Degree College of Port Blair

2852. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the appointment of some of the Lecturers in the Degree College of Port Blair has not been regularised by the U. P. S. C. ;

(b) if so, the number of such Lecturers at present ;

(c) the number of Lecturers who have been removed from service on this account ; and

(d) the number of such Lecturers who have been appointed in other Divisions of the Education Department ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Union Public Service Commission was approached to select lecturers for the various posts, but they were not approached to regularise the ad-hoc appointments made. The latter candidates were free to apply against the U. P. S. C. advertisement.

(b) Two lecturers appointed on ad-hoc basis are still continuing.

(c) Two Lecturers who had been taken on deputation from the Punjab Government on ad-hoc basis have been reverted on being releived by U. P. S. C. selected candidates.

(d) One of the Lecturers appointed on ad-hoc basis has been selected for appointment as senior teacher under the Administration.

Manhandling of Press Correspondents and Photographers at Indraprastha Bhavan, New Delhi

2853. **Shri Bhogendra Jha :** **Shri Atam Das :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Press Correspondents and the photographers were anhandled mercilessly by the Police at Indraprastha Bhawan, New Delhi on the 19th September, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that a representative of the Samachar Bharati News Agency, New Delhi was also manhandled by the Police.

(c) whether it is further a fact that the said representative and some other Press correspondents have asked for compensation from Government ;

(d) whether the compensation has been paid to them ; if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). No reports regarding manhandling of the press correspondents and the photographers were received by the police. However, the Deputy Commissioner Delhi, who was asked to make inquiries into the happenings in and around Indraprastha Bhawan on 19th September 1968, reported that three pressmen who had received injuries in connection with the incidents in the Indraprastha Estate on 19th September 1968 be appeared before him. Besides, two other pressmen were reported to have sustained injuries. Shri Man Mohan Prasad, a journalist of Samachar Bharti is one of them.

(c) and (d). Following the incidents, the Government sanctioned ex-gratia grants to the injured persons. The following amounts have been paid to the Five pressmen :

	Rs.
(i) Shri A. R. Vij, Reporter of Hindustan Times.	1,000.00
(ii) Shri A. K. Sen, Chief Reporter of Hindustan Times.	250. 0
(iii) Shri B. B. Verma, Staff Photographer of National Herald.	250.00
(iv) Shri T. R. Chopra, Staff Photographer of Patriot.	250.00
(v) Shri Man Mohan Prasad, journalist of Samachar Bharati.	250.00

(e) Does not arise.

पटना विश्वविद्यालय का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना

2854. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से "केन्द्र द्वारा अपने हाथ लिये जाने का एक मामला" शीर्षक के अन्तर्गत एक ज्ञापन उनको प्राप्त हुआ है । जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ज्ञापन में उठाई गई बातों पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ?

(ख) ज्ञापन की प्रति संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2849-70]

(ग) और (घ). संस्था के सचिव को सूचित कर दिया गया है कि इस प्रकार के मामले पर, पहले पहल, राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना चाहिए और यदि प्रश्न पर भली भांति विचार करने के बाद, यदि राज्य सरकार, प्रस्ताव भेजती है, तो केन्द्रीय सरकार उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच कराने के लिए राजी हो जाएगी ।

प्राथमिक शिक्षा पद्धति में सुधार करना

2855. **श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री मयीवन :**
श्री सामिनाथन : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दण्डपाणि :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्टीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक डा० ए० वी० सी० अय्यर के प्राथमिक शिक्षा पद्धति में सुधार करने सम्बन्धी सुझावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). प्राथमिक शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । प्राथमिक स्कूलों में व्यर्थता और निष्क्रियता संबंधी सम्मेलन में भाषण देते समय, निदेशक ने कुछ सुझाव दिए थे। सुझावों में बिना कोटि के स्कूलों में न्यूनतम पाठ्यचर्या अपनाने तथा रेडियो आदि की व्यवस्था करने से संबंधित सुझाव शामिल थे । क्योंकि स्कूली शिक्षा का विषय, राज्य विषय है, इसलिए सुझावों पर राज्य सरकारों को ही विचार करना है । राष्टीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, राज्य सरकारों के सहयोग से एक सामान्य आधारभूत (कोर) पाठ्यचर्या तैयार कर रहा है। कुछ सुझावों को प्रायोगिक परियोजनाओं में आजमाइश करने का भारत सरकार का विचार है ।

मद्रास में सचेतकों का सातवां सम्मेलन

2856. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संसद्-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचेतकों का सातवां सम्मेलन 21 सितम्बर से लेकर 23 सितम्बर, 1969 तक मद्रास में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वालों का चुनाव करने के बारे में क्या कसौटी अपनाई गई है ;

(ग) भाग लेने वालों की दल-वार संख्या तथा नाम क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिहार विधान सभा के सचेतकों को भी आमंत्रित किया गया था ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सम्मेलन में बिहार का कोई सचेतक उपस्थित नहीं था ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां ;

(ख) संसद् से शासक दल के सरकारी उप-मुख्य सचेतकों और क्षेत्रीय सचेतकों तथा विभिन्न विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों को आमंत्रित किया गया था । राज्यों में, मुख्य मंत्रियों से सरकारी मुख्य सचेतकों और विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निवेदन किया गया था ;

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ; [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—2850/70]

(घ) जी, हां ;

(ङ) जी, हां ; और

(च) बिहार सरकार ने बताया चूंकि बिहार विधान मंडल उस समय निलम्बित था उन्होंने सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव नहीं किया ।

पश्चिम बंगाल गुजारा भत्ता विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति

2857. **श्री भगवान दास :** **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गुजारा भत्ता विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसे किस तारीख को भेजा गया था ;

(ग) क्या राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल गुजारा भत्ता भुगतान विधेयक, 1969 पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सचिव द्वारा 13 सितम्बर, 1969 को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया था ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी डिजाइन प्रतिभा का उपयोग न किया जाना

2858. **श्री भगवान दास :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री प० गोपालन : **श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के तकनीकी जनशक्ति विभाग द्वारा डिजाइन इंजीनियरों के उपयोग के बारे में किये गए अध्ययन से पता चला है कि देश में इंजीनियरी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). नवम्बर, 1969 के तकनीकी जनशक्ति बूलेटिन के अध्ययन से निम्नलिखित बातें निकलती है :—

(1) डिजाइन इंजीनियरों में से दसवां भाग उत्तर-स्नातक और बाकी के स्नातक डिग्रीधारी हैं ।

(2) प्राईवेट क्षेत्र के मुकाबले, सार्वजनिक क्षेत्र में चार-गुने से अधिक उत्तर-स्नातक व्यक्ति डिजाइन कार्य में नियुक्त किए गये मालूम पड़ते हैं ।

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइवेट क्षेत्र के डिजाइन इंजीनियरों को अच्छे वेतन मिलते हैं ।

(4) प्राईवेट क्षेत्र के डिजाइन इंजीनियरों का लगभग 40 प्रतिशत 30 वर्ष की आयु से कम के हैं और प्राइवेट क्षेत्र में इस आयु के डिजाइन इंजीनियर 30 प्रतिशत हैं ।

(5) यह भी ज्ञात हुआ है कि परियोजनाओं के पूरा होने पर, डिजाइन विभागों को समाप्त कर दिया जाता है और डिजाइन इंजीनियरों को ऐसे अन्य कार्यों पर लगा दिया जाता है, जिनका उनकी विशेषज्ञता से तनिक भी संबंध नहीं होता ।

(6) जनवरी, 1966 में प्रकाशित डिजाइन इंजीनियरों से सम्बन्धित इससे पहले अध्ययन से पता चलता है कि डिजाइन अनुभव वाले इंजीनियरों का केवल 50 प्रतिशत ही डिजाइन कार्य में लगा हुआ है ।

(ग) मंत्रालयों, सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों के उपक्रमों, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान संस्थाओं सहित, 2000 से अधिक संगठनों को उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिये यह बुलेटिन व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है ।

हरियाणा में आन्दोलन के समय सीमा-सुरक्षा बल का प्रयोग

*2859. **श्री भगवान दास :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली के "पेट्रियट" तथा बम्बई के "इकनामिक टाइम्स" 12 जनवरी, 1970 के संस्करणों में क्रमशः "पुरानी मंडली के विरुद्ध क्षोभ युवक वैज्ञानिक परेशान" तथा "युवक वैज्ञानिकों का पुराने वैज्ञानिकों के विरुद्ध विद्रोह" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). युवक वैज्ञानिकों की यदि कुछ शिकायतें हैं तो उन पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिये और उन्हें देश में अनुसंधान के विकास तथा संगठन में सक्रिय भाग लेने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य से केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा नियुक्त विज्ञान और तकनीकी समिति का विचार वैज्ञानिक संस्थाओं की कार्य-दशाओं तथा अनुसंधान एवं विकास और नियुक्ति के विषय में निर्णय देने वाली व्यवस्था तथा अनुसंधान कर्मचारियों की पदोन्नति और उनके उपयोग के विषय में अध्ययन करने का है। इसी बीच वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जूनियर वैज्ञानिकों के लिए योग्यतानुसार पदोन्नति तथा अग्रिम वेतन वृद्धि, जूनियर और सीनियर फैलोशिप देना वैज्ञानिक पूल तथा अच्छी अर्हता प्राप्त वैज्ञानिकों के लिए निर्दिष्ट सरकार से अधिक की व्यवस्था आदि अनेक उपाय अपनाये हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान संस्था अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडलों में युवक वैज्ञानिकों को ले रही है।

जिला धनबाद में पाया गया माओ-विरोधी साहित्य

2860. **श्री क० लकप्पा :** **श्री स० कुन्दू :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बिहार के धनबाद जिले सीतापुर में एक हवाई छतरी से बंधा हुआ कुछ माओ-विरोधी साहित्य पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या साहित्य उसके गन्तव्य स्थान को भेजा गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). बिहार सरकार

से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 जुलाई, 1969 को जिला धनबाद में सीतापुर के बन क्षेत्र में एक पेड़ पर फंसा हुआ एक पैरासूट पाया गया। के० एम० टी० समर्थक तथा माओ विरोधी प्रचार सामग्री वाली कुछ चीनी पर्चियां पाई गई थी।

इस सम्बन्ध में की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि ये गुब्बारे फारमोसा सरकार द्वारा चीन की मुख्य भूमि पर प्रचार सहित्य को गिराने के लिए प्रयोग में लाये गये मालूम होते हैं। और यह गुब्बारे हवा की तरंगों में फंस कर भारत की ओर उड़कर आ गये थे।

मोटर गाड़ियों के लिए आदर्श नियम

2861. **श्री सामिनाथन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री मायावन : **श्री दण्डपाणि :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आदर्श मोटर गाड़ी नियम तैयार किये हैं जिन्हें राज्यों में परिचालित कर दिया गया है ताकि राज्यों के नियमों में एकरूपता आये।

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदर्श नियमों की एक विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन आदर्श नियमों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो ये नियम राज्यों तथा केन्द्र के लिए किस सीमा तक सहायक होंगे ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). राज्य मोटर गाड़ी नियमों में एक रूपता के सुनिश्चयन के लिये इस मन्त्रालय द्वारा बनाये गये तथा परिवहन सलाहकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नमूने के मोटर गाड़ी नियम लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भेजे गये थे। तब से मोटर गाड़ी अधिनियमों 1956 और 1969 में किए गये विस्तृत संशोधनों सहित, कई बार संशोधित किया गया है। कुछ राज्य सरकारों ने भी स्थानीय हालतों के अनुसार इस अधिनियम को अपने क्षेत्रों में लागू करने के लिये संशोधित किया है। परिणामत: इस समय विभिन्न राज्यों के मोटर गाड़ी नियमों में एक रूपता का अभाव है।

अत: सब राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के मोटर गाड़ी नियमों में अधिकतम एक रूपता लाने की दृष्टि से उक्त नमूने के नियमों को पुनरीक्षित करने का निश्चय किया गया है। यह कार्य मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य स्रोतो से प्राप्त प्रस्तावों के जांच के लिये इस मन्त्रालय में स्थापित राज्य परिवहन नियंत्रकों/ आयुक्तों की एक विशिष्ट समिति को सौंपा गया है।

तूतीकोरिन पत्तन पर माल यातायात में वृद्धि

2862. **श्री के० रमानी :** **श्री पी० राममूर्ति :**

श्री नम्बियार : **श्री उमा नाथ :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन पर माल यातायात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन से निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में इस पत्तन से आय में कितनी वृद्धि हुई है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). बड़े पत्तनों के अलावा और पत्तनों का प्रशासन सम्बन्धित राज्य सरकारों पर निहित है । सूचना तामिल नाडु सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को दिया गया अनुदान

2863. **श्री के० रमानी :**
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री गणेश घोष :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 तथा 1969 में समाज सेवा अनुसंधान के लिये भारतीय समाजिक विज्ञान परिषद् के द्वारा कुल कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को अनुदान दिये गये ;

(ख) कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने उक्त परिषद् को अपनी रिपोर्ट पेश की है ; और

(ग) सरकार द्वारा कितनी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना 12 मई, 1969 को हुई थी और अनुसंधान परियोजनाओं के लिये इसके सहायक अनुदान सम्बन्धी नियमों को सितम्बर, 1969 में स्वीकृत किया गया था । अभी तक परिषद ने संलग्न सूची के अनुसार, 12 अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत किया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 2851/70]

(ख) और (ग). जब से परिषद् ने अनुदान देना हाल ही में शुरू किया है, किसी भी स्वीकृत परियोजना की रिपोर्ट देय नहीं हुई है ।

Goods Supplied by U. S. Government through C. A. R. E.

2864. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names and the quantity of goods supplied by the U. S. Government for free distribution through C. A. R. E. during the last three years ;

(b) the estimated cost of the said goods ;

(c) the names of the Indian institutions to which C. A. R. E. has supplied the goods received by it for free distribution and the quantity of goods given to each institution :

(d) whether Government have enquired if the said goods were distributed free of cost and were not utilised for some other purpose ;

(e) if so, the result thereof ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakat Darshan) : (a) and (b). Three statements are attached. [*Placed in Library. See* No. LT 2852/70].

(c) It is learnt that C. A. R. E. supplies the goods received under this Programme only to State Governments.

(d) The goods are distributed through feeding centres, which are supervised by State Government Departments. The State Governments are responsible to C. A. R. E. for the proper utilization of the foodstuffs received by them.

(e) and (f). Do not arise.

हैदराबाद में तेलंगाना प्रजा समिति का सम्मेलन

2865. **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री रा० वे० नायक :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धी० ना० देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11, जनवरी, 1970 को हैदराबाद में हुये तेलंगाना प्रजा समिति के दो दिन के सम्मेलन में की गई चर्चा की ओर दिलाया गया है जिसमें यह निर्णय किया गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार तेलंगाना समस्या का हल नहीं निकाल पाई तो समिति अपने अन्दोलन को बढ़ा देगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) सरकार ने तेलंगाना विवाद का पहले ही पुनरीक्षण किया है और इस क्षेत्र के लोगों से सम्बन्धित वास्तविक विवादों पर निर्णय किये हैं । 18 फरवरी, 1970 को एक प्रेस विज्ञप्ति में इन निर्णयों की घोषणा की गई थी जिसकी एक प्रति 6 मार्च, 1970 की अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में सदन के सभा पटल पर रख दी गई है ।

भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां

2866. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सी० आई० ए० द्वारा अपनी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए कुछ संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो वे संगठन कौन से हैं ; और

(घ) ऐसे संगठनों को बन्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के ध्यान में कोई ऐसी गतिविधियां नहीं आई हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

अत्यावश्क सेवायें संधारण अधिनियम को रद्द करने की मांग

2867. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे केन्द्रीय कार्मिक संघ ने अत्यावश्यक सेवायें संधारण अधिनियम को रद्द करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ;

(ख) अत्यावश्यक सेवाएं संधारण अधिनियम, 1968 एक अस्थायी कानून है जिसका उद्देश्य कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं तथा सामान्य सामुदायिक जीवन को बनाए रखने के लिए व्यवस्था करना है । सामुदायिक जीवन को बनाये रखना सरकार का परम कर्तव्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श व्यवस्था तथा अनिवार्य निर्वाचन को कानूनी आधार देने के लिए एक व्यापक विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं और उपर्युक्त विधान के अधिनियमन के पश्चात अत्यावश्यक सेवाएं संधारण अधिनियम, 1968 को रद्द कर दिया जाएगा ।

पर्थ से सिंगापुर जाने वाले बोइंग 707 विमान का मजबूरी में वापस आना

2868. **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री लखनलाल कपूर :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1969 को एयर इंडिया के एक बोइंग विमान को जो 144 यात्रियों को लेकर जा रहा था पर्थ सिंगापुर के लिये रवाना होने के बाद पुनः पर्थ वापस आने को मजबूर किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बम की आशंका के कारण पर्थ एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा विमान को वापिस पर्थ बुला लिया गया था, परन्तु वह आशंका बाद में एक धोखा सिद्ध हुई ।

कलकत्ता में नाविकों के राष्ट्रीय संघ को मान्यता देने सम्बन्धी विवाद

2869. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री पी० राम मूर्ति :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री गणेश घोष :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थिति नाविकों के राष्ट्रीय संघ को मान्यता देने सम्बन्धी कलकत्ता के नाविकों के विवाद के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा नोवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ?

(ख) कलकत्ता में एक अमान्यता प्राप्त नाविकों के संघ का कहना है कि पहले ही मान्यता प्राप्त संघ के स्थान पर इसे मान्यता मिलनी चाहिए ।

(ग) मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का खेल

2870. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट में दोनों भारतीय टीमें हार गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस विफलता के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में भारतीय टीम सुदृढ़ बनाने के लिये गम्भीरता से विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जनवरी, 1970 के दौरान बम्बई में हुई अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में भारतीय हाकी संघ द्वारा मैदान में उतारी गयीं दो भारतीय हाकी टीमें केवल तीसरा तथा चौथा स्थान प्राप्त कर सकीं थीं ।

(ख) स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार, यह प्रतियोगिता पहले लीग आधार पर खेली गयी और दोनों भारतीय टीमों ने प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इसके बाद बाहर हो जाने के (नोक-आऊट) आधार पर पहली चार टीमों के बीच मैच खेले गए । वरिष्ठ भारतीय दल (गहरा नीला) ने हालैण्ड के विरुद्ध खेल खेला था और इसका परिणाम यह हुआ कि खेल बिना गोल के समाप्त हो गया । फिर भी, 'टोस' के आधार पर हालैण्ड को विजयी घोषित किया गया था । दूसरे खेल में अवर भारतीय टीम (हल्की नीली) पश्चिम जर्मनी के विरुद्ध एक गोल से हार गयी । भारतीय हाकी संघ से प्राप्त हुई रिपोर्ट अखिल भारतीय खेलकूद परिषद को भेजी जा रही है ।

(ग) यह मामला मुख्यरूप से भारतीय हाकी संघ से सम्बन्धित है, जिससे अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा स्थापित की गयी हाकी समिति की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के हेतु उपयुक्त कदम उठाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। समिति ने भारत में खेल की गत परम्पराओं के अनुरूप हाकी में उच्च स्तर के विकास तथा रख रखाव के लिए अल्पकालिक उपाय और कुछ दीर्घकालिक उपायों की कोशिशों के रूप में कुछ कदम उठाए जाने के लिए सुझाव दिया है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में होटल

2871. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री न० कु० सोंधी : **श्री नारायणन :**
श्री मयावन : **श्री सामिनाथन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक तीन चार, पांच स्टार (तारे) आदि वाले वर्गवार कितने होटलों का निर्माण किया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित होटलों में राज्य-वार कुल कितने स्थान उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार ने चार तथा पांच स्टार (तारों) वाली श्रेणी के होटलों के वर्गीकरण पर पुनः विचार करने के लिए कोई नई समिति नियुक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). जी, हां। यह महसूस किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की अनुरूपता बनाये रखने के लिए चार और पांच स्टार वाले होटलों का मूल्यांकन कड़ी कसौटियों के आधार पर होना चाहिये।

जोगी गोपा (आसाम) में एक अन्तर्देशीय जल परिवहन पतन का निर्माण

2872. **श्री के० हाल्दर :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य में जोगी गोपा स्थान पर एक आधुनिक अन्तर्देशीय जल परिवहन पत्तन के निर्माण का विचार किया गया था ;

(ख) इस मद के अन्तर्गत अन्तिम रूप से कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या उक्त पतन के लिए अन्तिम रूप से नियत धन मूलतः नियत धन से कम था ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ङ) इस मद पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(च) उस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) और (ख). सरकार द्वारा मूल रूप से अनुमोदित लागत 160 लाख रुपये थी। फरवरी 1966 में योजना संशोधित की गई ताकि न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो सके। इसकी अनुमानित लागत 59·35 लाख रुपये थी।

(ग) जी हां।

(घ) कारण यह है कि सितम्बर 1965 में पाकिस्तान होकर असम को नदी मार्ग के बन्द हो जाने बाद यातायात के फलस्वरूप अनिश्चितता ध्यान में रखते हुए योजना के क्षेत्र को सीमित करना पड़ा था ताकि केवल न्यूनतम पतन सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

(ङ) मार्च 1969 तक मंजूर राशि 27·29 लाख रुपये है।

(च) भूमि अभिग्रहण तटाग्र भूमि को भरने के लिए मिट्टी भराई, कुछ कर्मचारी घरों और एक रेल स्पर जैसे कार्य के मद पूरे किये जा चुके हैं। पतन सुविधाओं के उपयोग के लिए जल पूर्ति सफाई और पहुंच मार्ग इत्यादि जैसे न्यूनतम सहायक सुविधाओं को पूरा करने के लिए चौथी योजना में 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने का अस्थायी प्रस्ताव हैं।

इंजीनियरी स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या की जिम्मेदारी

2873. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1970 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) के दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देते हुए बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० पी० बी० राजेन्दगड़कर ने कहा था कि इंजीनियरी स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या की जिम्मेदारी नीति बनाने वालों तथा योजना बनाने वालो पर है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अपने दीक्षांत समारोह के भाषण में डा० राजेन्द्रगड़कर ने यह नहीं बताया कि उनके विचार में इंजीनियरों में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं। उन्होंने केवल स्थिति का विश्लेषण ही किया और कहा कि ऐसा विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिनमें औद्योगिक-मन्दी, जनशक्ति अनुमानों में अविश्वसनीयता तथा ऐसे ही कारण सम्मिलित हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने स्थिति का सामना करने के कई साधन

अपनाएं हैं। ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक विकास तथा बड़ी संख्या में निवेश के बढ़ते हुए वेग से इंजीनियरों को रोजगारी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिये प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना

2874. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) के ग्राम तथा डाक घर चकरा के श्री एस० बी० सिंहा द्वारा 31 अक्तूबर, 1969 को प्रधान मन्त्री के नाम लिखे गये पत्र की ओर दिया गया है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के एक केन्द्रीय स्थान पर एक प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पत्र पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने की सम्भाव्यता का पता लगाने का है, जिसका सुझाव श्री एस० बी० सिंह ने दिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रस्ताव को, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए गठित कार्यकारी दल के सम्मुख रख दिया जाएगा।

पाकिस्तानियों का गैर-कानूनी रूप से भारत में ठहरना

2875. **श्री कंवरलाल गुप्ता :** क्या गृह-कार्य मंत्री 21 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) बिहार, जम्मू व काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों में अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है।

(ख) बिहार, जम्मू व काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों को छोड़कर सूचना का विवरण संलग्न है।

(ग) स्थानीय प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जानी है।

विवरण

तिथि तथा संदर्भ	विषय	उत्तर
1	2	3
21 नवम्बर, 1969 को लोक सभा में श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 819।	(क) 31 अक्तूबर, 1969 को भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों की कुल संख्या ;	(क) 30,749।
	(ख) ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या जिनके वीसा समाप्त हो गए किन्तु वे अभी भी भारत में रह रहे हैं ;	(ख) 11,045, जिन में से 6,500 पाकिस्तान में अल्प संख्यक समुदायों के सदस्य हैं।
	(ग) दिल्ली गुजरात, और बम्बई में ऐसे पाकिस्तानियों की संख्या ;	(ग) दिल्ली में 431, गुजरात में 1,488 और बम्बई में 584।
	(घ) पृथक रूप से आंकड़ों समेत उन पाकिस्तानियों की संख्या जो भारत में एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष से रह रहे हैं ; और	(घ) एक वर्ष से 704, दो वर्ष से 449 और तीन वर्ष से 298।
	(ङ) उनके ठहरने के कारण क्या हैं और उन्हें पाकिस्तान को वापिस भेजने के लिये की जाने वाली कार्यवाही क्या है ?	(ङ) लगभग 7,000 व्यक्तियों ने (पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों समेत) ठहरने की अवधि बढ़ाने अथवा भारतीय नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र दिये हैं। लगभग 700 व्यक्तियों ने दीवानी मुकदमें दायर किये हैं जो लम्बित पड़े हैं। लगभग 2,500 व्यक्ति लापता हैं, उन व्यक्तियों के बारे में, जो लापता हो गये हैं और अन्य, जो अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, कानून के अधीन

1	2	3
		पता लगाओ नोटिस, अभियोजन, विवासन आदि जैसी उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1969 तक देश में बुक किये गये किराये पर चलने वाले विमान

2876. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1969 तक देश में बुक किये गये किराये पर चलने वाले विमानों के बारे में *19* दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4630 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अब सूचना एकत्रित की जा चुकी है । विवरण संलग्न है ।

विवरण

15 नवम्बर से 25 नवम्बर, 1969 तक समस्त देश में बुक किये गये चार्टर्ड विमानों की संख्या	उन स्थानों के नाम जहां से विमान बुक किये गये तथा उन के गन्तव्य स्थान	यात्रियों के नाम व पते	प्रत्येक चार्टर विमान के लिए ली गई राशि	उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम व पते जिन्होंने भाड़े पर लिये विमानों के लिये किराये का भुगतान किया
4	1. कलकत्ता/ भैरवा/ कलकत्ता	यह चार्टर विमान गोरखे सिपाहियों को ले जाने के लिये था । उनके नाम व पते इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध नहीं हैं ।	760 पौंड	इस चार्टर की व्यवस्था ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा रायल नेपाल एयरलाइंस कारपोरेशन के माध्यम से की गई थी ।

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली/ काठमांडू) काठमांडू) दिल्ली)	यात्रियों की सूची संलग्न है। उनके पते इंडियन एयर-लाइंस के पास उपलब्ध नहीं हैं।	30,000 रु०	चार्टर की व्यवस्था रोटरी क्लब पार्टी के लिये मैसर्स ओरियन्टल ट्रैवल्स के माध्यम से की गई।
4.	हैदराबाद/ नागपुर	यात्रियों के नाम: 1. श्री केसरीमल 2. श्री रामचन्द्रजी 3. श्री रामकिशोर 4. श्री रामगोपाल 5. श्री पी० वर्मा 6. श्री सी० चुन्नीलाल इनके पते इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध नहीं हैं।	5,600 रु०	श्री राम किशोर सम्भारिया

रोटरी क्लब द्वारा किराये (चार्टर) पर लिये इंडियन एयरलाइंस के विमान पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची।

काठमांडू/दिल्ली सैक्टर

यात्री का नाम	यात्री का नाम
1. डा० सोनी	13. श्रीमती तलवार
2. श्रीमती सोनी	14. श्री पी० एन० सचदेव
3. श्री रानी सेठ	15. श्रीमती सचदेव
4. श्रीमती आर० सेठ	16. श्री ए० वी सांघी
5. श्री एस० अग्रवाल	17. श्रीमती सांघी
6. श्री डी० एन० वर्मा	18. श्री एस० एन० दीवान
7. श्रीमती वर्मा	19. श्रीमती दीवान
8. डा० एस० वी० लाल	20. श्री श्याम लाल
9. श्रीमती लाल	21. श्रीमती श्याम लाल
10. श्री डी० आर बेरी	22. श्री एच० के० अहूजा
11. श्रीमती बेरी	23. श्री आर० दयाल
12. श्री तलवार	24. श्रीमती आर० दयाल

25. श्री ओ० पी० गुप्ता
26. श्रीमती ओ० पी० गुप्ता
27. श्री एच० सिंह
28. श्रीमती एच० सिंह
29. कविराज ए० मजूमदार
30. श्री दिनोदिया
31. श्रीमती दिनोदिया
32. श्री जे० कपूर
33. श्रीमती कपूर
34. श्री जे० कपूर
35. श्रीमती कपूर
36. श्री ओ० पी० जलानी
37. श्रीमती जलानी
38. श्री एस० नाथ
39. श्रीमती एस० नाथ
40. श्री जी० एम० चमनलाल
41. श्रीमती चमन लाल
42. श्री श्याम गुप्ता
43. श्रीमती एस० गुप्ता
44. श्री के० एल० बालूजा
45. श्री एस० अग्रवाल
46. श्रीमती एस० अहूजा
47. श्री भासवलन
48. डा० बथीजा

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा अपने उप-मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप

2877. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री सूरज भान :
श्री बंश नारायण सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने उप-मुख्य मंत्री पर गोयनीयता की शपथ का उल्लंघन करते हुए राज्य की गुप्त जानकारियों को प्रकाशित करने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस मामले पर विधि मंत्रालय का कानून सम्मत विचार क्या है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने मुख्य मंत्री के उस अर्धशासकीय पत्र की एक प्रति भेजी है जो उन्होंने उप-मुख्य मंत्री को लिखा था । पत्र में मुख्य मंत्री ने उप-मुख्य मंत्री द्वारा राज्य मंत्रीमंडल की कार्रवाई, उप-मुख्य मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री को लिखे गये गुप्त नोट दोनों के गोपनीय विचार-विमर्श तथा अन्य तथ्यों के बारे में, जिसका जनता को कोई ज्ञान नहीं था, जानकारी प्रकट करने का उल्लेख किया था ।

(ग) और (घ). मुख्य मंत्री ने पत्र में आगे कहा है कि उप-मुख्य मंत्री द्वारा प्रकट की गई बातों के वैधिक आशयों की परीक्षा की जा रही है ।

शान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के भवन का गिर जाना

2878. **श्री मधु लिमये :** **श्री देवेन सेन :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांताक्रूज हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के भवन के गिर जाने का क्या कारण था ;

(ख) इससे कितनी जन तथा सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ग) इस भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार कौन थे ;

(घ) क्या इस बारे में किसी प्रकार की जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जांच रिपोर्टों से पता चलता है कि इमारत की दूसरी मंजिल के स्लैब के आधार के रूप में प्रयुक्त होने वाले अपर्याप्त तथा असुरक्षित संकेन्द्रण के कारण यह इमारत गिरी ।

(ख) सात व्यक्ति मरे तथा 26 घायल हुए जिनमें से दस गम्भीर रूप से घायल हुए । एयर इण्डिया को सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए इमारत के उस भाग के सम्बन्ध में ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया था :

(ग) मैसर्स चमुण्डी कंस्ट्रक्शन कम्पनी ।

(घ) इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में सुनते ही मैंने तुरंत आदेश दिया कि नागर विमानन विभाग के एक प्रवर अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाये । एयर इण्डिया ने भी एक विभागीय जांच समिति स्थापित की है और विशाल बम्बई के म्यूनिसिपल कमिशनर ने मामले की जांच करने के लिये स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ।

(ङ) एयर इण्डिया द्वारा स्थापित समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि संकेंद्रण में खराबी के लिये ठेकेदार ही मुख्यतया उत्तरदायी था । एयर इण्डिया के सलाहकारों की फर्म का इंजीनियर भी इसके लिये दोषी ठहराया गया । म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा स्थापित की गई समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

पटना हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2879. **श्री मधु लिमये :**
श्री बाबुराव पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह समाचार मिला है कि पटना हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइंस का एक विमान भीषण दुर्घटना ग्रस्त होते-होते बाल-बाल बचा ;

(ख) क्या सरकार ने बिहार सरकार से हवाई अड्डे के क्षेत्र से "नील गायों" को छोटा नागपुर के दूरवर्ती जंगल अथवा कहीं बाहर खदेड़ देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कारगर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । 9 जनवरी, 1970 को इण्डियन एयरलाइंस का एक वाइकाउंट जो उड़ान आई० सी०-410 (कलकत्ता-पटना-दिल्ली) परिचालित कर रहा था, पटना के लिये 18.48 बजे उड़ान करने के लिये धावन करते समय धावन-पथ के मध्य के पास एक "नील गाय" से टकरा गया। विमान-चालक ने हवा में उठ चुकने के बाद, किसी चीज के टकराने की सूचना दी, तथा आपाती अवतरण के लिये लौटने लगा । इसी बीच, विमान-क्षेत्र प्राधिकारियों नें आहत पशु को ढूंढ़ लिया और उसे विमान के 18.52 बजे नीचे उतरने से पहले वहां से हटा दिया । विमान के तीन टायर फट गये । विमान-क्षेत्र अग्निशमन कर्मीदल ने यात्रियों को विमान से उतरने में सहायता की । किसी को कोई चोट नहीं आई ।

(ख) और (ग). हवाई अड्डे पर "नील गायों" से उत्पन्न होने वाली बाधा पर नागर विमानन-प्राधिकारियों ने बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बात-चीत की । अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें पकड़ना कठिन है । तथापि, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) रात्रिकालीन परिचालनों में लिये अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है ।

(ii) रेडियो टेलिफोन लगी एक जीप तथा बिन्दु प्रदीप (स्पाट लाइट) की सहायता से, रात्रिकालीन परिचालनों के दौरान परिचालन क्षेत्र की निगरानी के कार्य को बढ़ा दिया गया है ।

(iii) वर्तमान बाड़ की मुरम्मत कर दी गई है और कुछ भागों में इसकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जायेगा ।

(iv) परिचालन क्षेत्र में बढ़े हुए घास को काटा जा रहा है ।

(v) बाड़ के प्रायः निरीक्षण के आदेश दे दिये गये हैं ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए जांच आयोग की स्थापना

2880. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं की जांच के बारे में एक आयोग नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बेरोजगारी के विस्तार का सभी पहलुओं से मूल्यांकन करने के लिए तथा सुधारात्मक उपायों को सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

संसद्-सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना

2881. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद्-सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के प्रश्न को फिलहाल स्थगित कर दिया जाय ।

जहाज ठहराने तथा माल लादने और उतारने के बारे में प्रत्येक पत्तन की क्षमता का उपयोग

2882. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक बड़े पत्तन की जहाज ठहराने तथा माल लादने और उतराने की क्षमता कितनी है तथा वर्ष 1967-68 में कितनी क्षमता का इस्तेमाल किया गया तथा कितनी क्षमता बेकार पड़ी रही : और

(ख) उपलब्ध क्षमता का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) पत्तनों की क्षमता धराउठाई किये गये जहाजों की संस्थाओं के आधार पर नहीं बल्कि धरा-उठाई की जा सकने वाली माल की मात्रा के आधार पर निश्चित की जाती है । पत्तनों की क्षमता ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है क्योंकि वह उपलब्ध घाटों की संख्या, डुबाव प्रतिबन्धों, माल की धराउठाई का तरीका—मशीनों द्वारा अथवा हाथों से, पत्तन पर आने वाले जहाजों की किस्म, माल की किस्म, धराउठाई की उपलब्ध मशीनी सुविधाएं, पत्तन क्षेत्र से गंतव्य स्थानों तक माल निकासी की गति और पारियों की संख्याओं, जैसी बातों पर निर्भर है, तथापि मोटी तौर पर 1967-68 में बड़े पत्तनों की कुल क्षमता लगभग 610 लाख टन थी जबकि धराउठायी किया गया वास्तविक यातायात 550 लाख टन था जैसा नीचे दिया गया है :

क्र० सं० (1)	पत्तन का नाम (2)	क्षमता (3)	धराउठाई किया गया (4)
1.	कलकत्ता	125	89
2.	बम्बई	156	169.8

1	2	3	4
3.	मद्रास	60	58
4.	कोचिन	57.2	54.3
5.	विसाखापटनम	85	65
6.	कांडला	21	24.7
7.	मारमोगाआ	84	81
8.	पराद्वीप	20	8.9
	कुल :	608.2	550.5

ज्ञात होगा कि क्षमता को कम प्रयुक्त नहीं किया गया है सिवाय कुछ व्यक्तिगत पत्तनों के जैसे कलकत्ता, विशाखापत्तनम और पारादीप कलकत्ता में यातायात में कमी का मुख्य कारण इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में सामान्य कमी, खाद्य सामग्री के आयात में कमी, पैट्रोल और पैट्रोल से तैयार चीजों और कच्ची खनिजों के निर्यात में कमी का होना है।

इसके अलावा कलकत्ता और समुद्र के 126 मील लम्बे नौमार्ग की देखभाल की आवश्यकता के कारण पत्तन पर भाड़े के अधिक बढ़ जाने से और पत्तन पर आने वाले जहाजों पर लम्बाई और डुबाव के प्रतिबन्ध के कारण भी यातायात में कमी हुई है।

विशाखापत्तनम और पारादीप में यातायात में कमी खनिजों के निर्यात में खानों से अपर्याप्त खनिज के आने से हुई कमी और पारादीप में डुबाव में कमी का कारण हुई है।

(ख) कलकत्ता में यातायात को आकर्षित करने के अभिप्राय से पत्तन आयुक्तों ने व्यापार को बहुत सी राहतें देने का निश्चय किया है। जहाजों की लम्बाई और डुबाव पर लगे प्रतिबन्धों को सन् 1971 तक हल्दिया डाक पद्धति और फराक्का बैरेज के चालू हो जाने पर दूर हो जाने की आशा है विशाखापत्तनम और पारादीप की स्थिति में खानों से कच्चे लोहे के नौवहन के लिए अधिक मात्रा आने पर तथा पारादीप पर डुबाव में सुधार होने पर सुधार हो जाने की आशा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा गैर-कानूनी कार्यवाहियाँ

2883. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों की अवैध कार्यवाहियों से यथा भाड़े कम करके, जिससे एयर इंडिया को हानि होती है, निपटाने के लिए एक विशेष एकक बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन एयर लाइनों द्वारा की जाने वाली ऐसी अवैध कार्यवाहियों को रोकने के लिए इस बीच क्या कारगर उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मामले की अभी जांच की जा रही है।

(ग) आई० ए० टी० ए० प्रवर्तन संगठन तथा हमारे अपने सतर्कता तंत्र द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Dearth of Buses and Trucks in the Country

2884. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of ordinary buses, tourist buses, deluxe buses and trucks is not sufficient for the needs of general public in the country ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to meet the situation ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The Government of India are not aware of any shortage of buses and trucks in the country as due to paucity of demand, even the installed capacity is not being utilised to the full extent.

(b) Does not arise.

Benefits to Employees of Goverments of Union Territories

2885. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 928 on 21st November, 1969 regarding the Central Government Employees and state :

(a) the reasons for not giving any benefit to the employees of the Governments of Union Territories, which are under the Centre's administration, upto the 30th June, 1968 ; according to the Home Ministry's Office Memorandum No. 9/45/60-Establishment (D) dated the 20th April, 1961 ; and

(b) the steps taken so far or proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The circumstances in which the employees could not be benefitted upto 30th June, 1968 by Ministry of Home Affairs O. M. No. 9/45/60-Establishment (D) dated 20th April, 1961, in the Union Territories are being ascertained and will be placed on the table of the House. The reasons will also be examined by Government for appropriate action, wherever necessary.

Construction Work on Delhi Assam Lateral Road Project

2886. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 718 on the 19th December, 1969 regarding construction work on Lateral Road Project from Delhi to Assam and state :

(a) the present position regarding the construction work on the Road Project from Delhi to Assam and the names of engineers, overseers, mates and the contractors, separately, engaged on the said construction work ;

(b) whether Government have received some complaints regarding the misbehaviour by the persons engaged on the said Project ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the amount, the labour and the time likely to be taken for the completion of construction work on the said Road Project ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). Presumably, the Lateral Road Project from Bareilly in Uttar Pradesh to Amingaon in Assam is referred to. The road is scheduled to be completed by the end of 1970-71 at an estimated cost of Rs. 73.3 crores. The work in the several States is in various stages of progress.

The remaining information is being collected from the State Governments concerned and will be laid on the table of the Sabha as soon as it is available.

जासूसी के आरोप में दण्डित विदेशी जासूस

2887. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जयसिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में जासूसी करने के आरोप में कितने विदेशी जासूसों को दण्ड दिया गया है और वे जासूस किन-किन देशों के थे ;

(ख) उन जासूसों के विरुद्ध लगाये गये आरोप मोटे तौर पर किस प्रकार के थे ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उनकी कुटिल गतिविधियों का भण्डाफोड़ करने हेतु और तेजी से कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में न्हावा शेवा में बन्दरगाह

2888. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न्हावा शेवा (महाराष्ट्र) में एक बन्दरगाह का विकास करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण हैं तथा यह कार्य कब तक कर लिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में बम्बई पत्तन पर यातायात में बहुत वृद्धि हुई है और अतिरिक्त घाट क्षमता की आवश्यकता का तीखा अनुभव हुआ है। हाल के वर्षों में यातायात की यात्रा में ही नहीं बल्कि यातायात के प्रकार में भी परिवर्तन हुआ है और इस पत्तन पर अधिकाधिक खुले माल की धराउठाई की जा रही है। चूंकि मौजूदा गोदिया मुख्यत: सामान्य माल

के लिए बनी हुई है, अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि विकसित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को खुले माल की धराउठाई के लिए अभिकल्पित किया जाये। अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं की स्थापना के लिए जिन-जिन स्थानों की जांच पड़ताल की गई है उनमें से न्हावा शेवा, प्राकृतिक गहरे पानी की उपलब्धि मुख्य भूमि से मिलान, रेल और सड़क संचार, विद्युत शक्ति और जल प्रदाय की उपलब्धता तथा पत्तन आधारित उद्योगों की स्थिति की दृष्टि से सबसे उत्तम समझा गया है।

सहायक पत्तन के विकास से सम्बन्धित मास्टर योजना रिपोर्ट के सलाहकार इंजीनियर से जून 1970 तक प्राप्त होने की सम्भावना है और उसके बाद इस परियोजना पर निवेष सम्बन्धी निर्णय किया जायेगा और परियोजना निष्पादन का समय पत्तन तैयार की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत की यात्रा करने वाले विदेशी हिप्पी पर्यटक

2889. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान भारत में अन्य पर्यटकों की अपेक्षा विदेशी हिप्पी पर्यटक अधिक आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य विदेशी पर्यटकों की तुलना में गत वर्षों के दौरान कुल कितने हिप्पी पर्यटक भारत आये, इस अवधि में भारत ने विशिष्ट रूप से इन हिप्पी पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारत आने वाले विदेशियों के सम्बन्ध में आँकड़े इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार नहीं रखे जाते हैं।

1968-69 के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की कुल संख्या और उनसे अर्जित होनी वाली अनुमानित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या	अनुमानित अर्जित विदेशी मुद्रा
		(करोड़ रुपये में)
1968	1,88,820	26.42
1969	2,44,724	33.11

Cases Committed to Sessions in Delhi

2890. **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1030 on the 11th April, 1969 regarding cases committed to Sessions in Delhi and state :

(a) the names of those criminals who are in jail for one, two or more years without being awarded punishment and the reasons therefor ; and

(b) the steps proposed to be taken for early disposal of these cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Cases of all the criminals mentioned in reply to part 'C' of Question No. 1030 dated 11-4-69 have since been decided. Names of the criminals presently in Jail for more than one year or more than two years involved in cases pending before the Court of Sessions are given in attached statement.

(b) Delhi Administration have issued instructions to the Police for the prompt production of evidence etc. before the courts for the expenditious disposal of cases.

STATEMENT

More than one year	For two or more years
1. Suresh Kumar	1. Gauri Shanker
2. Matru	
3. Ram Phal	(Appeal filed by State against orders of acquittal pending in Delhi High Court).
4. Madhu Sudan	
5. Balbir Singh	
6. Prem Nath	

Their cases could not be decided expeditiously due to non-production of the evidence well in time.

भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज का मन्दिर

2891. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर स्थित दुर्लभ वास्तुकला वाला भगवान लिंगराज का प्रसिद्ध मन्दिर चमगादड़ों, चूहों, तथा बिल्लियों का घर बन गया है हालांकि प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम के अधीन यह एक सुरक्षित स्मारक है ;

(ख) क्या इसके प्रति जान बूझकर बरती गई उपेक्षा के कारण यह मन्दिर गिरना आरंभ हो गया है ; और

(ग) इसे अच्छी अवस्था में बनाये रखने के लिए इस मन्दिर की मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहाँआरा जयपाल सिंह) : (क) भुवनेश्वर स्थित भगवान लिंगराज का मन्दिर यद्यपि एक संरक्षित स्मारक है किन्तु वहां पूजा की जाती है और वह एक न्यासियों की एक समिति के प्रबन्ध के अन्तर्गत है । सरकार, मन्दिर के केवल संरचनात्मक संरक्षण के लिए जिम्मेदार है ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । मन्दिर, संरचना की दृष्टि से मजबूत है और संरक्षण की अच्छी हालत में है । जब भी आवश्यक होता है मरम्मत की जाती है ।

अरबी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन

2892. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरबी भाषा में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) प्रत्येक वर्ष इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा उक्त अवधि के दौरान अरबी भाषा मे प्रकाशित की गई पुस्तकों (थाकाफतउल-हिन्द पत्रिका के अतिरिक्त) के क्या नाम हैं ; और

(घ) यदि कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) अरबी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिये गत तीन वर्षों के दौरान कोई अलग रकम आवंटित नहीं की गई थी ।

(ख) 1966-67 में अरबी भाषा में "शाकुन्तल" के अनुवाद तथा प्रकाशन पर 16,818. 49 रुपये की रकम खर्च की गई थी ।

(ग) कालिदासकृत 'शाकुन्तल" का अरबी भाषा में अनुवाद ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

शिव सेना के लिये वित्तीय सहायता

2893. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री उमानाथ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय उद्योग-पतियों द्वारा शिवसेना को वित्तीय सहायता देने के बारे में जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि कोई जांच नहीं कराई गई, तो क्या सरकार इस बारे में कोई जांच कराने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

पुराना किला, दिल्ली को सुन्दर बनाना

2894, **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराना किला, दिल्ली को सुन्दर बनाने का कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितना खर्च आने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). 1.17 लाख रुपये की लागत से पुराने किले पर पुंज प्रकाशन (फ्लड लाईटिंग) कार्य जनवरी, 1969 में पूरा किया गया । एक खुले रंगमंच (ओपन एयर थियेटर) और रेस्टोरेंट के निर्माण का भी प्रस्ताव है । इनका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित अधिकारियों तथा अध्यापकों की ओर से अभ्यावेदन

2895. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित अधिकारियों अन्य कर्मचारियों तथा अध्यापकों की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि उनके वेतनमान भी पंजाब सरकार के अधीन कार्य कर रहे उसी संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन-मानों के समान कर दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो किन संगठनों कर्मचारी संघों तथा अन्य लोगों ने यह मांग की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में कब विचार किया जायेगा तथा निर्णय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ). हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की कुछ संस्थाओं ने इस आशय के अभ्यावेदन भेजे हैं कि उन्हें 1 फरवरी, 1968 से वही वेतन-मान दिए जाएं जो अनुरूप पदों के लिये पंजाब में दिए जा रहे हैं । इन संस्थाओं के नाम संलग्न सूची में उल्लखित हैं । संसद-सदस्य श्री प्रताप सिंह ने भी इस संबंध में प्रधान मंत्री तथा गृह-मंत्री को लिखा है । सरकार द्वारा इस मामले पर जांच की गई तथा यह निर्णय किया गया है कि संघ शासित क्षेत्रों तथा नेफा के सभी कर्मचारियों के लिए दिनांक 6 मार्च, 1970 से वेतन तथा भत्तों की केन्द्रीय दरें अपनाई जाएं । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 28540/70]

व्यावहारिक विज्ञान का अध्यापन तथा अनुसंधान

2896. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड स्थित ओटेज विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० विलियम्स ने परमाणु अनुसंधान तथा शुद्ध विज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक विज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान पर अधिक ध्वनि देने की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा-मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) न्यूजीलैण्ड स्थित ओटेगो विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० आर० एम० विलियम्स और अन्य अतिथि उपकुलपतियों सहित राष्ट्र संघ विश्वविद्यालय संस्था के महासचिव द्वारा दिये गये ग्रुप इन्टरव्यू के बारे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखा है। इन्टरव्यू के समय सहासचिव तथा ओटेगो विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने परमाणु अनुसंधान तथा शुद्ध विज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ख) यह अपने-अपने विचारों का मामला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ चुने हुये विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत परमाणु भौतिकी सहित विशिष्ट क्षेत्रों में अध्यापन और अनुसंधान का समर्थन करते समय विविध पहलुओं को ध्यान में रखा है।

पारादीप पत्तन पर माल घाट

2898. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन में माल घाट पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ख) इस निर्णय कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पारादीप पत्तन में सामान्य माल घाट की अनुमानित लागत 2.29 करोड़ रुपये है।

(ख) घाट का निर्माण कार्य के शुरू होने के ढाई वर्ष बाद पूरे होने की संभावना है।

Departmental Examination for Hindi Officers and Hindi Supervisors Held by U. P. S. C.

2899. **Shri Narayan Swaroop Sharma :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a departmental examination of the Hindi Officers and Hindi Supervisors was held by the Union Public Service Commission ;

(b) if so, whether the said examination was meant only for the Hindi Translators working in the Central Ministries and their Attached Offices and the Hindi Stenographers and certain other employees working in the Subordinate Offices were also allowed to appear in the said examination and with this object in view the language of the certificates to be produced was different in each case ;

(c) whether it is proposed to include the seniority of the Hindi Translators and Hindi Assistants working in various Ministries and its Attached Offices in the seniority lists of the Translators, Research Assistants working in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology ; and

(d) if not, the reasons for giving double benefit to the Research Assistants (Hindi Translators) working in the Subordinate Offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A written test was held by the Union Public Service Commission on July 19, 1969 as an aid to screening the candidates to be called for interview for the posts of Hindi Supervisor and Hindi Officer or equivalent posts in different Ministries/Departments. Candidates posseessing—(i) a Bachelor's Degree with Hindi as one of the subjects, and (ii) about 5 years (3 years' for those possessing Post-Graduate qualification in Hindi) experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English into Hindi and *vice-versa* in posts created exclusively for Hindi work in various Ministries/Departments, including Attached Offices, in the scales of pay carrying a maximum of Rs. 425/- or more, were eligible to appear at the test. With reference to the essential qualification No. (ii) mentioned above, the Union Public Service Commission prescribed the certificate in the following from the Head of the Department/Office to be furnished along with the applications of the candidates :

"Certificate that Shri/Shrimati/Kumari ..... is holding a post created exclusively for Hindi work in the Ministry/Department/Office of..... in the scale of.....and has five years' experience (3 years' for those possessing post-graduate qualifications in Hindi) of terminological work in Hindi and/or translation work from English into Hindi and *vice-versa*. It is also certified that the particulars of employment and scale of pay of post etc., as given by Shri/Shrimati/Kumari..... in column 17 of the application are correct.

No..... Signature.....

Date..... Designation .....

Place..... Ministry/Office.....

Office Stamp ......"

No other certificate was prescribed by the Union public Service Commission in this connection. Persons holding posts of the specified type in Ministries/Departments and Attached Offices and possessing the essential qualifications were admitted to the written test, irrespective of the designations of their posts, *i.e.* whether they were working as Hindi Translator, Hindi Assistant, Hindi Teacher or Hindi Stenographer etc. Persons holding lien on such posts in Ministries/Departments and Attached Offices but working other Offices, and possessing the prescribed essential qualifications, were also admitted to the written test on a provisional basis, pending further consideration of their candidature. Shortly before the written test was held on 19th July, 1969, some of the applicants who were working in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology filed writ petitions before the Delhi High Court against non-admission to the written test. On the orders issued by the Delhi High Court, on 18th July, 1969, one of the petitioners was admitted to the written test held on 19th July, 1969 on a provisional basis, pending the verdict of the Court on his writ petitions.

By their judgement delivered on 11th February, 1970 the Union Public Service Commission have been directed by the Court by a writ of *mandamus* to entertain the applications of the petitoners for the posts of Hindi Officers etc. A copy of the judgement has been received on 7th March, 1970. The matter is being examined in consultation with the Ministry of Law and the Union Public Service Commission.

(c) Posts of Hindi Translators and Hindi Assistants in various Ministries/Departments and their Attached Offices and posts of Translators and Research Assistants in the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology are isolated posts which do not form part of any common cadre or of any organised Service. There is, therefore, no question of preparation of any combined seniority list in respect of Hindi Translators Hindi Assistants etc., belonging to different cadres.

(d) The question is not clear. As, however, stated in answer to parts (a) and (b) of the question, certain categories of officers working on posts created exclusively for Hindi work in various Ministries/Departments including Attached Offices in the scales of pay carrying maximum of Rs. 425/- p.m. or more have been made eligible for applying for recruitment to permanent and temporary posts of Hindi Supervisors/Hindi Officers etc., recruitment to which is to be made through the Union Public Service Commission.

केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी सहायक

2900. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री हिन्दी सहायकों के बारे में 14 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि हिन्दी सहायक केन्द्रीय सचिवालय सेवा से सम्बन्धित नहीं है तो फिर वे किस सेवा से सम्बन्धित हैं ; और

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इन हिन्दी सहायकों को किस सेवा/संवर्ग के लिये भर्ती किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1959 में ली गई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से भरे गए हिन्दी सहायकों के पदों समेत केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी सहायकों के पद पृथक पद हैं जिनका निर्माण स्वयं मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार किया गया है। वे किसी नियमित काडर अथवा संगठित सेवा से संबंधित नहीं हैं।

किसी सेवा अथवा पदावलि से असम्बद्ध सरकारी कर्मचारी

2901. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार में ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो किसी सेवा अथवा पदावलि से सम्बद्ध नहीं हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : किसी श्रेणी के केन्द्रीय असैनिक पद, जो किसी केन्द्रीय असैनिक सेवा में सम्मिलित नहीं हैं, सादृश्य श्रेणी की समान्य केन्द्रीय सेवा में सम्मिलित समझे जाएंगे और ऐसे किसी पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी उस सेवा का सदस्य समझा जाएगा जब तक कि वह उसी श्रेणी की किसी अन्य केन्द्रीय असैनिक सेवा का पहले ही सदस्य न हो। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक कर्मचारी या तो केन्द्रीय

असैनिक सेवा से या सामान्य केन्द्रीय सेवा से सम्बन्धित होता है। अतः ऐसे कर्मचारियों का किसी सेवा अथवा पदालि से सम्बद्ध न होने का (जिसका अर्थ एक पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा अथवा किसी सेवा के भाग के बल से है) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी पर्यवेक्षक ग्रेडों पर नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार

2902. **श्री वंश नारायण सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी पर्यवेक्षक ग्रेड परीक्षा ली गई थी जो वास्तव में प्रतियोगी तथा पदोन्नतिकारक परीक्षा थी और जिसमें केवल केन्द्रीय सचिवालय में काम कर रहे हिन्दी सहायक तथा हिन्दी अधिकारी बैठ सकते थे ;

(ख) क्या इस परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां करने से पूर्व इन व्यक्तियों का साक्षात्कार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के पदों पर नियुक्तियों के लिये जिस हेतु भी सीमित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं किया जाता, इस भेद भाव के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अधिकारियों और हिन्दी पर्यवेक्षकों के पदों तथा समकक्ष पदों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 19 जुलाई, 1969 को एक लिखित परीक्षा ली गई थी। यह परीक्षा सम्बद्ध कार्यालयों समेत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में केवल हिन्दी कार्य के लिए निर्मित पद, जिनके वेतन-मान का अधिकतम 425 रु० या उससे अधिक हो, धारण करने वाले पात्र विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित थी। उन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था जो लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से नियत किए जानेवाले न्यूनतम अर्हक स्तर पर पहुंचते। लिखित परीक्षा इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को छांटने के लिए एक साधन के रूप में ली गई थी। किन्तु लिखित परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कुछ कर्मचारियों ने उनको परीक्षा में बैठने न देने के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कर दीं। न्यायालय द्वारा 11-2-1970 को दिए गए अपने फैसले द्वारा एक रिट परमादेश जारी कर संघ लोक सेवा आयोग को हिन्दी अधिकारियों आदि के पदों के लिए याचिकादाताओं के आवेदनों को ग्रहण करने का निर्देश दिया गया फैसले की नकल 7-3-1970 को प्राप्त हुई। इस मामले की विधि मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ग) अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के अनुसार सहायक के निचले ग्रेड से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के अगले उंचे ग्रेड में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली एक परीक्षा है। इन नियमों के अनुसार इस परीक्षा में किसी इंटरव्यू के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके विपरीत हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के पद पृथक पद हैं और विभागीय उम्मीदवारों के लिए

पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में नहीं हैं। इन पदों के लिए भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा का उद्देश्य इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को केवल छाँटना था।

Proposal to Augment River and Canal Navigation Route

2903. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the mileage by which the river and canal navigation route is likely to be augmented during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) whether small steamers would also ply on the said augmented route ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). The requisite information is being collected from the concerned State Government and will be laid on the the table of the Sabha on receipt.

Handling of Import and Export Trade through Indian Ships

2904. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri S. C. Samanta :
Shri N. R. Deoghare :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state the time by which it would be possible to handle fifty per cent of the import and export trade through ships owned by India and the present position in this regard ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affair and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : During 1968-69, Indian Shipping lifted about 18.3% of the Country's import/export trade. On the shipping tonnage target for the end of the Fourth Plan being fulfilled, Indian shipping is expected to have capacity to lift about 40% of the import/export trade of the country. Further progress will depend upon the proposals under the Fifth plan, and other relevant conditions obtaining then.

आस्ट्रेलियन विज्ञान अकादमी द्वारा सेलबी फैलोशिप

2905. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियन विज्ञान अकादमी ने आस्ट्रेलिया में किसी विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्था में भौतिकी अथवा जीव विज्ञान की किसी शाखा में पूरे एक वर्ष के लिये सेलबी फैलोशिप देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इसे विज्ञापित कर दिया गया है।

(ग) अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

Firing by Pakistani Militarymen in Rajauri Sector of Jammu

2906. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Jawan of the Indian Security Force was killed and several others injured as a result of firing on them by Pakistani Militarymen in the Rajauri Sector of Jammu recently ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Ministry of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A patrol party of the Border Security Force, while carrying out reconnaissance patrol duties on our side of the cease fire line on the 11th February, 1970 in District Rajauri was fired upon by POK personnel. One head constable was killed and other rank was injured.

(b) A complaint about the violation of cease-fire has been lodged. Cease fire was arranged under the auspices of the United Nations.

Uniform Syllabus for Schools in States

2907. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Council of Educational Research and Training have decided to introduce a uniform syallabus in the schools in various States from the next year ;

(b) if so, the names of the States where this scheme would be implemented first ; and

(c) whether there are some State Governments who have not so far agreed to implement this scheme ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). Syllabi are prescribed by the State authorities and such prescription is outside the competence of the National Council of Educational Research and Training.

The All-India Conference on Textbooks convened by the Council, however, recommended that the NCERT might take steps to develop a common core syllabus for the entire school stage in all compulsory subjects with the active cooperation of the State level educational agencies. The Council conducted an analysis of the existing syllabi and the study revealed that there is a large percentage of common elements in the different States' syllabi. The Council is working on the preparation of model curricula and text-materials, keeping in view the requirements in different States.

A pilot project for teaching Science on the basis of text books prepared by the NCERT will be launched in the academic year 1970-71. A few schools in each State will try out the new books in standards I, III and in standard VI. Negotiations for the pilot project have so far been completed with all States except Nagaland. Discussions with Nagaland are to be hold shortly. The States are adapting the NCERT books to suit local requirements.

Chandigarh as Chartered City

2908. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some suggestions have been received by Government to make Chandigarh a Chartered City ;

(b) whether the opinion of the people of this developing city would also be ascertained before deciding its future ; and

(c) if so, the manner in which their opinion would be ascertained ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Such a suggestion was among the several alternatives which were considered before the decision on Chandigarh was announced. In arriving at this decision the views of the people of Chandigarh as also those of the people of Punjab and Haryana were taken into account and the question of ascertaining the opinion of the people of Chandigarh at this stage does not arise.

तामिलनाडु में थन्जवुर जिले में माओ के नारों वाले इश्तहार

2910. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाडु में खूब चावल उगाने वाले थन्जपुर जिले में कई स्थानों पर माओ के नारों वाले इश्तिहार देखे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार को क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

इंजन की खराबी के कारण कैरेवेल विमान सेवाओं का देरी से चलना

2911. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में कैरेवेल विमानों को उड़ने के बाद इंजन की खराबी के कारण कितने अवसरों पर हवाई अड्डों पर वापस उतरना पड़ा ;

(ख) इंजन की खराबी के कारण कैरेवेल विमान सेवायें कितने अवसरों पर देर से चलीं ;

(ग) क्या यह सच है कि गत महीनों में कैरेवेल विमान के खराब हो जाने की घटनायें बढ़ गई हैं ; और

(घ) क्या इनके बारबार खराब होने का कारण विमानों की क्षमता से अधिक उपयोग किया जाना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 28 फरवरी, 1970 को समाप्त होने वाली छः महीने की अवधि के दौरान ऐसे तीन अवसर आये।

(ख) उसी अवधि के दौरान 30 मिनट से अधिक की ऐसी 14 देरियां हुईं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ;

पोरबन्दर में खड़वा जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी

2912. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पोरबन्दर में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बम्बई खड़वा जाति से कोई अभ्यावेदन मिला है जिनमें पुलिस ने खड़वा जाति के लोगों से दुव्यर्वहार करने के साथ-साथ तीन व्यक्तियों को मार दिया तथा कई व्यक्तियों को घायल कर दिया था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). गुजरात सरकार ने सम्बन्धित घटनाओं की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम ने, 1952 के अधीन एक न्यायिक जांच का आदेश दिया है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों का अर्जन तथा भाड़े से आमदनी

2913. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित किये टनभार जहाजों का दस लाख टन से अधिक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष 1969-70 में इसको भाड़े से अनुमानतः कुल कितनी आय होगी ;

(ग) बजट अनुमान के आधार पर कितना लाभ होने की आशा है ; और

(घ) विस्तार का भावी कार्यक्रम क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) 1969-70 के वर्ष के लिए निगम का परिचालन कमाई का अनुमान 48 करोड़ रुपये है ।

(ग) 1969-70 वर्ष के लिए अनुमानित लाभ 4½ करोड़ रुपये के लगभग होने की सम्भावना है ।

(घ) निगम के ठोस विस्तार की योजना है ।

निगम के भविष्य विस्तार का मुख्य पहलू अपने बेड़े का और विशाखन है । निगम में कुल 3.89 लाख जी० आर० टी० के 29 पोतों के लिए भारत और बाहर के शिपयार्डों को पहले ही आदेश दिये हैं जिसमें खुला खनिज-तेल अनाज वाहक, एक बड़ा तेल वाहक, माल पोत, यात्री पोत आदि शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त निगम हल्दीया और कोचीन सरकारी क्षेत्र रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल को ले जाने के लिए बड़े आकार के तेल वाहकों, खनिज लौह के निर्यात के लिए बड़े आकार के खुले वाहकों और तटीय परिचालन के लिए तेल वाहकों के लिए आदेश देने की योजना है ।

निगम अपने मौजूदा मान सेवाओं को सशक्त करने और भविष्य में नई सेवाओं को चलाने का इरादा भी रखता है।

नक्सलवादियों की गतिविधियां

2914. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ : **श्री देवकी नन्दन**
श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समूचे देश में **नक्सलवादियों** की बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई व्यापक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकारें बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। अन्य राज्यों में, ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जहाँ कहीं भी औचित्य को, कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि हाल में कुछ महीनों से उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं।

बीकानेर डिवीजन (राजस्थान) में माओ के इश्तिहार

2915. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि माओ के पोस्टर बीकानेर की दीवारों पर लगे पाये गये जिसमें खून के बदले खून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और विद्यार्थियों तथा किसानों को उक्साया गया है कि राजस्थान में बीकानेर डिवीजन के भादरा संघारिया और चुरु शहरों में हुई पुलिस की हाल की गोलीबारी से हुए हत्याकांड का बदला चुकाने के लिए शस्त्र उठाए जायें तथा कहा गया है कि नक्सलवादी लाल सलाम-भारत के भविष्य का फैसला मतपत्र नहीं अपितु गोली करेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो ये जानने के लिए कि ये कहां से निकले थे तथा इस तरह के आसरों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी

2916. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या **गृह-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी दिनाजपुर जिले में भारत तथा पाकिस्तान की सीमा

के रायगंज क्षेत्र में ग्रामवासियों ने 3 तथा 5 फरवरी, 1970 को क्रमशः एक-एक पाकिस्तानी घुमपैठिये को पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के दो सिपाही तथा एक लान्स ने 3 फरवरी 1970 को भारतीय ग्राम मोल्लापाड़ा (भारत-पाक सीमा के 200 गज अन्दर) में घुसकर एक महिला के अपहरण का प्रयत्न किया। चेतावनी सुनकर सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारी तथा ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। दोनों सिपाही अपनी राइफलें छोड़कर भाग गये परन्तु लान्सनायक अपनी स्टैनगन सहित पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी गंगारामपुर क्षेत्र में की गई न कि रायगंज क्षेत्र में। 5 फरवरी 1970 को एक पाकिस्तानी घुसपैठिये की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है।

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के विरुद्ध सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज़ दिया गया है और इस मामले की जाँच की जा रही है।

पूना के निकट भीम शंकर में मूर्ति को विकृत करना

2917. **श्री दत्तात्रेय कुण्टे** : क्या **शिक्षा तथा युयक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में पूना शहर (महाराष्ट्र) से 70 मील की दूरी पर स्थित भीम शंकर में, जो एक प्राचीन स्मारक है, एक देवता की मूर्ति को विकृत किया गया और एक प्राचीन तालाब को मिट्टी से भर दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारण सम्भव हो सका क्योंकि इन प्राचीन स्मारक तथा उसे निकटवर्ती सम्पत्ति को भारत सरकार के पुरातत्वीय विभाग द्वारा अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे प्राचीन स्मारकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपने हाथ में लेने तथा इस मन्दिर और सम्पत्ति की फिर से ठीक व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युयक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) जैसा कि पूना के कलक्टर ने सूचित किया है, हाल ही की पत्थर की बनी नन्दी की एक मूर्ति, छत की मरम्मत करते समय टूट गई थी। 1960 में प्रतिष्ठापित भैरवनाथ की एक मूर्ति, को एक अज्ञात पर्यटक साधु द्वारा तोड़ी गई थी। प्राचीन तालाब के भरे जाने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) भा० पु० सं० द्वारा मन्दिर संरक्षित नहीं है। नन्दी का विरुपण पत्थरों के अचानक गिरने से हुआ था।

भैरवनाथ की मूर्ति की क्षति अज्ञात साधु द्वारा पहुंची थी। शायद इसे रोका जा सकता

था, यदि मन्दिर के कार्यभारी पुजारी सतर्क होते। यदि यह चालू मन्दिर संरक्षित होता, तो स्थिति इससे भिन्न होती, किन्तु भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण, चालू मन्दिरों के धार्मिक उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pakistani Nationals in Madhya Pradesh

2918. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals residing in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the number among them of those who have had their period of stay extended ;

(c) the number among them of those who have gone back to Pakistan ; and

(d) the number among them of those upon whom notices have been served ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Survey of Historical Places in Madhya Pradesh

2919. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have made any survey of the historical places in Madhya Pradesh in general and particularly of those in Hoshangabad and East Nimar districts for developing these places into tourist centres ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Government are aware that Madhya Pradesh has many places of historical interest, and steps have been taken to provide tourists facilities at Khajuraho, Sanchi, Mandu, Indore and Gwalior. Due to limited resources, it is not possible at present to take up projects in Hoshangabad and East Nimar districts.

Pakistani Nationals Staying Illegally in Hoshangabad and East Nimad District of Madhya Pradesh

2920. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of those Pakistani nationals in Hoshangabad and East Nimad districts of Madhya Pradesh who had come to these places with due passports but are continuing to live there stealthily even after the expiry of the period mentioned in the passports ; and

(b) the steps taken by Government to expel them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) At the end of 1968 the number was—

Hoshangabad	Nil
East Nimad (khandwa)	7

b) Look-out notices have been issued to trace them.

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान बेड़े में स्वदेशी तथा विदेशी विमानों का अनुपात

2921. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा संचालित विमानों के वर्तमान बेड़े में से कितने प्रतिशत विमान विदेशी तथा कितने प्रतिशत विमान देशी हैं ;

(ख) इस निगम की पूरी अथवा अधिकांश आवश्यकताएं कब तक देशी स्रोतों से पूरी होने लगेंगी ; और

(ग) यात्री तथा माल वाहक विमानों को विवेशी स्रोतों से खरीदने की बजाये देशी स्रोत से खरीदने से कीमत में कितनी बचत होती है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फरवरी, 1970 के अन्त में इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में 58 विमान थे जिनमें से 44 (लगभग 75 प्रतिशत) विमान विदेशों में निर्मित हैं ।

(ख) इस समय इंडिया एयरलाइन्स के उपयोग के लिए केवल एच० एस०-748 विमान का भारत में निर्माण हो रहा है । सीमित आवश्यकताओं के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की आवश्यकता पूर्ति के लिए बड़े विमानों का निर्माण लाभप्रद नहीं रहेगा ।

(ग) देश में एच० एस०-748 प्रकार के केवल यात्री विमानों का निर्माण होता है । वर्तमान निर्माण का खर्च यू० के० में निर्मित समतुल्य विमान के बराबर ही है ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाएं

2922. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने प्रादेशिक भाषाओं में परीक्षाएं लेने में अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग प्रादेशिक भाषाओं में कब तक परीक्षाएं लेना आरम्भ करेगा ; और

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग की शुरूआत 1969 में की गई जब भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले में उम्मीदवारों को 2 अनिवार्य विषयों, अर्थात् प्रस्ताव और सामान्यज्ञान में अपने उत्तर, अंग्रेजी के अतिरिक्त, संविधान की सूची 8 वर्णित किसी भी भाषा में, लिखने का विकल्प दिया गया था ।

(ख) और (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि की 1969 में हुई परीक्षा के परिणाम हाल ही में घोषित किये गये हैं और क्षेत्रीय भाषा के वैकल्पिक प्रयोग को अन्य विषयों के तथा

अन्य परीक्षाओं पर लागू करने के प्रश्न पर उपरोक्त परीक्षा के अनुभव के आधार पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली से अन्य महत्वपूर्ण नगरों के लिए डीलक्स बसें चलाना

2923. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली से श्रीनगर, दिल्ली से गोहाटी, दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम, दिल्ली से जोधपुर-उदयपुर, सोमनाथ मन्दिर के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों के लिए भी डीलक्स बसें चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अपेक्षित राशि का ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति ले ली गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rules and Regulations Applicable to Foreign Tourists

2924. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the details of rules and regulations applicable to foreign tourists coming to India and whether the visa regulations are being made applicable liberally at present ; and

(b) the names of countries whose citizens cannot be given permits at present for touring India ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The entry into, stay in, and movements within India of foreigners, including tourists, are regulated under (1) The Passport (Entry into India) Act, 1920, (2) The Registration of Foreigners Act, 1939, and (3) The Foreigners Act, 1946, and the Rules and Orders made under the said Acts. Except in the case of nationals of the Peoples Republic of China, Nationalist China (Formosa), Portugal, Rhodesia and Pakistan and South Africans of European extraction, visas are, generally, granted liberally to foreigners coming for the purpose of tourism. Tourists who are nationals of Norway, Denmark, Finland, Sweden and the Federal Republic of Germany do not require visas for entry and stay up to 90 days.

(b) After a foreigner has entered India lawfully, he does not require a permit for touring the country except in areas which have been declared as restricted, protected or notified.

पुराने तथा भूमि पर खड़े विमानों के स्थान पर दूसरे विमान खरीदना

2925. **श्री अदिचन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के पास क्रमशः कितने तथा कितने प्रकार के ऐसे विमान हैं, जिनका प्रयोग बन्द कर दिया है अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या इन विमानों के स्थान पर नये प्रकार के विमान खरीदने का विचार है और यदि हां, तो कितने तथा किस किस्म के विमान खरीदे जायेंगे ; और

(ग) प्रयोग न किये जा रहे विमानों को बेचने अथवा उनका नवीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स अथवा एयर-इंडिया के विमान बेड़े में कोई ऐसा विमान नहीं है जिसके प्रयोग को बन्द करने का प्रस्ताव है, यद्यपि डी० सी०-3 और बाइकाऊंट जैसे पुराने विमानों को सेवा से क्रमशः हटाया जायेगा ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स अपने पुराने विमानों की स्थानापूर्ति और अपनी विस्तारशील आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सात बोइंग 737-200 विमान खरीद रही है । उसका भारत में निर्मित एच० एस०748 प्रकार के अतिरिक्त विमानों को प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) पुराने विमानों के विक्रय के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

मनीपुर के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपल तथा वाइस-प्रिंसिपलों के पद

2926. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रिंसिपलों तथा वाइस-प्रिंसिपलों के पद बना दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो पदों के बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आसाम की तरह मनीपुर के हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सहायक मुख्य अध्यापकों को कुछ विशेष वेतन दिया जाता है ; और

(घ) क्या यह सच है कि मनीपुर के हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सहायक मुख्य अध्यापकों को केवल स्नातक अध्यापकों का ही वेतन मान दिया जाता है जबकि आसाम में उन्हें अधिक वेतन तथा भत्ता दिया जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी, हां ।

मनीपुर प्राथमिक स्कूलों के गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापक

2929. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री मनीपुर प्राथमिक स्कूलों के गैर-मैट्रिक अप्रशिक्षित अध्यापकों के संबंध में 27 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1482 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त अध्यापकों को, यदि उनकी सेवा 4 नवम्बर, 1969 तक 20 वर्ष की हो गई है, प्रशिक्षण से छूट दे दी गई है ; और

(ख) इन अध्यापकों को अध्यापन कार्य में उनके 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन मान और सलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है जैसा कि 20 वर्ष की सेवा वाले अध्यापकों को सामान्यता दिया जाता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भूतपूर्व मणिपुर क्षेत्रीय परिषद् के एम० ई०/एल० पी० स्कूलों के ऐसे अप्रशिक्षित गैर-मैट्रिक अध्यापकों को प्रशिक्षण से छूट देने का निर्णय किया गया है, जिन्होंने 1.1.1959 को 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इससे सम्बंधित आवश्यक आदेश 11.3.1970 को जारी किये गये आदेशों को ध्यान में रखकर इसकी जांच पड़ताल तथा इस पर कार्रवाई मणिपुर प्रशासन द्वारा की जायेगी।

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मनीपुर के अध्यापकों को प्रवर वेतनमान

2930. **श्री एम० मेघचन्द** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री मनीपुर के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के अध्यापकों के किये प्रवर वेतनमान के सम्बन्ध में 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अध्यापकों को प्रवर वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु मणिपुर प्रशासन द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं।

उड़ीसा में छोटे पत्तन

2931. **श्री रवि राय** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक तकनीकी समिति उड़ीसा में छोटे पत्तनों के प्रश्न पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किन पत्तनों का लघु पत्तन घोषित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में दो लघु पत्तन हैं अर्थात् चंदवाली और गोपालपुर। चौथी पंचवर्षीय

योजनाकाल में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन इन दो पद्धतियों में से एक का विकास करने की सिफारिश करने के लिए समिति गठित कर दी गयी है।

(ग) समिति के अप्रैल 1970 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने की संभावना है।

जम्मू के स्कूलों में निर्धारित भूगोल की एक पाठ्य पुस्तक में भारत के साथ तिब्बत के व्यापार के बारे में टिप्पणी

2932. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जम्मू में सभी सरकारी स्कूलों में छटी कक्षा में निर्धारित भूगोल की पाठ्य पुस्तक में लिखे गये इस आशय के पैरा की ओर दिलाया गया है कि तिब्बत का भारत के साथ व्यापार होता था परन्तु चीन ने जब से तिब्बत पर कब्जा किया है यह व्यापार बन्द हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उन्होंने इसे हटाना के लिये राज्य सरकार को सुझाव दिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). ऐसी किसी गलती की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है। फिर भी, राज्य सरकार से तथ्य का सत्यापन करने और यदि कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के लिये कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा परीक्षाओं के परिणाम

2933. **श्री रवि राय** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा परीक्षाओं के परिणामों को समय पर प्रकाशित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। गत चार वर्षों में परीक्षा के लिखित भाग का परिणाम परीक्षा के समाप्त होने के बाद 92 से 112 दिनों के बीच प्रकाशित कर दिया गया था। इस बार यह 99 दिन के बाद दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला गैसीकरण कारखाना, हैदराबाद का भविष्य

2934. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने कुछ समय पहले एक कोयला गैसीकरण कारखाना स्थापित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कोई भविष्य नहीं है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में काणे समिति की क्या सिफारिश थीं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोयला गैसीकरण संयंत्र प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में आंशिक रूप से खड़ा किया गया है।

(ख) और (ग). काणे समिति अपनी रिपोर्ट में जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा सुधारे गए तरीके के अनुसार संयंत्र को स्थापित करना और उसे चलाना उचित नहीं होगा और इसके साथ साथ यह भी सुझाव दिया है कि :—

(1) इस बात की संभावनाओं का पता लगाया जाए कि क्या सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में कोई उर्वरक उत्पादन कम्पनी निम्नस्तरीय कोयले से संश्लेषण गैस के उत्पादन के सम्बन्ध में विकास कार्य के लिए परीक्षण यूनिट के रूप में उपयोग के लिए पूरे संयंत्र को लेने के लिए तैयार है ।

(2) यदि किसी उर्वरक फैक्टरी को इस संयंत्र का स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो, तो केवल यही विकल्प हो सकता है कि संयंत्र को क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के कैम्पस में स्थापित किया जाये ताकि जहां तक इस प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध है उसके अनुसार कोयले से गैस बनाने के लिए विकास कार्य हेतु इसे एक परीक्षण यूनिट के रूप में चलाया जा सके। काणे समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) की शासी निकाय ने 14 मई, 1969 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि पैट्रोलियम व रसायन तथा खनिज व धातु मन्त्रालय से कहा जाये कि यदि वे जरूरत समझते हैं तो इस संयंत्र को हाथ में ले लें। उस मन्त्रालय ने सूचना दी है कि लुर्गी-प्रक्रिया पर आधारित हैदराबाद का संयंत्र भारतीय उर्वरक निगम के लिए किसी भी काम का नहीं है क्योंकि भारत द्वारा नियुक्त की गई समिति ने उर्वरक संयंत्रों के लिए कोपर्स-गैसीकरण प्रक्रिया के अपनाने की सिफारिश की है।

हरियाना के लोगों को 'पद्मश्री' उपाधि

2935. **श्री रामकिशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के किन लोगों को 'पद्मश्री' उपाधि दी गई ; और

(ख) उनको 'पद्म श्री' उपाधि किन सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). उन व्यक्तियों की सूची, जिनको गणतन्त्र दिवस, 1970 को पद्म उपाधियां दी गई थीं, उसी दिन

भारत के गजट में प्रकाशित कर दी गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार सर्वश्री घनश्याम दास गोयल, फूलचन्द और गोविन्द राम हाडा, जिन्हें पद्मश्री उपाधियां दी गई थीं, के मूल निवास-स्थान हरियाणा में है। श्री गोयल और श्री फूलचन्द को लोकोपकारी कार्यों के लिए और श्री हाडा को उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपाधियां दी गई थीं।

चंडीगढ़ में हड़प्पा संस्कृति से सम्बन्धित कंकालों का पाया जाना

2936. **श्री रामकिशन गुप्त :**
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हड़प्पा संस्कृति से सम्बन्धित कंकाल पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पाये गये कंकालों की ओर अधिक ध्यान देने के लिए अग्रेतर कार्यवाही क्या की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांनआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भवन के तहखाने की खुदाई के दौरान अस्थि पंजर पाए गये थे। चूंकि असावधानी-पूर्वक खुदाई के कारण वे पहले ही क्षतिग्रस्त हो गये थे, कब्रगाह क्षेत्र को सुरक्षित रखना उपयुक्त नहीं समझा गया। फिर भी, पंजाब विश्वविद्यालय ने क्षेत्र में खुदाई का अन्तिम चरण प्रारम्भ किया था और खोजों को हटा लिया था। यह अनुभव किया गया है कि यह अधि वांछनीय होगा कि परीक्षण खाइयों के साथ, निकटवर्ती खुले क्षेत्र की खुदाई प्रारम्भ की जाए ताकि नगर का पता लगाया जा सके। सरकार इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

पब्लिक स्कूलों में सुधार

2937. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूलों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन स्कूलों के कार्यसंचालन के बारे में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सरकार जिस मुख्य कार्यक्रम के प्रोत्साहन का प्रयत्न कर रही है वह है प्रतीभावान किन्तु आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए पब्लिक स्कूलों में काफी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रारम्भ करना ताकि उनकी वर्तमान बिलकुल अलग हालत को बदला जा सके और उनका सामाजिक आधार

व्यापक बनाया जा सके। समाजिक जागरुकता और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रयोग, भारतीय संस्कृति और परम्पराओं तथा समाज सेवा के कार्यक्रमों पर बल देने हेतु पाठ्य चर्चा में कुछ परिवर्तन का भी सुझाव दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

मद्रास से वाह्य बन्दरगाह

2938. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के वाह्य बन्दरगाह में बड़े जहाज कब से आने लगेंगे ;

(ख) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) पत्तन न्यास मद्रास तेलशोधक कारखाने को माल रखने की सुविधाएं कब तक प्रदान कर सकेगा ; और

(घ) उसके द्वारा 7 रुपये प्रति टन घाड-शुल्क लिये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य, विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) बाहरी बाजू-विस्तार के सिवाय बाहरी हारबर के 1971 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। बाहरी बाजू-विस्तार इस निर्माण कार्य को प्रमुख मद है जिसे आवश्यक अध्ययनों के बाद शुरू किया जायेगा।

(ख) कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण देर हुई है। ये समस्यायें पनकट दीवारों के निर्माण के दौरान सामने आयीं। भारत सरकार के अनुमोदन से मद्रास पत्तन न्यास द्वारा नियुक्त एक विशिष्ट तकनीकी समिति ने स्थिति की जांच की और उनके निवारण के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की। पत्तन न्यास इन उपायों को कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) मद्रास रिफाइनरी के 36 फुट डुबाव वाले तेल पोतों की उत्तरी टोकर के उत्तर में मद्रास पत्तन न्यास द्वारा अभी तक घाट सुविधायें दी जा रही हैं। यह सुविधा जनवरी के मध्य से अक्तूबर के मध्य तक उपलब्ध रहती है। 36 फुट डुबाव वाले तेल पोतों को हारबर के भीतर उत्तरी-पूर्वी मानसून अवधि में घाट सुविधाओं की व्यवस्था देने, जिससे सारे वर्ष 36 फुट डुबाव वाले तेल पोतों की धरा उठाई की जा सके, का प्रश्न सक्रिय विचाराधीन है।

(घ) कच्चे तेल पर घाट शुल्क की दर नितान्त तदर्थ आधार पर 10 रुपया प्रति लीटर से कम करके 7.5 रु० प्रति टन कर दिया गया है। बाहरी हारबर के तैयार होने पर वसूल की जाने वाली अन्तिम दर नई तेल गोदी की प्रचालन लागत को दृष्टि में रखकर और माद्रस रिफाइनरी के साथ विचार विमर्श के बाद निश्चित की जायेगी।

भारत द्वारा जहाजों का अर्जन

2939. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत 1972 तक कितने जहाज अर्जित करेगा और उनकी अनुमानित लागत कितनी होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया ने रुपयों में भुगतान को आधार पर हमारे साथ व्यापार करने की सुविधा समाप्त कर दी है और अन्य देश भी रुपये के आधार पर व्यापार करने के इच्छुक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 35 लाख कुल रजिस्टर्ड टन भार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1-3-70 को 23.29 लाख की आर टी के 258 पोत भारतीय रजिस्टरी में है । इसके अलावा लगभग 6.67 लाख जी आर टी के 52 जहाजों का आदेश दिया गया है । इसमें से 3.78 लाख की आर टी के 21 जहाज (81.315 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत) 1972 के अन्त तक सिपुर्द होने की संभावना है । उस समय तक नये जहाजों के लिये कुछ और आदेश दिये जा सकते हैं जो 1972 के बाद सिपुर्द किये जायेंगे । संभवतः कुछ बरते जहाज भी खरीदे जा सकते हैं जो तुरन्त सिपुर्द किये जायेंगे । इन प्रत्याशित अर्जनों का अनुमान इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग). जी, नहीं । यूगोस्लाविया के साथ मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार और भुगतान करार 31-3-72 तक बढ़ा दिया गया है और यूगोस्लाविया के साथ रुपयों में भुगतान करने की व्यवस्था उस तारीख तक उपलब्ध होगी । कुछ और पूर्वी योरोप के देश भी रुपये में भुगतान के आधार पर व्यापार कर रहे हैं । क्योंकि चालू वित्त वर्ष में हमने रूमानिया में 10 जहाजों के निर्माण के लिए और 10 जहाजों के निर्माण के लिए जर्मन लोक तन्त्र गणराज्य में भुगतान के आधार पर आदेश दिये हैं । इस कारण और चूंकि अन्य विदेशी देशों से भी कुछ और ऋण उपलब्ध होंगे यह आशा की जाती है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के लिये रखी गयी 35 लाख जी आर टी का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ।

विदेशी जहाजों को दिये गये भाड़े के कारण खर्च की गई विदेशी मुद्रा

2940. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के लिये माल ला रहे विदेशी जहाजों पर भाड़े के कारण कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा के अल्प संसाधनों पर इस भारती बोझ को कम करने के लिए सरकार को नये जहाज अर्जित करने के लिए एक आवर्तक विदेशी मुद्रा निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस निधि को स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) विदेशी जहाजों को किये गये भाड़ा भुगतान का कोई परिशुद्ध अनुमान उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस कल्पना के आधार पर कि देश के समुद्रपार के व्यापार के मूल्य का 10

प्रतिशत भाड़ा भुगतान के रूप में दिया गया होगा और उसमें से भारतीय शिपिंग कंपनियों की भाड़ा कमाई को कम करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि 1967-68 और 1968-69 में विदेशी जहाजों को भाड़े के रूप में क्रमशः लगभग 211 करोड़ रुपये और 209 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

(ख) और (ग). जहाजों को लेने के लिए एक परिक्रामी विदेशी मुद्रा निधि स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया। देश की विदेशी मुद्रा की सामान्यतः कठिन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं समझा गया है। इसके अलावा, यह प्रस्ताव इस मूल विचार के विरुद्ध है कि किसी व्यापार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा एक मात्र उसी व्यापार के लिए नियत नहीं की जा सकती है। यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या प्रस्तावित निधि को होने वाली प्राप्तियां इतनी पर्याप्त होंगी कि उससे टनभार-विस्तार कार्यक्रम चल सकेगा।

Legislation against Bigamy in Delhi

2941. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Bill has been introduced in the Delhi Metropolitan Council wherein it has been urged upon the Central Government to enact laws to ensure that any resident of Delhi cannot marry a second time of his first wife is alive ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). While no Bill as such has been introduced, the Delhi Administration have reported that a non-official Resolution to this effect was moved in the Metropolitan Council on the 6th February 1970 and discussion on it will take place during the ensuring session of the Council commencing on the 24th March 1970. Part (b) of the question is, therefore, premature at this stage.

Compulsory Education for Children upto 14 Years of Age

2942. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state the steps taken to impart compulsory education to all the children in the country upto the age of 14 years as per the provisions of the Constitution and the details of the success achieved in this respect ?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : All State Governments, except Nagaland, have enacted Comulsory Primary Education Acts. In the existing economic and social conditions, however enforcement of compulsion has not been found practicable. Instead, efforts are made to ensure attendance by the provision of suitable incentives and other persuasive measures.

Facilities for free lower primary education (classes I-V : age group 6-11) exist in all the States. Education at upper primary stage (classes VI/VII/VIII : age group 11-14) is free for boys and girls in Andhra Pradesh, Gujart. Haryana, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Nagaland, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu. It

is free for girls only in Bihar, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal. In Assam, there is no scheme of free education for boys or girls at the upper primary stage.

Launching of 'Vishva Vikram' Ship

2943. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ship 'Vishva Vikram' has been launched ;

(b) if so, the tonnage and the cost of the said ship ; and

(c) whether the country still needs foreign assistance for building ships and if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, on 9th February, 1970.

(b) Tonnage : 12,900 deadweight.

Approximate cost : Rs. 320 lakhs.

(c) Foreign assistance in the construction of big ships at the Hindustan Shipyard is at present availed of for the purchase of (i) the basic designs of the sophisticated type of ships in accordance with the wishes of owners ; and (ii) certain items of equipment and machinery in respect of which indigenous capacity has not yet developed adequately.

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों आदि का पुनरीक्षण

2944. **श्री सामिनाथन** : **श्री अम्बाजागन** :

श्री सेझियान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों में पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Hindi Work in Government Offices

2945. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the Government decision, officers of the level of Joint Secretary/Deputy Secretary as well as subordinate officers have been appointed in each Ministry/Department for Hindi work ; and

(b) if so, the number of the employees and officers in each office for Hindi work, their designation and pay-scales, their duties and the reasons for not making such arrangements in other offices and the orders issued by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In each Ministry/Department of the Government of India a senior officer of the rank of Joint Secretary has been made responsible, in addition to his duties, for ensuring

implementation of the orders issued from time to time regarding the use of Hindi for Union official purposes

(b) For Hindi translation work necessary staff is appointed by the Ministries/ Departments according to their requirements. Their work is generally supervised by a Hindi Officer carrying the scale of pay of Rs. 350-900. A Statement giving the details of translation staff employed in each Ministry/Department is annexed. The collection of information in respect of each office of the Government of India will involve much time and labour which will not be commensurate with the results to be achieved [*Placed in Library. See* No. LT—2855/70].

Decrease in Profit of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi

2946. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite an increase in its income, the Ashoka Hotels Limited, New Delhi has earned 65 per cent less profit during 1968-69 as compared to that of 1967-68 and it is likely to suffer loss during the current year also ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to reduce the overhead expenditure of the Ashoka Hotel and to run it on commercial basis ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Figures of revenue and expenditure and profits made by the Ashoka Hotels Ltd. during 1967-68 and 1968-69 are given below :—

Year	Income	Expenditure (Rupees in Lakhs)	Profit
1967-68	148.87	113.30	35.57
1968.69	151.20	139.63	11.57

The Hotel is not likely to incur any loss during the current year.

(b) The reduction in profits is largely due to an increase in the Wage Bill as a result of the implementation of the Wage Board's recommendations, and higher provisions on account of depreciation and interest charges.

(c) Every effort is being made by the management of the Hotel to keep the overhead expenditure as low as possible.

सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

2947. **श्री सीता राम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के पदों के आरक्षण के लिए सभी विभागों/सरकारी उपक्रमों को सरकार के अनुदेशों के दिये जाने पर भी उनके द्वारा पूरा आरक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन सरकारी विभागों/सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों का कोटा पूरा नहीं किया गया है ; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-गृह-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग अपने अधीन सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण की व्यवस्था करने के आदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं। अतीत में मन्त्रालय, इत्यादि से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन सरकारी उपक्रमों को, उनकी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में आरक्षण की रूपरेखा पर आरक्षण के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करें । आरक्षण के इन आदेशों को कार्यरूप देने में कुछ सरकारी उपक्रमों ने कठिनाई व्यक्त की। वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सितम्बर, 1969 में निदेश का एक प्रारूप मंत्रालय को परिचालित किया है जिसमें उनके अधीन सरकारी उपक्रमों को जारी किये जाने वाले, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षणों व अन्य छूटों से सम्बन्धित उपबंध समाविष्ट हैं। इस निदेश के जारी किये जाने के पश्चात आरक्षण की व्यवस्था करने वाले आदेशों को पूर्णतः कार्यरूप देना सरकारी उपक्रमों के लिए अनिवार्य होगा।

(ख) तथा (ग). सरकार के अधीन अथवा सरकारी उपक्रमों में पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, किन्तु समय-समय पर प्रत्येक सेवा अथवा पद में होने वाली रिक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है । किसी वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की भर्ती में कमी को आगे के दो वर्षों में ले जाया जाता है।

नौवहन निगम में तृतीय और चतुर्थ क्षेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

2948. **श्री स० कुन्डू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता में नौवहन निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिये उड़ीसा में बालसौर और बारीपदा रोजगार कार्यालयों से नाम मांगे जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय हिदायत देगा कि इन रोजगार कार्यालयों से भी नाम मांगे जाने चाहिये ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी, नहीं।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 3 के अनुसार भारत जहाज़रानि निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों की रिक्तियां केन्द्रीय रोजगार कार्यालय तथा उन राज्यों में स्थित स्थानीय रोजगार कार्यालयों जहां भर्ती करने वाला कार्यालय स्थित हों, को अधिसूचित किया जाता है।

जलेश्वर, उड़ीसा में सुवर्णरेखा पुल का निर्माण

2949. **श्री स० कुन्डू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलेश्वर, उड़ीसा में सुवर्णरेखा पुल का निर्माण चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसे अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ;

(ग) क्या इस पुल के निर्माण के लिये सर्वेक्षण तथा प्राक्कलन तैयार हो चुके हैं ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस पुल को चौथी पंचवर्षीय योजना में बनाने की सिफारिश की है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (घ). प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है और इसलिये उड़ीसा सरकार की जिम्मेदारी है । 12,400 रु० की केन्द्रीय सहायता से सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके निर्माण के लिये 74 लाख रुपये का विस्तृत अनुमान सहायता अनुदान के लिये भेजा गया है। परन्तु समस्त ऐसे परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रतिरूप हाल में सहायता अनुदान से बदलकर 100 प्रतिशत ऋण सहायता कर दिया गया है । उड़ीसा सहित, संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऋण योजना की स्वीकृती पर अपने विचार भेजे ताकि भारत सरकार ऐसे समस्त मांगों पर विचार कर सके ।

राज्यों के परिवहन मंत्रियों का सम्मेलन

2950. **श्री हेमराज** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली में राज्यों के परिवहन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया और क्या निर्णय लिये गये ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां, सम्मेलन 13 जनवरी 1970 को नई दिल्ली में हुआ ।

(ख) परिवहन विकास परिषद् की आठवें बैठक में जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें सड़क परिवहन कराधान, चूँगी और दूसरे जांच चौकियों की समाप्ति, सड़क परिवहन उद्योग का वित्तदाता और संगठन, महानगरीय शहरों में परिवहन का विकास, अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्टेज वाहन यातायात के विभाजन के लिये आधार, मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एक समान आदर्श नियमों की रचना, सारे देश में चलाने के लिये पर्यटन कैव और पर्यटन गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, परिवहन विकास परिषद् की स्थायी समितियों का पुनर्गठन, सड़क विकास और अन्तर्देशीय जल परिवहन के पहलू शामिल थे। परिषद् के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं :

(1) परिषद् ने चुँगी को समाप्ति की और उसके स्थान पर दूसरे कर लगाने और राज्यों के अन्दर विभिन्न जांच चौकियां एकत्र करने और दो राज्यों की सीमा पर के चौकियों की आवश्यकता पर बल दिया ।

(2) परिषद् ने अपने सड़क परिवहन की स्थायी समिति की सिफारिशों पर जोर दिया जिसमें सड़क परिवहन चालकों के सक्षम एककों को बनाकर सड़क परिवहन

उद्योग को पुनर्गठित करने के लिये प्रयास करना है और स्थानीय हालातों का मध्यनजर रखते हुये प्रत्येक राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र में मार्गदर्शी आधार पर कुछ ऐसे एकक बनाकर प्रारम्भ करना है ।

(3) अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्री यातायात के विभाजन के लिए कोई रूढ़ि सूत्र निर्धारित करने के बजाय, अच्छा प्रबन्ध यह होगा कि उन मार्गो की जांच गुणावगुणों के आधार पर की जाये जहां दो राज्यों में विवाद हो या मतभेद हो । केन्द्रीय पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्रालय को पहल करनी चहिए और इन मतभेदों/विवादों को निपटाने में राज्यों की सहायता करनी चाहिए ।

(4) योजना के अन्तर्गत परमिटों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के पहले पर्यटन कैब और गाड़ियों के अखिल भारतीय परिचालन के लिये मौजूदा योजना की कार्यविधि को कुछ समय तक देखना चाहिए ।

(5) यह सर्वसम्पति से मान लिया गया कि सड़क और सड़क परिवहन परिषद् को स्थायी समितियों की सदस्यता को 5 से बढ़ाकर 12 कर देनी चाहिए ताकि सभी राज्यों और संघ प्रकासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व एक या अन्य दो स्थायी समितियों में हो सके ।

(6) परिषद् ने राज्यों पर जोर दिया कि वे सड़कों के लिये राज्य योजना विनिधानों को कम से कम 25 प्रतिशत सुनिश्चित करें और ग्रामीण सड़कों के लिये आवंटित धन इन सड़कों पर पूरी तरह उपयोग हो और दूसरी परियोजनाओं की तरफ न डाला जाय, को सुनिश्चित करें ।

(7) परिषद् ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि वे तकनीकी दल जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और दूसरे सड़कों के अनुरक्षण लागत के मूल्यांकन के लिये बनाया, की सिफारिशों के आधार पर राज्य सड़कों के अनुरक्षण के लिये धन के आवंटन की वृद्धि पर विचार करें ।

भारतीय भाषाओं में ऊंचे स्तर की पुस्तकों की छपाई के लिए राजसहायता देने की योजना

2951. **श्री हेम राज : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं में ऊंचे स्तर की पुस्तकों की छपाई के लिये राजसहायता देने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी नहीं । भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली मानक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता देने की एक योजना हाल ही में स्वीकृत की है । प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय की पुस्तकों का निर्माण राज्य सरकारें अपने विश्वविद्यालय के सहयोग

से करती है और अभी तक ऐसी पुस्तकों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए उनकी ओर से कोई निवेदन नही हुआ है।

Restrictions on Acquisition of Immovable Property

2952. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the regions of different States in the country where all the Indian citizens have not got the full liberty to purchase and have ownership of any immovable property like land, house, garden, hill, lake, etc., and the nature of restrictions imposed at different places ;

(b) the names of the regions of different States in the country where foreign Nationals and foreign Governments have not got the full liberty to purchase and have ownership of any immovable property like land, house, garden, hill, lake, etc. and the nature of restrictions imposed at different places ; and

(c) the names of the regions of different States in the country where foreign Nationals and foreign Governments have got the full liberty to purchase and have the ownership of any immovable property like land, house, garden, hill, lake, etc.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government are not aware of any such restrictions regarding acquisition of property by non-State residents, in any State, except Jammu and Kashmir and Nagaland. In several States, however, laws exist imposing reasonable restrictions, in the interests of scheduled tribes, on the alienation of property by a person belonging to such tribes. Detailed information in this regard was furnished in answer to Lok Sabha Starred Question No. 877 on 20th December, 1968 and unstarred Question No. 615 on 21st February, 1969.

(b) and (c). Under the West Bengal Alientation of Land (Regulation) Act, 1970 no land can be transferred without the previous sanction, of the State Government to foreign nationals etc. Similar restrictions are in force in Nagaland and Jammu and Kashmir. Information regarding other States is being ascertained.

विभिन्न राज्यों में तकनीकी कालेज

2953. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने तकनीकी कालेज खोले गये और कहां-कहां ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र के लिए तीसरी योजना में स्वीकृत किए गये केवल एक इंजीनियरी कालेज ने 1967 में कार्य शुरू किया था। चौथी योजना में कोई नया इंजीनियरी कालेज शामिल नहीं किया गया है।

रसायन इंजीनियरी की एक संस्था एक निजी एजेंसी द्वारा 1968 में नडियाद में खोली गयी थी।

दिल्ली परिवहन उपक्रम में चालक, संवाहक तथा लिपिक

2954. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 को दिल्ली परिवहन में चालकों, संवाहकों तथा लिपिकों की वर्गवार संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने कर्मचारी बर्खास्त किये गये ; और

(ग) क्या इस अवधि में उनमें से कुछ कर्मचारियों की फिर से नियुक्ति की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) चालक —2812

संवाहक —2831

कनिष्ठ लिपिक — 364

वरिष्ठ लिपिक — 112

(ख) पिछले तीन वर्षों में केवल 2 संवाहक बर्खास्त किये गये ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तोड़ना

2955. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तोड़ने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नागपुर में एक पर्यटक होटल का खोला जाना

2956. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में सरकारी क्षेत्र में पर्यटकों के लिये एक होटल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी में होटल नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सीमित साधनों के कारण यह आवश्यक है कि उन केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाये जहां कि विदेशी पर्यटकों का आगमन अधिक है ।

मंत्रालय में अधिकारी प्रधान योजना

2957. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों और सम्बद्ध कार्यालयों में अधिकारी प्रधान योजना लागू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत मामलों को निपटाने की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों में, जहां अधिकारी प्रधान योजना लागू है सहायकों को नियुक्ति केवल डायरी करने और फाइलों को ढूंढने के लिए होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार का कार्य निम्न श्रेणी लिपिक तथा उच्च श्रेणी लिपिक से क्यों नहीं लिया जाता, जबकि सहायक मामलों को निपटाने का कार्य स्वयं कर सकते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यह सही है कि भारत सरकार के संगठनों के कुछ भागों में मामलों को निपटाने से सम्बद्ध कर्मचारियों (डीलिंग हैंड्ज) से छुटकारा पाने या उन पर निर्भर रहने को कम करने तथा अधिकारियों से आरम्भ में ही मामलों पर सहायक-कर्मचारीगण सहित अथवा उनके बिना, सीधे कार्यवाही करने की अपेक्षा करने की दृष्टि से कार्यालय के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है ।

(ख) सामान्यत: प्रक्रिया यह है कि सम्बन्धित अधिकारी सीधे सहायक-कर्मचारीगण से नितान्त आवश्यक सहायता लेते हुए अपने कार्य से सम्बन्धित कागज पत्रों का निपटान करता है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् अब तक एकत्रित सूचना के अनुसार और अधिक सूचना एकत्रित की जा रही है और इसका परिणाम सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सचिवालय में निम्न श्रेणी लिपिकों की उच्च श्रेणी लिपिकों के पद पर पदोन्नति

2958. **श्री राम चरण** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अन्तर्गत कितने निम्न श्रेणी लिपिकों को वर्ष 1950 और वर्ष 1953 के बीच भारत सरकार की नौकरियों में नियुक्त किया गया था ;

(ख) ऐसे कितने निम्न श्रेणी लिपिक हैं जो अधिकतम वेतनमान ले रहे हैं, परन्तु अभी तक उच्च श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नत नहीं किये गये ;

(ग) क्या कुछ स्नातक और स्नातकोत्तर निम्न श्रेणी लिपिकों को अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). अपेक्षित

सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी। फिर भी, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी लिपिकों की उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में पदोन्नति के मामले में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के सम्बन्धित उपबन्धों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई विशेष विचार करने के लिए व्यवस्था नहीं है।

Use of Border Security Force during Agitation in Haryana

2959. **Shri Mritunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Border Security Force was also deployed for controlling the demonstrators in Haryana who staged demonstrations on the question of Chandigarh ;

(b) whether it is also a fact that the said force wipped these demonstrators ; and

(c) whether wipping of the persons is permitted under the law and, if not, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Certain units of the Border Security Force were placed at the disposal of the Haryana Government at their request for law and order duties.

(b) No Sir. The members of the Force are not equipped with whips.

(c) No ; the question does not arise.

कलकत्ता तथा सिलचर और सिलचर तथा गोहाटी के बीच विमान सेवा बनाने की मांग

2960. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता तथा सिलचर और सिलचर तथा गोहाटी के बीच यात्री विमान सेवा की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में जनता से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइंस ने सूचना दी है कि गौहाटी सिल्चर सैक्टर पर आवृति में वृद्धि करने के लिए एक निवेदन प्राप्त हुआ था।

इस समय, इंडियन एयरलाइंस निम्नलिखित सेवायें परिचालित कर रही है :—

(i) कलकत्ता-अगरतला-गौहाटी-सिल्चर-फोकर फ्रैंडशिप से सप्ताह में चार दिन।

(ii) कलकत्ता-सिल्चर-फोकर फ्रैंडशिप से दैनिक।

(iii) कलकत्ता-अगरतला-सिल्चर-इम्फाल-डकोटा से दैनिक।

इंडियन एयरलाइंस के कलकत्ता-अगरतला गौहाटी-सिल्चर सेवा को शीघ्र ही इम्फाल तक

बढ़ाने की आशा है और कलकत्ता-अगरतला-सिल्चर-इम्फाल मार्ग पर डकोटाओं के स्थान पर फोकर रखने की भी आशा है। कारपोरेशन अपने विमान बेडे में वृद्धि होने पर कलकत्ता-अगरतला गौहाटी-सिल्चर सेवा की आवृत्ति में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच करेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर निर्माण कार्य

2961. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 पर, जो आसाम तथा उत्तर बंगाल को कलकत्ता पत्तन से जाड़ती है, बढ़े हुए सड़क यातायात भार के लिये उसे चौड़ा करने, मजबूत करने तथा उपभागों की व्यवस्था करने का काम, जिसे 1968-69 में आरम्भ किया जाना था, वास्तव में शुरू किया गया है और पूरा हो गया है ;

(ख) इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी और यह काम किसी ऐजेंसी को सौंपा गया था ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजपथ के सैनिक तथा आर्थिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए तथा फरक्का बांध के पूरा होने पर चालू वर्ष में गंगा नदी पर सड़क पुल बनने के बाद इस मार्ग में सड़क यातायात की अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उसे और अधिक चौड़ा तथा मजबूत बनाने की कोई योजना बनाई है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1968-69 में कोई ऐसा कार्य शुरू नहीं किया जाना था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। उपलब्ध निधि के अन्तर्गत यथा-संभव सीमा तक।

Registration of Case against 'Vir Arjun' and 'Pratap' for Instigation to Indulge in Lawlessness

2962. **Shri Deven Sen : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police has registered a case against the editors of the Daily Vir Arjun and Pratap for instigating people through speeches to indulge in lawlessness ; and

(b) if so, the portions of the said speeches on the basis of which the Police has registered the case ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information received from the Delhi Administration, a case under section 153-A, Indian Penal Code has been registered against Shri K. Narendra, editor of the Urdu daily 'Pratap' and the Hindi daily 'Vir Arjun', for his speech on September 27, 1969 in New Delhi.

(b) The case is under investigation.

"National Laboratories Monument to Unused Instruments"

2963. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report about the interview with Dr. C. V. Raman appearing in the Times of India dated the 21st February, 1970 under the heading "National Laboratories Monument to unused Instruments" ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Education and youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have the highest respect for Dr. C. V. Raman. The views attributed to him are presumably personal views and it is hoped scientists in the laboratories would have noted them.

आय-व्ययक तथा अतिरिक्त वित्तीय मामलों के बारे में त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री द्वारा मांगी गई शक्तियां

2964. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जून में उनके साथ हुई एक बैठक में त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने आय व्ययक बनाने की शक्तियां तथा कुछ अतिरिक्त वितीय शक्तियां मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई मांगों का सही-सही ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री केन्द्रीय गृह मंत्री से मई, 1969 में (न कि जून, 1969 में) मिले थे । उन्होंने सामान्यतया विकास तथा वित्तीय शक्तियों से सम्बन्धित मामलों पर विचार विमर्श किया था । वित्तीय शक्तियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन की मांग नहीं की गई थी । किन्तु, संघ राज्य क्षेत्रों को (त्रिपुरा समेत) अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के प्रश्न पर प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में समान शुल्क

2965. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी राज्यों में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में समान शुल्क नहीं है ;

(ख) क्या राज्यों में उच्च स्तर तक की शिक्षा के लिए समान शुल्क निश्चित करने का भारत सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) शिक्षा राज्य विषय है और फीस की दरें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जानी है।

Permission Sought by Sheikh Abdullah for Inviting Representatives of Pak-Occupied Kashmir to All-Party Convention

2966. **Shri Janeshwar Misra :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister has received a letter from Sheikh Abdullah in which he has requested the Governments of India and Pakistan to allow the representatives from Pakistan occupied Kashmir to participate in the all-party Convention to be held to consider the future of Kashmir ; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Sheikh Abdullah has written a letter to the Prime Minister, suggesting that the Government of India should permit invitees from across the Cease-fire Line to come to attend a convention proposed to be convened by him in Srinagar in May next.

(b) Government have decided not to give permission.

Construction of a Permanent Open Bridge Over River Jamuna at Delhi

2967. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of people cross over the Jamuna bridge in the capital daily by buses, cars, tongas, cycles and on foot ;

(b) whether it is also a fact that traffic comes to a stand-still many a time on account of hand-driven carts and other types of slow-driven vehicle as a result of which the passengers have to wait there hours together

(c) whether it is further a fact that a pontoon bridge is constructed on the Jamuna for a few months every year ;

(d) if so, the expenditure incurred on its construction and demolition every year ;

(e) whether Government are proposing to construct a permanent open bridge over the Jamuna with a view to solving the problem of this heavy traffic as also to avoid expenditure being incurred on the construction of the pontoon bridge ; and

(f) if so, the time by which the said proposal would be implemented ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh, : (a) Yes, Sir,

(b) Traffic jams do occur at times.

(c) Yes, Sir.

(d) Municipal Corporation of Delhi spends Rs. 1.50 lakhs approximately every year at present.

(e) and (f). The Master Plan for Delhi provides for the construction of two bridges across the river Jamuna (i) near Shantivana, and (ii) between the existing rail-cum-road

bridge and Wazirabad bridge. The investigations and model studies for the exact location of the sites for these bridges are in progress. These are in addition to Wazirabad bridge and two other bridges near Humayun's tomb and 'C' Power Station, recently completed.

Speeches of Badshah Khan during his Visit to India

2968. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have compiled all the speeches delivered by Badshah Khan during his visit to India and have scrutinised them ;

(b) if so, whether it is a fact that Badshah Khan has in all his speeches held the majority community responsible for communal riots ;

(c) whether it is also a fact that 90 per cent of the riots are sparked off by the minority community according to Government report ; and

(d) if so, the reaction of Government to the speeches of Badshah Khan in this context ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have seen press-reports of the speeches delivered by Badshah Khan during his visit to India.

(b) and (c). No, Sir.

(c) Does not arise.

भूतपूर्व पेप्सू राज्य के संवर्गों के कर्मचारियों की वरिष्टता सूची को अन्तिम रूप देना

2969. **श्री गुरचरण सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पेप्सू राज्य के संवर्गों के कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्टता सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है यद्यपि इस राज्य का विलय 1 नवम्बर, 1956 को कर दिया गया था तथा अब तक 13 वर्ष से भी अधिक समय समाप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वह संवर्ग कौन सा है तथा इसके अन्तर्गत कर्मचारियों की वरिष्टता सूची को अन्तिम रूप देने में कितना सगय लगेगा ताकि इन कर्मचारियों का भविष्य जोखिम में न पड़े ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). पंजाब शिक्षा सेवा श्रेणी II तथा श्रेणी III ब पंजाब सिविल सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों व आशुलिपिकों की संयुक्त वरिष्टता सूचियों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पंजाब शिक्षा सेवा श्रेणी II व श्रेणीं III की संयुक्त वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दिये जाने में अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि अभी इन अस्थायी सूचियों के विरुद्ध राज्य सरकार से कुल अभ्यावेदनों की प्रतीक्षा है ।

वैयक्तिक सहायकों और आशुलिपिकों के मामले में पदों की स्वीकृत समीकरण के आधार पर संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है । मामले को शीघ्र अंतिम रूप दिये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में काम कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के दूसरे विभागों को ऊंचे पदों के लिए भेजे गये आवेदन पत्रों का रोका जाना

2970. **श्री सूरज भान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो में काम कर रहे अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कर्मचारियों द्वारा अन्य विभागों में उच्च पदों के लिए जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें भी शामिल हैं, भेजे जाने वाले आवेदनपत्रों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास नही भेजा जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों तथा अन्य कर्मचारियों के अलग-अलग ऐसे कितने आवेदन पत्र हैं जिनको गत वर्ष भेजा गया था तथा रोक लिया गया था ;

(घ) इस विषय पर यदि कोई पुराने अनुदेश हों तो क्या सरकार का विचार उनमें परिवर्तन करने का है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के ऐसे आवेदन-पत्रों को न रोका जाय और उनको अपना 'सर्विस कैरियर' बनाने का अवसर मिले ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्रों को संघ लोक सेवा आयाग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए अग्रप्रेषित किया जा रहा है तथा जनहित के आधार पर जहां यह समझा जाता है कि दूसरे विभागों में या सेवाओं के लिए प्रार्थना-पत्र अग्रप्रेषित नहीं किये जाने चाहिए वहां नहीं किये जाते हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

अग्रप्रेषित किये गये प्रार्थना-पत्र		रोके गये प्रार्थना-पत्र	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति	अन्य	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति	अन्य
4	22	—	29

(घ) और (ङ). पहले से ही ये आदेश हैं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के स्थाई अथवा अस्थाई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यक्तियों के अलावा के प्रार्थना-पत्रों को नि:संवर्ग पदों के लिए शीघ्र अग्रप्रेषित किया जाना चाहिए जब तक जनहित के आधार पर कोई ऐसी बात नहीं हो जिसके कारण उनके प्रार्थना-पत्र रोके जाये। वैज्ञानिक और तकनीकी श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनकी प्रतिभा का उचित उपयोग करने के लिए बाहर के पदों के लिए भी उनके प्रार्थना-पत्र अग्रप्रेषित करने के बारे में उदार नीति बनाई गई। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आदेशों का पुनरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

त्रिपुरा में पर्यटन का विकास

2971. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में पर्यटन के विकास की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा वित्तीय परिव्यय क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चौथी पंच वर्षीय योजना में भारत सरकार की त्रिपुरा में पर्यटन के विकास की कोई योजनायें नहीं हैं। परन्तु, राज्य की योजना में इस प्रयोजन के लिए 10 लाख रुपये की राशि का विनियतन किया गया है।

शिलांग के निकट बड़ा पानी हवाई अड्डे का विकास

2972. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** क्या **पर्यटन तथा असैनिक-उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उस भाग का विशेष रूप से भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लाभार्थ शिलांग (आसाम) के निकट बड़पानी हवाई अड्डे के विकास में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) वर्ष 1970-71 में इस योजना की क्रियान्विति के लिये कितनी धन-राशि नियत की गई है और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) काम के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). साधनों के अत्यधिक सीमित होने के कारण इस प्रयोजना को फिलहाल हाथ में लेना सम्भव नहीं हो पाया है।

त्रिपुरा में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

2973. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा त्रिपुरा में मृतक राजनीतिक पीड़ितों के परिवारों सहित उन राजनीतिक पीड़ितों को जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा स्वतन्त्रता के बाद से अब तक उस राज्य को इसके लिए अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) त्रिपुरा में उन लाभ-प्राप्त परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसी सहायता दी गई है तथा वहां राजनीतिक पीड़ितों के परिवारों की संख्या कितनी है जिनका अभी तक उचित पुनर्वास नहीं किया गया है ; और

(ग) त्रिपुरा में दी गई सुविधायें तथा सहायता अन्य राज्यों संघ राज्य/क्षेत्रों में राजनीतिक पीड़ितों को दी गई सुविधाओं तथा सहायता की तुलना में कैसी है तथा इस प्रयोजन के लिये

त्रिपुरा सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों को दी गई सहायता की तुलना में कैसी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). भारत सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। किन्तु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रा सेनानियों को, जिनकी दीन-हीन दशा हो और जो ऐसी सहायता मांगते हों, गृह मन्त्री के स्वविवेकानुदान से तदर्थ अनुदान दिये जाते हैं। 1955-56 में इस निधि के आरम्भ से इस निधि से त्रिपुरा के 182 स्वतन्त्रता सेनानियों को 91,000 रु० की कुल राशि दी गई है। इसमें लगभग पचास स्वतन्त्रता सेनानियों को व्यापार ऋणों के रूप में दी गई राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की भांति, त्रिपुरा प्रशासन शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना के अधीन बच्चों की शिक्षा के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता दे रहा है।

दादरा और नागर हवेली का महाराष्ट्र राज्य में विलय

2974. **श्री शिंकरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दादरा और नागर हवेली के लोगों की इन क्षेत्रों को निकटवर्ती महाराष्ट्र राज्य के साथ मिलाने जिसके साथ उनका भाषा और सांस्कृतिक मिलाप है और भौगोलिक सामीप्य है आकांक्षाओं की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्त गुजरात राज्य के अधिकारी उस क्षेत्र के प्रशासन कार्य की ओर समुचित ध्यान देने की बजाये उस क्षेत्र का गुजरातकरण करने में लगे हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार मराठी-भाषी लोगों की आशंकाएं दूर करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में चमोरा किले में नाचघर चलाने का प्रस्ताव

2975. **श्री शिंकरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ राज्य की सरकार ने उनके मंत्रालय से गोआ के समुद्र तट पर स्थित चपोरा किले में एक नाचघर चलाने के लिए मंजूरी तथा तदुपरान्त वित्तीय सहायता देने को कहा है ;

(ख) क्या इस समय कलिमपोंग में नाचघर चलाने वाली एक गैर सरकारी पार्टी ने गोआ में नाचघर चलाने की अपनी योजना उनके मंत्रालय को दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय की दोनों प्रस्तावों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खेलकूद बोर्ड तथा संघ

2976. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार से संरक्षण/प्रोत्साहन पाने वाले विभिन्न खेलकूद बोर्डों/संघों के नाम क्या है ;

(ख) क्या ओलम्पिक और आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नौका दौड़ जैसे नौका खेने के खेल को सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार ओखला में नौका क्लब खोलने पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सूची संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी—2856/70]

(ख) और (ग) भारतीय ओलिम्पिक संघ से पता चला है कि इस समय कोई अखिल भारतीय सेना (रोइंग) संघ नहीं है किन्तु इस प्रकार के संघ को बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। किन्तु कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अनेक खेना क्लब हैं और उनमें से कुछ एशिया रोइंग एसोशियन से सम्बद्ध है । किसी अखिल भारतीय खेना संघ के बनते ही तथा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन उसके पंजीकृत होते ही, सरकार, अखिल भारतीय खेल परिषद के विचार-विमर्श से, खेने को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित वित्तीय सहायता के प्रस्तावों पर विचार करेंगी । किन्तु ओखला में खेना क्लब स्थापित करने का कोई प्रस्ताव, इस समय विचाराधीन नहीं है ।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, रूरकेला का दर्जा बढ़ाना

2977. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने रूरकेला में 1962 में स्थापित किये गये प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज का दर्जा बढ़ाने और कालेज में और विषय पढ़ाने के लिये उसे स्वायत्तता देने की वांछनीयता पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय की इच्छा के अनुसार उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में एक ब्यौरेवार योजना भेजी है ;

(ग) स्वायत्तता मिलने के बाद इस कालेज द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों और डिप्लोमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). उड़ीसा सरकार ने प्रादेशिक कालेज को उचित विधान द्वारा स्वायत्तता देने और उसे प्रोद्योगिकी संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया था। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को चौथी योजना में धन की कमी को ध्यान में रखते हुये यह सुझाव दिया है कि फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अन्तर्गत कालेज को स्वायत्त संस्था की हैसियत से कार्य करना चाहिये और इसे औद्योगिकी संस्थान के रूप में विकसित करने पर तभी विचार किया जा सकता जब कालेज की स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी और संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक कालेज की स्थापना के लिये निम्न वित्तीय सहायता दे रखी है :

	(रुपये)
(1) कालेज भवन उपकरण तथा कालेज के कर्मचारियों के निवास-स्थान के लिये अनुदान	1,39,64,334
(2) आवर्त्ती व्यय अनुदान	77,45,900
(3) कर्मचारियों के निवास-स्थान के लिये ऋण	25,75,000
(4) छात्रावास के लिये ऋण (ब्याज रहित)	63,25,232

रेलवे सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय का स्थान परिवर्तन

2978. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 10 वर्षों में रेलवे सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय कहां था।

(ख) क्या इस कार्यालय को सिकन्दराबाद स्थानान्तरित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय आयेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कार्यालय निम्न स्थानों में रहा है :

1941 से अक्तूबर 1963 तक	:	शिमला में
अक्तूबर 1963 से 1965 तक	:	मेरठ में
1966 से अब तक	:	लखनऊ में

(ख) और (ग). रेल सुरक्षा आयुक्त का प्रस्ताव है कि उसके कार्यालय को सिकन्दराबाद स्थानान्तरित किया जाये क्योंकि सिकन्दराबाद एक क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय है और लखनऊ की अपेक्षा उसकी स्थिति अधिक केन्द्रीय है। परन्तु भारत के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधिपति श्री

के० एन० वांचू की अध्यक्षता में गठित रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968, ने सिफारिश की है कि रेल सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में स्थित होना चाहिये। इस मामले पर अब विचार किया जा रहा है।

(घ) दोनों में से किसी भी प्रस्ताव पर कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं आयेगा। परन्तु कार्यालय को सिकन्दराबाद अथवा दिल्ली कहीं भी ले जाने की अवस्था में यात्रा-भत्ते और कार्यालय के अभिलेखों के वहन के रूप में अनावर्ती व्यय होगा।

विदर्भ राज्य तथा अन्य नये राज्य बनाना

2979. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि यदि लोग चाहते हैं तो वह विदर्भ राज्य निर्णय के विरुद्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसी भांति सरकार तेलंगाना राज्य का निर्णय करने की जनता की मांग को स्वीकार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि राज्यों का भाषा के आधार पर बटवारा एक गलती थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) नागपुर में अपने दो भाषणों के बीच गृह-मन्त्री ने कहा कि कई पीढ़ियों के पश्चात् महाराष्ट्र राज्य के सृजन के लिये मराठी भाषी लोगों के सजाये हुये स्वप्न ने वास्तविक रूप धारण कर लिया। इस बात पर जोर देते हुये कि महाराष्ट्र में रहना विदर्भ के लोगों के हित में है, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि महाराष्ट्र के एक भाग के रूप में रहने के लिए विदर्भ के लोगों का सहयोग गत आम चुनावों में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया था। गृह-मंत्री ने यह भी कहा था कि जब केंद्रीय सरकार वर्तमान राज्यों के विभाजन द्वारा नये राज्यों के सृजन के पक्ष में नहीं है तो वह लोगों पर अपने विचार थोपने के अधिनायक नहीं है। प्रजातन्त्र में अन्ततोगत्वा जनता के प्रतिनिधि स्वयं ऐसे विवादों को तय करते हैं और संसद सर्वोच्च है।

(ख) 6 मार्च, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार पृथक तेलंगाना राज्य के बनाने के पक्ष में नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

गत दो वर्षों में दुर्घटनाग्रस्त विमान

2980. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रति वर्ष कितने विमान दुर्घटना ग्रस्त हुए तथा इसके कारण कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) दुर्घटनाग्रस्त विमान किन-किन देशों से खरीदे गये थे तथा कब खरीदे गये थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). भारत में 1968 में 27 और 1969 में 26 दुर्घटनायें हुई जिनमें से क्रमशः 25 और 21 दुर्घटनायें क्लबों व निजी मालिकों के विमानों से सम्बन्धित थीं। विमानों को हुई हानि की मात्रा, दुर्घटना के सम्भावित कारण, पंजीकरण की तारीख और जिस देश से विमान खरीदा गया उसके सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना को देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2857/70।]

Promotion to Officers of Delhi Police while on Deputation

2982. **Shri P. C. Adichan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Officers of the Delhi Police who have been on deputation to the Union Ministries and their Attached and Subordinate Offices for more than five years ;

(b) whether it is a fact that some Officers have been given promotions while on deputation but have not been transferred ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information furnished by Delhi Administration, there are 145 such offices.

(b) and (c). Yes, Sir. Some officers have been given officiating promotion by the borrowing departments, and they could not be repatriated to the Delhi Police as they have acquired specialised knowledge of the work of the borrowing department and also for want of suitable substitutes. It has been decided that :—

(i) The tenure of deputation in the IB and CBI shall be 5 years extendable by another 3 years. Extension beyond 8 years will be in very exceptional cases.

(ii) Those officers, who had specialised in the work of the CBI/IB and whom the latter organisations intended to retain for longer periods, should be permanently absorbed ; for this a deputation reserve is to be created in the Delhi Police. IB and CBI will carry out a review of officers who have been with them on deputation for more than 10 years with a view to absorbing them in their organisations permanently. Officers not so absorbed are to be reverted in due course to Delhi Administration, and the Administration will provide suitable substitutes.

(iii) Officers of the age of 55 years and above will continue till they are superannuated.

Uniforms for Class IV Employees

2983. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of Ministries in which Class IV employees are not given winter and summer uniforms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy : According to standing instructions Class IV employees in the Ministries such as Jamadars Peons, Daftries, Record Sorters, Junior Gastetner Operators, Farashes, Sweepers an Chowkidars are supplied uniforms. At stations classified as 'all Winter' or 'all Summer stations, only winter or summer uniforms, as the case may be, are supplied and at other stations both summer and winter uniforms are supplied.

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के प्रशिक्षु पायलट के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुने गये उम्मीदवार

2984. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने दिसम्बर, 1968 में आई०ए०सी० में प्रशिक्षु पायलट के प्रशिक्षण के लिये 70 उम्मीदवारों को चुना था ;

(ख) उनमें से अब तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिये बुला लिया गया है ;

(ग) यदि कोई उम्मीदवार अभी शेष है तो उन्हें किस तिथि तक प्रशिक्षण के लिये बुला लिया जायेगा ;

(घ) पहले ही चुने गये सभी उम्मीदवारों को बुलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या आई०ए०सी० पहले से चुने गये सभी उम्मीदवारों को नियुक्त करने से पहले नया चयनं करने पर विचार कर रही है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 70 व्यक्तियों का एक पेनल तैयार किया गया था जिनमें से प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) पायलटों की नियुक्तियां की जानी थीं।

(ख) 51।

(ग) यह रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा। परन्तु, इण्डियन एयरलाइन्स को निकट भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ने की आशा नहीं है।

(घ) पेनल पर रखे 51 उम्मीदवारों को पहले ही प्रशिक्षण के लिये भेज दिया गया है। फिलहाल और आगे कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) 19 उम्मीदवार अभी पेनल पर हैं। प्रबंधकवर्ग ने, यदि बोर्ड की अनुमति मिल गई तो, पेनल के बने रहने की अवधि को अप्रैल, 1972 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इस अवधि के दौरान होने वाली रिक्तियों को उम्मीदवारों के उपयुक्त होने की अवस्था में पेनल से ही भरा जायेगा, तथा इसमें उनके पेनल पर रखने से लेकर मध्यवर्ती अवधि के दौरान उनके उड़ान के रिकार्ड तथा उनके लाइसेंसों की चालू वैधता को भी दृष्टि में रखा जायेगा।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असुरक्षा

2985. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति केन्द्रीय सरकार के संस्थानों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में दिन प्रति दिन असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति उस राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के संस्थानों के कर्मचारियों के लिये भी निस्सन्देह रूप से चिन्ता का विषय है ।

गांधी जी द्वारा तथा उनके बारे में लिखित ग्रन्थों की सूची

2986. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी की कृतियों तथा उनके बारे में लिखी पुस्तकों की एक ग्रंथ-सूची तैयार की गई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका एक ऐसा संस्करण प्रकाशित करने के लिये कार्यवाही की गई है, जिसे जनसाधारण के लिये प्राप्त करना सुलभ है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने गांधी जी पर एवं उन्हीं के द्वारा लिखे गये सभी लेखों की विस्तृत ग्रंथ-सूची तैयार करने का काम हाथ में नहीं लिया है । फिर भी राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति ने गांधी सम्बन्धी निबन्धों की एक ग्रंथ-सूची संकलित करने का काम अपने हाथ में लिया है जिसका अवैतनिक मुख्य सम्पादक राष्ट्रीय पुस्तकालय, वकत्ता का पुस्ताध्यक्ष है । परियोजना की प्रगति की देखभाल के लिये श्री आर० आर० दिवाकर की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति स्थापित की गई है । कार्य में प्रगति हो रही है और आशा है कि 1972 तक पूरा हो जायेगा । इस पुस्तक का मूल्य यथा समय निश्चित किया जाएगा ।

राजनैतिक आन्दोलनों में स्त्रियों तथा लड़कियों को गिरफ्तार करना

2987. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्य सरकारों को यह आदेश देने का है कि राजनैतिक आन्दोलनों में स्त्रियों तथा लड़कियों को यथासम्भव गिरफ्तार न किया जाये अथवा जहां उग्र रूप में और गम्भीर घटनाओं अथवा हिंसक घटनाओं की शंका हो तभी उन्हें हिरासत में लिया जाये ; और

(ख) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने महिला तथा लड़की प्रदर्शनकारियों के प्रति अपने रुख में कोई परिवर्तन किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) महिला वर्ग के प्रति सहानुभूति पर बिना ध्यान दिए हुए कानून के उपबन्धों में स्त्रियों और पुरुषों के साथ व्यवहार में कोई भेदभाव नहीं है ।

राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा और दोहरा करने पर व्यय

2988. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से बम्बई, दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कलकत्ता तथा दिल्ली से श्रीनगर तक राष्ट्रीय राजपथों पर प्रायः प्रतिदिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजपथों के विभिन्न भागों को दोहरा और चौड़ा करने पर गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

खान अब्दुल गफ्फार खान का कोयम्बतूर में भाषण

2989. **श्री बाबू राव पटेल : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयम्बतूर, तमिलनाडु में खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा दिये गये उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने यह कहा बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने भारत का संविधान बनाया था वे चतुर व्यक्ति थे और धर्मनिर्पेक्षता के नाम पर एक अथवा दो मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन कर दिया गया जबकि उनके बहुमत को बहुत हानि उठानी पड़ी ; और

(ख) यदि हां, तो इस भाषण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार खान अब्दुल गफ्फार खान ने कोयम्बटूर में वकीलों के एक शिष्ट मण्डल से कहा बताया जाता है कि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता है किन्तु भारत में वही बात अधिक चालाकी से तथा अधिक छलपूर्ण तरीके से की गई है जबकि भारतीय संविधान धर्मनिपेक्ष होने का दावा कर सकता है, सरकार उनकी टीका-टिप्पणी को संविधान या संविधान बनाने वालों पर कोई आक्षेप लगाने के इरादे से की गई टीका टिप्पणी नहीं समझती किन्तु इसे इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं के प्रति सही अर्थों में धर्मनिर्पेक्षता को और निकट लाने की आवश्यकता पर एक बल के रूप में समझती है ।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिए सांविधिक निगम

2990. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिए एक सांविधिक निगम स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन होंगे और इसके कार्य क्या होंगे ; और

(ग) यह निगम कब तक स्थापित हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) निगम चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों के विकास, नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु इन विमान-क्षेत्रों पर वैमानिक संचार, विमान यातायात नियंत्रण एवं मौसम पूर्वानुमान संबंधी सेवायें नागर विमानन और मौसम विज्ञान विभागों द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी ।

निगम के गठन के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) निगम के गठन के संबंध में संसद् में इसी वर्ष के दौरान विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

हिमाचल प्रदेश को दिए गए क्लर्कों की एकीकृत पदावलि

2991. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश को नियत क्लर्कों के संवर्ग को 1955 में पंजाब सरकार द्वारा कनिष्ठ और वरिष्ठ क्लर्कों के चैनल समाप्त करके एक कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे अपना वर्तमान ग्रेड 60-172 रुपये बिना मंहगाई भत्ते के जो कि पंजाब में मिलता था, पा रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लिपिकों के एकीकृत वेतनमान, अर्थात् 60-4-80/5-120/5-175 पंजाब सरकार द्वारा 1955 में लागू किया गया था ।

(ख) तथा (ग). आबंटित लिपिक अपने ही वेतनमान अर्थात् 40 रु० मंहगाई वेतन समेत 60-4-80/5-120/5-175 रुपये प्रतिमाह अथवा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ लिपिकों के केन्द्रीय वेतनमान अर्थात् 110-3-131-4-155/4-175-5-180 जमा 110 रुपये से 149 रु० तक की वेतन सीमा में 70 रु० मंहगाई वेतन और 150 रु० से 180 रु० तक की वेतन सीमा में 90 रुपये मंहगाई वेतन के लिए विकल्प दे सकता है ।

हिमाचल सचिवालय के लिए आवंटित क्लर्कों के वेतन मान

2992. **श्री निहाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार गलत ढंग से यह प्रमाणित करती रही है कि आवंटित क्लर्कों का वर्तमान वेतनमान मंहगाई भत्ते के उल्लेख के बिना 60-175 रुपये है जबकि पंजाब सरकार द्वारा 1955 में ऐसे नियत किये गये क्लर्कों का ग्रेड बना दिये गये थे ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में कनिष्ठ क्लर्कों का वर्तमान वेतनक्रम 110-180 रुपये है जबकि पंजाब से आवंटित किये गये कर्मचारियों सहित क्लर्कों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 4 रुपये तथा 5 रुपये है और 40 रुपये का मंहगाई वेतन मिलाकर आवंटित क्लर्कों का वेतनमान 100-22 रुपये हैं ;

(ग) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत सचिवालय के आवंटित कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिए कोई प्रबन्ध किया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या आवंटित क्लर्कों ने उनके मंत्रालय से इस एकीकरण तथा समीकरण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या कुछ आवंटित क्लर्कों ने हिमाचल प्रदेश के गलत समीकरण के कारण अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश सचिवालय को आवंटित लिपिक 60-4-80/5-120/5-175 रुपये की श्रेणी में जमा 60 रुपये से 149 रुपये की वेतन सीमा में 40 रुपये और 150 रुपये से 175 रुपये की वेतन सीमा में 45 रुपये के मंहगाई वेतन पाते हैं। अतः यह कहना सही नहीं हैं कि आवंटित लिपिकों की श्रेणी 100-220 रु० की है क्योंकि 'श्रेणी' और 'वेतनमान' शब्द में मंहगाई वेतन शामिल नहीं है। 110-3-131-4-155/4-175-5-180 जमा 110 रु० से 149 रु० की वेतन सीमा में 70 रु० और 150 रु० से 90 रु० के मंहगाई वेतन में हिमाचल प्रदेश के कनिष्ठ लिपिकों इन लिपिकों का समीकरण कर दिया गया है।

(ग) जी हाँ, श्रीमान्। सचिवालय के आवंटित लिपिक या अपने ही वेतन-मान में रहने अथवा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ लिपिक को मिलने वाले केन्द्रीय वेतन-मान के लिए विकल्प दे सकते हैं।

(घ) जी हां, श्रीमान् ! इन अभ्यावेदनों की जाँच की गई थी और उनके पदों का समीकरण नियमित पाया गया।

(ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी आवंटित लिपिक के पदों के समीकरण के आधार पर सेवा से त्याग-पत्र नहीं दिया है।

कलकत्ता बन्दरगाह में यातायात में कमी

2994. **श्री देवेन सेन :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से आगे कलकत्ता बन्दरगाह पर यातायात के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यातायात में कोई कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कलकत्ता पत्तन द्वारा 1966-67 से धराउठाई किये गये माल की मात्रा नीचे दी जा रही है :—

	(मीलियन टनों में)
1966-67	10.10
1967-68	8.99
1968-69	7.95

(ख) जी हां।

(ग) मुख्यत: आर्थिक व्यवस्था में मंदी और इंजीनियरी उद्योगों में मन्दी के फलस्वरूप उत्पन्न बुरे असरों के कारण यातायात में कमी आयी है । जिन अन्य वस्तुओं के कारण यातायात में कभी आयी है वे पैट्रोल और आयात का अन्य माल है। पैट्रोल और स्नेहक तेल के यातायात में कमी का कारण, बहन बड़ी हद तक, स्थानीय उत्पादन के विस्तार से प्राप्त आत्मनिभरता है। अन्य माल के आयात में कमी आयात-लाइसेंस प्रतिबंधों और व्यापार आवरुद्धता के कारण आयी। निर्यात की जिन वस्तुओं के कारण यातायात में कमी आयी वे कोयला/खनिज धातु और पटसन का टाट था। कोयला के यातायात में कमी मुख्यत: विदेशी बाजारों के हाथ से निकलने और दक्षिण क्षेत्र में रेल द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले कोयले के रेल द्वारा भेजे जाने के कारण हुई क्योंकि पहले यह कोयला तटीय जहाजों द्वारा भेजा जाता था । पटसन के टाट के मामले के यातायात में कमी आने का कारण व्यापार में मन्दी आना था। जहां तक खनिज धातु का संबंध है निर्यात यातायात में कमी होने का कारण पड़ोसी पत्तन की प्रतियोगिता थी। क्योंकि इन पत्तनों पर तेज लदायी की सुविधाएं तथा और अधिक डुबाव उपलब्ध है। यातायात में कमी आने का दूसरा कारण कलकत्ता में अन्य पत्तनों की तुलना में अधिक पत्तन-शुल्क का किया जाना है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को समुद्र और कलकत्ता पत्तन के बीच के 126 मील लम्बे नौमार्ग क अनुरक्षण तथा निकर्षण पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। निर्यात की एक मुख मद क रूप में लोहे और इस्पात का धीरे धीरे आगे आना एक बचाव लक्षण है।

(घ) वाणिज्यिक क्रिया कलापों के पत्तन अधिकारियों के नियन्त्रण से बाहर के कारण से बुरे रूप से प्रभावित होने पर किसी भी पत्तन के लिए यातायात का सृजन करना कठिन है। तथापि पत्तन प्रभारों में राहत देकर और प्रक्रियाओं का सरल कर कलकत्ता पत्तन ने चुनी हुई वस्तुओं के नियमित यातायात को बनाये रखने के लिए उपाय किये हैं। खनिज धातुओं के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने पत्तन प्रभारों में 1 रु० प्रतिटन छूट दी है। वशर्ते कि जहाजी द्वारा ले जाये गये टनयार में वर्ष प्रति वर्ष क्रमिक वृद्धि हुई हो । ईथिल

एलकोहाल, जो निर्यात की गयी मद है, पर वसूल किये जाने वाले पत्तन प्रभार कमी कर दी गयी है, असाधारण देरी और निर्यात के अतिरिक्त खर्च को दूर करने के लिए लोहे और इसपात के निर्यात पर वास्तविक-भार के आधार पर पत्तन प्रभार निर्धारित करने की सामान्य प्रथा का त्याग कर दिया गया है और पत्तन प्रभार का आधार अनुभागीय भार बना दिया गया है। व्यापारियों की कठिनाइयों और शिकायतों पर विचार करने के लिए और उनकी समस्याओं को समझने के लिए और उनका हल निकालने के लिए यातायात बढ़ोतरी अधिकारी के पद का सृजन किया गया है।

1971 में हालिदया गोदी जिस में गहरा डुबाव तथा महीन द्वारा धराउठाई की सुविधाएं होंगी के यातायात के लिए खुल जाने से और फराक्का बांध के लगभग उक्त समय पर चालू होने से कलकत्ता पत्तन से होकर जाने वाले यातायात में वृद्धि करने में सहायक होने की संभावना है क्योंकि इन दो परियोजनाओं को मौजूदा पत्तन की डुबाव तथा जहाजों की लम्बाई से सबद्ध कठिनाइयों को दूर करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ये कठिनाइयां यातायात वृद्धि को रोकती हैं।

सभा में शिष्टता बनाए रखना

MAINTENANCE OF DECORUM IN THE HOUSE

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : महोदय ! आज के समाचार पत्र में आपके विषय में एक चिन्ताजनक समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हम आपसे मिलने वाले मार्गदर्शन से वंचित नहीं। आशा है आप इस निवेदन पर ध्यान देंगे तथा ऐसा अतिशयतापूर्ण कदम नहीं उठायेंगे। प्रधानमंत्री को भी अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलना चाहिए तथा उन्हें आपकी सहायता करनी चाहिए।

प्रधान मंत्री तथा श्री दिनेश सिंह के बीच में भी कोई गुप्त रूप से कुछ हुआ है। आशा है प्रधान मंत्री उस पर्दे को उटाने का कष्ट करेंगी।

श्री श्री०अ० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : महोदय ! माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस वक्तव्य से मेरे दल के विचार नितांत भिन्न हैं। हमें अपने कल के व्यवहार पर कोई खेद नहीं है क्योंकि माननीय अध्यक्ष पीठ को भूतपूर्व जनरल से प्रभावित नही होना चाहिए था। अतः हमने जो भी किया वह नितांत उचित था।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : कल उनके दल ने जो दुर्व्यवहार किया उससे केवल अध्यक्षपीठ का ही असम्मान नहीं हुआ वरन् उससे सम्पूर्ण सदन का असम्मान हुआ है। अतः हमारी मांग है कि उनको सदन के समक्ष खेद प्रकट करना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : In certain cases Shri Dange and his party may differ from the hon. speaker but the way in which they behaved was most derogatory. The entire Country will condemn this behaviour. I, therefore, demand that the hon Members, who have participated in this filthy activily should apologin before the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते कि कल सदन में जो कुछ हुआ वह आपके द्वारा किये गये निर्णय के कारण हुआ। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने पद का त्याग करे अथवा न करे।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : अध्यक्ष पीठ ने जो भी किया वह उन्होंने अपनी समझ से किया मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस कुत्सित व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ इस सदन में नहीं बैठना चाहते।

Shri Kanwar Lal Gupta : Should we presume that the Government are also supporting the actions of Shri Dange because they are not condemming the misbehaviour shown by him? It is a matter of shame on the past of Government that they are not helping the chair.

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि आप इस मामले को वाद-विवाद का विषय मत बनाइये।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : हमारा डा० राम सुभग सिंह द्वारा दिये गये वक्तव्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to submit that the hon. Speaker is the symbol of generation of the entire House and therefore, any affrant is cast upon him would be an insult to the whole of the House.

Secondly, it is the responsibility of all the parties to ensure the respect of the Chair. But I am constrained to say that there are certain persons and parties who are interested in creating disturbances here as well as in the country.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : महोदय ! हम यहां कुछ कर्त्तव्यों का पालन करने आते हैं तथा हम उन कर्त्तव्यों का पालन जब तक नहीं कर पायेंगे जब तक हमें यहां स्वतन्त्रता से बोलने या सुनने का अवसर न दिया जाय। साथ ही यदि यहां कुछ अशिष्ट व्यवहार किया जाता है तो उस सम्बन्ध में आप ही निर्णय कर सकते हैं। हम तो उस मामले को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सभा में व्यवस्था बनाये रखने का भार तो आपके ही ऊपर है। इसके अतिरिक्त यदि कोई माननीय सदस्य सदन में दुर्व्यवहार करता है तो आरोप भी उसी माननीय सदस्य पर लगाना चाहिए क्योंकि हम सभी संसद्-सदस्य कहलाते हैं तथा सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं अतः यदि दुर्व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य पर ही आरोप नहीं लगाया जाता तो वह आरोप हम सभी के ऊपर आता है।

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : पिछले कुछ दिनों से हमने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि सदन में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे सभा की प्रतिष्ठा तथा अध्यक्ष पीठ के सम्मान पर आघात होता है। सरकार को इस बात पर खेद है यदि हम अध्यक्ष पीठ के विनिर्णय का पालन नहीं करते तथा उनकी पूरी सहायता नहीं करते तो सदन तथा अध्यक्ष पीठ अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। महोदय ! हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि सरकार इस मामले में आपकी पूरी सहायता करेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, it is a serious matter that the leader

of the House is not present here while this particular matter is being discussed in the House.

The late Prime Minister Shri Nehru ji always used to participats in such a serious discussions and to guide the House. I demand that the Prime Minister should resign from the leadership of the House.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय ! मैं श्री वाजपेयी के विचारों से सहमत हूं। इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि यदि डांगे और उनके दल के सदस्यों का अध्यक्ष महोदय से कोई मतभेद है तो वे उनके विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते थे। सदन में उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा सकता था तथा अन्त में सभा उस पर अपना निर्णय दे सकता था। किन्तु कल श्री डांगे तथा उनके दल के सदस्यों ने जो कार्य किया उसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। कल श्री बलराज मधोक, डा० राम सुभग सिंह, श्री द्विवेदी तथा मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि हमारा अध्यक्ष महोदय के प्रति पूर्ण विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज सरकार ने भी यह व्यक्त कर दिया है कि उसका आय पर विश्वास है। अतः अब यह श्री डांगे तथा उनके दल के सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे इस प्रकार का कोई प्रस्ताव रखें या न रखें। यह संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल कार्य होगा तथा सभा उस पर अपना निर्णय दे सकती है। श्री डांगे अपने कल के व्यवहार पर खेद प्रकट नहीं करना चाहते इससे स्पष्ट होता है कि जो कुछ देश में आज हो रहा है वह उसे यहां भी करना चाहते हैं तथा उन्हें अपने कार्य पर कोई खेद नहीं है। मेरा विचार है कि सदन मेरे साथ है तथा उनके व्यवहार की आलोचना करता है।··· **(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया था। वास्तव में हुआ यह कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदस्यों ने बजट के पश्चात् कुछ सभा का कार्य निश्चित करने को मुझ से कहा। मैंने उस समय अचानक यह टिप्पणी की थी कि उस समय जो भी अध्यक्ष होता यह कार्य उस पर निर्भर करता है।

इस मामले में मैं गम्भीरता से सोचता रहा हूं। मैं सम्पूर्ण सभा का प्रतिनिधित्व करता हूं तथा आप सभी ने मुझे सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना है। सर्वसम्मति से चुने जाने का मुझे एक दुर्गुण यह दिखाई देता है वह व्यक्ति वास्तव में किसी का मित्र नहीं होता यद्यपि कहते सभी उसे अपना मित्र हैं।

मैंने यह भी अनुभव किया है कि पीठासीन अधिकारियों का वर्ग भी अशक्त श्रेणी के लोगों में आता है। हम लोग भी सुरक्षा-रहित है तथा कभी कभी असहाय भी हो जाते हैं। जब तक मुझे आप सभी की ओर से सुरक्षा, सहायता तथा सहयोग प्राप्त नहीं होता मैं अपना कार्य सफलता-पूर्वक नहीं चला सकता।

पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मैं उसका समायात था तथा उस सम्मेलन में इस मामले पर विचार-विमर्ष किया गया था। बहुत से पीठासीन अधिकारियों ने मुझे टेलीफोन या बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तथा स्वयं मुझे भी उन कठिनाइयों तथा अग्निपरीक्षा का सामना करना पड़ता है। मैं इस विषय में गम्भीरता से सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अपने आत्म सम्मान, अध्यक्ष पीठ की प्रतिष्ठा और सभा के शिष्टाचार में समय के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए

अथवा मुझे इस चुनौती का सामना करना चाहिए। मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता अतः मैं इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूँ। पद से त्याग पत्र देने का मामला मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है वरन् यह सभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है।

मैं यह निवेदन पहले भी कर चुका हूँ कि जो व्यक्ति यहां बैठता है त्रुटि तो वह भी कर सकता है किन्तु ऐसे अवसरों पर मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैम्बर में मुझसे मिल सकते हैं जिससे कि सभा के कार्य में कोई बाधा न पड़े। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मैं जब से इस पद पर आसीन हुआ हूँ मैंने अपने सभी व्यक्तिगत सुझावों तथा सम्बन्धों को समाप्त कर दिया है। कई बार जब किन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता तो वह मुझ से असंतुष्ट हो जाते हैं किन्तु मैं उनकी भाववाओं को शांत करने का प्रयास करता हूँ। इसके उपरांत भी अध्यक्षपीठ की प्रतिष्ठा तथा सभा की शिष्टता पर आघात किया जाता है जिससे मुझे भारी चिन्ता हो जाती है।

यदि हमें प्रजातन्त्र प्रणाली के लक्ष्यों तक पहुंचना है तो इसी सदन के माध्यम से वहां पहुँचा जा सकता है। इस सदन के कार्य संचालन के सम्बन्ध में कुछ नियम तथा प्रक्रिया निर्धारित की गई है और नियमों का पालन करना होगा। फिर भी मेरा निवेदन है कि यदि किसी माननीय सदस्य को मुझसे मतभेद है तो वह मेरे चैम्बर में आकर विचार-विमर्श कर सकते हैं किन्तु उन्हें सभा के कार्य में बाधा डालने की अनुमति नही दी जायेगी। श्री डांगे के विचारों में सहमत नहीं हूँ। कल इस मामले पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया जा चुका है और मैं समझता हूँ कि अब भी यह मामला कोई भारी विवादस्पद नहीं है। सदन और नियम समिति के यह निर्णय अवश्य करना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के प्रति कोई टिप्पणी करता है तो यह व्यक्ति मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दे सकता है या नहीं। इस मामले को मैं नियम समिति के पास भेज रहा हूं तथा यदि मेरे निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया गया तो मैं सभा के समक्ष खेद प्रकट करूंगा। आशा है आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रजातन्त्र प्रणाली को तभी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है जब हम इस प्रजातन्त्र के मन्दिर में व्यवस्थित रूप से व्यवहार करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जरनल करियप्पा के वक्तव्य के बारे में क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : उसका निर्णय भी समिति द्वारा किया जायेगा।

श्री मा० ल० सोंधी (नई दिल्ली) : श्री दिनेश सिंह के त्याग पत्र के विषय में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न अलग से उठाया जायेगा इसे आप मुझसे सम्बन्धित विषय के साथ न जोडें। मैं अपने बारे में जो कुछ कहना चाहता था वह कह चुका हूं और अब यह मन्त्री महोदय की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि यदि वह अन्य मामलों में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री शिवचन्द झा ने कल यह प्रश्न उठाया था कि मैंने पहले तो उस प्रश्न की अनुमति दे दी किन्तु बाद में उसको अनुमति नहीं दी। मैं निवेदन कर चुका हूँ कि मैंने इस मामले को निलंबित कर दिया था तथा पत्रों को माननीय सदस्यों के पास उनके देखने के लिए भेज दिया

था। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जहाँ तक प्रश्न को स्वीकार करने का प्रश्न है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने इसकी अनुमति इस कारण दी थी कि दूसरे सदन ने भी इसकी अनुमति दी थी तथा गृह-कार्य मन्त्री ने भी इस विषय पर वक्तव्य दिया था। मेरी यही धारणा है कि जिस मामले पर दूसरे सदन में विचार विमर्श किया जा सकता है उस मामले पर विचार विमर्श करने के विशेषाधिकार से इस सदन को भी वंचित नहीं करना चाहिए।

श्री रघु रामैया : मुझे श्री दिनेश सिंह की ओर से यह कहने का अधिकार दिया गया है कि 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित वक्तव्य में कोई सच्चाई नहीं है। किसी नीति या उनके कार्यान्वित किये जाने के बारे में प्रधान मन्त्री तथा श्री दिनेश के बीच कोई मतभेद नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This is the main reason for arising un happy situation in the House. May I know the justification of making this statement by him when a calling attention notice has already been admitted in this regard. The hon. Minister should make the statement in reply to the calling attention Notice so that supplementary question may be put by the Members.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANGE

भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा का कथित वक्तव्य, जिसमें संविधान को रद्द करने और भारत में सैनिक शासन लागू करने की मांग की गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :

'भूतपूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा का कथित वक्तव्य, जिसमें संविधान को रद्द करने और भारत में सैनिक शासन लागू करने की मांग की गई है।'

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय ! मेरा ध्यान जनरल करिअप्पा के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया था जिसमें संविधान को रद्द करने तथा देश में कुछ काल के लिए सेना को प्रशासन देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने का सुझाव दिया गया है। मैंने इस वक्तव्य को अत्यंत अनुत्तरदायित्व पूर्ण तथा नितांत अनावश्यक समझा है। जनरल करिप्पा ने 11 मार्च, 1970 को मुझसे भेंट की थी तथा उन्होंने बताया था कि समाचार पत्र में मेरी टिप्पणी को सही रूप से नहीं छापा गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : दिनांक 10 मार्च, 1970 के **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** में जनरल करिअप्पा द्वारा वक्तव्य का खण्डन किया गया है और उसमें गृह-कार्य मन्त्री का वक्तव्य भी सामवत: है। हम इस प्रश्न को इस लिए उठाना चाहते थे क्योंकि केवल जनरल करिअप्पा के अतिरिक्त भी देश में कुछ अन्य दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्व भी है जो प्रजातंत्र प्रणाली के शत्रु हैं। इन तत्वों ने देश में सैनिक शासन लाने का अभियान चलाया है। इस दल में इसी

कारण कुछ भूतपूर्व जनरल तथा भूतपूर्व आई० सी० एस० अधिकारी हैं। ये लोग सैनिक शासन के विचार को स्थाई बनाना चाहते हैं।

जनरल करिअप्पा को सरकारी पैंसन मिलती है अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सरकारी धन राशि के बल पर राजनीति में भाग लेते हैं। श्री नम्बूदरीपाद या श्री गोपालन जैसे व्यक्ति संविधान के विषय में यदि कोई बात कहते हैं तो सदन में भारी क्षोभ व्यक्त किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जनरल करिअप्पा को यह चेतावनी देना उपयुक्त समझेगी कि यदि उन्होंने भविष्य में इस प्रकार का कार्य किया तो उनकी पैंसन बन्द कर दी जायेगी। यह भी कहा गया है कि जनरल करिअप्पा से प्रमुख राजनीतज्ञों ने जिस में कांग्रेस के दोनों दल सम्मिलित हैं, यह पूछा है कि क्या सेना सरकारी प्रशासन को सभालने में सक्षम है।

मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मन्त्री ने यह कहा है कि जनरल करिअप्पा का वक्तव्य अत्यन्त उनुत्तरदायित्व पूर्ण हैं। किन्तु मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। क्या उनको यह चेतावनी दे दी गई है कि यदि भविष्य में उन्होंने इसी प्रकार का कार्य किया तो उनकी पैंसन बन्द कर दी जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता के कारण को समझता हूँ। जब कुछ ऐसे विचार वक्तव्य किये जाते हैं जिनसे देश में खतरा हो सकता है तो निश्चित ही उससे सब को चिंतित होना चाहिए। यही कारण है कि ध्यानाकर्षण सूचना के लाये जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही मैंने अपनी प्रतिक्रिया तुरन्त व्यक्त कर दी। इन विचारों के विरुद्ध हमें संघर्ष करना है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जनरल करिअप्पा को पैंसन मिलती है किन्तु अभी तक हमने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के विचार पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : हम संविधान को नष्ट करने वाली गतिविधियों का विरोध करते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा तथा मेरे दल का लोकतंत्र पूर्ण विश्वास है तथा हम किसी भी प्रकार की तानाशाही का समर्थन करने को तैयार नहीं है।

हमारे देश में राजनीतिज्ञों के आचरण तथा विरोधी दलों द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकारों को गिराने की इस सरकार की प्रवृत्ति के कारण लोकतंत्र को ठेस पहुंची है। आपने देखा होगा कि उड़ीसा को धमकी दी जा रही और उसपर दबाव डाला जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है तथा लोगों को बेरोजगार, गरीबी तथा मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि हमारे देश के लोग प्रसन्न नहीं है और वह चाहते हैं कि सैनिक राज्य हो। मैं इस राग को उचित तरीके से पकड़ना चाहता हूँ ताकि हम सैनिक राज्य की बात को राजनीतिक निकाय से दूर कर सकें।

अब मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि संविधान को विध्वसकारी प्रवृत्तियों से बचाया जा सके। दूसरे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि प्रैस में दिये गये

मूल वक्तव्य तथा प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के वक्तव्य में अन्तर क्यों है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जनरल करिअप्पा और प्रधान मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उग्रवादी दक्षिणपंथियों तथा उग्रवादी वामपंथियों से संविधान के विध्वंस होने का खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को एक साथ टिप्पणी नहीं करते जाना चाहिए। माननीय मन्त्री उत्तर दे रहे हैं।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : I feel that more of the Members of this House follow your instructions and these are few Members who do not do so. Therefore I would like to suggest that if any member speaks without your permission then that should not be recorded in the proceedings of the house nor that should be allowed to be published in the newspapers.

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपके स्थान पर किसी को नहीं बैठने दिया जाना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय को यहां बैठना उचित नहीं है।

श्री सोनावने : मैं आपका उत्तर विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता। इसपर नियम समिति पहले विचार करेगी।

डा० राम सुभग सिंह : यह स्थान विरोधी दलों का है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I think that there will not be any Member from any party who will not be in agreement that the constitution should not be violated. The Home Minister has said in his statement that General Cariappa has said that the statement published in the newspapers is not his statement. So, we would like to know what his statement is so that we could ask questions on that ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने पूछा था कि जनरल करिअप्पा और मेरे बीच क्या बातचीत हुई थी। जनरल करिअप्पा एक बूढ़े और आदरणीय व्यक्ति हैं। जब वह मेरे पास आए तो मैंने उनकी बात भली भांति सुनी। तब मैंने उन्हें बताया कि यदि मेरे से कोई प्रश्न पूछा गया कि वक्तव्य के बारे में मेरी क्या प्रतिक्रिया है तो मैं वह सभा को बता दूंगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या इन वक्तव्यों के सम्बन्ध में कोई जांच करायी जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि सरकार द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The way the hon. Home Minister is answering the question is unsatisfactory. First of all I would like to say that it is very essential to remove this impression from the minds of the people that military rule is a good rule. We should give them the examples of Pakistan and other South American countries which remained under military rule.

Secondly, I have objection to what he has said. He has said :

"General Cariappa met me on the 11th February and informed me that these remarks were not correctly reported in the Press."

I would like to know if his statement was not correctly reported then what his actual statement was ?

I would also like to know whether he had got this matter confirmed from Shri Cariappa or not that Members of both the Congress parties had met him and asked him if Military is in a position to run the administration. One of your Member in Rajya Sabha, Shri Virendra Ray had said abroad that we are waiting the day when Military will be invited to run the administration. So, I would to know the names of such Members.

Thirdly, I also want to know under whose invitation he had gone there in Dhanbad to make a speech.

Last y, I have strong objection over the statement of the hon. Home Minister where he has said, "I consider the statement is most irresponsible and utterly uncalled for." Here the words utterly uncalled for are vague.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें दो राय नहीं हो सकती कि सैनिक शासन बहुत खराब होता है। हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये बहुत लड़ाई की है। मैं ये विचार वक्तव्य के उत्तर में नहीं दे रहा था क्योंकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में वक्तव्य के एक विशेष भाग के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लम्बा नहीं दे सकते। हमें वह केवल तीन-चार पंक्तियों में ही देना होता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब जनरल करिअप्पा मेरे पास आये तो उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रति मेरे पास नहीं थी। इसलिये मैं प्रति-परीक्षा नहीं कर सका। बाद में जब मुझे प्रति मिली तो पता चला कि वक्तव्य में क्या है। उनमें ऐसी और भी बातें थीं जो बहुत आपत्ति-जनक थी। उसमें यह भी लिखा था कि दलों को समाप्त कर दिया जाये। मैं यह नहीं पूछ सका कि कांग्रेस दल के कौन से सदस्य उन्हें मिले थे।

माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य के उत्तरार्द्ध भाग पर आपत्ति की है। मैं समझता हूँ कि वह उसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं।

Shri George Fernandes : The statement of the hon. Minister was just below the statement of General Cariappa, so I want to know whether he had seen that statement or not ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने उसके प्रकाशन की प्रतीक्षा नहीं की और उसे देखते ही अपनी प्रतिक्रिया तुरन्त बता दी।

Shri George Fernandes : It contained everything.

Shri Y. B. Chavan : When I saw it did not contain this thing.

श्री प० गोपालन (वेल्लीचेरी) : भूतपूर्व सेनाध्यक्ष का यह वक्तव्य उन प्रयासों के कारण आया है जो इस देश के लोगों की सैनिक शासन के समर्थन में राय बनाने के लिये किये गये हैं।

यह बात कुछ दलों के हाल के विचारों से सिद्ध हो जाती है। हाल में स्वतंत्र दल के नेता श्री मसानी ने इस सभा में यह बात कही कि यदि प्रधान मंत्री इसी रास्ते पर चलती रही तो उनकी हालत श्री सोकारनो और श्री नकरुमा जैसी हो जायेगी। ऐसा वक्तव्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जस्टिस हैज ने भी दिया था। इन वक्तव्यों के आधार पर मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या इन दलों तथा कुछ व्यक्तियों के बीच ऐसे कोई गहरे सम्बन्ध तो नहीं हैं और यदि है तो क्या उसके पीछे कोई विदेशी शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री को इस की जानकारी है कि 1962 में हुए भारत-चीन संघर्ष के दौरान श्री करिअप्पा ने सारे देश का दौरा किया था। सैनिक शासन के पक्ष में लोगों की राय बदलने का प्रयप्न किया था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं पहले अन्तिम प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। 1962 में जनरल करिअप्पा ने सैनिक शासन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी बल्कि चीनी आक्रमण के खिलाफ प्रचार किया था।

मैं जनरल करिअप्पा के विचारों से सहमत नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके विचार खतरनाक हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूँ कि इसके पीछे कोई गूढ़ समझौता नहीं है।

मैं जस्टिस हैज के विचारों से भी सहमत नहीं हूँ।

Shri Pratap Singh (Simla) : I rise on a point of order. The law and order situation in Himachel Pradesh—a union territory—has deteriorated very much. One lakh State employees are on strike.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिकरण की राष्ट्रीय संस्था वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं इन पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूँ :

औद्योगिक इंजीनियरी में प्रशिक्षण की राष्ट्रीय संस्था, बम्बई, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-283 /70]

शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के वर्ष 1967-68 के लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी०-2833/70]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं डा०

कर्ण सिंह की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) अशोक हाटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2834/70]

आसाम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थाइ विधान सभा के लिए निर्वाचन) निगम 1970 आदि

संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

---

(1) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 की धारा 77 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, आसाम पुनर्गठन (मेघालय) (अस्थायी विधान सभा के लिए निर्वाचन) निगम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 394 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 52 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 10 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 53 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 54 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) पहला संशोधन नियम, 1969

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 55 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 160 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का पांचवां संशोधन जो दिनांक 31 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 161 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2836/70]

सालारगंज संग्रहालय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्रीमति जहाँआरा जयपाल सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

सालारगंज संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2837/70]

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) निगम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5002 में प्रकालित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2838/70]

दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम

श्री इकबाल सिंह : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, दिनांक 24 जनवरी, 1970 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (40) /69—टी पी टी में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2839/70]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

84 वां और 96 वां प्रतिवेदन

Shri Atal Bihari Vajpayee : I lay on the table the following report of the public Accounts Committee.

1. Eighty—fourth Report on action taken by Grovernment on the recommendations

contained in their thirty-ninth Report, 1968 relating to Ministers of Education, Commerce and Works, Housing and Supply.

2. Ninety sixth Report on action taken by Government on the recommendations Contained in their Seventy-fourth Report on Audit Report (Commercial), 1968 relating to the Forest Department, Andamans.

Shri Shiv Chandra Jha : I rise on a point of order. I want to draw your attention to Direction No 125 by the Speakers which reads.

'The Lok Sabha Secretariat may Circulate to members either at their residence or through the Publications Counter, papers ..'

Hon. Prime Minister had laid two papers on 4th March, namely.

1. Review by Government on the working of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, Bihar.
2. Annual Report of the Uranium Corporation of India Limited.

But these papers have not been Circulated. May I Know why has is not been done ?

Seeondly, Dr. V. K. R. V. Rao has laid the Audit Report in regard to the accounts of the National Council of Educational Research and Training for the year 1967-68 in 1971. May I know the reason for this delay of 3 years ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि सभा-पटल पर रखे गए पत्रों को परिचालित करना आवश्यक नहीं है । दूसरे, जहां तक बिलम्ब की बात है, डा० वी० के० आर० वी० राव के ध्यान में यह चीज लाई जा सकती है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 16 मार्च, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य लिया जाएगा :—

वर्ष 1970-71 के सामान्य बजट पर आगे चर्चा ।

वर्ष 1970-71 के (सामान्य) बजट सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों का सभा के मतदान के लिए रखा जाना ।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 के निरनुमोदन सम्बन्धी श्री वेणी शंकर शर्मा तथा अन्य सदस्यों के सांविधिक संकल्प पर चर्चा ।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) निधेयक, 1970 ।

(विचार तथा पास करना)

वर्ष 1970-71 के बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The enquiry into the Gandhi-Murder-Case has been completed by Mr. Juslice J. L. Kapur. But his report has neither been published nor laid on the table of the House. Some time should be allotted for discussion on this report.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान दो तीन बातों पर दिलाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि यदि सम्भव हो तो उनको भी सभा के कार्य में शामिल किया जाए।

हिमाचल प्रदेश के एक लाख से ऊपर अराजपत्रित कर्मचारी वेतन के सम्बन्ध में हड़ताल पर हैं। परसों श्री विद्याचरण शुक्ल ने सदन को सूचित किया था कि हिमाचल-प्रदेश कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान दिए गये हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें पंजाब सरकार के वेतन मान मिले क्योंकि केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया है कि 17 मार्च को इस बात पर चर्चा होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय रेलवे-मन्त्री ने बजट पर बोलते हुए कहा था कि उन अराजपत्रित कर्मचारियों की, जिनका वेतन अधिकतम वेतन-मान पर रुका हुआ है, तदर्थ वेतन-वृद्धि दी जाएगी। लेकिन ऐसा केवल रेलवे-कर्मचारियों के विषय में किया गया है जबकि रक्षा-विभाग, डाक-विभाग तथा लोक-सभा सचिवालय एवं अन्य कार्यालयों में काम कर रहे सात से आठ लाख के बीच कर्मचारियों को इस से वंचित रखा गया है। माननीय प्रधान मन्त्री को कई अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं कि यह भेदभाव समाप्त किया जाए और सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत दी जाए।

तीसरे, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सत्र में निजी थैलियां समाप्त करने के सम्बन्ध में विधेयक पेश किया जाएगा ? आशंका है कि सिन्डीकेट से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि इस बिल पर आगे विचार न किया जाए।

अन्त में डा० के० एल० राव, सिंचाई तथा बिजली मन्त्री, को बता दिया जाए कि कानपुर में बिजली मजूरी बोर्ड पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया गया है। कानपुर में अब भी हड़ताल चल रही है। दो व्यक्ति जेल भेज दिये गए हैं और 200 से अधिक व्यक्ति हड़ताल करने वाले हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : In the list of Demands for Grants, Planning Commission has not been mentioned. It is an important department, and I want to know why it is not being discussed this year.

Shri George Fernandes : I want to say something only on two points. First, the Prime Minister did not fulfil her assuranses about abolishing Privy purses. The budget has provided for five Crores of rupees for privy purses which casts a doubt on the intention of the Government Secondly. In both Maharashtra and Mysore, the situation is very tense and is deteriorating day by day. Therefore, I want that Government should make a clear announcement next week as to what they have decided about this problem.

I fully support the case of employees of Himachal Pradesh put forward by Shri Banerjee.

Shri Prakash Vir Shastri : It is correct that law and order are State subject but under the provisions of the Constitution, when public peace is disturbed the responsibility of the Centre comes in. The situation in West Bengal is going from bad to worse. Therefore, the House should know what transpired between the Prime Minister and the Chief Minister of West Bengal. It may be done either through a calling attention notice or otherwise.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : मैंने पहले भी तेलगाना के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव की सूचना दी थी पर सरकार की ओर से उसका मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। छात्रों में बहुत क्षोभ है और अध्यापकों ने भी हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्री को बुलाकर इस सम्बन्ध में बात की है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है।

श्री ई० के० नायनार : कुछ दिन पहले संचार मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि 1968 में जिन लोगों ने हड़ताल में भाग लिया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी पर हमें सूचना मिली है कि केरल में कुछ कर्मचारियों की वेतन उन्नति रोक दी गई है यह एक महत्वपूर्ण बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार के द्वारा चाय बोर्ड के मजदूरों की कुछ मांगों को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण बोर्ड के सैकड़ों मजदूर हड़ताल पर हैं। मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि इस सम्बन्ध में आज दोपहर बाद विदेश व्यापार मन्त्री एक वक्तव्य दें।

श्री सोनावने (पण्ढरपुर) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर अभी तक चर्चा नहीं की गई है। बजट की मांगों के पास होते ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

Shri K. N Tiwari : A representation was given to the Central Government on behalf of the people of North Bihar. On account of backwardness of that region, the same situation was developing there as existed in Telangana. We should be told what has been done in response to that representation.

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी सब बातों को मैं सम्बन्धित मंत्रियों तक पहुंचा दूंगा। जैसाकि सब जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति सुझाव दिया है कि वित्त विधेयक के पारित होने से पहले कोई अनियत दिन वाला प्रस्ताव भी नहीं लिया जा सकता। आशा है सदन हमारी कठिनाई को समझेगा।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSSINESS ADVISORY COMMITTEE

छियालीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से, जो 12 मार्च, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 46 वें प्रतिवेदन से, जो 12 मार्च, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर चालीस म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Forty minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चालीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Forty minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा के सत्रावसान के बारे में
RE : PROROGRATION OF JAMMU AND KASHMIR ASSEMBLY

Shri Kanwar Lal Gupta : What has happened in Haryana was now happening in Jammu and Kashmir. The Governor had prorogued the house at the instance of the Chief Minister. This is a blow to our democracy.

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को एक नियमित प्रस्ताव की सूचना मिली है । उसपर विचार हो रहा है । जो कार्य सभा के सम्मुख है उसे चलने दें ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : कृपया गृह-मंत्री हमें उन तथ्यों से अवगत करायें जिनके कारण राज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर विधान सभा का सत्रावसान कर जनतन्त्र पर कुठाराघात किया । हम केवल तथ्य जानना चाहते हैं और कुछ नहीं ।

यह सदन देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये है जब देश के एक भाग में जन-तन्त्र की हत्या हो रही है तब क्या इस सदन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह नियमित रूप से सामने आयेगा तब इस पर बहस होगी ।

श्री चेंगलराया नायडू : सभा के सम्मुख जो विषय अब है मैं उसे रोक देने और कश्मीर के प्रश्न को लेने का प्रस्ताव करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को एक-एक मिनट का समय दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जम्मू और कश्मीर विधान सभा का राज्यपाल ने उस समय सत्रावसान कर दिया जबकि वह अगले दिन बजट की अनुदानों की भागों को पारित करने के लिये बैठने वाली थी । मैं गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि आज सभा के स्थगित होने से पूर्व वह एक वक्तव्य दें तथा तथ्यों को जानने के बाद हम नियमानुसार पेश किये गये प्रस्ताव को ले सकते हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Governor has prorogued the House at the instance of the Chief Minister, because the Chief Minister says that it is not possible to work in the House as the situation outside is very tense. But the fact is that he does not want to face Assembly because odds are against him.

Prime Minister is not doing justice to her duties. She is not directing them to work according to the Constitution. I demand that the Prime Minister should make a statement and remove the Prorogation Order.

श्री चेंगलराया नायडू : हमारे देश में इस सभा के अध्यक्ष, पीठाध्यक्षों के सम्मेलनों की अध्यक्षता करते हैं। इसलिये वास्तव में अध्यक्ष महोदय, आप ही इन पीठाध्यक्षों के संरक्षक हैं। अब ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक पीठाध्यक्ष सत्रावसान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या बात कहना चाहते हैं ?

श्री चेंगलराया नायडू : मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव यह है कि सभा के सभी कार्य को निलम्बित करके काश्मीर सम्बन्धी चर्चा प्रारम्भ की जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Some incidents threating democracy are occurring in our Legislative Assemblies. Jammu and Kashmir, being a border State and also of international, importance, is passing through a very delicate situation What happened there ? 35 Members out of 62 members ruling party have left the party, the Chief Minister has lost the majority. But he has been able to get the Assembly prorogued by the Governor simply to save his own throne. I submit that it is proper from the security point of view to proclaim President's rule in Jammu and Kashmir otherwise the things will become worse.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो सुझाव दिया है, हम उससे सहमत नहीं हैं किन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने रेडियो पर भी इस समाचार को सुना है इसलिये गृह-कार्य मंत्री को चाहिये कि वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिये एक वक्तव्य दें। उसके पश्चात् ही इस सम्बन्ध में चर्चा की जानी चाहिये। राज्यपाल ने अपनी शक्ति का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया है, सभा को इस सम्बन्ध में अवश्य चर्चा करनी चाहिये।

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : कल जम्मू-काश्मीर विधान सभा में 35 सदस्यों ने सादिक सरकार को समर्थन देना बन्द कर दिया और श्री सादिक ने सत्रावसान के लिये राज्यपाल से अनुरोध किया है। वहां लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है, इसलिये इस सम्बन्ध में हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिये।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जम्मू-काश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है तथा इसका सामरिक महत्व भी अत्यधिक है। सादिक सरकार ने भेद-भाव की नीति अपनाई हुई है जिससे वहां की जनता बहुत असन्तुष्ट है। यह नीति केवल जम्मू-काश्मीर के लोगों के ही नहीं प्रत्युत सभी देशवासियों के हितों के विरुद्ध है। इसलिये स्वयं शासक दल के सदस्यों के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। यह बहुत गम्भीर बात है। मुख्य मंत्री का बहुमत नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि बजट भी पारित नहीं हुआ है और आज तो अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जानी थी, सत्रावसान करना सांविधानिक औचित्य के विपरीत है। इसलिये मैं अनुरोध करता हूँ कि आप प्रधान मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय मुख्य बात यही कही गई है कि गृह-कार्य मंत्री एक वक्तव्य दें। संसद्-कार्य मन्त्री यहीं हैं। मुझे विश्वास है कि वह गृह-कार्य मन्त्री को सदस्यों की इस इच्छा से अवगत करा देंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : हमने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिये अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि प्रस्ताव के लिये उचित सूचना नहीं दी गई है। इस तरह से इस मामले को नहीं उठाया जा सकता।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि विधान सभा को जब तक अनिश्चित काल के लिये स्थगित न कर दिया जाये, उस समय तक राज्यपाल को सत्रावसान करने का अधिकार नहीं है। अल्पमत सरकारें कार्य कर रही हैं, यह सभा इस तमाशे को मूल-दर्शक की भांति नहीं देख सकती। इसलिये महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप राज्यपाल को तुरन्त विधान सभा की बैठक बुलाने का आदेश दें।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : I want to draw your attention towards this fact that the Budget discussion was going on and Chief Minister's were presented. They were to be discussed the next day. Members had decided to clinche the issue by voting down the demands. But suddenly, the Assembly was prorogued. The Governor gave the reason for that. He said that tense atmosphere outside was responsible for this development. But Jan Sangh agitation has been going on for the last one and a half month and Assembly was summoned only ten days before. I do not know what is going on there but I am very much concerned ; unfortunately I come from that part of the country.

उपाध्यक्ष महोदय : आप काश्मीर के बारे में चिन्तित हैं, मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूं। किन्तु मैं भी इस सभा के नियमों के सम्बन्ध में चिन्तित हूं। सभा की कार्यवाही चलाने में आप मुझे सहयोग दें। बख्शी जी कृपया पीठासीन व्यक्ति को सम्बोधित करें और नियमित प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर आप पूरी तरह अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपको उचित समय पर बोलने का पर्याप्त अवसर दूंगा। आप प्रक्रिया के अनुसार ही चल सकते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Governor prorogued the Assembly when it was in Session. It is a serious blow on the Constitution. I feel that the Home Minister must make a statement by this evening positively. I also support the idea of having a lengthy discussion on it.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सत्रावसान करने से पहले सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाना चाहिये था। उसके पश्चात् राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता किन्तु ठीक इसके विपरीत किया गया है। गृह-कार्य मंत्री को संविधानिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। अब हमें संविधानिक औचित्य की अधिक चिन्ता है। मुझे आशा है आप अपना विनिर्णय अवश्य देंगे। इतना करना तो आपके हाथ में है।

सामान्य बजट, 1970-71 सामान्य-चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—1970-71—GENERAL DISCUSSION - *(Contd.)*

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpat) : Government should pay attention to the problems of village and agriculture. There has been increase in the index numbers of

whole-sale prices at the rate of 1.9 per cent annually in the last 8 years. From middle of November 1969 to end of January 1970 there has been increase in prices at the rate of 15 per cent. In 1970, the prices of agricultural-production, Gur and Khandsari 1/6th of those which were in 1968 69. It means farmer would get the same price even if he produces sixth times. So there should be a permanent agricultural price Commission adequately represented by farmers, There should be three directive principles for the commission. Firstly, while fixing the prices of agricultural production, the cost and labour of farmer should be taken into account. Secondly, the prices of agricultural production should be in proportion to the market prices of other items retated with the agriculture. Thirdly, prices of agricultural production should be refixed whenever there is increase in market prices of necessaries of life.

10 per cent tax was imposed on fertilizers by Shri Morarji Desai. It was hoped that this percentage would be reduced in this budget. But nothing has been done in this connection.

There is a lot of talk about ceiling on urban property but no concrete work has been done. Government should fix a ceiling on urban property.

The problem of landless people has become very serious. There can be only one solution of this problem and that is to start a net work of small scale industries in rural areas and to employ land-less people in those industries. Government should also formulate a policy for small-scale industries and large scale industries.

Government has given step-motherly treatment to Uttar Pradesh. The population of U. P. is 1/6th of the total population of the country. The Uttar Pradesh should get 17 per cent of the total central grant whereas it is getting only 3.8 per cent. At the end of Third Five Year plan per capita income in India was Rs. 315 wheraas in Uttar Pradesh it was only Rs. 244. It means that no attention was paid the economic development of Uttar Pradesh.

During Third Five Year Plan total central expenditure on central industrial projects was 1144 crores, out of which only 72 crores was spent for Uttar Pradesh. Today that State is known as the backward State in the country.

Government should take care that the rate of growth should be the uniform in all the States. In view of the discriminatory treatment that has been meted out with Uttar Pradesh, it should be given special grants so that it may be brought at par with other State in the matter of progress and development.

Recently Haryana and Uttar Pradesh Governments have entered into agreement for the Kishau Dam Project. The Government should help in the matter and this project should also be included in Fifth Five Year Plan because not only Uttar Pradesh but Delhi, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan will also be benefited by this project.

The constitution has been amended several times in order to satisfy all the people of the country over the language issue. The Members of D.M.K. are trying it raise this again and again in this House. I am unable to understand as to why they raise the language problem when it has already been finalised by the Government.

I would request the Members belonging to D. M. K. that if they want to make complaints that can be entertained. But how far it is justified to give threats to the Government

Lastly, the policy regarding tax-assessment is quite faulty, Nobody wants to go to Income-tax offices because the behaviour of income-tax officials is very rude. Income-tax, officers and Sale tax officers should be given training regarding the fair treatment with public. Besides, arrears of Income-tax are increasing day by day. I would request that

the Government should take necessary steps to realise the arrears. There is no need to make deficit-finance.

आम बजट का समय से पूर्व पता लग जाना
REPORTED LEAKAGE OF GENERAL BUDGET

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा आरोप है कि बजट प्रस्तावों का समय से पूर्व पता लग गया था । मुझे उनकी प्रति 26 फरवरी की शाम को ही मिल गई थी । 28 फरवरी को जब बजट पेश हुआ तो मैंने देखा कि दोनों प्रस्तावों में पूर्ण समानता है । इस सम्बन्ध में मैंने श्री प्र० चं० सेठी से बात की । उन्होंने कहा कि वे मुझसे सोमवार को मिलेंगे । इसी बीच मुझे बम्बई जाना पड़ गया । वहां भी मैंने देखा कि 90 प्रतिशत बजट-प्रस्ताव की प्रतिलिपियां तैयार की गई और समाचार पत्रों के 6 सम्पादकों को 4.30 बजे शाम भेजी जा चुकी थी जब कि बजट आधा घन्टा बाद पेश हुआ । प्रमाण के रूप में मेरे पास वे रसीदें हैं जिन पर शाम के 4.30 बजे की डाक-मोहर लगी हुई है । मैंने श्री सेठी को टेलीफोन पर सब कुछ बताया । संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मैंने प्रधान मंत्री को इस बारे में बताया लेकिन कोई उत्तर मुझे नहीं मिला ।

मैं यह वक्तव्य पूरी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ और यदि आप चाहें तो मैं प्रमाणस्वरूप प्रस्तावों की प्रतिलिपियों को सभा-पटल पर रख सकता हूँ । मेरा सुझाव है कि यह मामला शीघ्रातिशीघ्र या तो संसदीय समिति को सौंप दिया जाय या फिर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह बहुत ही गम्भीर मामला है । मेरा सुझाव है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इतना तो किया ही जा सकता है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मंत्री महोदय के भाषण से समस्या हल नहीं हो सकती । इस मामले को अधिक देर तक लटकाया नहीं जा सकता । अतः इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is a very serious matter. When the hon. Member is prepared to produce the record, what is the hitch in refering the case to Central Bureau of investigation.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : इस बजट पर तब तक चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि बजट का समय से पहले पता लग जाने में जांच पूरी न हो जाये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I would like to say that this matter should not be referred to the Privileges Committee because it has no power to gether information in this regard It should be referred to Central Bureau of investigation so that we would be able to know the reality.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उपस्थित हैं । वे इसका उत्तर देंगे । जहां तक विशेषाधिकार प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उसे विधिवत् पेश किया जाए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Chair should give its ruling for Investigation by Central Bureau of investigation.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तत्काल कोई निर्णय नहीं दे सकता।

श्री पोलु मोदी (गोधरा) : बजट समय से पूव ही पता लग गया था। अतः वित्त मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : निस्संदेह आरोप गम्भीर है परन्तु अब जांच पड़ताल करना संभव नहीं है क्योंकि 28 फरवरी को बजट पेश किया जा चुका है। अतः यह मामला विशेषाधिकार का मामला नहीं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मुझे स्मरण है कि गत वर्ष भी श्री नन्द कुमार सोमानी ने कुछ आरोप लगाये थे लेकिन जाँच करने पर पता चला कि जो कुछ कहा गया था वह एक साधारण बात थी और आरोप का आधार पूर्व अनुमान था जैसा कि प्रायः बजट पेश करने के दिनों में हुआ ही करता है।

जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, सदन को स्मरण होगा कि वित्त विधेयक प्रस्तुत न किये जाने के कारण सदन पुनः रात्रि को समवेत हुआ था। यदि मुझे ठीक याद है तो उस दिन श्री सोमानी से टेलीफोन पर बातचीत करने का मुझे अवसर नहीं मिला। संभवतया दूसरे दिन उनसे बातचीत हुई। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि श्री सोमानी का कहना था कि यह बातचीत बजट प्रस्ताव पढ़े जाने के तुरन्त पश्चात हुई। उन्होंने मुझसे यूं ही पूछ लिया था कि बजट का कार्यभार प्रधान मंत्री संभाल रही हैं अथवा मैं। मैंने उत्तर दिया कि प्रधान मंत्री ही कार्यभार संभालेंगी क्योंकि बजट उन्हीं के द्वारा प्रस्तावित है। इस पर श्री सोमानी ने कहा कि यदि बजट संचालन आप करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है और यदि प्रधानमंत्री करती हैं तब मैं सदन के समक्ष कुछ बातें रखूंगा। इसके पश्चात मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। तत्पश्चात उन्होंने प्रधानमंत्री को बम्बई से एक तार भेजा जिसमें कहा गया था कि उन्होंने मुझसे कुछ बातों का उल्लेख किया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं। यदि उनके पास कोई ठोस चीज हो तो हम इस पर निश्चय ही गम्भीरता से विचार करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस विषय में जांच कर रहे हैं। यह प्रश्न का एक पहलू है दूसरा पहलू है कि रहस्योद्घाटन हो जाना जो स्वयं ही एक गम्भीर अभियोग है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है यह बाद की बात है। श्री सोमानी ने जो अभिस्वीकृति की रसीद प्रस्तुत की है उसकी डाक-मोहर पर 4.30 अपराह्न अंकित है। उस समय तक बजट प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी आधार पर इस मामले को केन्द्रीय गुप्तचर-विभाग तथा विशेषाधिकार-समिति को जांच के लिये दिया जाना चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि बजट के कागजात समाचार-पत्र संपादकों ने 4.30 अपराह्न प्राप्त कर लिये थे।

श्री प्र० चं० सेठी : बजट का रहस्योद्घाटन गम्भीर विषय है। यदि श्री सोमानी के पास कुछ ऐसे तथ्य थे तो उन्हें सर्वप्रथम बम्बई जाने की अपेक्षा उन तथ्यों को सदन के समक्ष

प्रस्तुत करना चाहिए था । जहां तक डाक-मोहर पर अंकित 4.30 अपराह्न का प्रश्न है, यह रसीद किन्हीं अन्य पत्रों की हो सकती है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : श्रीमानजी, आपका क्या निर्णय है ? क्या यह मामला केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को दिया जा रहा है ।

श्री प्र० चं० सेठी: यदि उनके पास कोई निश्चित तथ्य है तो तुम निश्चय ही गम्भीरतापूर्वक इसकी जांच कराने को तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा है, विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना उचित रूप में दी जाय तभी उस पर कोई निर्णय हो सकता है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : बजट का रहस्योद्घाटन गंभीर विषय है । हम केन्द्रीय-गुप्तचर-विभाग द्वारा जांच चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : रहस्योद्घाटन का अभियोग लगाया गया है । सरकार ने उसका उत्तर दे दिया है । यदि आप विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो कृपया उपयुक्त सूचना दें ।

श्री पीलु मोदी : हम यह जानना चाहते है कि यह बजट रहस्योद्घाटन किस प्रकार हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह इतना गंभीर विषय है तो अध्यक्ष को इसका गम्भीरता से अध्ययन करना होगा तो तभी संभव है जब मानीय सदस्य इसका नियमित रूप से नोटिस दें ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप अपना निर्णय अध्ययनोपरान्त सोमवार को दे सकते हैं ।

श्री पीलु मोदी : आप विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं । वहां विशेषाधिकार का नहीं वरन् व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसे आप व्यवस्था का प्रश्न कहते हैं तो मेरी निर्णय यह है कि इसमें व्ववस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

सामान्य बजट—सामान्य चर्चा—(जारी)

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—(*Contd.*)

श्री प्र० चं० सेठी : इस वर्ष के बजट का समस्त देश ने स्वागत किया है । दो तीन को छोड़कर अनेक सदस्यों ने इसे प्रगति के मार्ग में एक नई-दिशा तथा असमानताओं से छुटकारा दिलाने वाले प्रस्ताव कहकर प्रशंसा की है ।

माननीय सदस्य श्री अशोक महता, श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे तथा श्री मसानी ने कहा कि आने वाले वर्ष से उपलब्ध होने वाला कर से प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिक अनुमान लगाया

गया है । जहां तक कर-प्रस्तावों का प्रश्न है, इस बजट द्वारा 170 करोड़ रु० के नये कर लगाये गये हैं। परन्तु यदि हम इस वर्ष के करों द्वारा उपलब्ध होने वाली धन-राशि को अलग रखें, तब भी करों की वर्तमान दरों से राजस्व में 235 करोड़ रु० की वृद्धि होती है। इसी दृष्टिकोण से हमें बजट को देखना है।

आयात करों से 35 करोड़ की धन-राशि उपलब्ध होने का अनुमान है। अब मंदी समाप्त हो चुकी है और उद्योगों द्वारा अधिक कच्चे माल की मांग की जा रही है ; इसलिए इसे अधिक अनुमान नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार उत्पादन-राजस्व में 10.1 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है यह यह कल्पनात्मक अनुमान नहीं है, अपितु हमारे अनुभव पर आधारित है। 1968-69 में उत्पादन कर में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसे ध्यान में रखकर हमने 10.1 प्रतिशत उत्पादन-कर-वृद्धि निश्चित की है, जो अधिक नहीं है।

नियमित करों तथा आय करों में 42 करोड़ रु० की वृद्धि का अनुमान लगाया है । इस वर्ष की वसूली के अनुभव को देखते हुए यह 45 करोड़ रु० की वृद्धि अधिक नहीं है। इस वर्ष फरवरी तक 160 करोड़ रु० की वसूली की जा चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निगमित आय करों में 765 करोड़ रु० की वसूली के अपने ध्येय में सफल सिद्ध होंगे।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया है कि राजस्व-प्राप्ति अधिक नहीं होती है।

हमने राजस्व प्राप्ति का अधिक अनुमान लगाया है और इस कारण वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 225 करोड़ रुपये की जो घाटे की वित्त-व्यवस्था हमने की है, वह बहुत कम है और निश्चय ही इसमें वृद्धि होगी।

राजस्व-प्राप्ति का हमारा अनुमान अधिक नहीं है और इसे सावधानी से तैयार किया गया है और हमें उसके प्राप्त हो जाने की आशा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि घाटे की रकम के आंकड़ों में वृद्धि नहीं होगी।

श्री मसानी ने यह भी कहा है कि बजट से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। प्रतिशत अनुपात या औसत वृद्धि की गणना करने का उनका एक विशेष तरीका है। उन्होंने नवम्बर 1969 से जनवरी, 1970 के मध्य तक के आंकड़ों को लेकर यह दावा किया है कि देश में प्रतिशत मुद्रा-स्फीति होगी। वास्तव में, मुद्रा स्फीति इतनी अधिक नहीं होगी। वर्ष 1962-63 और 1967-68 के बीच मूल्यों में औसत 10-11 अथवा 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु उसके बाद मूल्यों में उस दर से वृद्धि नहीं हुई है। 1968-69 के वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा 1.1 प्रतिशत की कमी हुई । यद्यपि वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल, 1969 से फरवरी 1970 के तीसरे सप्ताह तक 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सारे वर्ष के दौरान सम्पूर्ण वृद्धि 12 प्रतिशत के हिसाब से ही होगी।

इसके अलावा, जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन, उनके संग्रह, उपभोक्ता वस्तुओं, कच्चे माल और अन्य वस्तुओं की जरूरत का संबंध है, हम इस बारे में उपाय कर रहे हैं।

उदाहरणार्थ हम रुई और सोया बीन का आयात कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न का संग्रह किया गया है, उत्पादन भी काफी संतोषजनक रहा है। इन सब प्रवृत्तियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बजट से मुद्रास्फीति में वृद्धि नहीं होगी।

• इसके अलावा, जैसा कि श्री डांगे ने कहा, यह संभव है कि रिज़र्व बैंक ने विलम्ब से कार्यवाही की हो, परन्तु अब वस्तुओं के लिए ऋण देने पर नियन्त्रण अधिक कड़ा कर दिया गया है। मूल्य-स्थिति में वर्तमान राहत इन्हीं उपायों के कारण हुई है।

श्री मसानी ने यह भी कहा है कि यह बजट मानसून-आधारित है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मानसून सहायक होगा और विकास-गति तथा विकास-दर के बारे में हमारा दृष्टिकोण संतुलित है, तो हमारा निष्कर्ष गलत नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास है कि बजट के अनुमान के अनुसार ही राजस्व प्राप्ति होगी।

श्री मसानी ने यह भी कहा है कि उत्पादन-शुल्कों का भार ज्यादातर जन साधारण पर पड़ेगा। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है, उन वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ 11.4 प्रतिशत ही हिस्सा है। जिन खाद्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है, उनका मूल्य सूचकांक में केवल 6.5 प्रतिशत ही योग है। यदि नये शुल्कों का पूरा भार उपभोक्ताओं पर ही डाल दिया जाय, तो भी थोक मूल्य- सूचकांक में केवल 0.5 प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। जनता के उच्च वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं अर्थात् चाय, चीनी, सिगरेटों, बिस्कुटों आदि पर ही उत्पादन शुल्कों को बढ़ाया गया है।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Excise duty has been levied on sugar which is used in the production of biscuits. Thus double levy has been imposed on biscuits.

Shri P. C. Sethi : I was saying that number of consumers of biscuits is very less.

Shri K. N. Tiwary : All the people give the children biscuits to eat.

श्री प्र० चं० सेठी : चीनी और विशेषत: चाय पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के बारे में भी संक्षेप में कुछ कहूँगा। चीनी के समस्त उत्पादन के लगभग 70 प्रतिशत पर उत्पादन शुल्क 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, इसलिए उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली, आम उपभोक्ता की उपयोग की चीनी पर अधिक भार पड़ने की सम्भावना नहीं है। समस्त उत्पादन की 30 प्रतिशत चीनी पर उत्पादन शुल्क 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 37½ प्रतिशत कर दिया गया है। इस वृद्धि का भी पूरा भार उपभोक्ता पर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसका कुछ अंश उत्पादकों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा उपभोग की जाने वाली खण्डसारी पर उत्पादन शुल्क में कमी की गई है। खण्डसारी सल्फीटेशन प्लान्ट सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन, श्रेणी I पर प्रस्तावित शुल्क 970 के बजाय 590, श्रेणी II पर 970 के बजाय 780, श्रेणी III पर 1470 के बजाय 1160 और अन्य श्रेणियों के बारे में 1950 के बजाय 1520 करने का विचार है।

अब मैं विकास-कार्य और गैर-विकास कार्य के व्यय के बारे में कुछ कहूंगा। यह सर्व

विदित तथ्य है कि सुरक्षा व्यय में वृद्धि हुई है । वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा व्यय में कमी करके हम जोखिम नहीं उठा सकते । यद्यपि बचत की संभावनायें हों, या गलत ढंग से व्यय किया गया हो, तो मैं बचत करने और गलत व्यय को सुधारने के पक्ष में हूं । लेकिन सुरक्षा पर बढ़ा हुआ व्यय हमें करना ही होगा ।

इसके अलावा, उत्पादक व्यय और अनुत्पादक व्यय के आकड़ों का जहां तक संबंध है, 108 करोड़ रुपये के आंकड़ों पर दो भागों में विचार किया जाना चाहिए । 108 करोड़ रुपये की राशि में गैर-योजना विकास व्यय में वृद्धि 33 करोड़ रुपये है और विकास भिन्न कार्यों पर व्यय में वृद्धि 75 करोड़ की है । 108 करोड़ रुपये के इस व्यय की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है— अन्य कार्यों पर व्यय में 75 करोड़ रुपये की वृद्धि, जिसमें 39 करोड़ सुरक्षा पर व्यय, 29 करोड़ रुपये व्याज पर व्यय और सात करोड़ रुपये राज्यों को गैर-योजना अनुदानों पर व्यय विशेषकर सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्य के लिए व्यवस्था पर व्यय भी शामिल हैं । श्री मसानी द्वारा उद्धृत आंक के इस अर्थ में भ्रामक हैं, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा व्यय और विकास-कार्यों पर हुए खर्च पर व्याज को हिसाब में नहीं लिया है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्री अशोक मेहता और अन्य-सदस्यों ने बार-बार यह दुहराया है कि इस वर्ष प्रधान मंत्री ने 175 करोड़ रुपये कि विशिष्ट वित्त-व्यवस्था की है और इस धन का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा । जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्यों को दिये जाने के लिए की गई है । पिछले वित्त मन्त्री ने राज्यों को दिये जाने के लिए कोई भी वित्त-व्यवस्था अपने बजट में नहीं की थी । वर्ष के अन्त में यह कहने के बजाय कि 275 करोड़ रुपये हमें राज्यों को देने हैं, हमने आगामी वर्ष के लिए पहले से ही 175 करोड़ की व्यवस्था कर दी है । 175 करोड़ रुपयों में से कितनी राशि राज्यों को दी जानी चाहिए, यह निश्चय करना प्रधान मंत्री या उनके मन्त्रिमण्डल का कार्य नहीं है, बल्कि इसका निर्णय योजना आयोग विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् करता है । पांचवे वित्त आयोग ने राजस्व खाते पर तो विचार किया, परन्तु उसके कार्य-क्षेत्र से बाहर होने के कारण पूंजी खाते पर विचार नहीं किया । पूंजी खाते की समस्या राज्यों के ऋण अदायगी दायित्वों के कारण उठी । यह निर्णय किया गया कि वित्त आयोग द्वारा सुझाई गयी अधिकार-अन्तरण योजना के अनुसार योजना आयोग राज्यों के संसाधनों का पुनर्निर्धारण करे । इसलिए 175 करोड़ रुपये की वित्त-व्यवस्था को पूरी तरह से गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक वर्ष राज्यों ने जमा राशि से अधिक राशि निकाली । 1966-67 और 1967-68 के वर्षों में क्रमशः 108 करोड़ रुपये और 118 करोड़ रुपयों की ओवर ड्राफ्ट धनराशि ली गई । इस वर्ष भी 275 करोड़ रुपये राज्यों को देने पड़े । गत तीन वर्षों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए, राज्यों की साधन व्यवस्था में सुधार हेतु पहले से ही 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

सूखा-राहत के बारे में यह कहा गया कि कुछ राज्यों की तुलना में अन्य राज्यों को अधिक मदद दी गई ; परन्तु यह कहना ठीक नहीं है । सूखा, बाढ़ या तूफान से राहत के लिए धन की व्यवस्था करना वित्त मन्त्रालय का कार्य नहीं है । बल्कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक कार्य

दल सम्बद्ध राज्यों का दौरा करने के पश्चात् जितनी धन राशि की व्यवस्था किये जाने की सिफारिश करता है, उतनी राशि की व्यवस्था की जाती है। इसलिये यह कहना कि 175 करोड़ रुपयों का उपयोग राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा, यह सम्बद्ध व्यक्तियों की रोगग्रस्त और भ्रामक राजनैतिक विचारधारा का परिचायक है।

जहां तक बाजार उधार का सम्बन्ध है श्री अशोक मेहता ने कहा है कि बाजार उधार अधिक होना चाहिये था तथा 141 करोड़ की बजाय यह केवल 162 करोड़ रुपये ही हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये भी सही आंकड़े नहीं हैं। गत वर्ष का आयव्ययक प्राक्कलन केवल 106 करोड़ था तथा केन्द्रीय सरकार का बाजार उधार 141 करोड़ था जो 35 करोड़ अधिक था। इसके अलावा विभिन्न सरकारी उपक्रम तथा बिजली बोर्डों ने अपनी स्थिति सुधार ली है तथा बैंकों के राष्ट्रीकरण से भी हमें अगले वर्ष 45 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इन बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि बाजार उधार की क्षमता पर्याप्त है व्यय नहीं जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है।

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि छूट सीमा को 7500 रुपये तक क्यों नहीं बढ़ाया गया है जिसकी बूथलिंगम समिति तथा प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी। हमारे देश में प्रत्यक्ष कर देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम अर्थात 28 लाख है। हम ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है और कर सीमा को बढ़ा कर 5000 रुपये कर दिया है। इससे 5 लाख व्यक्तियों को कर नहीं देना पड़ेगा। यदि हम इस सीमा को और बढ़ा देते हैं तो उसका मतलब होगा कि कर दाताओं की संख्या 5 लाख और कम हो जायेगी। दूसरे देशों की तुलना में यह कर सीमा उचित है। इससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ जायेगी तथा वे बड़े-बड़े मामलों को अच्छी तरह से निपटा सकेंगे।

हमने कर इकट्ठा करने की व्यवस्था में भी काफी सुधार किया है। यही कारण है कि हम ने गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 160 करोड़ रुपये अधिक इकट्ठे किये हैं। हमने करों की चोरी को रोकने के लिये हर सम्भव उपाय किये हैं। संसद् सदस्यों के कहने के अनुसार हम ने कर की चोरी के मामलों की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनाया है। हम एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं जिसके अनुसार कर की चोरी करने वाले लोगों को कारावास का दण्ड दिया जायेगा।

मैं श्री डांगे तथा अन्य सदस्यों की अपत्ति के सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूँ कि 40,000 रुपये से अधिक राशि की आय कर की दरों में इस लिये अधिक वृद्धि की गई है क्यों कि इस से कम अर्थात 10,001 से 15,000 और 15,000 से 20,000 रुपये के स्लैब में पहले ही उपरोक्त वृद्धि की जा चुकी थी। अतः ऐसी बात नहीं है कि हमने इस पहलू पर विचार नहीं किया है।

कर छूट की सीमा के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि हम यह छूट 6,000 तक भी कर देते तो इससे केवल उस हद तक भी आप पर हीं प्रभाव न पड़ता परन्तु हमें उससे अधिक के स्लैबों में भी छूट देनी पड़ती जिससे 20 करोड़ रुपये का नुक्सान होता।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान स्टील और इंजीनियरी की चार अन्य फर्मों के बारे में सरकार चिन्तित है परन्तु इन के अलावा

सभी उपक्रमों की स्थिति में सुधार हुआ है तथा आशा है कि कि अगले वर्ष उनकी स्थिति और भी सुधर जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी को संयुक्त क्षेत्र के बारे में जो भ्रम उत्पन्न हो गया है मैं उन्हें उससे अब दूर करना चाहूँगा । संयुक्त क्षेत्र का मतलब यह नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में आ सकेगा । इसका तात्पर्य यह है कि जिस गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकारी संस्थाओं का धन लगा है उन्हें सरकार चलायेगी ।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने सरकारी क्षेत्र की कमियों का पता है तथा हम उन्हें दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास करेंगे ।

Shai Sheopujan Shastri (Bikram ganj) : This year...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सोमवार को अपना भाषण दें ।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILL AND RESOLUTIONS

अठावनवां प्रतिवेदन

श्री मालजी भाई परमार (दोहादी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 50 वें प्रतिवेदन से, जो सभा में पर्याप्त 1970 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 58 वें प्रतिवेदन से, जो सभा में पर्याप्त 1970 को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक

Banking Laws (Amendment) Bill

श्री भगवान दास (औसग्राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री भगवान दास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक नये अनुच्छेद 165—क का रखा जाना

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLE 165A)

Shri Shiv Chandra Jha (Madubani) I beg to move that leave be granted to introduce a bill further to amend the constitution on India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Shiv Chandra Jha : I introduce the bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 233 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 233)

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I beg to move that leave be granted to introduce a bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Shiv Chadra Jha : I introduce the bill.

विदेशी सहायता (लेखा रखना) विधेयक—जारी

FOREIGN AID (MAINTENANCE OF ACCOUNT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कंवर लाल जी के विदेशी सहायता (लेखा रखना) विधेयक पर आगे विचार करेंगे । इसके लिये केवल आधा घंटा शेष है ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I am not of the view that we should not

accept foreign aid for the development and progress of the country. All that we should see is that strings should not be attached to that aid.

We have to see that before the achievement of independance of our country some of our patriots used taken foreign aid.

We see that other countries also got foreign aid for the development of their country. Even U.S.A. had to accept British investment for its development. But we should see that the foreign aid does not effect our political life. In the world there are some socialistic powers. Our fundamental rights are not hurt if we accept aid from such powers. So we should accept aid from such countries and not from imperialist countries. Hence before accepting the foreign aid we should be very cautions to see its consequences.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यदि गुप्त जी इस विधेयक को इसलिये लाये हैं कि राष्ट्रीय हित को ठेस पहुँचाने वाली विदेशी सरकारों की गतिविधियों को रोका जाये तब तो उनका उद्देश्य सही है। परन्तु इसके लिए उन्हें सही-सही घटनाओं का प्रूफ प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु विधेयक में कुछ आक्षेप भी है कि कुछ दल अपने दल को सुदृढ़ करने के लिये विदेशी धन लेने के इच्छुक हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि भारत एक विशाल देश है तथा सभी बड़े-बडे देशों से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता की है। यदि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हित को बड़ाने के लिये यहां संस्थायें खोली हैं तो हमें उसपर कोई आपत्ति नहीं है। हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने उन सभी सांस्कृतिक संस्थाओं को बन्द करने की कार्य-वाही की है जो गैर-कानूनी तौर पर कार्य कर रहीं है।

मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहां भारतीय सुरक्षा को खतरा है। हमें पता है कि नेपाल के माध्यम से चीनी धन आ रहा है। अतः हम इस विधेयक को तब स्वीकार कर सकते हैं यदि उसमें ऐसे देशों की गतिविधियों को रोकने की व्यवस्था को जिनसे हमारे राष्ट्रीय हित को ठेस पहुँचती है।

हमारा देश विकासशील देश है तथा हमारे धन के साधन सीमित हैं। अतः हमें अपने मित्र देशों से सहायता लेती होती है, चाहे वे देश छोटे हों या बड़े। अतः मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूँ।

*श्री **ई० के० नायनार** (पालघाट) : श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक अपूर्ण है। यह सच है कि विदेशी सहायता से देश की प्रभुसत्ता और स्वाधीनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है परन्तु इस विधेयक में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि देश में विदेशी धन के आगमन को कैसे रोका जाये। यह सच है कि विभिन्न स्रोतों से हमारे देश में विदेशी धन आता हैं, स्वयं गृह-कार्य मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि चुनावों के दौरान विदेशी धन का उपयोग होता है। वर्ष 1962 में, श्री वी० के० कृष्ण मेनन के चुनाव के समय स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग की कटुतम निन्दा की थी। श्री गुप्त का यह कहना भी ठीक है कि हमारे देश में दंगों के पीछे विदेशी धन का हाथ है। अनेक सांस्कृतिक केन्द्रों, उद्योग

*मलयालम भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

मंडलों तथा साहित्य के नाम पर यह धन हमारे देश में आ रहा है। परन्तु श्री गुप्त तो केवल यही चाहते हैं कि विदेशों से आने वाले धन का हिसाब-किताब रखा जाये।

सब जानते हैं कि हमारे देश में यह विदेशी धन ईसाई प्रचारकों के माध्यम से आता है परन्तु हम इसे कैसे रोकें। हमारा देश धर्म-निरपेक्ष है। यहां किसी भी कार्य का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हम स्वयं भी अपने-अपने धर्मों का प्रचार करने विदेशों में जाते रहे हैं तथा अभी भी खूब जाते हैं। अतः इसे रोकना तो असम्भव है और न ही हम कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हमारे देश की धर्म-निरपेक्ष भावना के विपरीत हो। परन्तु इतना अवश्य ही होना चाहिये कि धर्म को राजनीति में शामिल न किया जाये।

दूसरा प्रश्न भारत में अमरीका, रूस तथा अन्य देशों से आने वाले विदेशी साहित्य से संबंधित है। यह भी कहा जाता है कि साहित्य तथा पुस्तकों के माध्यम से विदेशी धन हमारे देश में आता है। परन्तु ये गतिविधियां कोई आज या कल से तो प्रारम्भ नहीं हुई। पूंजीवादी तथा समाजवादी देशों से हमारे यहां पुस्तकों का आना अनिवार्य हैं। इन्हीं से हम अपना ज्ञानवर्द्धक कर सकते हैं तथा अन्य देशों के आधुनिक तकनीक जान सकते हैं। अतः ऐसा कहना गलत है कि इन पुस्तकों के माध्यम से भारत में विदेशी धन आ रहा है, और साथ ही देश में इन पुस्तकों के आगमन को रोकना भी गलत दिशा में एक कदम होगा। विदेशी प्राप्त साहित्य से हमने अनेक बातें सीखीं हैं। समाजवाद और साम्यवाद शब्द भी हमें इन्हीं पुस्तकों से प्राप्त हुए हैं। यह कहना भी गलत है कि इन पुस्तकों के द्वारा हम पर विदेशी दबाव पड़ता है। स्वाधीनता के बाद से हम 6500 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण लिया और यह धनराशि मुख्यतः हमें अमरीका तथा ब्रिटेन से प्राप्त हुई। हम इस धनराशि के आगमन को तभी रोक सकते हैं जब हम स्वयं वित्त के मामले में आत्मनिर्भर हो जायें ताकि हमें विदेशी कम्पनियों व्यापार करार न करने पड़ें। हमारे देश में विदेशी पूंजी लगी हुई है। विदेशी कम्पनियां हमारे यहां व्यापार कर रही हैं तथा इसी माध्यम से वे हम पर दबाव भी डालती हैं। परन्तु इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं की गई कि इन विदेशी कम्पनियों से सहायता लेने से बचने के लिए देश को वित्त के मामले में आत्म-निर्भर किया जाये। यह सच है कि विदेशी धन हमारी प्रभुसत्ता पर प्रभाव डालता है मगर इस धन के आगमन को रोका कैसे जाये ? यह कार्य स्वयं आत्मनिर्भर हुए बिना नहीं हो सकता। अतः यह सब कुछ रोकने के लिये हमें एक स्वतंत्र वित्त प्रणाली अपनानी चाहिए। इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं रखी गई, अतः यह अपूर्ण है।

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली) : इस विधेयक में निहित उद्देश्य से तो किसी को आपत्ति नहीं होगी परन्तु जिस रूप में इस विधेयक को पेश किया गया है उससे मस्तिष्क में कुछ सन्देह अवश्य ही उत्पन्न होते हैं।

पहले, तो इस विधेयक का प्रारूप ही दोष-पूर्ण है। इसमें व्यक्तियों, संगठनों का जिक्र है। प्रायः किसी कानून में ये बातें नहीं होती। किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाते समय हमें उसकी गतिविधियों के बारे में निश्चित होना चाहिये।

दूसरे, इस विधेयक में एक आधारभूत प्रश्न तो यह है कि क्या इस देश में किसी संगठन अथवा व्यक्ति को अन्य सरकारों की ओर से कोई विदेशी सहायता लेनी चाहिये अथवा नहीं।

दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी विदेशी सहायता हमारी सामान्य जनता पर किसी प्रकार का कोई दबाव डालती है। इन दो बातों पर विचार करना है।

पहले प्रश्न के बारे में हमें कुछ अन्तर करके विचार करना होगा। किसी सरकार अथवा शिक्षण संस्था से अपने देश के पुस्तकालयों, शैक्षिक संस्थानों आदि के लिये कोई सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार प्राप्त सहायता का हमारे देशवासियों पर कोई विशिष्ट प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हम अब इस योग्य हो गये हैं कि हम यह निर्णय कर सकें कि कोनसी नीति हमारे अनुकूल है तथा कौन-सी नही। हम अपनी नीतियों को सारे ससार में चल रही प्रणालियों के संदर्भ में देखते हैं, आंकते हैं। सभी विकासशील देश भी ऐसा ही करते हैं। जैसे जब राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है हम अफ्रीकी देशों का पक्ष लेते हैं। भले ही अमेरिका था रूस इस संबंध में हम पर दबाव डाले—हम कह देते हैं कि यह हमारा आन्तरिक मामला है। हम किसी का दबाव नहीं मानते। और इसी प्रकार हमें अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना है।

इसी प्रकार धर्म-निरपेक्ष होने की बात है। मगर यदि कोई हमारे धर्म पर दबाव डालता है तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। साथ ही राजनैतिक दलों के बारे में भी हम राजनैतिक दृष्टि-कोण से नीति अपनाते हैं।

अब प्रश्न लेखा--हिसाब-किताब रखने का है। परन्तु परोक्ष सहायता का अनुदान का लेखा कैसे रखा जा सकता है? इसका तो पता ही नहीं लगता। जब आप इस सहायता का पता ही नहीं लगा सकते तो उसका हिसाब-किताब कैसे रख सकते हैं।

अन्त में, सभी बातों का यही उत्तर निकलता है कि हमें अपनी राष्ट्रीय-शक्ति तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहिये। यही एक निराकरण है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

Sbri Randhir Singh (Rohtak) : It is time that money comes from abroad, he it in the shape of literature, agency of tractors, party interest or foreign tours or through C.I.A., but it does come in our country. And it is not good also. In the part—in the 16th Century we suffered for 200 years only as we trusted in foreigners and they ruled over us for 200 long years. Although it is not true to says that we are doubtful about our unity, but still we should be cautious. Our inefficient intelligence service and also the leakage of certain military secret would surely bring a bad name to our country. It is sad to note that the more we try to remedy this state of affairs the more it deteriorates. Many of us are always in the effort of making foreign tour even for very petty purposes. As regards accounts, these should be maintained in all the cases, specifically in regard to the foreign money.

Then there is an American Shadow and when I went through it I felt very much surprised. There are shadows also and I don't want to mention their name lest they should take it ill. What to speak of NEFA or West Bengal, they are influencing the whole country. So, we should be very careful about it and would request Shri Gupta not to further the matter. His purpose is served when he has brought this things to the notice of the Home Minister. Irrespective of any party or group, we are all guilty of it. People are publishing newspapers, organising huge processions and propoganda and doing so many other things. With the help of this illegal foreign money. There are a number of agencies in the country and they provide for this money. Several people have become millionare overnight. God knows where this money has come from. I request the Home Minister to keep an eye over it. I can go upto the extent to say that I suspect some foreign hand

behind the riots in Ahmedabad. Some comparing is going on the create these communal riots between the Hindus and the Muslims and money is coming from abroad for this evil end. We have to detect and block the sources of this money, which is pouring into our country in the name of place corps and alik. Apparently they are doing very good work but we should keep a constant check and vigilance lest it should prove poisionous for our people.

Finaly, once again, I would request Shri Gupta should not press for division on this Bill. His purpose is very well served after having brought it to the notice of the Home Minister. He should, therefore, withdraw this Bill.

Shri Sheo Narain (Basti) : This Bill, introduced by Shri Kanwar Lal Gupta, seeks that the Home Minister should have the knowledge of the sources through which this money comes here, and also that proper accounts thereof should also be maintained. What is wrong in it ? Let the Home Minister be aware that the Britishers came to India for some business-trade here ; but gradually made us their slaves and ruled us for 200 years. Therefore, efforts should be made to save the country from such things. Checks should be put on such people who come here under the guise of culture and religion. We, therefore, demand that adequate accounts should be kept for all the foreign money coming to our country in different shapes and forms or guise.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Although the language of this Bill is quite pleasing, the spirit of this Bill is entirely different from what the mover of this Bill or his partymen actually practise. They talk about the evils of foreign missionaries, public and convent schools etc., but their own children read in these schools. As regards accounts ; they would ask for the accounts of Bharat Sewak Samaj political parties etc. but they would never talk of accounts of the money which Guru Golwalker is having. Has any body inquired that how much donation has been collected by the Guru and wherefrom has this money come to help them in their activities of Sabotage ?

As regards the Christian Missionaries, I do not know what do they have in their mind, but certainly they have promoted education and helped the poor people. No doubt they have converted many poor, Harijan and Muslim people but may I also know whether Shri Gupta or his party has even helped the poor or adored the Muslims. I want to curb the activities of Missionaries and said that the Public Schools are getting foreign aid. But they are working hard for the promotion of education and culture. If the hon. Member is aware that some particular missionary indulging in anti-national or sabotage activities, he should specifically mention that in his Bill. He should have quoted specific instances. Similarly, he should have asked for the accounts of some particular organisation, which he has not at all done.

Personally speaking, I would always seek for keeping accounts of all the organisation whether they are run in the name of Hindu religion or anything else. Other foreign aided organisation we should be asked to keep all accounts and a check should be kept on that.

With these words I oppose the Bill since the spirit behind this Bill is not sincere.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The purpose of this Bill is quite good and thus Shri Gupta has provided us with an opportunity to consider a very important question. But as regards accounts, we had asked for the accounts of PL-480 funds, particularly in regards to funds given to political parties. But it was not given. Our demand for an inquiry into the use of foreign money by various political parties was also not met although the hon. Minister had agreed to it. It is, therefore, necessary that we should control the PL-480 funds which are spoiling the politics in our country.

Secondly, C.I.A. money, in huge amounts, was used when the situation regarding nationalisation of Sugar Mills and saving the minority Government handed by Shri C.B. Gupta arose. At that time both India and foreign money was used.

I want that restriction should be imposed on all the organisations being run in the name of culture or education. Their accounts should be thoroughly checked. This Bill cannot stop the incoming of foreign money in the country. Let the hon. Minister assure us to act in this direction effectively.

I agree that foreign money continues to power in our country and it is very dangerous. Our leaders should not depend upon the money of those capitalists and foreigners. We should contest our elections with the help of our own money. We find that the C.I.A. activities in the country are increasing. So, effective inquiries should be made in these affairs. Accounts relating to PL-480 funds should also be placed before us.

Finally, I appreciate that has banned the arrival of foreign money through culture organisations. But the U.S. Ambassador in India. Mr. Keiting has been giving statement that there has been a difference of opinion in the cabinet itself on this issue. I want to know how can the Ambassador done to comment upon or give a statement in regard to our country.

I, therefore, request Shri Gupta that if the hon. Minister gives some assurances in this regard and also promises to fulfil them, he should withdraw his Bill.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : From what has since been said in this House about this Bill, it appears that principally, nobody has any objection, and there is no reason also for that. But still this Bill is not as much comprehensive as it should have been. This Bill certainly affect the incoming of foreign money required for the running of the respective missionaries. But from law point of view, this Bill certainly needs to be more comprehensive I request the Government to accept this principle so as to enable the introduces to revise this Bill in order to make it more comprehensive.

I agree with Shri S. M. Banerjee that only a legislation cannot stop this evil, but still it would be able to check and curb to a great extent.

Whatever foreign money is coming here, that comes through various Embassies. Last time, much concern was expressed here when the U.S. Ambassador went to Bhubaneshwar and tried to topple the Government. There he spent some money. I do not know how for it is true. Government only can find out the facts in this regard.

Before devaluation the official rate of one dollar was Rs. 5 and it has increased to Rs. 7.50 after devaluation. Before introduction of the budget, the price of one dollar in the open market was Rs. 11 or Rs. 11.25 whereas it has increased to Rs 14 during the last ten days. It means that the crores of rupees have been exchanged with dollars. Embassies are including in creating anti-national spirit through unofficial inflow of foreign currency. Besides the value of one rupee will be reduced to one half in the international market. Consequently foreign countries or World Bank will press us again to devaluate Indian currency. In this way we will have to pay more money for the repayment of loan we have already taken. So we should try to impose restrictions on the inflow of foreign currency. This will not only help us in stabilising the prices but also in developing our national activities.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : We cannot keep ourselves isolated from the tense atmosphere of this world and international situations. Mutual Co-operation is nacessary for the technical know how, I also agree with the hon. Member that there should not be inflow of foreign currency either through persons or through institutions. Every Nation can maintain her dignity if she is self sufficient. We have imported wheat under

PL-480 and in this way we have become habitual of depending upon others. We should try to be self sufficient to protect our independence.

Each country has her own motive behind the aid given to us. For example English people came here as businessmen but with the assistance of Moghal Empire. they became the rulers of the country So important thing is that that we should not allow the inflow of foreign money. Each country is trying to influence our economic and political policies. We have become habitual of taking help from others. It is very dangerous and we should try to avoid it. We should earn and work more.

We have not utilised our natural and other resources. That is the main reason that we did not achieve our goals.

We should try to strengthen our economy by our labour and hard work.

In the absence of basic requirements to be fulfilled thousands of poor people are forced change their religion. Inflow of foreign money is a challenge to our cultural, mental and Physical development.

In view of the present circumstances one Nation can not pull on without having the co-operation from the others. We should import good on cash payments.

Having in mind the basic needs, the inflow of foreign currency should strictly be banned so that our Nation dignity can be remained continued.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे खुशी है कि गृह-कार्य मंत्री उन खतरों से सचेत हैं जो विदेशी मुद्रा के आगमन से उत्पन्न हो सकते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मंत्री महोदय ने नया विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अपना प्राचीन इतिहास देखें तो हमें ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं।

हमें दो बातों के बारे में बड़ा सावधान रहना होगा। यदि सरकार की ओर से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई चीज की जाती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिये और समस्या के हल का यही एक सही तरीका है। लेकिन अगर हमारी जीवन पद्धति, लोकतंत्र तथा संसदीय संस्थाओं को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिये कोई भी बाहरी प्रयत्न खतरनाक है और उसे रोका जाना चाहिये। चाहे किसी भी दल को पैसा मिले या जिसे पैसा मिलता है वह व्यक्ति किसी भी दल का हो सरकार को इस बारे में कड़े उपाय करने होंगे।

1967 से यह देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों तथा व्यक्तियों को अनेक रूपों में विदेशी धन मिलता रहा है। मुझे नहीं पता सरकार ने उस पर कड़ी निगरानी रखी है अथवा नहीं। बड़ी मात्रा में विदेशी धन राशियां जमा की हुई हैं और उनको कभी-कभी निकाल लिया जाता है। वे किस लिये निकाली जाती हैं और उन्हें कैसे खर्च किया जाता है ? यहां पर विश्वविद्यालय विदेशी तत्वों के प्रभाव में आते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा। 1972 से पहले इन सब त्रुटियों को दूर कर दिया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि गृह मन्त्री इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I uphold the principle underlying the Bill brought forward by Shri K. L. gupta. The foreign money that is coming in this country

has been polluting not only our political life, but our academic and cultural life as well.

When some articles about the C. I. A. appeared in the "New York Times" the entire world was surpsised that the institutions which were considered totally free from foreign influence were receiving money through other institutions whose ultimate source was the C. I. A.

Through PL—480 funds the U.S.A. has a big hold on our currency. How they utilise this fund, the government cannot go into each and every detail of spendings made out of this fund. Now we have genuine fears that this money may have been utilised for influencing our political, cultural and academic life. This should be enquired into. Similarly money is also coming from Russia. Otherwise why the literature brought out by Russia is selling at so cheap rates in this country. I want to know from the hon. Minister the value of books coming from U.S.S.R. to this country every year and whether the money is sent back to U.S.S.R. ? If this is not sent back, then it is just possible that it is being utilised for political purposes. We want to know on what items this money is spent. The hon. Minister should enlighten us in this matter.

A discussion had taken place here after the Fourth General Elections and the hon. Minister had assured us that an inquiry would be made in the matter. The C.B.I. submitted a preliminary report and the government did not even care to place the minutes of this report before this House. They also did not give any opportunity to the political parties, organisations etc., against whom allegations were made, to make their position clear. The result is that the things are getting confused. Therefore, my submission is that he should place the facts before the House.

The hon. mover should not withdraw his Bill unless the Minister comes forward with a time-bonnd assurance about the government's intention to being forward a government Bill on the lines of the present Bill.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : इस विधेयक के पीछे श्री कंवर लाल गुप्त का जो उद्देश्य है उसकी मैं सराहना करता हूं । भारत का इतिहास बड़ा दुःखद रहा है । ब्रिटिश इंडिया कम्पनी यहां व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी परन्तु उन्होंने हमारे आपसी झगड़ों का लाभ उठाया और अन्त में हमारे शासक बन बैठे । इस लिए विदेशी धन के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए ।

विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मिशनरी संगठनों से हमारे देश में काफी पैसा आ रहा है । यह पैसा जो अच्छे कार्यों के लिए भारत में आता है, अन्त में भारत की संस्कृति तथा सभ्यता के विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है । इसका उत्तर यह है कि हमें पिछड़े क्षेत्रों में अपने पैसे से उन लोगों के धर्मपरिवर्तन को रोकना चाहिये और उन्हें विदेशी धर्म प्रचारकों के रहम पर नहीं छोड़ना चाहिए ।

श्री ओंकार लाल बोहरा ने ठीक कहा है कि हमारे पिछड़ेपन को दूर करने, तकनीकी जानकारी और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिए हमें धन की आवश्यकता है परन्तु हमारे लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि हम विदेशों से गेहूं आयात कर रहे हैं । सरकार ने अनेक बार आश्वासन दिया कि खाद्यान्नों का आयात बन्द कर दिया जायेगा परन्तु अभी हमें वह दिन देखना है जब वास्तव में ऐसा होगा ।

विदेशी धन से सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन अथवा साहित्य के लिये धन देकर

भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करने की एक भयंकर प्रवृत्ति देखने में आई है। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए। यदि मन्त्री महोदय इस का आश्वासन दें, तो मैं आशा करता हूं कि श्री कंवर लाल गुप्त अपना विधेयक वापस ले लेंगे। पानीपत युद्ध में हमने अपने ही भाइयों से लड़ने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया था। उस पुराने इतिहास की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। यदि आज कोई दल किसी दूसरे दल को पराजित करने के लिए विदेशी धन लेता है, तो दूसरा दल किसी अन्य स्रोत से धन लेकर पहले दल को हरायेगा। हम देख रहे हैं कि वियतनाम से लेकर मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में क्या हो रहा है। हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिये। वास्तव में हम इस प्रकार उन देशों के अधीन हो जाते हैं। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कंवर लाल गुप्त से अनुरोध करता हूं कि यदि माननीय मन्त्री आश्वासन दें, तो यह अपना विधेयक वापस ले लें।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : I will confine myself to one point only, *i.e.* the flow of chinese money and literature into the country. When I raised this issue in this House, the hon. Home Minister said in answer to my question that flow of money in the form of books or literature or in some other similar form cannot be checked under the existing laws.

In the whole trouble in Bengal has been the result of the chinese money. I am prepared to furnish documentary proof in support of my allegation. It is not just enough to check the flow of foreign money during elections. It is equally important to check the flow of foreign money in the form of books and jounrals. The hon. Minister should come forward with a much better bill on the subject.

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : मैं यह विधेयक लाने के लिए श्री कंवर लाल गुप्त को बधाई देता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व में बड़ी शक्तियां धन बल अथवा बाहुबल अथवा राजनीतिक प्रभाव के द्वारा अन्य देशों को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को यह देखना चाहिये कि देश में राजनीतिक दलों अथवा संगठनों अथवा व्यक्तियों आदि पर इस प्रकार का प्रभाव न डाला जा सके। आज विदेशी धन लेने वाले संगठनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से हमारे देश में आ रहे इस विदेशी धन का न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज अविकसित तथा अल्पविकसित देशों में गरीबी, अज्ञानता तथा निरक्षरता का धन देकर अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : I thank Shri Kanwar Lal Gupta for bringing this Bill before the House on the most appropriate time. The C.I.A. is financing the Pan-Islamic movement and it took interest in inciting communal feelings in the country recently. Recently there were sensational disclosure about the finances provided by the C.I.A. to various organisations and many eminent personalities through the Asia Foundation, some of whom resigned from those institution and some persons even returned the money. Such elements are trying to subvert the public sector undertakings. There are

certain newspapers in India, who receive money form C I.A., who have become a tool in the hands of C.I.A. and who are exploiting the cultural and religious feelings of the people. It should be looked into.

We are opposed to the communist ideology but they can be dealt with on democratic level on the basis of ideologies. It is not possible for the communists to sabotage our democracy with the help of foreign money. We have a strong democratic set up and I am quite confident that we will continue to march on the road to progress. Such elements who receive foreign money pollute the polities in the country. R.S.S. has got Rs. 60 crores and it is maintaining contact with the C.I.A. money is flowing into the country even foom Nepal and Israel.

In the end I will appeal to Shri Gupta not to insist on voting on this Bill as the hon. Home Minister will take appropriate steps.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : I would like the hon. Home Minister to enquire if R S.S. has since its inception taken any foreign aid. If it is proved that they have taken any foreign aid than I am prepared even to resign my membership.

I have worked as a Pracharak of R.S S. for about ten years and I know how the people of R.S S. are taught to make sacrifices for the country and make contributions, out of their hard earned money, for their programmes.

It was said in the statement given by the hon. Home Ministers in this House that he had received information that foreign money was utilised in the 1967 elections. This matter has not been enquired into as yet. If we utilise foreign money in our elections then our democracy Weakens. I feel that in case any country gives us aid then she has some object behind it. I think there are very few countries who will give aid for the sake of helping the backward countries. So I am of the view that we should take help neither from U.S.A. nor from U.S S,R. or china. We should curtail our demands rather than asking for foreign help. I do not know what objection anyone has got in keeping account of the foreign money. This amount is being spent levishly. Lakhs of rupees are being spent in the name of cultural organisations.

I would like to know for how long we can depend on other help. I have words of praise for Chinese who have developed their country without asking for any foreign aid. We should are decide that we will develop our country independently.

Such a Bill in which it is being sought that an account of foreign money should be accepted by the whole House. Our politics should not be influenced by foreigners. We should make rules to that effect. Therefore there is a great need to establish practice to maintain account of foreign money. Hence I would request the hon. Home Minister to accept this Bill.

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले हमने कश्मीर प्रश्न पर वक्तव्य देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था सदन के उठने से पहले गृह कार्य मन्त्री उस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध सरकार को भेज दिया गया है । उसकी ओर से सुविधानुसार वक्तव्य आ जाएगा ।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या गृह-मन्त्री कोई वक्तव्य दे रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैं वक्तव्य देने को तैयार हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को अब यहीं समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु जब हम विदेशी धन और इसके प्रभाव की समस्या की महत्ता पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री गुप्त जी का विधेयक तो इस समस्या के पास तक नहीं फटकता है ।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जब पुराना उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो इसने नया रूप धारण किया और उनकी नयी उपनिवेशवादी शक्तियों ने एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों को नये तरीकों से प्रभावित किया । यह समस्या केवल भारत के लिए आश्चर्यजनक नहीं है । दोनों बड़ी शक्तियां अल्प विकसित देशों को वित्तीय प्रभाव से अपने वश में करने का प्रयास कर रही है । इसका प्रतिकार नहीं करने का सारा आरोप भारत सरकार के गृह-विभाग पर लगता है । कुछ समय पहले चीन द्वारा केरल के नागरिकों के पास आने वाले धन पर सभा में बहस हुई थी और केरल के तत्कालीन मुख्य-मन्त्री श्री नम्बूतिरीपाद ने केरल विधान-सभा में यह कहा था कि मनी आर्डर द्वारा केरल के कुछ लोगों को चीनी धन भेजा जाता है परन्तु भारत सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जो देश में स्थित दूतावासों से विदेशी धन प्राप्त करते हैं । यह बात भी ध्यान में आयी थी कि चीनी-धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने एक दल बनाकर राज्य में हिंसात्मक कार्य और पुलिस थानों पर आक्रमण आदि करना आरम्भ कर दिया । उन्हीं लोगों ने पुलापल्ली के थाने पर नक्सलवादी आक्रमण किया । यदि सरकार अपनी शक्ति, जिसमें वह समर्थ है, प्रयोग करती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती ।

दूसरा उदाहरण त्रिवेन्द्रम में सोवियत सांस्कृतिक केन्द्र के गिर जाने का है । रूसी दूतावास द्वारा भेजे गये धन के खातों से पता चला कि संयुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष को 45,000 रु० उक्त भवन तथा भवन निर्माण के लिए भूमि देने के लिये दिये गये थे । उक्त भवन व उसके अहाते का स्वामी कोई अन्य व्यक्ति था तथा केरल प्रदेश कांग्रेस समिति तो केवल किराया देती थी रूसी दूतावास द्वारा उक्त भवन ले लिये जाने पर कांग्रेस के अध्यक्ष को किये गये कथित सुधारों के लिए 45,000 रु० चुकाये गये । बाद में पता चला कि रूस ने उक्त भवन को गिरा दिया । यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा इस ओर से आंखे मूँद लिये पर विदेशी-धन ने हमारे देश के राजनैतिक विकास में बड़ा ही घृणित कार्य किया है और राजनैतिक दल चुनावों में लाखों रुपये खर्च करते रहे हैं । यह खतरा सरकार द्वारा दूर नहीं किया गया है ।

भारत में अमरीकी धन आ रहा है । प्रत्येक चुनाव में भारत में सी० आई० ए० से धन आता है । एक तरफ तो सी० आई० ए० का धन है तथा दूसरी ओर रूसी धन है । हमें यह भी पता चला है कि भारत की सीमाओं पर चीनियों द्वारा जाली-मुद्रा का वितरण भी हो रहा है । इस प्रकार देश में प्रजातान्त्रिक प्रणाली और साभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है । यह खतरनाक बीमारी है और इसका जोरदार इलाज किया जाना चाहिए । माननीय सदस्य श्री गुप्त के विधेयक का इससे सम्बन्ध नहीं है । मेरा सुझाव है कि किसी भी गैर-सरकारी एजेन्सी को पहले भारत सरकार के माध्यम से दूसरे देशों से सहायता के लिए पूछना चाहिए । केरल में धर्म प्रचारक संस्थाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं जिन्हें धन मिलता है । केरल विधान-सभा के पटल पर कई

शिकायतें रखी गई थी कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा विदेशी धन प्राप्त करके उसकी सहायता से मुद्रणालय चलाये जा रहे हैं। इस मुद्रणालय का चुनावों में उपयोग किया गया था । वे एक पत्र प्रकाशित कर रहे थे और वह केरल विधान-सभा में सिन्डीकेट कांग्रेस के नेता हैं। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने बहुत समय पहले गृह-कार्य मंत्री को इसकी सूचना दी थी और इस कांग्रेसी नेता द्वारा प्राप्त किये गये चैक की फोटो-प्रतिलिपि भी दी गई थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस प्रकार विदेशी सरकारें धन भेज रही हैं। यदि अब जब कभी भी कोई विधेयक पेश करके सरकार द्वारा विधि बनाई जायेगी तो विधि लागू करने में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत का कोई भी नागरिक अथवा गैर-सरकारी एजेंसी बिना भारत सरकार के माध्यम से कोई भी धन विदेशी संस्थानों, एजेंसियों या शक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार के ठोस कदम उठाये जाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक को स्वीकार करके हमारी प्रजातान्त्रिक प्रणाली को विदेशी कुप्रभाव से बचायेगी और विधेयक में संशोधन के साथ इसे स्वीकार कर लेगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I congratulate Shri Kanwar Lal Gupta for bringing in this Bill which has thrown light on the inflow of foreign money. The foreign money not only comes from America, Russia and China but also from a neighbouing country having hostile relations with our nation and that is Pakistan.

In this regard the Home Minister in a reply to the call attention notice admitted the inflow of foreign money. But the Home Minister could not disclose the names of the political parties receiving foreign money for operating there political activities in India. Though Government have no clear report of Intelligence Department regarding this inflow if they may give clue of the names, I think they would serve the nation.

I would like to know whether the Home Minister had received any report from the Intelligence Department regarding some forged currency notes as like as those of Reserve Bank of India's found in the West Bengal during the last Mid-Term Poll. The Finance Ministry also supported this that at that time forged currency-notes were found in a large number. Had the Intelligence Department reported about it ?

Shri Sreedharan has indicated towards one thing. The hon. Home Minister admitted last year tha the illegal money coming from foreign countries was not only utilized by the political parties but by the religious institution also for political motives. Missionary activities, especially in the border-areas, are prevalent. These people send for money from foreign countries in the name of religion and utilise for political ends. Why should it not be banned ? Annual accounts regarding this should be submitted to the Government for their satisfaction because that is necessary.

There is another way through which the foreign money is coming and that money is given to the newspapers through the medium of advertisements. Books from foreign countries coming to India are sold at such a cheap rates that if they are sold as waste paper, the price received from the waste of the books would be much higher than the actual printed price of the books. Recently the Finance Minister stated regarding a daily-newspaper that this newspaper received some money from Nepal and some other countries. There must be some restrictions on this newspaper. The newspaper may continue to be published but not with the help of foreign money.

The foreign money utilised for political ends reaches to certain business-organisations. The bogus invoices are prepared and a sum of that amount out

of that given to business-organisation is given to political organisations and something also should be done in this regard.

Recently new tendency has also developed. Some persons belonging to certain political parties have opened friendship organisations viz. Indo-Arab Friendship organisation Indo-French and so on and the foreign money for co-operative ends comes. I am afraid of utilising that one also for political ends. Let our Home Minister mind it carefuly as to whether this money in the name of co-operation is not being misused for polities. While taking a decision and satisfying the House, the Home Minister should consider these burning questions.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Home Minister has told the House that the inflow of foreign money was in his knowledge and he refused to place the detail in this regard on the Table. I think it is hightime and he should seek support of Shri Kanwar Lal who has brought in the Bill. Shri Goyal also has spoken supporting Shri Kanwar Lal and asked for the information about the distirbution of foreign money as to whether the R.S.S. had received the money or not.

From 1907 to 1919 Baba Jwala Singh, Baba Gurdat Singh, Bhagat Singh, Raja Mahendra Pratap and others used to send money from foreign conntry to India but that was sent to strengthen the struggle for freedom. But now the position is quite different because the foreign money is being utilised to harm the nation.

During the last session I said that Sheikh Abdullah and Shri Bakhsi had been thrown out one after another and then it was the term of Shri Sadiq, Shri D. P. Dhar is distributing the money received from Moscow in order to topple down Sadiq. The per capita income of Pakistan is more then that of India. In the name of friendship various societies have been formed. The sources of foreign money and the activities of the agencies should be watched. The congress party took out processions sympathising the Muslims on the Al Aqsa question. But after that the consulate of Israel distributed money. It was given to Shiva Sena and others. The disturbances were created in Ahmedabad, Aurangabad and at other places.

If Shri Sadiq is to dethroned he should be dethroned with love and affection.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 1967 के आम चुनाव के तुरन्त बाद यहां पर विदेशी धन तथा हमारे राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उसके योगदान के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। जैसा कि आश्वासन दिया गया था, इसकी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराई गई थी और जांच के मुख्य निष्कर्षों के बारे में यहां पर मैंने एक वक्तव्य दिया था। मैंने निवेदन किया था कि इस जांच से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उस रपट की प्रति को सभा पटल पर रखना सम्भव नहीं है। मैंने उस समय यह भी बताया था कि ऐसे धन के प्रयोग के बारे में देश में व्यापक चिन्ता व्याप्त है। मैंने यह भी बताया था कि मैं भी महसूस करता हूं कि 1967 के आम चुनाव में विदेशी धन प्रयोग में लाया गया था।

सरकार के लिए सबसे आवश्यक चीज यह है कि वह पिछले मामलों में न जाकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करे।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक विधान लाने का फैसला किया है।

मुख्य प्रश्न जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए वह यह है कि विदेशी धन से हमारे राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमें यह पता लगाना

है कि उसे किस रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है और हम उसे किस प्रकार विनियमित कर सकते हैं ।

इसके साथ साथ हमें यह भी सावधानी बरतनी है कि हम इस तरह से कार्यवाही करें कि उससे एक-दूसरे देशों के बीच स्वस्थ सम्बन्धों पर कोई बुरा असर न पड़े और धार्मिक समूहों के बीच स्वस्थ आदान-प्रदान बना रहे । इसलिए हम सिद्धाँतों की एक सूची सी तैयार कर रहे हैं जो प्रस्तावित विधान का आधार होंगे । इन सिद्धांतों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए विरोधी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जायेगा ।

सदस्यगण जानना चाहेंगे कि वे सिद्धांत क्या हैं । श्री कंवर लाल गुप्त के विधेयक में एक सिद्धांत का उल्लेख हैं जो अवश्य ही मूल सिद्धांत है अर्थात् जिसे भी विदेशी सहायता प्राप्त होती है उसे उसका हिसाब देना चाहिए । परन्तु यह जरूरी नहीं है कि उसका लेखा-जोखा सभा पटल पर रखा जाये या सरकार का भेजा जाये । परन्तु इस काम के लिए विभिन्न प्रकार के निकाय स्थापित किये जा सकते हैं जो उनकी जांच कर सकते हैं ।

दूसरे हमें यह निश्चित करना होगा कि नगदी में प्राप्त होने वाले धन पर प्रतिबन्ध लगाना है या किसी अन्य रूप में प्राप्त होने वाले धन पर । हमें यह भी देखना होगा कि यह धन कहां से प्राप्त होता है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसलिये जल्दबाजी से काम लेना अच्छा नहीं होगा । सभी पहलुओं पर सोच विचार करके ही सरकार इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाएगी ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कंवर लाल गुप्त से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I want to submit that before framing the issues a scietific study should be conducted of the modus operandi of foreign money and the data collected. During the last 20 years the Government has not initiated anything in this direction. I feel eletated that my Bill has received approval from almost every side of the House. It is a very simple proposition that the foreign money coming to our country should be accounted for.

I do not treat the money received from Russia as bad and the money received from U.S A. as good or vice-versa. Jan Sangh does not have this type of mentality. Their stand is very clear on this issue.

Foreign money's role was not confined only to the General Elections of 1967. In toppling of State Governments in our country, the foreign money is playing a leading role. Whenever these topplings are in the offing, we find that some foreign embassies in our country become very active Even the Central Government is not free from the influence of foreign money. The Home Minister has very rightly stated that it is not a party problem but a national one. This problem cannot be solved by the mere of passing of a statute by Parliament. The leaders of all the parties should sit together and formulate a code of conduct for political parties in the country. The persons receiving foreign money should be looked down upon and treated as enemies of the country. By creating such an atmosphere we can check the inflow of foreign money.

Some code of conduct should also be devised for MPs and MLAs also. It is possible that some MPs or MLAs may be receiving foreign money and espousing the cause of their benefactors here. So, we should evolve a code of conduct in this respect for legislators also.

Many foreign countries invite MPs and arrange for their free tours. This type of thing should not be allowed to happen. Nobody should be allowed to accept such invitations without the permission of the External Affairs Ministry.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

The Home Minister knows from where this money comes and investigations in some cases have established the source from where it comes. The cell created for this purpose should be strengthened and its activities should be extended to the States as well. The influence of foreign money is spreading in an alarming way and it should be checked before it poses a danger to the security and defences of our country.

With these words I seek the leave of the House to withdraw this Bill and hope that the Home Minister will not put it into cold storage and bring forward a comprehensive Bill at an early date.

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Bill was withdrawn by the leave of the House

निशुल्क कानूनी सहायता विधेयक
FREE LEGAL AID BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for free legal aid to poor and needy persons involved in criminal cases.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आपराधिक अभियोगों में फंसे निर्धन और आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक
DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL.

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Shri Chand Goyal : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 85 और 174 का संशोधन

(Amendment of Articles 85 and 174)

Shri Shri Chand Goyal (Chandigarh) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Shri Chand Goyal : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)

(Omission of Article 314)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India may be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा के सत्रावसान के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. PROROGATION OF JAMMU AND KASHMIR ASSEMBLY

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल द्वारा विधान, मण्डल की दोनों सभाओं के दिनांक 14 मार्च, 1970 8.00 बजे प्रातः से सत्रावसान करने के प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। जम्मू तथा काश्मीर सरकार की एक प्रेस-विज्ञप्ति में कहा गया है कि विधान मण्डल का सत्रावसान करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि विभिन्न दलों द्वारा किये गये आन्दोलनों के कारण सत्र की कार्यवाही पर बुरा असर पड़ने का अन्देशा था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, this is a point of order.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : व्यवस्था के प्रश्न पर मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर न तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और न ही कोई स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : He has stated in the House a very serious thing contained in the Jammu and Kashmir Government Press note regarding the prorogation of the Assembly on account of the agitations launched by various parties. If a Government declare that the proceedings of the Assembly cannot be carried on account of agitations, it means in that State law and constitution are ended. In this situation the President of India on the Central Government must take the Governmental proceedings in its/their hands under article 356 of the constitution.

If the Governor of any of the States does not report and if it is in the notice of the President, he must declare that the powers of the legislature of that State should be exercised by the authority of Parliament. Will the Minister of Home-Affairs clarify this strange prorogation of Assembly only on account of agitations prevalent there. It is now proved that Constitution and Law are degenerated there. It must be taken into hands immediately.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं विस्तृत रूप में जानकारी नहीं चाहता परन्तु मैंने यह अपेक्षा नहीं की थी कि गृह-कार्य मन्त्री काश्मीर सरकार की प्रेस-विज्ञप्ति की पुनरावृत्ति कर देंगे परन्तु वहां किस आधार पर यह कार्यवाही की गई तथा क्या हुआ उसके श्रेणी-वार वक्तव्य की अपेक्षा की थी।

Shri Kanwar Lal Gupta : I am sorry to state that the Home Minister has not put all the facts before the House because Shri Sadiq has stated that he had given full report to the Prime Minister. According to Shri Madhu Limaye agitations by the Jana Sangha are always launched here, will the House continue to be prorogued daily ? I conclude my statement by saying that the Governor with a view to make such a person—the Chief Minister who has got no majority, has been utilised as a tool. Shri Sadiq should resign.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Kashmir is a border State and a serious problem has been created there. The agitation has been launched by an Institution—either that institution runs in co-operation with Pakistan or that is a religious organisation. In order to run administration properly, that institution must be banned.

श्री राजशेखरन : गृह मन्त्री ने केवल उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की है जो टेलिप्रिंटर से मालूम हुई हैं अथवा आकाशवाणी पर सुनी गई हैं, दुर्भाग्यवश काश्मीर की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है जिसे हम चुप बैठ कर नहीं देख सकते। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह काश्मीर के राज्यपाल को विधान मण्डल का सत्र प्रारम्भ करने का निर्देश दें ताकि इस प्रश्न को सभा-पटल पर निर्णीत किया जा सके।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I suggested that the situation in Kashmir had badly spoiled and out of 72 member of the Assembly 62 members were at the side of the ruling-party. Out of those 62-35 have separated and consequently 45 members are on one side and 27 are on the other. Government has lost its majority. The main cause of the prorogation, it is reported, is the tension. It is also learnt that Pakistan is sharing a hand in creating this situation In this situation the Central Government have no other option than to proclaim the Presidential Rule without further delay.

Shri George Fernandes : I would like to know whether Shri Sadiq has resigned ? If so, why it is kept concealed ? That must be accepted immediately and let there be Presidential Rule.

Shri Shri Chand Goyal : The Home Minister not only concealed the resignation but what Shri Sadiq has reported to the Prime Minister, has also been concealed. The House must not be kept in the dark. I want to request that until the House is adjourned sine die, has the Governor got any power to prorogue the Assembly ?

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : काश्मीर में इसके अतिरिक्त स्थिति कोई अधिक खराब नहीं है कि वहां के मुख्य मन्त्री ने बहुमत खो दिया है । बंगाल में भी कई समस्यायें हैं परन्तु वहां पर कोई ऐसी बात नहीं हुई । गृह मन्त्री जी ने केवल प्रेस-विज्ञप्ति का ही सहारा लिया जबकि उनके पास वेतार के तार अथवा दूरभाष जैसे बहुत से साधन हैं जिनसे वे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । प्रमुख बात यही है कि प्रधान मन्त्री अथवा गृह मन्त्री सादिक साहब के पक्ष में सदस्यों को करने के लिये काश्मीर जायेंगे । वह इसीलिये यह कदम उठा रहे हैं ।

Shri Abdul Ghani Dar : Though nothing is there and everything is there. Nothing in this sense that the Congress has got majority. Whether it keep Shri Sadiq or remove. If it elects Shri D. P. Dhar as Chief Minister—the only Muslim—Chief Minister in the country will be removed.

Shri Jharkhande Rai : The statement given by the Home Minister is not satisfactory. Jammu-Kashmir is a Border-State and if whole of the situation is not perused well in the House—no opinion can be given as to whether the Presidential Rule be proclaimed there or not.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं गृह मन्त्री जी से एक बात कहना चाहूँगा । यह तो आप देख ही चुके हैं और मुझे भी विश्वास है कि गृह मन्त्री जी व्यक्तिगत रूप से विधान मण्डल के सत्रावसान के कारणों को उचित नही समझते हैं—उस राज्य की राजनैतिक स्थिति तथा आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करूंगा कि राज्य में प्रजातन्त्र को समुचित ढंग से चलाने व पुनः स्थापित करने के लिये शीघ्र ही कदम उठायें ।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Congress Party has been divided into two factions there—one belonging to Mr. Sadiq and other belonging to Mr. Mir Qasim. Party affairs is their internal matter, but I would request the Home Minister to ensure the smooth running of the administration. The Government have every right to encourage the people, but Kashmiri's interests should always be protected. It is an irresponsible statement to say that movement is going on there. Movement had been going on there for last two months and the Assembly was convened only 15 days back. The demand of the people of Jammu is that they should also be given 12 kg. ration as is given to the people belonging to Kashmir. The Chief Minister should concede to the demand of the people and the movement would be suspended. The Gajendragadkar Commission has also recommended to that effect, but to prorogue the Assembly in the name of movement is to invite criticism from all over the world. On the question of Kashmir, we are internationally involved *e.g* the question of Kashmir with Pakistan, Kashmir with China and the question of Kashmir in Security Council. So far as the question of Kashmir in Security Council, is concerned, I would say that it was decided irrevocably.

Mr. Qasim owes loyalty to Shrimati Indira Gandhi and Shri Jagjivan Ram, but that does not mean that constitution should be violated and the Assembly be prorogued. I would request that instead of encouraging factionalism, problem should be solved to protect the interest and welfare of Kashmir.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विधान-सभा का सत्रावसान किये जाने पर माननीय सदस्यों

द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को मैं भली भांति समझता हूं। मामले के गुण-दोष पर विचार व्यक्त करना मेरे लिये कठिन है। मैं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना वक्तव्य दे सकता हूं और उसके लिये मैं काश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गये प्रेस-नोट को ही आधार बना सकता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्री से बात की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : क्या राज्यपाल ने पूरी रिपोर्ट नहीं दी थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इन मामलों में राज्यपाल राज्य-प्रमुख के रूप में कार्य करता है और केन्द्रीय सरकार को वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता। मैं मुख्य मन्त्री की राज्यपाल को दी गई सलाह को उचित ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ कि राज्यपाल ने सलाह को स्वीकार किया और सरकार ने यह बताया कि ऐसा करना क्यों आवश्यक था। इसी महीने विधान सभा की बैठक बुलाई जायेगी, क्योंकि अन्ततोगत्व बजट तो पास होना ही है। मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को टेलीफोन पर विधान सभा के सत्रावसान की सूचना अवश्य दी थी, अन्य कोई सूचना नहीं दी।

बम्बई आणविक प्राधिकरण विधेयक
BOMBAY ATOMIC AUTHORITY BILL

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to provide for the formation of an Authority for the purpose of setting up an atomic plan in or near Bombay and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बम्बई में अथवा उसके निकट एक आणविक संयन्त्र स्थापित करने के प्रयोजन से एक प्राधिकरण के गठन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri George Fernandes : I introduce the Bill.

चुनाव व्यय पर विचार हेतु संसदीय आयोग की नियुक्ति*
APPOINTMENT OF PARLIAMENTARY COMMISSION TO EXAMINE ELECTION EXPENSES**

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : गत 20 वर्षों के अनुभव से यह पता चलता है कि भारत के चुनाव कानून और चुनाव व्यय की निर्धारित सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

*आधे घण्टे की चर्चा
**Half-an-hour discussion

चुनाव-व्यय की सीमा निर्धारित करते समय प्रारम्भ में यह विचार था कि सीमा निर्धारित करने पर समाज का निर्धन वर्ग चुनाव न लड़ सकेगा। लेकिन अनुभव से यह पता चला है कि चाहे सीमा निर्धारित हो चाहे नहीं, परन्तु चुनाव व्यय उतना ही होगा। चुनाव व्यय की सीमा समाज के सम्पन्न वर्ग के हितों की अपेक्षा निर्धन वर्ग के हितों के प्रतिकूल है।

उदाहरणार्थ, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से पहले अगर जीप खरीदी जाती है और उसे चुनाव में प्रयोग किया जाता है, तो जीप खरीदने पर हुआ व्यय चुनाव व्यय में शामिल नहीं किया जायगा, परन्तु अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद यदि कोई व्यक्ति चुनाव के लिए जीप किराये पर लेता है, तो किराये पर हुआ व्यय चुनाव व्यय में शामिल होगा। इस प्रकार निर्धन व्यक्ति जो जीप खरीद नहीं सकता, नुकसान में रहता है। 1967 के निर्वाचन में व्यय की जो सीमायें निर्धारित की गई थीं मैं उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि वे पूर्णतः निरर्थक हैं। समाज के दुर्बल वर्गों को जीप आदि गाड़ियों को किराये पर लेना पड़ता है और वर्ग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता हैं। मैसूर राज्य में यह सीमा 1967 में 6,000 रुपये की थी जबकि बिहार में यह 8,000 रुपये की थी। उत्तर प्रदेश में उक्त सीमा 9,000 रुपये की थी, केरल की 7,000 रुपये और हिमाचल प्रदेश दिल्ली आदि केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों में 2,000 रुपये। संसद के लिए निर्वाचन का व्यय राज्यों में 25,000 रुपये का और केन्द द्वारा प्रशासित राज्यों में 10,000 रुपये। इन तथ्यों पर दृष्टि रखते हुए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।

केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य दिल्ली में 10,00 रुपये की सीमा निर्धारत की गई है। इस सम्बन्ध में क्या स्पष्टीकरण है, जबकि कानपुर में यह 25,000 रुपये कर दिया गया है? मैसूर में सीमा 6,000 रुपये निश्चित कर दी गई और बिहार में 8,000 रुपये उत्तर प्रदेश में यह 9,000 रुपये है। सरकारी अधिकारी हाथ में पेंसिल लेकर इन आकड़ों को लिख डालते हैं। इन सीमाओं का निर्धारण संसद द्वारा नहीं किया जाता है। नियमों का प्रारूप सरकारी अधिकारी बनाते हैं और उसे सभापटल पर रख दिया जाता है वे कानून बन जाते हैं।

यह विधि उन लोगों के लिए है जिन्हें निर्वाचन विधियों की आवश्यकता नहीं है। जो अपने मित्रों के द्वारा रुपये खर्च करते हैं, यह उक्त विधि की सीमा में नहीं आयेगा। अगर आप अपने पास में से खर्च करेंगे तो वह इस विधि सीमा में आयेगा। क्या यह कठिन है कि कोई व्यक्ति रुपये अपने मित्रों या पार्टियों को हस्तांतरित करके विधि से बच जाय विधायक, जिन्हें राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए और राष्ट्रहित की विधियों का निर्माण करना चाहिए वे शपथ ग्रहण के पहले ही अपने निर्वाचन लेखाओं को झूठे तैयार करते हैं। यह वही वर्ग है जिसे शासन करना होता है। कब तक हम यह धोखेधड़ी का कार्य करते रहेंगे? इससे देश की हानि होगी। हाल ही में कई न्यायाधीशों ने इस तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया, "शासन करने वालो अगर यह वर्ग है तो भगवान ही राष्ट्र की रक्षा करे।"

उस केन्द्रशासित राज्य में जहां मैं रहता हूं एक विधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम है लौहाल-स्पीति और जिसमें 12000 फुट की ऊंचाई पर शेहनग-दर्रा है। अगर कोई व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, जिसकी दूरी है एक सौ मील, जीप में दस दिन लग

लग जाते हैं क्योंकि सारा प्रदेश पर्वतीय है और जिसकी ऊंचाई 8,000 फुट से 12,000 फुट तक है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपये की दर से जीप किराये में लेगा उसको पैट्रौल के व्यय को भी मिला कर 1,500 रुपये खर्च करने पड़ेगे। अगर वह दूसरी बार भी इस प्रकार यात्रा करता है तो व्यय निर्धारित सीमा से आगे बढ़ता है जो 2000 रुपये हैं। इस स्थिति में कौन चुनाव लड़ेगा ? और इस स्थिति में उसके लिए यह विकल्प रह जाता है कि वह निर्वाचन व्ययों का झूठा लेखा प्रस्तुत करे। इस प्रकार अपने विधान द्वारा हमने स्वयं अपने को बेईमान और जालसाज बना दिया है। इस सीमा तक विधायकों को जाना पड़ता है। हम नारा लगाते हैं कि अधिकारी लोग एवं व्यापारी ईमानदार रहें। परन्तु जब हम स्वयं बेईमान हैं, तो कौन हमारी बात का पालन करेगा ? अतः हमें चाहिए कि इस ढोंग को समाप्त करें और इसका पुनर्विलोकन करें कि वास्तव में सीमा निर्धारण की आवश्यकता हैं या नहीं और यदि है तो सीमा कहां तक होनी चाहिए।

सामान्यतः हम यह कहते हैं कि दुर्बल वर्ग के लोगों को ही सीमा निर्धारण से कठिनाई अनुभव होती है। मैंने जीप का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक निराश हरिजन व्यक्ति को शायद यह मालूम न हो कि व्यय का विवरण देना होता है। समय बीतने पर दूसरे पक्ष वाले इसका फायदा उठाते हैं और उक्त निरक्षर व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार कई व्यक्तियों को साल तक अयोग्य भी घोषित किये गये हैं। एक निरक्षर व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने में क्या औचित्य है ? क्या विधि मन्त्री को यह देखने का अवसर मिला है कि जो प्रत्याशी पर्याप्त धनिक है या धन का संसद एवं व्यय कर सकता है, केवल इस मद से कि वह निर्धारित व्यय सीमा को लांघ जायेगा, ऐसा नहीं करता ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे सम्पूर्ण निर्वाचन विधियों का पुनर्विलोकन क्यों नहीं करना चाहते ? इस सम्बन्ध में एक संसदीय आयोग की नियुक्ति में क्या बाधा है ? विधायकों का निर्वाचन सम्बन्धी अनुभव सीमा निर्धारण के आधार का निर्णय करेगा। यदि हम सम्पूर्ण विधि का पुनर्विलोकन करके इसको हटा देंगे तो दुर्बल वर्ग लोगों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : तीन बातों से निर्वाचन में भ्रष्टाचार होता है। पहली मतदाताओं को नकद राशि देना, दूसरे प्रत्याशियों द्वारा भारी संख्या में वाहनों का उपयोग। और तीसरे मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में ले जाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा वाहनों का उपयोग प्रत्याशियों के व्यय को सीमित करने के लिए एक नियम बनाने मात्र से हम इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं। इस समय जो दंड व्यवस्था है वह अपर्याप्त हैं। विधि ऐसी बना दी जानी चाहिए जिसके अनुसार केवल रुपये देने वाले लोगों को ही नहीं, बल्कि रुपये लेने वाले लोगों को दंड दिया जाय। धनी प्रत्याशी या यह व्यक्ति जिसका सम्बन्ध बड़े-बड़े व्यापारियों से होता है, मतदान केन्द्र में वाहकों को भारी संख्या में ले जाने का प्रबन्ध कर सकता है मगर निर्धन प्रत्याशी ऐसा नहीं कर सकता हैं।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार निर्वाचन के समय एक नमूना सर्वेक्षण करेगी ताकि वह सारे प्रश्नों को समझ सकें और निर्वाचन

आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पहले ही क्या सरकार निर्वाचन आयोग को निर्देश देगी कि वह नमूना सर्वेक्षण करे ताकि विधायकों के वास्तविक समस्याओं को समझ ले ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : This is the matter of putting ceiling on the individual expenses. The Ministers are using the government machinery For this reason, I would like to know whether government are intending to make such arrangements so that the Ministers, Chief Minister or even the Prime Minister may stop using the government machinery, after filing the nomination papers ?

The money corrupts the political atmosphere and due to this an instability prevails which is a danger to democracy. Keeping these facts in view will the government amend section 329 of the constitution ? Under this section election petitions are filed, May also know whether that will give the power of recall in the hands of electorates ?

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं तीन प्रश्न उठाना चाहता हूँ । मेरा पहला प्रश्न है कि हर एक निर्वाचन के बाद निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के सिलसिले में वाहनों के उपयोगों पर सीमा निर्धारण करने, निर्वाचन कार्यों के लिए जुलूसों पर रोक लगाने, लाउड स्पीकरों और लोगों से मत देने के लिये कहते के हेतु धन देकर व्यक्तियों की नियुक्ति समाप्त करने आदि विषयों पर अपनी सिफारिशें देता रहा है । क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ?

मैंने कई राज्यों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है जहां की प्रत्याशियों को रेडियो टेलीविजन आदि सुविधायें मुफ्त में देना सरकार का कर्त्तव्य है । क्या सरकार इस कार्यप्रणाली की ओर ध्यान देगी ?

1967 में सरकार ने निर्वाचन कार्य के लिये और पंजी तैयार करने के लिये 22,38,00,000 रुपये का व्यय किया । मैंने गणना की है कि अगर सरकार 1967 में कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि अपनी जमानत बचाने वाले प्रत्याशियों को देती, तो उसे विधान-मंडलों के 7,625 प्रत्याशियों को 5,34,00,000 रुपये और 1,660 संसदीय प्रत्याशियों को 7,66,00,000 रुपये देना पड़ता । जब सरकार पहले ही 22 करोड़ रुपये का व्यय करती है तो क्या और 7-8 करोड़ का भी खर्च करना वांछनीय नहीं समझती ताकि साधारण व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके ? मै उन के नाम पत्र भेज दूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : निर्वाचन आयोग को निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी कई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो रहे हैं जिन में निर्वाचन नियम के 90 वां नियम का संशोधन भी शामिल है जो निर्वाचन के समय किये जाने वाले व्यय की सीमा निर्धारण करने का उपबन्ध करना है । तत्संबंधी प्रस्तावों को विभिन्न राजनैतिक दलों को भेज दिया गया है । कुछ दलों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जिन पर आयोग को गंभीर रूप से विचार करना है । मैं निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि सरकार निर्वाचन कानून में संशोधन करने के लिये एक व्यापक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है । और इस में निर्वाचन आयोग नियम के 90 वां नियम भी शामिल है । यह समय की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेगा ।

मैं सभा को और आश्वासन देता हूं कि मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की प्रार्थना करूंगा। विभिन्न दल के माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी मिलेगा।

जहां तक निर्वाचन आयोग की नीति का संबंध है। विधिमंत्रालय नीति निर्धारण करेगा। निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व केवल निर्वाचन के पर्यवेक्षण में है।

अध्यक्ष महोदय : सदन सोमवार 11 बजे तक स्थगित किया जाता है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 16 मार्च, 1970/25 फाल्गुन, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March, 16, 1970/Phalguna 25, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.